खण्ड-179, अंक-4
गुरूवार, 19 आश्विन, शक संवत् 1878
(11 अक्टूबर, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 179 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराहुल हक, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराज, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)

बलदेवसिंह, श्री (वाराणसीय)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बंजनाथप्रसादसिंह, श्री
बंजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वंद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खंरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर शष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नक़वी, श्री

विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती

सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ११ अक्तूबर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार से सुझाव मांगना

१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के संबंध में केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार से सुझाव मांगें हैं? यदि हां, तो सरकार ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां। यह अब भी विचाराधीन है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार का इरादा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का है और इस सदन के माननीय सदस्यों के विचार जानने का है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंदसिंह)—ऐसा अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार ने कब सुझाव मांगा और किस प्रकार का सुझाव मांगा?

श्री हरगोविंदसिंह—वह रिपोर्ट आ गई मार्च के महीने में और उस रिपोर्ट पर सम्मति इस सरकार की मांगी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जो इस बात का प्रयत्न करेंगे कि १४ नवम्बर, सन् ५६ से पहले जबकि संसद का सेशन प्रारम्भ हो रहा है उसके पूर्व ही सरकार अपने सुझाव केंद्रीय सरकार के पास भेज दे?

श्री हरगोविंदसिंह—जहां तक मेरा ख्याल है कि केंद्रीय सरकार ने उस पर जो सरकार की राय मांगी थी वह टाप सीक्रेट करके भेजी थी। जब तक यह निश्चय न हो जाय तब तक वह संभव नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा के अधिवेशन में जब मैंने सरकार से यह पूछा था कि पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर सदन में विचार होगा तो सरकार ने कहा था कि सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा ? यदि हां, तो उस पर क्या विचार किया ?

श्री हरगोविंदसिंह—मैंने कहा टाप सीक्रेट करके गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भेजा। जब तक यह निश्चय न हो जाय कि वह भवन के सम्मुख उपस्थित की जाय तब तक मेरे लिये बताना संभव नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सरकार का ऐसा विचार है कि वह केंद्रीय सरकार को ऐसा सुझाव भेजे कि सदन को भी इसमें बहस करने का अवसर दिया जाय ?

श्री हरगोविंदसिंह—यह निश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा ही होना चाहिये क्योंकि यह तो सारे देश से संबंधित है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है और सरकार को विदित है कि यह बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट अब टाप सीक्रेट नहीं है और यह पार्लियामेंट में रक्खी जा चुकी है और इस संबंध में एक मेमोरेंडम भी सरकार ने पार्लियामेंट की मेज पर रक्खा है ?

श्री हरगोविंदसिंह—जी नहीं, ऐसी सूचना मेरे पास तो नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि संसद के आगामी सेशन में इस रिपोर्ट पर विचार होने जा रहा है ? यदि ऐसा है तो क्या मंत्री जी इस स्टेट के हित में इस रिपोर्ट पर सुझाव १४ नवम्बर से पहले भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविंदसिंह—मैंने यह कहा था कि अगर केंद्रीय सरकार यह चाहती है कि यहां और हर एक विधान सभा में वह रक्खी जाय तो रख दी जायगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में जो सुझाव मांगा है उसमें यह पूछा गया है कि कौन-कौन सी उत्तर प्रदेश में जातियां हैं जिन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो टाप सीक्रेट की बात फिर आपने पूछी जो मेरे लिये बताना मुमकिन नहीं है।

गांवों की भूमि का प्रबंध

:—श्री शिववक्ष सिंह राठौर** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव की भूमि का प्रबन्ध भूमि-प्रबन्धक समिति करेगी अथवा समूची ग्राम पंचायत ? यदि प्रबन्ध भूमि-प्रबन्धक समिति करेगी तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—गांव की भूमि का प्रबन्ध भूमि-प्रबन्धक समितियों द्वारा होता है। गांव समाजों के एकीकरण के बाद से पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचित गांव पंचायत के प्रधान व सदस्य ही इसके भी अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। इनका अलग निर्वाचन नहीं होता।

**३--श्री शिववक्षसिंह राठौर--क्या गांव पंचायत के प्रधान की भांति गांव समाज तथा भूमि-प्रबन्धक समिति के रजिस्टर व अन्य कागजात भी प्रधान के पास रहते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--भूमि-प्रबन्धक समिति के रजिस्टर व अन्य कागजात उसके सेक्रेटरी के पास रहते हैं क्योंकि उनकी खाना पूरी तथा रख-रखाव का कार्य उन्हीं के सुपुर्द है।

**४--श्री शिववक्ष सिंह राठौर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव समाज की आय नियमानुसार एक सप्ताह के अन्तर्गत गांव सभा-प्रधान को क्यों नहीं दी जाती ?

श्री चरणसिंह--सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिव वक्ष सिंह राठौर--क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि भूमि-प्रबन्धक समिति के सेक्रेटरी कागजों को दिखाने में आनाकानी करते हैं जिससे गांवों के प्रधानों और उसके सदस्यों को ठीक-ठीक जानकारी न होने से गड़बड़ियां चलती रहती हैं ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, मुझे तो ऐसा इल्म नहीं है। असल में गांव समाज की तरफ से ही वह लेखपाल अपने पास रखते हैं लेकिन अगर पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति का हर एक सदस्य उसे देखना चाहे तो मुश्किल होगी। प्रधान को वह इंकार नहीं कर सकता। मीटिंग होती है तो रजिस्टर सामने ही होता है, सब उसको देख सकते हैं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि गांव समाज की ओर से जो मुकदमे अदालत में पैरवी होते हैं उसकी कोई ठीक देखभाल नहीं हो रही है जिससे गांव समाज की सम्पत्ति को गांव समाज का अध्यक्ष सुरक्षित नहीं कर पा रहा है ?

श्री चरणसिंह--जी हां। बहुत कुछ जो कुछ माननीय मित्र ने कहा है वह सही है। वह ठीक नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि गांव पंचायत और भूमि-प्रबन्धक कमेटी एक ही बात है, उसके लोग अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का अच्छी तरह नहीं पालन कर पाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को यह सूचना है कि गांव समाज की आय नियम के अनुसार एक सप्ताह के भीतर गांव सभा के प्रधान को दे दी जाती है ?

श्री चरणसिंह--अब गांव समाज के प्रधान और पंचायत के प्रधान में कोई अन्तर नहीं रहा। पहले यह सवाल उठता था कि गांव पंचायत के प्रधान को गांव समाज का प्रधान एक हफ्ते के अन्दर दे दे। लेकिन जब बाडी ही एक हो गयी तो हफ्ते दो हफ्ते और एक दिन का कोई सवाल नहीं उठता।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज के जो मंत्री हैं वह संभवतः उस गांव में नहीं रहा करते हैं ?

श्री चरणसिंह--उसके लिये फिर एक लाख मंत्री चाहिये, अगर उसी गांव में रहा करें।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब भूमि-प्रबन्धक कमेटी और गांव पंचायत एक ही हो गयी तो दो नाम अलग-अलग रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री चरणसिंह--जितने रूप होते हैं उतने नाम होते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि-प्रबन्धक समिति की बैठक के दिन मंत्री का रहना अनिवार्य है ?

श्री चरणसिंह--जी हां। भूमि प्रबन्धक कमेटी का मंत्री मीटिंग कनवीन करेगा ही।

चीफ इंजीनियर, स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग का विदेश भेजा जाना

५—श्री शिवकुमार शर्मा** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान चीफ इंजीनियर लोकल सेल्फ विभाग को क्यों तथा कितने समय के लिये विदेश जाने की अनुमति सरकार ने प्रदान की है तथा विदेश में रहते हुये एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते उन्हें कौन-कौन अन्य सुविधायें (वेतन के अतिरिक्त) और उपलब्ध होती रहेंगी ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—चीफ इंजीनियर, स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश को राकफेलर फाउन्डेशन ग्रांट के अन्तर्गत यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम तथा यूरोप में जन-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संबंधी नवीनतम प्रगति कार्यों के अध्ययन के लिये एक अगस्त, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक की अवधि (केवल ३ मास) के लिये यात्रा करने की अनुमति सरकार ने दी है।

जब तक वे बाहर रहेंगे, वेतन के अतिरिक्त उनको किसी अन्य सरकारी सुविधा का अधिकार न होगा, क्योंकि उपरोक्त कार्य के लिये उनका सारा खर्च राकफेलर ग्रांट से मिल रहा है। उनको केवल ऐसे यात्रिक भत्ते जो राकफेलर ग्रांट के बाहर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सौंपे गये विशिष्ट कर्त्तव्यों के पालन करने में यात्रायें करनी पड़ेंगी दिये जायेंगे जो नियमानुसार हों—

(क) यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा यूरोप में जल तथा मल प्रवाह बोर्डों की कार्य-सम्पादन प्रणाली के अध्ययन के लिये।

(ख) स्विटजरलैन्ड के (BASLE) नगर की वोल्ट मीटर्स फैक्ट्री की कार्य-सम्पादन प्रणाली के अध्ययन के लिये।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस तीन महीने की अवधि में जो डेली एलाउंस होगा वह भी मिलेगा या नहीं मिलेगा ?

श्री सैयद अली जहीर—डेली एलाउन्स तो मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा। क्योंकि राकफेलर ग्रांट से उनका खर्चा मोट किया जा रहा है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस तीन महीने की अवधि में यहां पर कौन आफिसर आफिशिएट करेगा या यूरोप में रहते हुए वह कार्यभार संभालते रहेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—आफिशिएटिंग अरेंजमेंट करना, यह तो अलग-अलग जैसी सूरत होती है वैसा ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तय करता है। मुनासिब यह समझा गया है कि चूंकि वह ड्यूटी पर हैं लिहाजा कोई आफिशिएटिंग अरेंजमेंट इनके लिये करना जरूरी नहीं। काम उनका कुछ अफसरों के मुताल्लिक कर दिया गया है और वह लोग अंजाम दे रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह राकफेलर ग्रांट मिलती है हमारे सरकारी अफसरों को, वह हमारी सरकार की सिफारिश पर मिला करती है या सरकारी अफसर उसका खुद इन्तजाम करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में सरकार से पूछ जरूर लिया जाता है लेकिन कोई सिफारिश तो यहां से नहीं गई थी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सहा है कि फाइनेंशल हैन्डबुक के नियमों के मुताबिक तीन महीने या तीन महीने से ज्यादा दिन के लिये कोई आदमी बाहर जाय तो उसके स्थान पर किसी की नियुक्ति होना चाहिये ? अगर ऐसा नहीं किया सरकार ने, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक मुझे मालूम है यह काम तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को तय करना होता है कि किस जगह के लिये नियुक्ति की जरूरत है और किस जगह के लिये नहीं है। इनके मामले में यह तय किया गया कि किसी आफिशियेटिंग आफिसर को मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदासिंह--इस वक्त जो चीफ इंजीनियर का काम था वह कौन लोग कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे ख्याल से करीब दो-तीन अफसरों को एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जो हैं उनके मुताल्लिक काम कर दिया गया है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह वहां पर विलायत से केबुलग्राम द्वारा अपने आफिसर्स को काम करने के लिये हिदायत देते रहते हैं या किस तरह हिदायत देते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--वह तो मैंने बताया कि रोजमर्रा का काम तो दूसरे अफसरों के मुताल्लिक कर दिया गया है, लेकिन जो बड़े मामले हैं पालिसी के मैटर्स हैं वह उनको डाक से उनकी इत्तिला जाती है और उनकी राय की अगर जरूरत होती है तो मंगा ली जाती है।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चीफ इंजीनियर साहब ने सीधे कोई प्रार्थना-पत्र विदेश जाने के लिये दिया था या प्रदेशीय सकार ने उनको विदेश भेजा है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो मुझे ठीक पता नहीं है कि राकफेलर ग्रांट के लिये किस तरह से नाम चुने जाते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार को इत्तिला दी और इस सरकार ने उनको इजाजत दी क्योंकि यह समझा गया कि उनका जाना हमारे सूबे के हित में होगा।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किस विशेष विषय के प्रशिक्षण के लिये यह विदेश भेजे गये अथवा गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो जवाब में भी कहा गया है कि जहां तक ड्रेनेज का ताल्लुक है उसके लिये गये हैं और वाटर वर्क्स के सिस्टम बहुत जगहों के देखने गये हैं। उसी के साथ-साथ कुछ वह स्विटजरलैन्ड और ग्रेट ब्रिटेन में जाकर के जहां पर बोर्ड बने हुये हैं वाटर और ड्रेनेज बोर्ड, उनको देखेंगे कि वह बोर्ड कैसे चलाये जाते हैं क्योंकि हमारी नीति यह है कि यहां पर भी इस तरह के बोर्ड बनाये जायं और मीटर फैक्ट्री को स्विटजरलैन्ड में जाकर देखेंगे कि वहां वह किस तरह से काम करते हैं ताकि हमारी प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री में जो मीटर बन रहे हैं उनमें क्या तरक्की की जा सकती है, इसकी जानकारी हासिल कर सकें। इन सब चीजों के लिये वह भेजे गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था भी कर रही है कि चीफ इंजीनियर महोदय के लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से संबंधित विषयों पर उच्च अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें उसी विभाग में रखा जायगा, किसी दूसरे विभाग में स्थानान्तरित नहीं किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर--इस वक्त तो यही इरादा है कि इनको इसी विभाग में रखा जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चीफ इंजीनियर महोदय जो उच्च शिक्षा के लिये गये हैं ये मेकेनिकल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर ?

श्री सैयद अली जहीर---वैसे तो उनकी मेकेनिकल इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा हैं लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशंस उनके पास हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बीरान में कितने महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे के बिलग्राम द्वारा परामर्श किया गया है और उस पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी इस वक्त मेरे पास इत्तला नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि इस समय वह चीफ इंजीनियर छुट्टी पर हैं या ड्यूटी पर ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो जवाब दिया जा चुका है कि ड्यूटी पर है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फरमा कर बतलायेंगे कि चीफ इंजीनियर जिन बहुत से कामों के लिये भेजे गये हैं उनके मुताहिलक उनके पास क्वालिफिकेशंस संतोषजनक हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, जरूर हैं, तभी तो वह यहां चीफ इंजीनियर के ओहदे पर मामूर हैं और काम कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये चीफ इंजीनियर साहब जो विदेश गये हैं वह नहरों के बनाने में, नालियों के बनाने में कैसे पैसा बचाया जा सकता है इसकी भी शिक्षा लेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो पहले बता चुका हूं कि वह शिक्षा लेने के लिये नहीं गये हैं। वह तो गये हैं देखने के लिये कि ये काम किस तरह से होते हैं दूसरे बड़े मुल्कों में, जहां बहुत ज्यादा ये काम फैले हुये हैं और वहां पर टेक्निकल नालिज बहुत ज्यादा है। जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है वह तो पहले से उनकी काफी है।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले के मुहम्मदपुर ग्राम की डकैती

*१---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार बतायेगी कि गत मध्य मार्च में मुहम्मद ग्राम, [थाना बोहरी घाट, जिला आजमगढ़] में एक भीषण डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि इस भीषण कांड के विषय में उनकी ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---जी हां। डकैती हुई थी। अपराधियों पर मुकदमा चल रहा है।

*२---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार अथवा जिला पुलिस कप्तान को इसकी शिकायत प्राप्त हुई है कि कतिपय शक्तियां इस केस को दबा देने के निमित्त अधिकारियों पर गलत दबाव दे रही हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

श्री झारखंडेराय---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस केस में शुरू में कुल कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुये थे और कितनों के ऊपर केस चल रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसमें कुल १८ व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे और १२ पर इस समय मुकदमा चल रहा है।

श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो ६ व्यक्ति छोड़ दिये गये वह किस आधार पर छोड़े गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनके खिलाफ काफी सबूत नहीं मिल पाया ।

*३–५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६–८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

विलीन राज्यों के राज परिवार के लोगों को पेंशन

*९—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रांत में कितने ऐसे व्यक्तियों को जो पुराने राज परिवारों से संबंधित हैं पेंशनें या अन्य इसी प्रकार का कोई अनुदान दिया जाता है और क्यों ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस समय ऐसे ४३२ व्यक्तियों को प्रादेशिक राजस्व से पेंशनें दी जाती हैं । इनमें से ४३१ व्यक्ति उन राज परिवारों से संबंध रखते हैं जिनके राज्यों का विलीनीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है । ये पेंशनें विलीनीकरण करारनामों (Merger agreements) की शर्तों के अनुसार दी जाती हैं । इनके अतिरिक्त एक पेंशन, जो विलीन राज्यों से संबंधित नहीं है, कृपात्मक आधार (Compenssionate grounds) पर दी जाती है ।

*१०—श्री रामेश्वरलाल—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वे १८५७ के आन्दोलन में भाग लेने वाले कुछ पीड़ित परिवारों की सहायता करने को सोच रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रान्तीय सरकार के अलावा केन्द्रीय राजस्व से भी राज परिवारों के लिए अनुदान दिये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां. केन्द्रीय राजस्व से भी कुछ लोगों को पेंशनें मिलती हैं ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन राज्य परिवारों को प्रान्तीय राज्य निधि से पेंशनें दी जाती हैं उनमें वह महाशय कौन से हैं जिन्हें सबसे अधिक दी जाती है और कितनी दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि व्यक्तियों की बाबत जानना हो तो उसका ब्योरा इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार अलग-अलग राज्यों, जैसे काशी राज्य, रामपुर स्टेट और टेहरी-गढ़वाल में कितने-कितने व्यक्तियों को कितनी पेंशन मिलती है, इसकी सूचना देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---टेहरी-गढ़वाल के ७५ व्यक्तियों को, रामपुर के २७९ व्यक्तियों को।

श्री अध्यक्ष---काशी राज्य रह गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त नहीं दी जाती किसी को।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक व्यक्ति जिसे कृपात्मक पेंशन दी जाती है, वह कितनी है और कौन को दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह महारानी लक्ष्मी बाई के प्रपौत्र श्री लक्ष्मण राव झांसी वाले हैं और जहां तक मुझे याद है उन्हें १०० रुपये दिये जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में पुराने राजपरिवारों में आश्रितों को जो पेंशनें दी जाती हैं, उन सबको मिलाकर कुल कितना व्यय राजकोष से करना पड़ता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १८५७ में जिन लोगों ने शानदार हिस्सा लिया है और उसके एवज में उनकी जायदाद जब्त कर ली गई है, यदि कोई अपने केस को रिप्रेजेंट करे तो उस पर सरकार विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१०० वर्ष से ऊपर की बात हो गई है और इस समय उन पर विचार करना मुश्किल है और न इस प्रश्न को उठाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान राजकोष पर इसका बहुत बोझ पड़ेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो संख्या ४३२ की बताई गई है इसमें अवध के नवाब भी शामिल हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे राज परिवारों को यह पेंशनें कब तक मिलती रहेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मर्जर के समय उनसे ऐग्रीमेंट किया है। अलग-अलग बात मैं बतला सकता हूं। चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी २५ वर्ष की उम्र होने पर पेंशनें बन्द हो जायंगी और तीन लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी होने पर पेंशनें बन्द हो जायंगी और लोगों को बहुत लम्बी मियाद की चीज मालूम होती है।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर जिले में कोई ऐसे सज्जन हैं जिनको यह पेंशन मिलती हो ?

श्री अध्यक्ष---व्यक्तियों के बारे में उन्होंने कह दिया है कि वह नहीं बतला सकते हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी कुछ दिन हुये कुछ ऐसे व्यक्ति उनसे मिले थे जिनके पूर्वजों ने १८५७ के आंदोलन में हिस्सा लिया था और उनकी जायदाद छीन ली गई थी तो उत्तर में उन्होंने यह कहा था अगर वह टाइटिल वगैरह के बारे में सबूत दे सकते हों तो कम्पेंसेशन के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, अवश्य कुछ लोग मुझसे मिले हैं। मैंने कहा कि उनकी जायदाद न जाने किस-किस के हाथ में गई होगी, बड़ा कानूनी सवाल है। मैंने कहा कि अगर कोई केस होगा और लीगली साबित होगा कि किसका हक है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पेंशनें कितने वर्ष से मिलती चली जा रही हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जितने दिनों से यह राज्य विलीन हुये हैं। किसी को दो वर्ष, किसी को तीन वर्ष और किसी को चार वर्ष हो गये होंगे।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन पेंशनों में ऐसी भी शर्त है कि जिनको यह पेंशन दी जाती है वह राजभक्त रहेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वे तो किन्हीं शर्तों पर यूनियन में शामिल हुये हैं। जहां तक मैं जानता हूं ऐसी कोई शर्त है नहीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पेन्शनें दी जा रही हैं इस वक्त ये पुश्तैनी पेन्शनें हैं या उसी व्यक्ति को मिलेंगी जब तक वह जिन्दा रहेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुछ तो पुश्तैनी हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो व्यक्तियों को दी जा रही हैं, उनकी जिन्दगी के साथ खत्म हो जायंगी।

*११---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---[१९ अक्तूबर, १९५६ के लिये प्रश्न १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[२५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

फिरोजाबाद के दक्खिनी क्षेत्र में पुलिस चौकी का खुलना

*१३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि फिरोजाबाद के दक्षिणी क्षेत्र में एक अतिरिक्त थाना कायम करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया? अगर हां, तो क्या?

श्री जगनप्रसाद रावत---ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है। परन्तु एक चौकी फिरोजाबाद साउथ के नाम से वहां खोल दी गई है तथा और चौकियां खोलने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या यह सही है कि सरकार ने कुछ महीने पहले इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि वह फिरोजाबाद के दक्षिणी क्षेत्र में अतिरिक्त थाना कायम करने पर विचार करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो मैं नहीं कह सकता कि क्या शब्द कहे गयेथे लेकिन उस बात को सोच कर ही फिरोजाबाद दक्षिण में एक चौकी खोल दी गयी है।

बहराइच जिले में कत्ल व डकैतियां

*१४--**श्री सियाराम चौधरी** (जिला बहराइच)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में जनवरी सन् १९५६ से जुलाई सन् १९५६ तक कितनी डकैतियां हुईं और कितने लोग जान से मारे गये ?

*१५--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों के कत्ल हुये हैं, उनके क्या नाम हैं और किस तरह के झगड़े में उनके कत्ल हुये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--बहराइच जिले में जनवरी सन् १९५६ से जुलाई सन् १९५६ तक २० डकैतियां हुईं और इस अवधि में डकैती और हत्या के मामलों में कुल मिलाकर २३ आदमी जान से मारे गये, जिनका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३८ पर)

श्री सियाराम चौधरी--क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इन डकैतियों में से कितनों में लोग पकड़े गये और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लग गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इन डकैतियो में से १२ मुकदमों में चालान हुआ है और बाकी आठ में जांच हो रही है ।

श्री सियाराम चौधरी--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फखरपुर थाने में कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--थानेवार ब्योरा तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन आठ डकैतियों की अभी जांच हो रही है वे कितने समय पूर्व की हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो मैंने जैसा बताया जनवरी से जुलाई के बीच की हैं ।

श्री राजनारायण--जिन १२ डकैतियों में चालान हो चुका है उनके पूर्व की ये ८ डकैतियां हैं या उनके बाद की हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है, कुछ पूर्व की हो सकती हैं और कुछ बाद की हो सकती हैं ।

श्री राजनारायण--मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि १२ डकैतियों में चालान हो चुका है और ८ डकैतियों में अभी जांच हो रही है, ऐसा माननीय मंत्री जी ने बताया । तो मैं सरकार से इतना जानना चाहता हूं कि ये ८ डकैतियां उन १२ डकैतियों के पहले हुई हैं या बाद को हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसका कोई ब्योरा मेरे पास नहीं है ।

सोमोधपुर, जिला जौनपुर में ओवरसियर ट्रेनिंग स्कूल खोलने की मांग

*१६--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह सोमोधपुर, जिला जौनपुर में ओवरसियर ट्रेनिंग स्कूल खोलने का प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)--जी नहीं । सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को पता है कि सोमोधपुर के किसी व्यक्ति द्वारा अखबारों में विज्ञापन इस बात का प्रकाशित कराया गया था कि ओवरसियरों की ट्रेनिंग के लिये लड़कों की भर्ती की जायगी और उसके कारण बहुत से लड़के गये और भर्ती हुये हैं ?

श्री धर्मसिंह---यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार के पास प्रार्थना-पत्र आया था कि वहां एक स्कूल खुलने वाला है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तो उस प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---वह प्रार्थना-पत्र ऐडहाक ऐडवाइजरी कमेटी, इंजीनियरिंग एजूकेशन को भेज दिया गया है और दूसरी कापी एजूकेशन डिपार्टमेंट को तहकीकात के लिये भेज दी गई है।

राजा साहब अमेठी, जिला सुल्तानपुर का प्रान्तीय संग्रहालय को शास्त्रों का कथित दान

*१७---श्री उदयभानसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि राजा साहब अमेठी, जिला सुल्तानपुर ने जो फरवरी सन् १९५३ ई० में पुराने ढंग के ३८ बन्दूक तथा पिस्तौल आदि अद्भुत शस्त्रास्त्र लखनऊ के प्रान्तीय संग्रहालय के लिए दिये थे वे सुल्तानपुर के मालखाने से अजायबघर लखनऊ में आ गये हैं या अभी नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---राजा साहब ने ऐसे कोई शस्त्र संग्रहालय के लिये नहीं दिये थे, अतः कोई शस्त्र प्रान्तीय संग्रहालय में भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

*१८---श्री उदयभानसिंह (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त शस्त्रास्त्र अजायबघर न भेज कर कहीं अन्यत्र जगह भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब, कहां और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में बिजली के लिए मांग

*१९---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के देहाती क्षेत्रों को बिजली देने की कोई व्यवस्था हो रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी सदन में दिये गये इस आश्वासन के बावजूद कि उन्नाव जिले के देहाती क्षेत्रों को बिजली मिलेगी अब वह कहते हैं कि नहीं मिलेगी तो इस प्रतिकूल निर्णय पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---यह तो नहीं कहा जा सकता कि क्या आश्वासन दिया गया था। जहां तक इस प्रश्न का उत्तर है वह तो यही है कि उस इलाके में बिजली देना सम्भव नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जैसे केसा के द्वारा उन्नाव नगर को बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है वैसे ही देहाती क्षेत्रों को भी बिजली दी जा सकती है ?

श्री धर्मसिंह---इतनी बात तो ठीक है कि केसा से बिजली दी जा रही है लेकिन जिस स्थान के लिये माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है वह स्थान काफी दूर है और वहां पर उससे बिजली देना सम्भव नहीं है ।

उन्नाव जिले में कत्ल

*२०---श्री देवदत्त मिश्र---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में १ जनवरी, १९५६ से ३० जून, १९५६ तक ताजीरात हिन्द की दफा ३०२ और ३०४ के अन्तर्गत कितनी हत्यायें हुईं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उक्त अवधि में उन्नाव जिले में दफा ३०२ और ३०४ के अन्तर्गत क्रमशः ३१ तथा ७ हत्यायें हुईं ।

*२१---श्री देवदत्त मिश्र---क्या धारदार हथियारों पर रोक लगाने के कुछ सुझाव सरकार के पास आये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां । कुछ समय पूर्व कुछ सुझाव आये थे परन्तु सरकार ने इन हथियारों पर पुनः रोक लगाना उचित नहीं समझा ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि गत एक वर्ष के भीतर हुई हत्याओं की तुलना में ३० जून, ५६ तक ६ महीने के भीतर हुई हत्यायें काफी हैं और प्रति सप्ताह हत्याओं की रफ्तार बढ़ती जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---कुछ तो बढ़ी है ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मन्त्री महोदय उन्नाव जिले में रोमांचकारी हत्याओं की वृद्धि को देखते हुये कम से कम इस जिले में धारदार हथियारों के रखने पर रोक लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---हत्याओं का कारण केवल धारदार हथियार ही नहीं है इसलिये कुछ हत्यायें अधिक हो जाने की वजह से सारे जिले में ऐसी रोक लगाना कुछ आवश्यक नहीं मालूम होता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने स्वतः किन्हीं धारदार हथियारों पर रोक लगाया है और यदि लगाया है तो वह किस किस प्रकार के धारदार हथियार हैं ?

श्री अध्यक्ष---गवर्नमेंट ने खुद अपने से रोक लगाया है इसका क्या मतलब है ? इस बात को तो सरकार ने इन्कार कर दिया है । इसलिए यह पूरक प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रति सप्ताह हत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है उसके क्या विशेष कारण हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---हर हत्या के पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं । कहीं पर आर्थिक झगड़े बढ़ जाने की वजह से, कहीं चोरी या डकैती के कारण और कहीं और दूसरे कारण भी हो जाते हैं ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो हत्यायें हुई हैं उनमें जमीन संबंधी झगड़े से कितनी हत्यायें हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसमें जमीन संबंधी झगड़े सात हुए ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले के उच्चाधिकारियों ने धारदार हथियारों पर रोक लगाने की मांग सरकार से की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस प्रकार की कोई मांग नहीं की गई ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात का पता है कि जमीन संबंधी झगड़े में जो हत्यायें हुई हैं उनमें जो खेत जोतने वाले असामी या शिकमी काश्तकार हैं उनकी जानें गई हैं और जमींदारों ने लाठी से या हथियारों से उनको मारा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसका विवरण तो मेरे पास नहीं है कि कहां पर कैसे हत्या हुई और उसका क्या कारण था ।

*२२---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[३० अक्तूबर, १९५६ के लिये प्रश्न ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[२२ अक्तूबर, १९५६ के लिये प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बाराबंकी में कम्पलेंट अफसरों द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*२४---**श्री रामसेवक यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से हर जिले में कम्प्लेन्ट अफसर नियुक्त हुये हैं बाराबंकी में अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---७३ शिकायतें हुई हैं जिनमें से ६० में अब तक जांच पूरी हो गई है । इन ६० में से १२ में आरोप सत्य पाये गये और सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

श्री रामसेवक यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन १२ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई वह क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसमें कुछके खिलाफ वैभागिक कार्यवाही की गई, कुछ के खिलाफ मुकदमे चलाये गये, कुछ को तनज्जुल किया गया और कुछ के खिलाफ उनके आमाल-नामे में दर्ज किया गया कि उनका काम ठीक नहीं था ।

श्री रामसेवक यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनके खिलाफ मुकदमे चलाये गये, उनमें क्या हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अभी तो कुछ नहीं हुआ ।

श्री रामसेवक यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ७३ आदमियों के खिलाफ शिकायत की गई उनमें कितने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ और कितने अन्य कर्मचारियों के खिलाफ और किस-किस विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्य-वाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इन ७३ में ६६ पुलिस विभाग के कर्मचारी थे और सात माल विभाग के ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिन १२ के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उसमें पुलिस विभाग के कितने हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस समय यह तफसील अलग-अलग नहीं है ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जिन १२ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ह और जिनका दोष सिद्ध पाया गया है उनमें कितने ऊंचे कर्मचारी हैं और कितने निम्नकोटि के हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो सब सब-इन्सपेक्टर और कांस्टेबिल होते हैं और गजटेड आफिसर तो होते नहीं।

पेंशन-याफ्ता सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के लिये निर्धारित नियम न होना

*२५—श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—क्या यह सच है कि पेंशन-याफ्ता सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के बारे में कोई नियम सरकार ने बना रक्खे हैं ? यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२६-२७—श्री गणेशप्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—[१३ नवम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में दुद्धी क्षेत्र की तेंदू की पत्ती के ठेकेदारों की शिकायत

*२८—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सच है कि इस वर्ष मिर्जापुर जिले के दुद्धी क्षेत्र की तेंदू की पत्ती के ठेकेदारों ने, जिनका ठीका १९५९ तक का है, दुद्धी बनाध्यक्ष (D. F. O.) के पास त्याग-पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२९—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या यह सच है कि इस वर्ष उक्त क्षेत्र में तेंदू पत्ती, जो काश्त में मौजूद थी, उसकी खरीद वहां की सहकारी समितियों ने तथा कुछ अन्य व्यापारियों ने की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी ठेकेदार झाबर भाई पटेल ने सरकार के पास कोई पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने शिकायत की है और सरकार से कहा है कि हमें इस्तीफा देने की मंजूरी दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार के पास कोई पत्र नहीं आया। मगर डी० एफ० ओ० के पास दिया मालूम होता है जिसमें उन्होंने अपनी मांग रखी है और यह कहा है कि अगर उनकी मुश्किलात दूर नहीं की गयीं तो संभव है वे मजबूर हो जायं ठेका छोड़ देने में।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्पनी ने क्या मांग की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—आप कृपया इसको समझा दें कि आपका किस कम्पनी से मतलब है ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र—आपने अभी उत्तर में कहा था कि उन्होंने कुछ मांग की है वह मांग पूरी नहीं होती तो कम्पनी इस्तीफा देने को बाध्य होगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पहला जो उत्तर मैंने दिया था वह कोआपरेटिव सोसाइटी से मतलब था वह उस कम्पनी से मतलब नहीं है। झाबर भाई पटेल कम्पनी से उसका मतलब नहीं था और उनका कोई प्रार्थना-पत्र मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर में जो बताया गया है कि कोआपरेटिव तथा अन्य लोगों ने काश्त की पत्ती का व्यवसाय किया तो झाबर भाई पटेल कम्पनी ने लोगों पर मुकदमा क्यों चला रखा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वहां पर कुछ निजी लोगों की तेंदू की पत्ती है और कुछ सरकारी जंगल है। सरकार भी अपना ठेका देती है और गांव के लोग भी अपने जंगल का ठेका देते हैं तो एक दूसरे की लोग वहां चोरी करते हैं यही झगड़ा है। अब झाबर भाई पटेल कम्पनी वाले तथा अन्य सरकारी जंगलों के ठेकेदार कोआपरेटिव तथा अन्य गांव वालों की तेंदू पत्तियों के ठेकेदारों पर आरोप लगाते हैं कि वे सरकारी जंगलों की पत्तियों को चोरी से तोड़ ले जाते हैं और कोआपरेटिव तथा अन्य गांव वालों की पत्तियों के ठेकेदार झाबर भाई पटेल तथा अन्य सरकारी जंगलों के ठेकेदारों पर आरोप लगाते हैं कि वे लोग इनकी पत्तियों को चोरी से तोड़ते हैं। यही कुछ घपला है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि इसके बारे में एक कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे निजी ठेकेदारों का और सरकारी ठेकेदारों का आपस में इस तरह से घपला न रहे मगर अभी तक हमको कोई कानूनी सलाह नहीं मिली है जिससे कोई कानून बन सके, फिर भी एडवोकेट जनरल और ला डिपार्टमेंट की राय मांग रखी है और संभव है कुछ समय के बाद इस मामले को हल किया जा सकेगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन पत्तियों के झगड़े के संबंध में सेशन कोर्ट की अदालत में फैसला हो चुका है कि काश्त की पत्ती और तेंदू की पत्ती अलग-अलग है और कम्पनी ने जो मुकदमा चलाया था वह खारिज कर दिया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस पर तो सरकार ने एक आर्डर कर रखा है, उस फैसले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वह यह कर रखा है कि अगर कोआपरेटिव के लोग या दूसरे लोग कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की या अपनी निजी कोई मुहर लगा लिया करें जिससे सरकारी जंगल की पत्तियों से उनकी पहचान हो जाय। यह आर्डर हमारा है कि फारेस्ट वाले रवन्ना दे दें किसी तरह की रुकावट न करें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को पता है कि ठेकेदार काश्त की पत्ती को बहुत कम दाम पर पहले खरीदते थे और जब से यह कोआपरेटिव सोसाइटी बनी है तब से काश्त की पत्ती का भाव ऊंचा हो गया है जिसकी वजह से ठेकेदार चाहते हैं कि यह सहकारी समिति टूट जाय और उनको कम दाम पर पत्तियां मिला करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--बावजूद इसके कि वह बात सही हो, सरकार ने यह किया था कि उसके कनजरवेटर ने १ आने में हजार पत्ती का रेट मुकर्रर कर दिया था। इस बात का हम उन पर जोर नहीं दे रहे हैं। वे निजी तौर पर चाहें तो ज्यादा कीमत पर बेंच लें।

हिवेट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ के प्रबंध की जांच के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशें

*३०--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हिवेट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ का सरकार से क्या संबंध है ?

श्री धर्मसिंह--यह स्कूल एक प्राइवेट संस्था है। लेकिन सरकार द्वारा इसे मान्यता दी गई है। इसकी मैनेजिंग कमेटी में राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार ने तथा राज्य सरकार ने इसे आर्थिक सहायता भी दी है।

*३१—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व इस स्कूल की व्यवस्था के संबंध में कुछ शिकायत सरकार के पास आई थी और इस संबंध में कोई समिति उनकी जांच करने के लिये बैठाई गई थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, कुछ शिकायतें आई थीं। एक कमेटी भी बैठाई गई थी। लेकिन यह कमेटी उन शिकायतों की जांच के लिये नहीं बल्कि स्कूल की हालत पर रिपोर्ट देने और सुधार सुझाने के लिये बैठाई गयी थी।

*३२—श्री गेंदासिंह—क्या गत वर्षों में भी इस स्कूल के प्रबन्धकों के विरुद्ध फिजूल-खर्ची की शिकायतें सरकार के सामने आई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, इस मामले में जांच की जा रही है।

श्री गेंदासिंह—कमेटी की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या है ?

श्री धर्मसिंह—पहली सिफारिश यह थी कि स्कूल का कोर्स २ साल का हो जाना चाहिये। मैनेजिंग कमेटी में १३ सदस्य हों जिसमें से ४ गवर्नमेंट की नामजदगी के हों, २ सरकार से एप्रूव्ड हों और उन स्कूलों को कुछ नान-रेकरिंग और रेकरिंग ग्रांट दी जाय। हैल्थ, होस्टल और स्कालरशिप इत्यादि के बारे में भी सिफारिशें आई थीं।

श्री गेंदासिंह—क्या कमेटी ने वहां के इन्तजाम की फजूलखर्ची के बारे में कुछ कहा था ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये कुछ कहा नहीं जा सकता। रिपोर्ट में बहुत सी बातें आई थीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि स्कूल के प्रबन्धकों के विरुद्ध फजूलखर्ची की कौन सी शिकायतें आई हैं जिनकी जांच कराई जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—शिकायतें बहुत-सी हैं ? एक तो यह है कि वहां पर मैनेजिंग कमेटी ने डाइरेक्टर आफ स्टडीज की नियुक्ति की है, उसे तनख्वाह देती है और उसके अलावा एक कार खरीदी गई थी जिसका पैसा वहां से लिया गया। होस्टल की हालत खराब है, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री इत्यादि के बारे में शिकायतें थीं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस स्कूल की आवश्यकता को दृष्टिकोण में रखते हुये वह इसे प्राविंशियलाइज करने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—इस प्रकार का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या यहां विद्यार्थियों का दाखला सेलेक्शन से होता है ? जैसे रुड़की में होता है या मैनेजिंग कमेटी भी कुछ नामीनेशन करती है ?

श्री धर्मसिंह—सैलेक्शन द्वारा होता है। नामीनेशन्स नहीं होते। अगर वह होते हैं तो दूसरी स्टेट्स के विद्यार्थियों के होते हैं। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी नामीनेट नहीं होते हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आई है कि इस स्कूल में लड़के परीक्षा की मैरिट से नहीं लिये जाते हैं बल्कि उसके प्रतिकूल किया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दाखला मैरिट से ही होता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जो अनुदान सरकार की ओर से इस स्कूल को रुपये दिया जाता है उसकी देखरेख व जांच के लिये सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध है ?

श्री धर्मसिंह—इसे कुछ अनुदान गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से दिया जाता है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसमें शेयर करती है और उसकी समय-समय पर जांच की जाती है जिसके लिए २ प्रतिनिधि सरकार की ओर से हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास यह भी शिकायत आयी है कि इस स्कूल में लाखों रुपया फिजूल खर्चे की जिम्मेदारी मुख्य रूप से डायरेक्टर आफ स्टडीज की है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*३३-३५—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[२९ अक्तूबर, १९५६ के लिये प्रश्न ३६-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विकास तथा निर्माण कार्यों के लिए ऋण की शर्तें

*३६—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के निर्माण कार्यों, विद्युत योजनाओं तथा अन्य विकास कार्यों के लिये सरकार ने जो आठ करोड़ रुपये का ऋण लेना निश्चय किया है उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—८ करोड़ रुपये के ऋण की मुख्य शर्तें सरकार द्वारा जारी किये गये १० अगस्त, १९५६ ई० के प्रेस नोट में दी हुई हैं। इस ऋण की शर्तों के पूरे ब्योरे वित्त विभाग की १० अगस्त, १९५६ ई० की विज्ञप्ति संख्या बी-६४५३/१०-८८—१९५६ में भी दिये हुये हैं जो उसी तारीख के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई हैं।

ग्राम महेशपुर, थाना कसिया, जिला देवरिया में सशस्त्र डकैती

*३७—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला, थाना कसिया, ग्राम महेशपुर में अगस्त, १९५६ के शुरू में सशस्त्र डकैतियां पड़ीं जिसमें ग्राम वालों ने मुकाबला किया और निहत्था होने के कारण कई व्यक्ति घायल हुये और दो व्यक्ति गोली खाकर मर गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, अगस्त १—२, १९५६ को उक्त ग्राम में एक डकैती पड़ी जिसमें २ व्यक्ति मारे गये और कुछ घायल हुये।

*३८—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उस ग्राम के आस-पास कई बन्दूकें हैं लेकिन मौके पर काम नहीं आईं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन लोगों से जवाब तलब करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३९—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार इस डकैती की पूरी जांच करायेगी और डकैती की गोली से मरे व्यक्तियों के परिवारों को कोई मासिक सहायता देने का विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जांच हो रही है। मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस डकैती में कितने डकैत थे और कितने पकड़े गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अब तक ५ गिरफ्तार हुये हैं ?

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस डकैती की इंक्वायरी में कुछ हथियार भी पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो वे किन-किन के हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--हां, कुछ हथियार भी बरामद हुये हैं।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह हथियार किनके हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जो लोग गिरफ्तार हुये हैं उन्हीं ने वह हथियार बताये और उन्हीं के पास से वे हथियार मिले।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे हथियार कहां बरामद हुए थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं, मैं यह बताने को तैयार नहीं हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतायेगी कि केवल ५ ही आदमी इस डकैती में थे या कुछ फरार हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--अभी तक ५ का ही पता लगा है और वह पकड़ लिये गये हैं।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मृत व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन देने पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--१५० रुपया तो उसी समय दे दिये गये थे बाकी जिले से सिफारिशें आ रही हैं उनके आने पर विचार किया जायगा।

गाजीपुर जिले में तहसील भ्रष्टाचार निरोधक समितियों की स्थापना

*४०--**श्री शिवभूजन राय** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की तहसीलों में भी तहसील भ्रष्टाचार निरोधक समितियों की स्थापना का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उस आदेश की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का जवाब ठीक नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--अभी तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया ही नहीं है। जवाब दे दिया जाय तब आप शिकायत करें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिये हैं।

गाजीपुर जिले में कम्पलेन्ट आफिसर के पास शिकायतें

*४१--**श्री कमलासिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कम्प्लेंट आफिसर के पास १९५६ में किन-किन लोगों के कम्पलेंट आये और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगन प्रसाद रावत--७५ लोगों के कम्पलेंट्स प्राप्त हुए, उन सभी की जांच की गई। ७० की जांच पूर्ण हो गई है। १२ में आरोप पूर्णतः या अंशतः सत्य पाये गये और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि किन-किन लोगों की कंपलेंट्स कम्पलेंट्स आफीसर को पता थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं ।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार बतायेगी कि जो कंप्लेंट्स सन् ५६ में आयीं वे किन किन लोगों की थीं और किस किस्म की कंप्लेंट्स थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसकी तो ७०--७२ फाइलें हैं मैं यह कैसे बता दूं ।

श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन-जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी वे किस-किस विभाग के व्यक्ति हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसमें अधिकतर पुलिस विभाग के लोग हैं ।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कम्पलेंट्स सरकार के पास आये हैं उसमें कोई इस किस्म का भी कम्पलेंट है कि अनलाफुल डिटेंशन किसी आदमी को किया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---हर एक कम्पलेंट की पूरी तफसील तो मेरे पास यहां है नहीं । इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

बहराइच जिले में बिजली की सप्लाई

*४२---श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या विद्युत मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला बहराइच के अन्तर्गत नानपारा आदि स्थानों का जो विद्युतकरण किया जा रहा है वह कब तक सम्पन्न हो जायेगा एवं जनता को प्रकाश व शक्ति कब तक उपलब्ध होने लगेगी ?

श्री धर्मसिंह---आशा की जाती है कि विद्युत शक्ति नानपारा इत्यादि स्थानों को १९५६ के अन्त तक दी जायगी और कर्नलगंज को १९५७ तक विद्युत् दी जायगी ।

श्री बसन्तलाल शर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि १५ अगस्त को नानपारा में खम्भे लगे हुए थे और उनमें प्रकाश भी हुआ था लेकिन उसके बाद वे बन्द कर दिये गये, इसका कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है । खम्भे पहले लगे हुए थे और बाद को बन्द कर दिये गये या क्या बात हुई इसको देखना पड़ेगा ।

श्री बसन्तलाल शर्मा---यह जो बिजली दी जायगी इसका प्रति यूनिट रेट क्या होगा ?

श्री धर्मसिंह---यह तो जब बिजली दी जायगी उसी समय निकाला जायगा कि क्या चार्जेज हो सकते हैं । अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

बल्लभगढ़ नामक दड़े के विरुद्ध आगरे से शिकायत

*४३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार के पास मई या जून, १९५६ में बल्लभगढ़ के नाम से लगाये जाने वाले दड़े (जुआ) वगैरा के बारे में कोई शिकायत आगरा से भेजी हुई आई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां ।

*४४---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार इस शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—शिकायत की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३९–३४० पर)

*४५—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—उपर्युक्त शिकायत में बताई गई बुराइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जहां सम्भव हो सकता है सटोरियां के विरुद्ध जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे चलाये जाते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार का ध्यान शिकायत के इस अंश की ओर गया है कि लोकल पुलिस जिन लोगों से रिश्वत लेती है उन लोगों को आगाह करके लूट और राहजनी करने वालों तथा सटोरियों से मिलकर उच्चाधिकारियों को अपना कार्य नहीं करने देती? यदि हां, तो सरकार ने इस अंश के सम्बन्ध में क्या किया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो शिकायत का अंश माननीय सदस्य ने बतलाया है उसकी तरफ सरकार का ध्यान गया है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि वे अधिकारी जो इस किस्म के हैं उनको दंड दिया जायगा और वे ऐसा कार्य नहीं कर सकेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्योंकि इस गैंग का प्रधान कार्यालय देहली में है इसलिए जो कार्यवाही हो रही है उसमें देहली और उत्तर प्रदेश की पुलिस सम्मिलित कार्यवाही कर रही है या अलग-अलग कार्यवाही कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस सम्बन्ध में यह भी कोशिश हो रही है कि देहली में भी कोई कार्यवाही हो।

*४६–४७—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—[८ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले के परगना अगोरी में कथित नरभक्षी का आतंक

*४८—**श्री ब्रजभूषण मिश्र**—क्या सरकार को पता है कि मिर्जापुर जिले के परगना अगोरी में कोटा ग्राम के आस-पास आदमखोर ने गहरा आतंक कई महीने से मचा रखा है और अब तक तीन आदमी तथा सैकड़ों मवेशी वह खा चुका है?

*४९—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उसी परगने के पश्चिमी भाग में ग्राम बेलगडी व कनहारा के आस-पास शेरों ने गत दो वर्षों से गहरा उपद्रव मचा रखा है और अब तक लगभग ६०० गाय, भैंस, बैल आदि पशुधन को क्षति पहुंच चुकी है तथा नित्य प्रति यह क्षति जारी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार की जानकारी के अनुसार इन प्रश्नों में बताई गई स्थिति सही नहीं है।

*५०—**श्री ब्रजभूषण मिश्र**—क्या यह सच है कि इस दुर्घटना तथा पशुधन ह्रास की कोई रिपोर्ट सरकार की किसी एजेन्सी द्वारा जिलाधीश तथा पुलिस स्टेशनों पर नहीं की गई और न उसके लिए कोई व्यवस्था ही रखी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई व्यवस्था करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न नहीं उठता।

नोट—तारांकित प्रश्न ४५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

झांसी जिले में नबाबाद थाने के अन्तर्गत वारदात

*५१—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी की पुलिस स्टेशन नबाबाद झांसी में १९५४ से १९५६ मार्च तक कितने कत्ल, कितनी डकैतियां, कितनी चोरियां हुई ? क्या सरकार कत्ल और डकैतियों के स्थान तथा नाम की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३४१ पर)

मुजफ्फरनगर जिले में बिजली वितरण का ठेका

*५२—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में बिजली वितरण का ठेका किसी खास कम्पनी के पास है और क्या उसके ठेके की कापी सदन में रखेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां । लाइसेन्स की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४२-३४७ पर)

*५३—श्री बलवन्तसिंह—यदि हां, तो किस कम्पनी के पास है और किस-किस काम और किस-किस क्षेत्र के लिये है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुजफ्फरनगर जिले में सब कार्यों के लिये विद्युत वितरण का ठेका अपर जमुना वैली एलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के पास है परन्तु मुजफ्फर नगर नगरपालिका क्षेत्र में विद्युत वितरण का ठेका स्वयं नगरपालिका के पास है तथा पांच हजार से कम आबादी के कस्बों को बिजली विद्युत विभाग द्वारा दी जाती है ।

*५४—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार जिला मुजफ्फरनगर में अपनी बिजली की लाइन लगा रही है ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुजफ्फरनगर जिले में बिजली की लाइनें पहले से ही मौजूद हैं और जिले का अधिकांश भाग मौजूदा लाइनों के अन्तर्गत आ जाता है ।

ओवरसियर, सब ओवरसियर तथा ड्राफ्टमैन की शिक्षा के लिए संस्थायें

*५५—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि प्रान्त में ओवरसियर, सब-ओवरसियर तथा ड्राफ्टसमैन की शिक्षा के लिये कहां-कहां शिक्षा संस्थायें है और उन पर नियन्त्रण रखने के लिये कौन अधिकारी है और उनका हेडक्वार्टर कहां है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस किस्म की मान्यता दी हुई शिक्षा रुड़की, बनारस, अलीगढ़ यूनिवर्सिटियों में व सिविल और हेविट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ व सरकारी आर्ट्स व क्राफ्ट्स स्कूल लखनऊ में दी जाती है । यह राज्य सरकार के विचाराधीन है कि ऐसी शिक्षा संस्थाओं का नियंत्रण रुड़की विश्वविद्यालय के जिम्मे कर दिया जाय । फिलहाल रुड़की विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की अध्यक्षता में एक एडहोक एडवायजरी बोर्ड इंजीनियरिंग शिक्षा के लिये स्थापित कर दिया गया है ।

*५६—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त कक्षाओं को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन नियमों की एक कापी सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अभी तक इस बारे में इंजीनियरों से जांच करवा ली जाती थी। नियम बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

*५७—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आई है कि कुछ संस्थाएं दाखिले के समय अलग-अलग नामों से शिक्षार्थियों से बहुत बड़ी रकमें ले रही हैं? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस प्रकार की शिकायत अवश्य हुई। सरकार इसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने वाली है।

मिर्जापुर जिले के गड़बड़ा मेले में मादक वस्तुओं की नाजायज बिक्री

*५८—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि गत २६ नवम्बर को मिर्जापुर जिले के हलिया थाना के अन्तर्गत गड़बड़ा के मेले में कतिपय व्यक्ति गांजा, भांग और शराब नाजायज तौर पर बेचते हुये पकड़े गये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२६ नवम्बर को तो नहीं परन्तु २६ दिसंबर को ऐसी एक घटना हुई थी।

*५९—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चार।

सचिवालय की वित्त, सार्वजनिक निर्माण एवं अन्य शाखाओं में पदोन्नति के नियम

*६०—श्री भगवानसहाय—क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की तीनों शाखाओं वित्त-सार्वजनिक निर्माण एवं सामान्य सचिवालय में स्थायी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित एक ही प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा होती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जहां तक अवर वर्ग तथा प्रवर वर्ग के पदों पर स्थायीकरण का सम्बन्ध है।

*६१—श्री भगवानसहाय—यदि ऐसा है, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि सचिवालय की वित्त एवं सार्वजनिक निर्माण शाखाओं में १९४७ और १९४९ की परीक्षाओं द्वारा अपर डिवीजन असिस्टेन्ट के पद पर नियुक्त कुछ व्यक्ति विभागीय अधीक्षकों के पद पर कार्य कर रहे हैं जब कि सामान्य सचिवालय में उनसे वहीं पहिले १९४२ की परीक्षा के आधार पर नियुक्त कुछ व्यक्तियों को अभी तक अधीक्षक के पद पर नहीं नियुक्त किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*६२—श्री भगवानसहाय—यदि ऐसा है तो क्या सरकार पदोन्नति के प्रयोजन के लिये सचिवालय की तीनों शाखाओं को एक ही में विलीन करके इस असंगति को दूर करने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

३० जुलाई, १९५६ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—अब माननीय उद्योग मंत्री अपने एक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण देंगे ।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा दिनांक ३० जुलाई, १९५६ के लिए पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर देते समय श्री मदन मोहन उपाध्याय द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दी गयी सूचना का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

"श्री मदनमोहन उपाध्याय के अनुपूरक प्रश्न कि दानसिंह विष्ट एंड संस को सरकार की ओर से इस फैक्ट्री को खोलने के लिये कोई रियायत या रुपया दिया जायगा ? के विषय में सही स्थिति इस प्रकार है—रियायत का सवाल तो कोई नहीं है । किसी प्रकार फैक्ट्री को चलवाना है । इसलिये लोन देने का सवाल जरूर है, उसमें करीब १ करोड़ ८० लाख रुपया लगने वाला है क्योंकि वह २ हजार टन की फैक्ट्री होगी । सरकार इसमें से ३०,४० लाख रुपये के बीच में लोन देगी । बाकी फाइनेंस कारपोरेशन से भी दिलाने की चेष्टा करेगी । थोड़े समय के लिए गन्ने की कीमत में कुछ रिबेट तथा सेस में कुछ कमी भी करेगी ।"

श्री उपाध्याय के दूसरे प्रश्न कि (दानसिंह विष्ट ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि उस इलाके के गन्ने की रिकवरी क्योंकि कम है, इसलिए वहां के किसानों को इस बात के लिए मजबूर किया जाय कि वे गन्ने को कम कीमत पर इन मिलों को दें) विषय को सही स्थिति यह है कि हमेशा के लिये कोई निर्णय नहीं हुआ है । थोड़े समय के लिये गन्ने की कीमत में रिबेट और सेस में कुछ छूट देने पर विचार किया गया है । यदि थोड़ा कम देकर किसानों की आगे आने वाली आमदनी बढ़ की जा सके तो मैं उसे किसानों के अहित की बात नहीं समझता परन्तु किसानों के फायदे की ही बात समझता हूं क्योंकि इस इलाके के गन्ने की चीनी की मात्रा निस्बतन कम बताई जाती है ।

दशहरे के बाद सदन की बैठक की तिथियों के विषय में सूचना

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं । कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने १६ या १७ तारीख को छुट्टी के सम्बन्ध में कहा था, मैं चाहता हूं कि आज जरा स्पष्टीकरण कर दिया जाय और साफ बता दिया जाय कि छुट्टी कब तक रहेगी ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, सफाई तो इसकी मैंने कल ही कर दी थी कि १२, १३, १४ और १५ को छुट्टी रहेगी और १६ को असेम्बली खुलेगी और उसके बाद १७ को भी होगी और १८ को बारावफात की छुट्टी होगी और फिर १९ को खुलेगी । लेकिन फिर उसके बाद मुझे बताया गया कि कई माननीय सदस्यों को १६ तारीख को यहां आने में दिक्कत होगी और इसलिये वे चाहते हैं कि १६ को भी छुट्टी रहे और इस के बदले में मुझे बताया गया कि सभी लोग राजी हैं कि २० तारीख को शनिवार को हाउस बैठे । अगर सब सहमत हैं तो १२ से १६ तक छुट्टी बराबर रहे और १७ को सदन बैठे और १८ को बंद रहे और उसके बाद १९–२० को लगातार असेम्बली चले ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिय)—अध्यक्ष महोदय, कल जो घोषणा यहां हो गई थी बावजूद इसके कि उसमें हमें कुछ कठिनाई होती लेकिन हम लोगों ने उसको पसन्द किया लेकिन अब फिर जब १५ के बाद १६ को छुट्टी हो रही है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजाय इसके कि १७ को असेम्बली बैठे, १८ को बारावफात की छुट्टी है तो १९ या २० को जो थोड़ा काम रह जाय वह हो सकता है और इस तरह से एक आध दिन में

[श्री गेंदासिंह]

काम भी पूरा हो जायगा और दूसर भाई शिरकत करना चाहेंगे वह खुशी खुशी उसमें शिरकत भी कर सकेंगे और असेम्बली में आसानी से हिस्सा ले सकेंगे। इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाय तो अच्छा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कार्यक्रम के मुताल्लिक कल एलान किया था और जो आज परिवर्तन करने का एलान किया उन दोनों में कुछ आर्थिक दिक्कत भी पड़ती होगी। तो मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जरा इसका भी खयाल करके वह कार्यक्रम निर्धारित करें कि आर्थिक प्रभाव उसका क्या होता है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा की बैठक के बारे में जो एलान हुआ करे वह जरा इतना कनसिडरेशन कर के हुआ करे कि जनता हमारे बारे में यह न समझे कि पहले ४ दिन की छुट्टी हो रही थी अब ५ दिन की छुट्टी की जा रही है और किराया लेने के लिये ऐसा मेम्बरान करते हैं। एलेक्शन आ रहें हैं इस तरह की भावनाये हमारे खिलाफ फैलना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि १६ को ही बैठक हो और ५ दिन की छुट्टी लेकर हम किराये के अधिकारी न बनाये जायं।

श्री अध्यक्ष---अब सब ने सुझाव दे दिये हैं, माननीय गेंदा सिंह ने और दूसरे सभी लोगों ने अपने सुझाव रख दिये हैं। इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी निश्चय से बतायें कि वह कब चाहते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय गेंदा सिंह जी ने जो सुझाव दिया है मुझे उसको मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि यह बात सदन के सब लोग मंजूर कर लें कि हम लोग २१ तारीख रविवार को भी बैठेंगे मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सुविधा भी है। सुविधा यह है कि १६ तारीख---जिस बात की तरफ उन्होंने संकेत किया हमारे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बारबकात के लिये घर गये हों तो १६ तारीख को आने में दिक्कत होगी। लिहाजा शुक्रवार, शनिवार और इतवार बराबर तीनों दिन असेम्बली चलती रहेगी। अगर माननीय गेंदा सिंह इससे सहमत हैं कि शनिवार और इतवार दोनों दिन सदन बैठे तो मुझे माननीय गेंदा सिंह जी के सुझाव को मानने में कोई एतराज नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलीगढ़)---माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रस्ताव रक्खा उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतवार की बात कही कि हम लोगों को इतवार को बैठने में कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि यह भी आवश्यक है कि काम भी पूरा हो जाय। लिहाजा १८ को न बुलाकर १९ को ही सदन बुलाया जाय तो उसमें रुपया भी बच जायगा और १९, २० और २१ को सदन भी बैठ जायगा।

श्री राजनारायण---एक शंका है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय गेंदा सिंह जी ने जो मूल प्रस्ताव उपस्थित किया था उसको गौर करके मोहन लाल गौतम जी का जो मूल प्रस्ताव है उसको मैं नहीं मानता। उनका कहना है कि इलेक्शन के पहले हमारे खिलाफ प्रचार न हो मैं समझता हूं कि हमेशा के लिये इसको होना चाहिये।

मेरा यह निवेदन है कि अगर माननीय गेंदा सिंह के सुझाव को सरकार स्वीकार करती है तो फिर जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया इतवार को भी सदन बैठेगा। अगर इतवार न जुड़े क्योंकि अभी तक इतवार नहीं जुड़ा है, शनिवार को कभी-कभी सरकार लेती रही है, तो रविवार के न जुड़ने से सरकार के कार्यक्रम में कौन सी बाधा पड़ेगी। इसको अगर हम जान लें तो हमको आसानी होगी अपना मत बनाने में।

श्री अध्यक्ष—इसमें अब कुछ ज्यादा विवाद की जरूरत नहीं है। इसमें सहूलियत का सवाल है—लोगों के आने का। सदन इसमें अपनी राय दे सकता है। निश्चय तो करना सदन का ही काम है। मैं समझता हूं कि सरकार अपनी जरूरत बता दे कि दोनों दिनों की उन्हें क्यों आवश्यकता है। उन्होंने बता दिया कि तीन रोज उन्हें हफ्ते में चाहिये। इस लिये इतवार को उन्होंने कहा। उसके लिये स्वीकार भी कर लिया। फिर हर एक प्रश्न का जबाव देना मुमकिन भी नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि लोगों की राय यह है कि तारीख १६ से कार्य शुरू किया जायगा। बारावफात का कंसीडरेशन भी उसमें हो जाय और २१ को बैठने की भी जो तजवीज है वह तजवीज बाद में आयेगी। जब कि १६ को हम बैठेंगे। १६ को शुक्रवार है। तो मेरे लिये ऐलान करने के लिये सिर्फ इतना होगा कि अब के बाद सदन १६ तारीख को बैठेगा यही राय आम मालूम होती है।

चीनी मिलों के खुलने और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विवाद के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, कल माननीय उद्योग मंत्री जी ने बतलाया था कि वह गन्ने की फैक्टरीज के खुलने के सम्बन्ध में टेलीफोन करके कुछ बतलायेंगे तो मैं जरा उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

दूसरे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में योजना निश्चित हो चुकी है तो बाद विवाद करने का कोई मौका हमको मिलेगा ? इन दोनों के सम्बन्ध में मैं सरकार से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—पहली चीज तो मैं सुन नहीं पाया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विवाद के सम्बन्ध में आपने श्रीमन्, यह कहा था कि कुछ समय निश्चित कर दिया जायगा। अब योजना प्रकाशित होने जा रही है तो उस सम्बन्ध में कोई विवाद फिर हो सकता ह या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक और चीज का आपने जिक्र किया था वह नहीं सुन पाया।

श्री अध्यक्ष—दूसरी बात तो नियोजन मंत्री से ताल्लुक रखती है। वह उत्तर देंगे। आप इसके बारे में बता दें।

(डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन के खत्म होने के पहले कोई दिन उसके लिये भी निकाल लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय नियोजन मंत्री जी, गन्ने की मिल खुलवाने के सिलसिले में जो दिल्ली से उनकी बातचीत हुई हो, क्योंकि कल उन्होंने कहा था मैं बता दूंगा, वहां से क्या जबाव आया वह बता दें।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—बात यह है कि मेरे पास लिख कर नहीं आया है। जब तक गवर्नमेंट आफ इंडिया से कोई चीज लिख कर न आये तब तक मैं उत्तर नहीं दूंगा। जब लिख कर आ जायगा तब मैं उसकी घोषणा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—वह बता देंगे।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद होगा।

माननीय माल मंत्री इस पर कुछ *वक्तव्य देना चाहेंगे ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी हां।

*देखिये तत्यो 'ङ' आगे पृष्ठ ३४८-३७४ पर।

श्री अध्यक्ष—आपने छमा कर तो बांध दिया है । अगर आप कुछ वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं तो दूसरे लोग शुरू कर दें । और अगर आप देना चाहते हों तो शार्ट वक्तव्य दे दें ।

श्री चरणसिंह—तो फिर तो मैं बाद में जवाब दे लूंगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि कुछ समय अगर अभी नहीं बांध दिया जायगा तो बाद में बाधा होगी । मैं यह चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में माननीय जगन्नाथ मल्ल भी सुझाव ले आयें क्योंकि शायद उन्होंने सबसे बातचीत की हो । क्योंकि अगर माननीय माल मंत्री और नेता विरोधी दल ही समय ले लें तो दूसरे लोगों को समय नहीं मिल पायेगा । बजट के लिए केवल नेता विरोधी दल का प्रिविलेज है कि उनके लिए समय असीम है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप का बहुत अच्छा सुझाव आया है । और अब अनुभव से उन्होंने यह उचित समझा कि विरोधी दल के नेता के लिए भी समय नियुक्त कर देना चाहिए ।

श्री राजनारायण—हमने अपने लिए भी किया है । हमने अपने लिए भी बाढ़ के समय किया है ।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला बेलरिया)—श्रीमन्, मुझे आपत्ति है । जब राजनारायण जी नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने कभी किया नहीं और हमेशा उनको मौका मिलता रहा । इस वक्त गेंदा सिंह जी नेता विरोधी दल हैं । मैं समझता हूं वह खुद ही अधिक समय नहीं लेंगे । लेकिन परिपाटी नहीं तोड़नी चाहिए । इसलिए नेता विरोधी दल के लिए कोई समय निश्चित नहीं होना चाहिए ।

सदस्यों के लिए दस मिनट समय रख दिया जाय क्योंकि उसी का बराबर रिपिटीशन होगा । तो दस मिनट काफी हैं ।

श्री अध्यक्ष—तो यह रहा कि नेता विरोधी दल के लिए समय निश्चित न हो ?

श्री राजनारायण—मैं अपना सुझाव तो दे दूं क्योंकि मैंने अभी कहा था कि वह भी अपना सुझाव दे दें ।

आप यहां पर साक्षी हैं, सारा सदन साक्षी है । मैं नेता विरोधीदल के सम्मान की सुरक्षा के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तयार रहना चाहता हूं और सरकार के भी सम्मान की सुरक्षा करना चाहता हूं यदि वह चाहे। इसलिए मैं यह आपके द्वारा अपनी जानकारी बता दूं कि बजट के सामान्य वादविवाद पर कभी समय नहीं निर्धारित हुआ है । लेकिन जब-जब बाढ़ का सवाल या और कोई डिस्कशन हुआ है जहां तक हमारी स्मरण शक्ति जाती है उसमें समय बांध दिया गया है चाहे आध घंटा हो या ४५ मिनट समय बांधा गया है । इसलिए कोई नयी बात नहीं होगी अगर अबकी बार भी समय निश्चित कर दिया जाय । माननीय जगन्नाथ मल्ल की बुद्धि कुछ क्षीण है इसलिए उन्होंने कह दिया ।

श्री अध्यक्ष—आम तौर पर तो आप यह बात नहीं कह रहे हैं ?

श्री राजनारायण—आम तौर पर नहीं कह रहा हूं । इसी के लिये कह रहा हूं और मैं यह बताता हूं कि दस मिनट का समय बहुत ही कम होगा क्योंकि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं करीब-करीब सब लोगों ने काम किया है और सबके पास फैक्ट्स ऐंड फीगर्स जिलों से आये हुए हैं । इसलिए समुचित समय मिलना चाहिए । हमारे पास तो तमाम जिलों के सारे पोथे हैं ।

मेरा सुझाव यह है कि २० मिनट का समय प्रत्येक दल के एक प्रवक्ता को जरूर मिलना चाहिए। उसके बाद पन्द्रह मिनट कर दें तो बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं इसका निर्णय किये देता हूं। समय का बटवारा लोग चाहते हैं तो जहां तक राजनारायण जी ने यह कहा कि समय का निर्धारण हुआ था नेता विरोधी दल के लिए भी तो मुझ भी ऐसी याद पड़ती है कि कभी हुआ है, कभी नहीं हुआ। यह भी बात कहना ठीक नहीं कि हर दम ही होता रहा है। मैंने सदन के ऊपर छोड़ दिया कि सदन चाहे तो निर्धारित कर दे और कभी जब यह देखा गया कि नेता विरोधी दल बहुत सा वक्त लेंगे चार घंटे, पांच घंटे बोलेंगे तो लोगों ने समय निर्धारित कर दिया था एकाध दफा। तो इसलिए मैं सदन के ऊपर ही इसका निर्णय क्यों भी छोड़ता हूं और अगर आप चाहते हैं कि आज नेता विरोधी दल के लिए कोई समय निर्धारित न किया जाय तो उसमें कोई बाधा नहीं है और निर्धारित करने में भी कोई बाधा नहीं है। तो मैं यह समझता हूं कि यह राय आम मालूम होती है कि नेता विरोधी दल के लिए समय निर्धारित न किया जाय। अब बाकी लोगों के लिए उनका उचित सुझाव है कि दस मिनट का समय हर एक के लिए काफी नहीं होगा क्योंकि जो और विरोधी दल हैं उनके नेताओं का समय थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए क्योंकि विषय बहुत गम्भीर है। तो मैं समझता हूं कि उनके लिए दस की जगह १५ मिनट निश्चित कर दिया जाय और बाकी लोगों के लिए दस मिनट कर दिया जाय। तो इस तरह से समय का बटवारा ठीक हो जायगा। अब माननीय गेंदा सिंह जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—विरोधी दल के नेता तो एक ही हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—इसीलिए उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजनारायण जी के सुझावों की कद्र करूंगा और मैं ४५ मिनट से ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करूंगा। स्मरण शक्ति जैसी उनकी है उसमें मैं कुछ मदद करना चाहता हूं कि जब कभी बाढ़ पर डिबेट हुआ है सदन में तो उनको मैं याद दिलाऊंगा कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह तकलीफ गवारा नहीं की कि वह स्वयं आगे आये हों और कम से कम स्केयरसिटी और बाढ़ के डिबेट में मुझे उन्होंने मौका दिया था। मैं बड़ा अनुग्रह उनका मानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर उनकी याददाश्त पर जोर डालना चाहता हूं कि वह इस बात को भी जरा ध्यान में रखें कि हमारे लिए जब मैं नेता विरोधी दल नहीं था उस समय कभी अगर ४५ मिनट का समय मुकर्रर हुआ तो मैं समझता हूं कि उनकी कृपा थी और सदन की कृपा की। मैं सहयोगी नेता हूं। हां, अवश्य सहयोगी नेता हूं। मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं असेम्बली में मारपीट करने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस विधान सभा में इसलिए आया हुआ हूं कि हमारी बात उधर के लोग ध्यानपूर्वक सुन सकें और उनकी बात भी हम ध्यानपूर्वक सुन सकें और दोनों अगर सत्य तक पहुंचने में इस बातचीत से कुछ उदाहरण ले सकें, कुछ सीख सकें तो मैं समझता हूं कि इस माननीय विधान सभा की प्रतिष्ठा हम करते हैं, अन्यथा मैं जिस दिन राजनारायण जी के कदमों पर चलने की कोशिश करूंगा उस दिन माननीय विधान सभा में आने की आवश्यकता नहीं समझूंगा। उस दिन यह समझ लूंगा कि तलवार उठाने की जरूरत है।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने सदन का अपमान किया है यह कह करके कि जिस दिन मैं राजनारायण जी के कदमों पर चलूंगा उस दिन विधान सभा में आने की आवश्यकता नहीं समझूंगा। (शोर) इसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

अर्थ यह है कि राजनारायण इस समय विधान सभा के सदस्य की हैसियत से जो काम कर रहे हैं वह ऐसा है कि जो एक विधान सभा के सदस्य को नहीं करना चाहिए। बाहर करना चाहिए।

(शोर सही बात है, सही बात है।)

आपसे भी ज्यादा तेज आवाज में बोला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया शान्त रहिए। (श्री राजनारायण से) आप मुझे ऐड्रेस कीजिए।

मैं समझता हूं कि यह यहां की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ायेगा इस तरह से बात करने से।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय गेंदा सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि उन्हें [× ×] हमारे कदमों पर चलना होगा और वह हमारे कदमों पर चले हैं। वह यह मानते रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए मगर वह खड़े हुए हैं उसके सपोर्ट में। हम बराबर उनको इस हाउस में लीड करते रहे हैं और आगे भी उनको लीड करते रहेंगे। उनको [× ×] हमको खाली करना होगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि यह [× ×] शब्द पार्लियामेंट्री है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि बहुत अनपार्लियामेंट्री है और यह चीज जो है कार्यवाही में जायगी नहीं। यह निकाल दी जायगी।

कुछ सदस्य—वापस लें, वापस लें।

श्री अध्यक्ष—मैंने निर्णय दे दिया। अब आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते कि मैं उसको उनसे वापस लिवाऊं। मैंने निर्णय ले लिया कि वह उसमें नहीं रहेगा। माननीय गेंदा सिंह, मैं समझता हूं कि आप शान्ति कायम रखेंगे।

श्री गेंदासिंह—बिल्कुल मैं शांत हूं। इतनी बात अवश्य कह देता हूं कि अगर विधान सभा में रहने की आवश्यकता है और विधान सभा की कोई आवश्यकता है तो एक दूसरे की बात शांतिपूर्वक सुनने की आवश्यकता है और उसको अगर सहयोगी कहा जाय तो सहयोगी कहलाने में मुझे कोई बड़ी बदनामी की बात नहीं मालूम होती है। मैं नेकनामी की बात समझता हूं। जब आप यह विश्वास करेंगे कि डेमोक्रेटिक तरीके पर इस मुल्क में हम शासन तंत्र को चलाने की चेष्टा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक दूसरे का हृदय परिवर्तन उसमें शामिल है और वह हृदय परिवर्तन कैसे होगा? मैं नहीं समझता हूं कि मैं किसी को गाली देकर हृदय परिवर्तन कर सकता हूं। या तो फिर यह ऐलान करना चाहिये राजनारायण जी को कि हमारा हिंसा में विश्वास है, हमारा विश्वास है तलवार से सरकार को बदलने का। अगर सरकार को तलवार से बदलने में विश्वास नहीं है तो मैं उनके साथ साथ पीछे हूंगा।

श्री राजनारायण—आन ए परसनल एक्सप्लेनेशन।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप बैठें।

श्री गेंदासिंह—और मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि वह जब तक अहिंसा में विश्वास करते हैं तब तक उन्हें इस असेम्बली की मर्यादाओं के भीतर रहना होगा और इससे बाहर जाकर अगर कुछ करना है तो उसके लिये सत्याग्रह का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सत्याग्रह में भी यह सिद्धांत निहित है कि किसी आदमी को गाली देना, बुरा कहना या

[× ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

किसी का दिल दुखाना दाखिल नहीं है, बल्कि अपनी कुरबानियों से दूसरे के दिल को बदलना दाखिल है। जब तक हम सीधे-सीधे अपने सिद्धांतों में विश्वास करते हैं तो हमको इस तरीके की बात कहना और किसी को रिडीक्यूल करना मुनासिब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं। इस प्रश्न पर पिछले कई वर्षों से हम विचार करते चले आ रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में कभी बाढ़, कभी सूखा और इन दोनों से अगर बचे तो कभी ओला, इसके शिकार हम होते आ रहे हैं। सरकार स्वयं इस बात को कबूल करती है कि यह प्रकृति का कोप है। मैं भी इसमें दो राय नहीं रखता, सही है कि प्रकृति का कोप है। इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि प्रकृति के कोप से सरकार हमारी बचत न करा सके तो उस सरकार के अस्तित्व पर लोगों को कुछ शुबहा होने लगेगा। मैं एक बड़ी मोटी बात कहना चाहता हूं। हमेशा "दूजा गोसइयां" सरकार का नाम होता है। हर खासो आम गांव के अन्दर जो सीधा साधा आदमी है वह इस बात को कहता है कि सरकार हमारा दूजा गोसइयां है। उस दूजा गोसइयां का स्थान इसलिये है कि सरकार उन मुसीबतों से हमें बचाये जो मुसीबतें आदमी की ताकत की नहीं हैं। आदमी की ताकत से वह मुसीबत नहीं आती है बल्कि कोई प्राकृतिक ऐसी चीज है जो आकर के उस विपत्ति में काश्तकार को डाल देती है। इसीलिये मैं समझता हूं कि जो सोशलाजी के पंडित होंगे वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब सरकार की स्थापना हुई थी, यह कंसेप्शन जब दिमाग में सोसाइटी के आया कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा बनना चाहिये जो सोसाइटी की बुराइयों से, समाज के उन तत्वों से उनकी हिफाजत कर सके जो एक-एक आदमी के लिये, दो-दो आदमियों के लिये या किसी कबील के लिये संभव नहीं था कि वह अपनी बचत कर सके। यह कर्त्तव्य सरकार का अनिवार्य है और इस कर्त्तव्य से सरकार अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं यह कहना चाहता हूं कि बंगाल में अकाल पड़ा। उस अकाल के अवसर पर और कई अवसरों पर मैंने महात्मा जी के मुंह से यह बात कहते हुये सुनी है, आज भी वह लेख मिलेंगे कि नैचुरल कलैमिटी हिन्दुस्तान के लिये कोई मोनोपोली नहीं है। यह सारे संसार में आती है इसलिये अगर इन नैचुरल कलैमिटीज को नैचुरल कलेमिटीज कह कर छोड़ दिया जाय, शक्ति से बाहर की बात कह कर छोड़ दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की जनता निराश्रय हो जायगी और उसका कोई सहारा नहीं होगा तो वह क्या करेगी? वह सोचेगी कि उसके लिये कोई ठिकाना नहीं रहा, कर्जा मिल नहीं सकता, खेतों में कोई फसल नहीं खड़ी है और पेट की ज्वाला उसको मजबूर करेगी तो वह क्या करेगी? कल्पना कीजिये कि उस समय कि वह यह सोच सकती है कि चाहे जहां से हो धन इकट्ठा करे और पेट की ज्वाला को शांत करे और उसके लिये आदमी दुनिया का बुरा से बुरा काम करने के लिये विवश होता है, लाचार होता है।

मुझे इस संबंध में एक पौराणिक कथा याद आती है। कहा जाता है कि एक समय विश्वामित्र जी ने कुत्ते का मांस खा लिया और इसलिये खा लिया कि देश में अकाल था और कहीं से भी अन्न उनको नहीं मिल सकता था। आप जानते हैं कि वह महर्षि थे, खेती नहीं कर सकते थे, उनकी भिक्षावृत्ति थी और उस समय उनको भिक्षा नहीं मिल सकती थी। इसलिये वह एक ऐसे घर में घुसे जहां कुत्ते का मांस पकाया हुआ रक्खा था और उसको खाकर उन्होंने अपनी जान बचाई। अगर विश्वामित्र जैसा महर्षि ऐसा काम कर सकता तो हमारे वह भाई जो निरक्षर हैं और वह नहीं समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये, तो वह कोई ऐसा काम करें तो स्वाभाविक ढंग से कोई पाप नहीं करते हैं। वह मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके वह गुजारा करते हैं, झूंठ नहीं बोलते हैं। यानी दूसरे लोगों से कम झूठ बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब विश्वामित्र जैसा आदमी ऐसा काम कर सकते हैं तो दूसरे लोग क्या करें?

मुझे दुख है कि आज सूबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले १०-१२ वर्षों से लगातार इस मुसीबत में चला आ रहा है और सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहता हूं।

[श्री गेंदासिंह]

इसमें सरकार की ओर से स्टेटमेंट बंटा है, उसमें कबूल किया गया है कि १९५०-५३-५४-५५ और ५६ इन पांच वर्षों में नैचुरल कैलेमिटी ने सूबे के एक खास हिस्से को तबाह किया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि १९५० और ५३ के बीच में जो गैप पड़ता है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। वक्त बचाने के लिये मैं राजस्व मंत्री जी के पास यह रिपोर्ट भेज दूंगा। इसमें वह देखेंगे कि १९५१ में वर्षा की कमी के कारण खरीफ की फसल को हानि पहुंची और रबी की बुआई और अंकुरित होने पर भी छोड़ना पड़ी। १९५१-५२ के बारे में उनके विभाग की जो रिपोर्ट है उसके १० पन्ने पर देखें कि उसमें साफ लिखा हुआ है

श्री चरणसिंह—तस्लीम है।

श्री गेंदासिंह—तो फिर १९५१-५२ भी इसमें बढ़ा दिया जाय। इसलिये लगातार रिकार्ड के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि १९५० से लेकर १९५६ तक कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर खरीफ की फसल को क्षति नहीं हुई। यह एरिया खरीफ ग्रोइंग एरिया है और रबी की फसल के लिये माना गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। अब यह सोचने का सवाल है कि इस जगह रबी की फसल कम होती है और यहां की जमीन भी ऐसी नहीं है कि जो ज्यादा रबी पैदा कर सकती हो, ऐसी जमीन है जिसमें खरीफ की ही फसल पैदा हो सकती है और खरीफ के बाद रबी पैदा नहीं कर सकते हैं। तो यह बात सिद्ध है कि गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी और फजाबाद और इलाहाबाद के जिलों में ऐसी व्यवस्था है कि जिनमें प्रति वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर खेती को प्राकृतिक आपदाओं से क्षति पहुंची है और जब यह क्षति पहुंचती है तो उसी एरिया में पहुंचती है।

उसके बाद यह भी स्पष्ट है कि वहां के खाते छोटे हैं। काश्तकार की जो अकाल से रेजिस्ट करने की ताकत होनी चाहिये वह वहां नहीं है। यह मैं केवल सन् ५० की बात नहीं कहता हूं। उसके पहले के भी अगर हमारे सामने सारे कागजात हों और मैं चाहूंगा कि सरकार उनको देखे, तो पता चलेगा कि इस एरिया में कितनी नैचुरल कलैमिटी आयी है, चाहे वह सूखा हो, बाढ़ हो या ओला गिरना हो। इसमें सन्देह नहीं कि गांव के किसान और मजदूर विपत्तियों का सामना करने में बहुत सिद्ध-हस्त हैं। मैं तो यह भी कहूंगा कि दूसरे देशों की तरह अगर सचमुच भौतिकवाद की तरफ हमारे यहां भी अधिक ध्यान होता लोगों का और वे सरकार को जिम्मेदार समझते तो जितनी चोरियां, डकैतियां और कत्ल इन इलाकों में होते हैं उससे किसी सरकार का चलना दुश्वार हो जाता। हमारे लिये नियामत है कि आज हमारे गांव के किसान और मजदूर यह समझते हैं कि भगवान की दी हुई यह विपत्ति है, अगर हम इसको काटेंगे तो अगले जन्म में हमें स्वर्ग मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है और मैं चाहता हूं कि इस तरह की प्रवृत्ति देश में बनी रहे। लेकिन आखिर उसकी भावना का कब तक हम शोषण करते रहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर केवल सरकार की आलोचना करना ही अपना कर्त्तव्य नहीं समझता हूं। मैं इस बात को जरूरी समझता हूं कि उसे कुछ सुझाव भी दूं और उन सुझावों को देते वक्त अगर कहीं आलोचना की जरूरत पड़ी तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में सरकार का यह काम रहा है कि वह हमारी विपत्तियों को सही सही न कहे। सही कहने में वह समझती है कि सारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा कम हो जायगी। मैं समझता हूं कि यह फाल्स नोशन आफ डिगनिटी है। मुख्य मंत्री जो यहां मौजूद हैं, राजस्व मंत्री जी मौजूद हैं, वे हिसाब-किताब के मामले में हमसे होशियार हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे मेहरबानी करके देखें कि हमारे देश के दूसरे सूबों ने बाढ़ से बचने के नाम पर या अन्न की समस्या को हल करने के नाम पर केंद्रीय सरकार से कितना धन प्राप्त किया है और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां बने हैं। वे इसलिये बने

है कि उन्होंने अपनी सही तस्वीर सामने रखी है। अगर इस पर माननीय मंत्री जी हमसे नाराज होंगे कि तुम गलत कह रहे हो तो मैं उनसे कहूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के "फूड बुलेटिन" की १०,५ प्रतियां उठा कर देखें और यह पता लगायें कि पिछली मरतबा जब स्केयरसिटी थी तो बम्बई ने, मद्रास ने, ट्रावनकोर कोचीन ने गांवों की कितनी जनता को अन्न देने के लिये केंद्रीय सरकार से सिफारिश की थी और राशनिंग कितने गांवों में थी। यह देखने से उनका भ्रम दूर हो जायगा और मेरे ऊपर गुस्सा कम हो जायगा।

मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा अपनी विपत्ति को छिपाया है। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी बड़ी हमदर्दी हो और वह चाहती हो कि दक्षिण भारत में लोगों की मदद हो और इसलिये वह अपनी विपत्ति को कह कर रुपये को अपनी तरफ नहीं खींचना चाहती हो। लेकिन उसका कुपरिणाम आज लाखों और कुछ करोड़ लोगों को भुगतना पड़ रहा है उसका ज्ञान शायद सरकार को नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उसका ज्ञान अब भी तो हो।

आज भी जो मृत्युओं की संख्या बताई गई है मैं उससे बिलकुल सोलह आने डिसएग्री करता हूं। मैं निजी तौर पर इस बात की जानकारी रखता हूं और कुछ नाम पेश करने को भी तैयार हूं। हम लोगों ने पडरौना तहसील में सर्वे किया। यों तो यह हमारी शक्ति के बाहर की बात है कि हम सारे क्षेत्रों में घूमकर सारे गांवों का पता लगा सकें लेकिन पडरौना में हम लोगों ने सर्वे किया और ३२ मौतों के नाम हमारे पास हैं। बलिया के चन्द्रशेखर सिंह जी जो वहां के हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने आज सबेरे मुझसे कहा कि हमें चौधरी साहब के बयान से बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि ६ नाम बलिया के वे लिखकर लाये हैं जिनकी मौतें हुई हैं। उस बलिया की जिसके बारे में एक मौत बतायी जाती है। उसी तरह से मैं पडरौना तहसील, जिला देवरिया के बारे में कह सकता हूं। बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर वगैरह सब के बारे में इसी तरह से कहा जा सकता है कि उन सारे जिलों की मौतों की संख्या कम बतलाई गयी है।

इसी तरह से खरीफ की फसल की मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने एक बयान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गोरखपुर का पायोनियर में पढ़ा था और फ्लड कमेटी के सामने उन्होंने कहा था कि दो लाख रुपये से कम की क्षति हमारे जिले में नहीं हुई है। माननीय राजस्व मंत्री जी जरा अपने बयान को देखें कि इस बयान में कितने रुपये बताये गये हैं। देवरिया के सभी क्षेत्रों की बात मैं कह रहा हूं। उन कार्यों का और उसका हिसाब लगाने में, जोड़ने में इतनी बड़ी भूल होती है जिससे कि इस उच्च स्तर पर जो सरकार सोचती है कोई तकलीफ यहां शायद नहीं होती थोड़ी सी मालगुजारी में छूट देने का मौका मिल जाय तो दे दी जाती है।

श्री चरणसिंह—मैं जरा एक बात कह देना चाहता हूं। गोरखपुर में कितना क्राप्स का नुकसान लगाया गया है पढ़कर सुना दीजिये।

श्री गैंदासिंह—१ करोड़ २५ लाख; लेकिन पायोनियर की रिपोर्ट में जो बयान उन्होंने फ्लड कमेटी के सामने दिया था उस आधार पर मैं कह रहा हूं और अपनी थोड़ी निजी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि गोरखपुर जाने से और वहां अपनी आंखों से देखने से। उसी तौर पर प्रत्येक जिले में इन नुकसानों को आंकने में गलती हुई है और वह गलती पहले से होती चली आयी है। संभव है सरकार इस वक्त अपना विचार बदले। मुझे यह मालूम हुआ है कि शायद सरकार इस वक्त फैसला कर रही है कि रेवेन्यू आफिसर्स को इस तरह की हिदायत देंगे कि वे सही अन्दाज करने में गलती न करें। मुझे खुशी होगी सरकार अगर इस तरह का आदेश दे।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—पहले ही से आर्डर्स हैं।

श्री गेंदासिंह—लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने कुछ दिन पहले कह दिया कि जो कुछ किया गया है वह फाइनल है। अगर अब यह है तो यह विपत्ति का कारण होगा। मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि आखिर गाजीपुर बरबाद हुआ, आजमगढ़ बरबाद हुआ, देवरिया बरबाद हुआ और बनारस बरबाद हुआ जिसको सरकार स्वयं मानती है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन सारे जिलों में बरबादी हुई। इन जिलों में आबादी कितनी है ? खरीफ की फसल कितनी होती है ? कितने गांव इसमें हैं ? इसको देखते हुये कहा यह कहा जाता है कि ११ हजार गांवों में केवल नुकसान हुआ। मैंने कहा और मैं अब भी कहता हूं कि २० हजार गांवों से कम में नुकसान नहीं हुआ है। क्या सरकार यह कह सकती है कि कोई गांव उन जिलों में ऐसा रह गया है कि जिन गांवों में क्षति न पहुंची हो। क्षति पहुंची है मकान गिरने से, फसल के नष्ट होने से और मैं फसल की क्षति के लिये सोचता हूं कि अगर रुपये में ६ आना भी क्षति हुई है तो उसका अनुमान सरकार को लगाना चाहिये और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जो इन ११ हजार गांवों को क्षति के फीगर हमारे सामने दिये हैं उनमें ६ आने और ४ आने बरबादी जिन गांवों में हुई है वह भी हैं ? अगर वह नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह हिसाब गलत है और इस हिसाब को रिवाइज करना चाहिये। मवेशियों के बारे में भी मौत चाहे आदमी की हो या जानवर की, वह हमारे लिये एक समस्या पैदा करती है। इस अंदाज के बारे में जो १० करोड़ की क्षति बतलाई जाती है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि हमें इस हिसाब को बदलना चाहिये और मैं अब भी कहता हूं कि एक करोड़ टन से कम अनाज का नुकसान नहीं हुआ है।

श्री चरणसिंह—सूबे भर में कितना पैदा होता है ?

श्री गेंदासिंह—ठीक है, मैं वह भी बतला दूंगा कि कितना अनाज पैदा होता है। उसमें मैं सारी चीजें जोड़ कर बतलाऊंगा। तो ज्यादा खरीफ सूबे में बोई जाती है और खरीफ में और फसलें जो हैं गन्ना, अरहर को लेकर एक करोड़ टन की बरबादी हुई है। यह कोई मामूली बरबादी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह मैंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर बरबादी हुई है और अब मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिये क्या किया जाय। पहले तो उस सिलसिले में मैंने कहा कि सही अनुमान हमारे पास नहीं है। अगर वह नहीं है तो हम लोगों की मदद नहीं कर सकते। अगर सही अनुमान हो जाता है तो एक लांग रेंज पालिसी हमारी होनी चाहिये और वह लांग रेंज पालिसी इसलिये हो कि बगैर उसके सारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। अगर फूड प्राब्लम को हम को साल्व करना है इस इलाके में तो हमको चाहिये कि हम रबी की फसल को अधिक बढ़ायें और चेष्टा करें कि कैश क्राप ज्यादा हो। इसमें हम आलू, तम्बाकू और गन्ने को ज्यादा पैदा करने की कोशिश करें। ऐसा करने से हम समझते हैं कि उसको बाढ़ से बचा पायेंगे और इसलिये बड़े पैमाने पर इस काम का करना चाहिये। लेकिन इसके लिये पानी का बन्दोबस्त जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इन फसलों को पैदा नहीं कर सकते। थोड़ा खेत है लोगों के पास उसमें वह रबी की फसल ज्यादा पैदा करें और फसल जून के पहले काट लेने की चेष्टा हो तो इसके लिये बड़े पैमाने पर पानी पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिये और यह तभी हो सकता है कि जब गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर में जो नदियां तबाही कर रही हैं उनको हम नियंत्रित कर लें। इनमें से जो लाखों क्यूजेक्स पानी निकल कर उनको बरबाद करता है और उनको गर्मियों में कोई फायदा नहीं पहुंचा पाता इसको अगर हम रिजर्वायर बना कर रोक सकें और नियंत्रित कर सकें तो बड़ा फायदा होगा, भले ही उसमें दो अरब रुपया लगे। अगर उसके लिये हमें कर्ज लेना पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम लें और कर्ज से हम इस इलाके को पानी देने का इन्तजाम करें। उससे बिजली भी पैदा होगी, काटेज इंडस्ट्री भी बढ़ सकेगी और लोगों को लेबर पीरियड में काम भी मिल सकेगा और इस

तरह से देश की तरक्की हो सकती है। इसके अलावा बाढ़ से बचाव होगा और जो बाढ़ आज लोगों को बेघरबार कर रही है वह नहीं हो पायेगा। इस सीमा तक हम उसमें बचाव का काम कर पायेंगे।

दूसरी बात ड्रेनेज की है। अगर ड्रेनेज का माकूल इन्तजाम हमने नहीं किया तो सब कुछ करने के बाद भी हम बरबाद हो जायंगे। पानी तो बरस रहा है, नदियों में बाढ़ है, लेकिन केवल बाढ़ से ही नहीं अतिवृष्टि से भी हम तबाह हो रहे हैं। दोनों ने मिल कर तबाही की है। तो ऐसी हालत में हम जरूर सोचते हैं कि ड्रेनेज का माकूल इन्तजाम होना चाहिये। इस विषय में जो कुदरती इन्तजाम था वह गड़बड़ हो गया। सड़कें बनीं, नलकूप बने, नालियां बनीं, बहुत सी नहरें बनाई गईं, बांध ऊंचे किये गये, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं किया गया कि पानी जब इकट्ठा होगा तो वह निकलेगा कैसे। और इस बात का व्यापक सर्वे होना चाहिए और उस जमाने का सर्वे होना चाहिये जब कि वहां पर वाटर लागिंग हो जाता है और उस जमाने के वाटर लागिंग को देखकर पानी के निकालने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

तीसरी बात गांवों को ऊंचा करने के सम्बन्ध में है। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी ध्यानपूर्वक सुनें कि अगर पंचायत राज विभाग अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को नहीं लेता है तो उसको खत्म कर देना चाहिये। ३० करोड़ रुपये से हम गांवों को ऊंचा करना चाहते हैं। इस ३० करोड़ रुपये से हम कुछ हजार गांवों को ऊंचा कर सकेंगे। अगर यह ३० करोड़ रुपया आने वाले सालों में गांवों में पहुंच सके तो इससे गावों का बड़ा कल्याण होगा। पंचायत राज विभाग अगर गांव सभाओं से कुछ काम गांवों का कराने में असमर्थ हो और उससे बचने की बात सोचता हो तो फिर उस विभाग की आवश्यकता नहीं है। पंचायत राज विभाग को यहां से डाइरेक्टिव जाना चाहिये और जो गांव सभा इस काम को न करे तो उस गांव सभा को डिसमिस करना चाहिये और इस तरह की गांव सभा की हमको जरूरत नहीं है, जो गांवों की किसी जिम्मेदारी से पीछे हटे। अगर १० हजार रुपया एक गांव के पीछे खर्च होता है तो उससे बहुत भलाई गांव की हो सकती है। अगर गांव सभा गांव की भलाई का काम करने में समर्थ न हो तो फिर वह गांव सभा इस लायक नहीं है कि गांव का प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गांव सभा ऐसा न कर सके उसको ससपेन्ड किया जाय और जो पंचायत राज कानून के अन्दर सरकार को पावर है उसकी जगह वह दूसरी गांव सभा बनाये या अगर रूल में किसी तरह से परिवर्तन करने की जरूरत हो तो वह परिवर्तन किया जाय, लेकिन गांव सभा को वहां इंजीनियर तंग न करे। बहुत-सी गांव सभायें इंजीनियर के तंग करने की वजह से किसी काम को छोड़ देती हैं।

बाढ़ और सिंचाई के बारे में मैं जरूर सोचता हूं कि बाढ़ और सिंचाई के इंजीनियर का काम देखा जाय। मैं इस विषय में काफी कल कह चुका हूं लेकिन उनके काम की देखरेख गैर सरकारी समिति द्वारा होनी चाहिये। एक समिति मुकर्रर हो जानी चाहिये जो जिले के लेविल पर उनके काम की देखरेख कर सके और उनको मशविरा दे सके।

रोजी के लिये बड़े पैमाने पर काम होने की जरूरत है। फसल उनकी बरबाद हो चुकी है, कर्जा उनको नहीं मिल सकता है, अनाज उनके पास नहीं है तो फिर वे लोग खायें क्या? इसलिये मैं समझता हूं कि टेस्ट वर्क बड़े पैमाने पर चलाय जायं। मैं मानता हूं उसमें बेइमानी होती है लेकिन फिर भी बेईमानी की वजह से लाखों लोग फाकाकशी करें यह तो नहीं हो सकता है। मैं इसको बिहार के लेविल पर करने की जरूरत सोचता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री वहां से मालूम कर सकते हैं कि वहां क्या सिस्टम है। हमारे बगल में किस तरह से काम होता है इसकी जानकारी मालूम की जा सकती है। वहां पर १२ आना और ६ आना से कम मजदूरी नहीं दी जाती है। ६ आना स्त्रियों को दी जाती है और

[श्री गेंदासिंह]

१२ आना पुरुषों को दी जाती है और ६ आना बच्चों को दिया जाता है। सेन्ट्रल असेम्बली से जो मैंने उत्तर मंगाया था वह मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दिया था। सारे देश में सबसे कम मजदूरी हमारे उत्तर प्रदेश में दी जाती है। यह नहीं होना चाहिये। यहां पर बड़े पैमाने पर टेस्ट वर्क खोले जायं जिससे वह अनाज खरीद कर अपना पेट भर सकें।

फेयर प्राइस शाप्स अभावग्रस्त क्षेत्रों में खोली गयी है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में जब महंगाई आती है तो उससे सारे प्रदेश में महंगाई आ जाती है और उनकी वजह से सारे प्रदेश में महंगी हो जाती है। वहां पर फेयर प्राइस शाप्स खोलकर दाम गिराने की चेष्टा फिर की जाती है। तो मेरा निवेदन यह है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में हमेशा के लिये यह फेयर प्राइस शाप्स खोली जायं तो उससे महंगाई हमेशा के लिये दूर हो सकती है।

ग्रेचुटस रिलीफ के बारे में मैं इस राय का नहीं है कि जिनके हाथ-पैर अच्छे हों और मजबूत हों उनको भी ग्रेचुटस रिलीफ दी जाय। मेरे इलाके के लोग शिकायत करते हैं कि ग्रेचुटस रिलीफ लेने के लोग आदी हो गये हैं। मुझे यह सुनकर लज्जा आती है। लेकिन यह रिलीफ लेना सौभाग्य या कुछ खुशी की बात नहीं है। जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको अगर इसको लेना पड़े तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मैं यह अर्ज करता हूं कि हजारों आदमी ४ आना पर जाकर काम करते हैं। आपको किसी दूसरे इलाके में इस तरह के आदमी नहीं मिल सकते कि चार आने पर जाकर काम करे.....

श्री चरणसिंह---आप ८ आना के बजाय ४ आना कह रहे हैं।

श्री गेंदासिंह---जी नहीं, ४, ५ आना बच्चों का था यह मजदूरी पिछली मर्तबा थी; हो सकता है कि अबकी मर्तबा जो आदेश गया है उसमें ८ आना हो। लेकिन जो लोग भीख भी नहीं मांग सकते उन्हें ग्रेचुटस रिलीफ मिलना चाहिये और वह कुछ महीनों के लिये देना होगा। इसके लिये सरकार ही फैसला कर सकती है कि कौन लोग इसके हकदार होंगे।

कर्ज के लिये आज बड़ी भारी मांग है। मैं समझता हूं कि मकान बनाने के लिये कर्जा देना चाहिये। वह १०,२० रुपये न होकर १०० रुपये से कम न हो और उसे अगले १०, १५ वर्ष में चुकाने की व्यवस्था हो या २० वर्ष हो जैसे शहरों में थी। इसके लिये अगर सरकार कर्जा प्लोट करना चाहती है तो करे। जो अपना मकान बना सकते हैं उनको मैटिरियल और रुपये की शकल में सहायता दी जाय जिससे लोगों का भला होगा और सरकार का कोई नुकसान नहीं है। ईंट बनवाने के लिये भट्ठे बड़े पैमाने पर लगवाये जावें जिससे लोगों को ईंट सस्ती कीमत पर मिले और दूसरों को रोजी मिले। मिट्टी की दीवार पानी से गल जाती है। फूंस की दीवार चैत-बैसाख में जलकर भस्म हो जाती है। हम लोगों को कर्जा देते वक्त यह शर्त रखें कि चाहे वे छोटी झोपड़ी ही बनावें लेकिन दीवार कम से कम ईंट की जरूर बनावें। पानी का बन्दोबस्त करना प्राइमरी नैसेसिटी है। नलों द्वारा देना चाहिये और पुराने कुओं की मरम्मत कराके हम सहायता कर सकते हैं। पहले गांव का जमींदार थोड़ी-बहुत मरम्मत करा देता था परन्तु अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं समझता। इसलिये अब सार्वजनिक तौर पर जिस कुएं का कोई मालिक न हो, उसकी मरम्मत कराना सरकार का कर्तव्य है। कुछ गांव जो ऊंचे किये गये हैं वहां कुंओं की मरम्मत की गई है लेकिन दूसरी जगह भी कुंओं की मरम्मत होनी चाहिये। पशुओं के लिये चारे का बन्दोबस्त अवश्य होना चाहिये। उनमें बहुत बीमारी है और उनके मरने की नौबत है। आदमी तो बाहर बंगाल या पंजाब जा सकता है, लेकिन पशु नहीं जा सकता और लोग उनको छोड़ देते हैं जिससे वे रबी की फसल को चाट जावेंगे।

सरकारी वसूलियों के लिये सरकार ने कहा है कि आदेश दे रखा है कि न की जावें। लेकिन बच्चों की फीस भी बड़ी मुसीबत की बात है। कुछ आदेश गया है जो शायद स्कूलों में अभी नहीं पहुंच पाया है. जब तक ४, ५ दिन हुये, मैं आया था। मैं चाहता हूं कि दिसम्बर

तक न होकर यह मार्च तक होना चाहिये। गन्ना मिलों को जल्दी चलवाने की व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि गन्ने में पानी सूखने के बाद बीमारी न लगे। इससे मिलवालों को कोई हानि नहीं होगी। रबी के बीज का बन्दोबस्त होना चाहिये, रुपये की शकल में नहीं। अगर सचमुच रबी अगले वर्ष अच्छी पैदा हुई तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। लाख दो लाख मन बीज वहां पहुंच सकता है।

सरकार को इन सुझावों को देते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी समझूंगा कि आखिर इसके लिये धन कहां से आये। मैं केवल इतनी बात कहता हूं कि यह अलग बैठकर सोचने की बात है। इस वक्त तो मैं यही कह सकता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उनमें कुछ लांग रेंज हैं और कुछ शार्ट रेंज। इस शार्ट रेंज के लिये तो सरकार स्वयं सोचे। इस लांग रेंज वाली बात के लिये सरकार बड़े पैमाने पर कर्जा ले। अभी पिछले वर्ष हमारी सरकार ने ८ करोड़ रुपये के लिये मांग की थी और उसके लिये सरकार ने जो मियाद मुकर्रर की थी उस मियाद से पहले ही वह रुपया जमा हो गया। इसके अतिरिक्त स्माल स्केल ड्राइव को देखकर भी हमारी हिम्मत बढ़ी है। सरकार इन कामों के नाम पर रुपया मांगे तो मुल्क का भी इम्तहान होगा और फिर हम भी देखेंगे कि सरकार की यह स्कीम सफल होती है या नहीं। हम भी उसकी सफलता की कामना करेंगे। हम भी जनता से कहेंगे कि एक खास काम के लिये सरकार पैसा मांगती है और वह लोगों को देना चाहिये। तो उसके लिये यह सरकार कर्जा ले। फरवरी में तो यह सरकार जा रही है और अगर उसकी जगह कोई दूसरी सरकार भी आये तो वह उस कर्जे की रेस्पांसिबिलिटी लेगी। (किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) अच्छा हो आप ही आयें, लेकिन हम तो यह कोशिश करेंगे कि आप न आयें। लेकिन अगर आप आये तो आपका यह मुटापा जरूर कम हो जायगा। (कोई सदस्य—और बढ़ कर आयेंगे) अगर आप बढ़ गये तो सत्यानाश ही हो जायगा। फिर यह डैमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। आपकी संख्या घटना अत्यन्त आवश्यक है। आप भी भगवान से मनायें कि आप घट कर आयें। अगर आप मोटे होंगे तो इस घर में घुस भी नहीं पायेंगे और आपको छांटना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन बातों को मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। इन बातों को कहते हुए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इन अभावग्रस्त क्षेत्रों को थोड़ा थोड़ा देने में ही संतोष न कर ले। अगर उसने यह न किया तो भी यह सूबा फल फूल सकता है। इसके लिये आपको एक कमीशन नियुक्त करना चाहिये, जो इन नदियों को कंट्रोल करने के संबंध में, पीने के पानी के संबंध में और इस अभावग्रस्त इलाके को ऊपर उठाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे। इन शब्दों के साथ यह उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगी और जो भाई गिरे हुए हैं उनको हाथों उठाकर उनका समुचित प्रबंध करने की कृपा करेगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह माननीय गेंदासिंह जी की ओर से कहा गया कि अगर राजनारायण जनतंत्र प्रणाली में विश्वास करते हैं और अहिंसा में विश्वास करते हैं तो उनको इसका ऐलान करना चाहिये। मुझे दुःख है कि आज भी हमारे बारे में किसी सदस्य को भ्रम है कि हम हिंसा में विश्वास करते हैं। मैं, श्रीमन्, यह मानता हूं कि आज जो भी जनतंत्र में विश्वास करने वाला होगा या अहिंसा में विश्वास करने वाला होगा वह निहत्थी जनता पर चलाई गयी गोलियों का समर्थन नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं इस तरह के स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं दूंगा। आप अपना मत स्पष्ट कर दें, पर आप ऐसा कोई स्टेटमेंट न दें जिससे दूसरे पर हमला हो।

श्री राजनारायण—मैं अपने बारे में ही बतला रहा हूं। जो हमारे बारे में यह शक करे कि म अहिंसा को नहीं मानता हूं या जनतन्त्र को नहीं मानता हूं, मैं समझता हूं कि वह घोर हिंसक है.....

श्री अध्यक्ष—फिर आप व्यक्तिगत हमला करने लगे। आप अपना मत बतलाइये।

श्री राजनारायण—मैं अपना स्पष्टीकरण ही दे रहा हूं कि मैं शुद्ध अहिंसक हूं और मैं शुद्ध जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करता हूं। अहिंसा का अर्थ मैं समझता हूं चित्त की प्रौढ़ता, चित्त की दुर्बलता नहीं समझता। अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं समझता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना एक्सप्लेनेशन न देकर भाषण दे रहे हैं। तो जिस वक्त वे अपना भाषण देंगे उस वक्त भी अपने भाषण में जो चाहें कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह इन आर्डर नहीं समझता। इतना उन्होंने कह दिया कि वे अहिंसा में विश्वास करते हैं और जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। इतना काफी है परसनल एक्सप्लेनेशन के लिये। अब आप (श्री अवधेशप्रतापसिंह) अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—मेरे बारे में जो चाहे कह डालें और मैं न कहूं....

श्री अध्यक्ष—आप अपने भाषण में जो कहना हो कह सकते हैं। परसनल एक्सप्लेनेशन इतना ही काफी है।

श्री राजनारायण—लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपा कर बैठ जायं। श्री अवधेशप्रतापसिंह जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, इस समय इस अवसर पर सरकार की केवल कटु आलोचना कर के मैं यह न समझूंगा कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है बल्कि यह एक ऐसा समय है और मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक नेचुरल कालेमिटीज का सम्बन्ध है, नैसर्गिक विपत्ति का सम्बन्ध है उसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि कोई भी सरकार उस हद्द तक नहीं कर सकती है जो कि ऐसे अवसर पर यह समझते हैं कि सरकार को उस हद्द तक तैयार रहना चाहिये। लेकिन एक बात मैं अवश्य आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि पहले भी बाढ़ और सूखा आता रहा है, लोग सूखा से पीड़ित होते थे लेकिन वह पैमाना यह नहीं है। सन् १९५३ में भी हमने बाढ़ को देखा और सन् १९५५ में आपत्ति आयी उसका भी सामना किया और आज सन् ५६ में भी वह आपत्ति हमको देखनी पड़ रही है। मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह समय आ चुका है कि जब सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे।

पहले तो यह होता था कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ आती थी तो लोगों को एक भ्रम बना रहता था कि इस जगह तो सदैव बाढ़ आती ही रहती है और यहां के लोग इसके आदी हो चुके हैं। परन्तु सन् ५३, ५५ और ५६ की आपत्ति के बाद यह कहना सर्वथा अनुचित होगा। मैं तो इसे दैवी प्रकोप ही समझता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके लिये सरकार को उस रूप से कार्य करना होगा जिससे हमारा यह प्रदेश बच सके। मान्यवर, इसको सरकार ने भी स्वीकार किया है और उसे कोई आपत्ति नहीं है मानने में कि उसको बाढ़ से इस प्रदेश को बचाने के लिये युद्धकालीन स्तर पर कार्य करना होगा, वार के समान तैयारी करनी होगी, नहीं तो, श्रीमन्, जो कुछ भी लाभ की आशा हम प्रथम पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंच वर्षीय योजना से रखते हैं उससे भी कहीं अधिक क्षति इस दैवी प्रकोप से हो जायगी इस प्रदेश में। मेरे पास कोई ऐसा सामान नहीं है जिससे मैं कोई ऐसे आंकड़े आपके सामने रख सकूं, लेकिन इससे इंकार नहीं है कि यह एक महान् नेशनल लास, राष्ट्रीय क्षति है। श्रीमन्, उन जिलों में जहां कि बाढ़ आयी है वहां के लोगों की एक पुश्त नहीं बल्कि कई पुश्तों की जो कमाई के रूप में घर थे, वे गिर गये हैं जिनको वे बनवा नहीं सकते चाहे वे किसी भी स्थिति

के आदमी क्यों न रहे हों। मान्यवर, गरीब किसान भी हैं, मुझे यह नहीं कहना है कि सरकार उनको भी इस तरह से सहायता नहीं पहुंचा सकती कि वह गरीब किसान भी अपने उसी पहले रूप में पहुंच सकें।

यही नहीं मवेशियों को जो क्षति पहुंची है और जिस तरह से वहां की सम्पत्ति नष्ट-भ्रष्ट हुई है इन दैवी प्रकोपों से उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। हम सरकार की दिक्कत को भी समझते हैं और यह भी ठीक है कि इससे ही कोई लाभ नहीं होता कि सरकार हर साल हमें समय देती है और हम अपनी कठिनाई को उसके सामने रख देते हैं, लेकिन केवल इससे कोई लाभ नहीं होता और मैं तो इस सीमा तक कहने को तैयार हूं कि यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप के पास रुपया नहीं है तो आप सब चीजें रोक दीजिये और जो सम्पत्ति को क्षति पहुंची है और जो इन्सान और मवेशियों को क्षति पहुंची है उससे उनको बचाइये। इससे कोई लाभ नहीं कि जो हमारे पास है वह तो लुटता जाय, नष्ट होता रहे और हम ऐसी मदों पर नये खर्च करें कि जिनसे हम नेशनल आय की वृद्धि की बात सोचें।

मैं समझता हूं कि अर्जेन्सी से इस समस्या को देखना चाहिये वह नहीं देखा गया। इससे भी हमें इन्कार नहीं ह कि माननीय माल मंत्री जी या माननीय मुख्य मंत्री जी या सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया है, यह स्वीकार है कि काम हुआ है और रुपया भी दिया गया है, लेकिन इस समस्या को हल करने के लिये हमें एक दूसरी ही रूपरेखा बनानी होगी, यदि हमें अपने प्रदेश को आगे आने वाली क्षति से बचाना है। एक और भी चीज है मैं माननीय गैंदा सिंह जी को भी बधाई दूंगा, आज उन्होंने एक सत्यता को स्वीकार किया और वह यह है कि पहले वह यह समझते थे कि भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ नहीं किया लेकिन आज उन्होंने कहा कि कम से कम भूतपूर्व जमींदारों ने कुयें तो बनवाये, लेकिन आज गांवों की स्थिति इतनी नीचे गिर गई है कि न तो वह कुछ कर सकते हैं और जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिये यह सरकार यहां पधारी है उनके लिये उसने कुछ नहीं किया है और इस चीज का नज्जारा कोई देखना चाहे तो वह इस प्रदेश में देख सकता है। उसके साथ अनेकों कठिनाइयां हैं और हमें ताज्जुब है कि किस तरह से पूर्वी जिलों के लोग रहते हैं और पश्चिम के जिलों में भी जो नुक्सान हुआ है वह साधारण नहीं है।

आज सरकार को भ्रम है, इन कलेक्टरों की रिपोर्ट पर आज माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय माल मंत्री जी इस बात को दोहरायेंगे और यह कहेंगे कि जो क्षति है वह वही है जो कि हमारे जिलाधीशों ने लिखकर भेजी है लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है। जिलाधीश महोदय हर जगह जाकर नहीं देख सकते हैं। फिर वही प्रणाली है। अगर माननीय माल मंत्री को पटवारी से नफरत है तो उनके लेखपाल जो हैं उन्हीं के बनाये हुये ये हैं और यही बताया है और लेखपाल पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार यहां तक कि डी० एम० तक की यही नीति रहती है कि हानि को छिपाया जाय। यह तो दूसरा पहलू है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, लेकिन नीचे यही मनोवृत्ति है। हम मानते हैं कि सरकार के सामने भी जो संकट है वह बहुत है। जितनी मदद की लोग आशा करते हैं उतनी वह नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि वस्तुस्थिति छिपाई जाती है। रेवेन्यू मैनुअल में जब लिखा है मंत्री जी उसी का उलाहना देते हैं कि जब तक ८ आने का नुक्सान न हो तब तक छूट या मुल्तवी की बात नहीं सोची जा सकती, लेकिन ८ आने के बजाय १६ आने या २५ आने का भी नुक्सान हो जाता है तब भी लेखपाल सही हालत नहीं लिख सकते और न जिलाधीश ही उस नुक्सान को बता सकते हैं। इस विधान सभा में हम सरकार की दिक्कत को अच्छी तरह से समझेंगे। सहानुभूति से देखेंगे।

हम इस अवसर पर कटु आलोचना करके यह अनुचित लाभ उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। जिले में जो हो रहा है, उसकी बाबत न कह कर मैं, श्रीमन्, केवल अपने जिले की ओर आपका ध्यान तथा इस भवन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जिले फ़ैजाबाद

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

में केवल बाढ़ से ही उतना नुकसान नहीं होता है बल्कि उस जिले की बहुत सी तहसीलों में सूखे से भी लोग पीड़ित हैं और पानी के अभाव से वहां फसल नष्ट-भ्रष्ट हुई। तदुपरान्त गन्दी बिक्खियों का प्रकोप हुआ। उनसे भी जो बची-खुची फसल थी वह नष्ट हुई। दो तरह का धान वहां हुआ करता है। एक अर्ली पैडी और दूसरी लेट पैडी। अर्ली पैडी खत्म हो चुकी है और लेट पैडी चल रही है। मैंने इस बात के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था जब वह फैजाबाद गये थे। मुझे यह भ्रम नहीं था बल्कि मैं इसको निश्चित रूप से जानता था वह फैक्ट्स एंड फीगर्स छिपायेंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और राजस्व मंत्री जी को चुनौती दूंगा कि उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में सूखे से भी कितनी बरबादी हुई है। उनके लेखपाल सही, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सही और अन्य कर्मचारी सही और हम लोग गलत। इन सब बातों को स्वीकार करते हुये भी मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि उस जिले की बीकापुर तहसील में जाकर देखें तो पता चलेगा।

मैं मानता हूं कि आपके सामने कई महत्वपूर्ण विषय और हैं, लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उनको भी सहूलियत देना है। वह चाहे बाढ़ से हो या सूखे से अन्तिम परिणाम उसका यही होता है कि अन्न की कमी हो जाती है। उसके ऊपर सरकार का जो लगान है उसमें किसी तरह की न्यूनता नहीं होती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नाम पर क्या-क्या हमको देखना पड़े वह भगवान ही जाने। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि उस तहसील बीकापुर को भली-भांति देखा जाय। फैजाबाद जिले में अकबरपुर, टांडा में भी यही हाल है। उनका कलेक्टर सही कह रहा है, उनके कानूनगो या लेखपाल सही कह रहे हैं या मैं सही कह रहा हूं।

मान्यवर, यही नहीं वहां भी सरकार को टेस्ट वर्क खोलना होगा, तकावी देनी होगी। श्रीमन्, मैंने देखा कि सप्लीमेंटरी बजट में तीस लाख का प्रबन्ध है। १५ लाख लोन दे रहे हैं और १५ लाख में अनेक आर्थिक सहायतायें प्रदान की जा रही हैं। इन आवश्यकताओं को देखते हुए यह रुपया कुछ भी नहीं है। श्रीमन्, हम यह कह सकते हैं कि अगर वह तीस लाख नहीं ६०-७० लाख या १ करोड़ रुपया आया होता तो हमें कोई इंकार नहीं होता, मैं सरकार के साथ होता। लेकिन, श्रीमन्, फ़ैजाबाद जिले में टेस्ट वर्क खोलना है और तकावी बांटना है। सस्ती दूकानें वहां खोलना है जिसमें गल्ला बिक सके। उसके लिये भी सरकार को प्रबन्ध करना होगा। यह सरकार यदि यह करने के लिये तत्पर नहीं है तो वह यह समझे कि वह भ्रम में है और जिले की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है।

श्रीमन्, यही नहीं कि हमने फसल को नष्ट-भ्रष्ट होते नहीं देखा, बल्कि मुतवातिर यह देखते जा रहे हैं और सिर्फ उन्हीं आंकड़ों के भ्रम से हमको छुट्टी मिलने का अवसर आता है तो अंग्रेजी का जो एक शब्द है वह उसे इस्तेमाल करते हैं कि अब की जो आफ है वह 'ए वन" है और वह इस तरह से है कि जितनी कठिनाइयां हैं वे दूर हो चुकी हैं। और इन चीजों को कह कर मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि सरकार इन सुझावों पर गौर करे।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में बाढ़ से जो भीषण संहार हुआ है उस पर विचार विनिमय हो रहा है। सर्व प्रथम बाढ़ से कितना संहार हुआ और कितना संहार नहीं हुआ इसके बाद विवाद में न जाकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से व्यापक पैमाने पर टेस्ट वर्क्स खोले जाने चाहिए और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस टेस्ट वर्क के खोलते समय सरकार को पुरानी किसी रूढ़ि की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि मजदूरों को समुचित मजदूरी दिये जाने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उसी के साथ-साथ मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी सरकार की ओर से मालगुजारी माफ होने का ऐलान जिस व्यापक पैमाने पर होना चाहिए था नहीं हुआ। वह ऐलान शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए और ऐलान होने के बाद कार्यरूप में परिणत होना चाहिए। अभी भी विद्यार्थियों की फीस माफ होने की समुचित व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं हुई। यह समुचित व्यवस्था इस रूप में होनी चाहिए कि इस सेशन में विद्यार्थियों को फीस का बोझ न बर्दाश्त करना पड़े। एक महीने दो महीने की फीस माफ होने से कोई काम होने वाला नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दवा का व्यापक प्रबन्ध जिस ढंग से होना चाहिए था आज तक दवा का व्यापक प्रबन्ध नहीं हो पाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, गोरखपुर जिले में भी देखा है, बनारस के जिले में भी देखा है, दूसरे जिलों के भी समाचार प्राप्त हुए हैं कि दवा की नितान्त कमी है। उसी के साथ-साथ हर इन्सान आज इस बात को मानेगा कि मुफ्त सहायता के लिए सरकारी कोष से बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के धन का बटवारा होना चाहिए। बीज का प्रबन्ध करने में सरकार को अभी से दिलचस्पी रखनी चाहिए क्योंकि यदि बीज का प्रबन्ध करने में सरकार विलम्ब करेगी तो हो सकता है कि जहां लोग खेती के लायक जमीन बना पायें वहां बीज के अभाव में खेती न हो सके ठीक समय पर। सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की तरफ भी मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। इसके पूर्व जब बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर यहां विचार हुआ था उस समय मुख्य मंत्री जी ने सस्ते गल्ले की दूकान खोलने की बात की थी। अगर मैंने उस समय भी कहा था कि सस्ते गल्ले का समुचित भाव क्या निर्धारित होगा ? केवल कह देने से काम नहीं चलेगा बल्कि सही माने में इस ढंग पर भाव निर्धारित होना चाहिए कि किसान उसको आसानी से खरीद पाये, गरीब उसको आसानी से खरीद पाये। समुचित भाव कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा। उसी के साथ-साथ तकाबी का जो रुपया इस अवसर पर बांटा जाय वह रुपया बिना सूद के बांटा जाय और इस रुपये में से पुरानी दी हुई तकाबी को हरगिज न काटा जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो मकान पूर्वतः ध्वस्त हो गये हैं, गिर गये हैं उन मकानों को रहने लायक बनवाने की व्यवस्था सरकार को स्वयं अपनी ओर से करनी चाहिए। केवल मकान बनाने के लिए, दो रुपया, दस रुपया, पचास रुपया या सौ रुपया आर्थिक सहायता दे देने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। हमारी यह जबरदस्त मांग बहुत पहले से है। हमने गत वर्ष भी १८ अक्तूबर मना कर यह मांग की थी कि बाढ़ में जो मकान गिरे हैं, उनको सरकार अपनी ओर से बनवाये। जिनके मकान बिल्कुल ध्वस्त हो गये हैं, जो निस्सहाय, अकिंचन अवस्था में हैं उनके मकान बनवाने का भार सरकार को अपने ऊपर उठाना चाहिए। उसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सरकार की ओर से जो यह पुस्तिका बांटी गई उसमें दिया हुआ है कि कई मील तक जमीन ऐसी होगी जिसमें पांच-छः महीने तक पानी पड़ा रहेगा। जहां आज पानी का यह रूप और यह व्यवस्था है वहां सरकार को अपनी ओर से ऐसी किसी मशीन की व्यवस्था करनी चाहिए कि पानी तत्काल वहां का निकले और खेती के लायक जमीन तैयार कराई जाय। केवल यह कह देने से कि बड़ा पानी आ गया और पानी निकालने में असमर्थ हैं काम चलने वाला नहीं है। उसी के साथ-साथ जहां मैंने अपनी इन बारह मांगों को आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखते हुए सरकार से अपील की कि सरकार इन मांगों पर तत्काल अमल करे, वहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कटाव रोकने के लिए बडाल की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सी नदियां, जैसे गोरखपुर के पास बरहज में एक नदी है उसके

[श्री राजनारायण]

कटाव से बरहज को खतरा आ गया है और करीब ५ मील पश्चिम जाकर एक और संगम बनने वाला है। वहां के लोगों की मांग है, दूसरे लोगों का भी कहना है कि बड़ी बड़ी सागौन की लकड़ी और दूसरे साधनों को लेकर वहां पर ऐसी व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिये जिससे नदी का कटाव रुके, जिससे गांव जो कि नदी के पेटे में आने वाले हों उनकी समुचित रूप से सुरक्षा की जा सके। श्रीमन्, मैंने जब सस्ते गल्ले की बात कही, कपड़ा बांटने की बात कही, दवा बांटने की बात कही तो उसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो तुच्छ सहायता कहीं कहीं यदि दी जा रही है तो उसमें पार्टी पालिटिक्स का प्रचार ज्यादा किया जा रहा है और कांग्रेस के झंडे सरकारी वितरण केन्द्रों पर लगे हुए हैं। मैं गत मास की २२ तारीख को गोरखपुर गया हुआ था। वहां फ्लड रिलीफ कमेटी की मीटिंग हो रही थी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिला अफसर ने जिनको निमंत्रण दिया उसमें केवल ऐडहाक कमेटी के कांग्रेसी चेयरमैन को ही बुलाया गया था, अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टियों में से किसी को नहीं बुलाया गया और मैंने वह निमंत्रण पत्र दिखाया भी था, लेकिन सरकार इस समय केवल कांग्रेस पार्टी को ही आगे रखने के लिए बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति में राजनीतिक कलर देने की चेष्टा कर रही है जो बिल्कुल अनुचित है जब वहां के स्थानीय अफसरों से हम इस बात की शिकायत करते हैं तो वह हम लोगों की बात सुनने से इन्कार कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने समझ रखा है कि सरकारी काम के साथ कांग्रेस पार्टी का भी प्रचार किया जाय तो गुनाह नहीं और दूसरी पार्टी का सहयोग लेना भी वह पाप समझते हैं।

श्रीमन्, मैंने अभी अभी जो पुस्तक यहां पर बांटी गयी उसमें बनारस जिले के बारे में भी देखा, बहुत सी समितियो के नाम उसमें हैं, लेकिन वहां पर पर जो एक बहुत ही प्रभावकारी समिति बनी है जिसके कर्ता-धर्ता वहां की सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री प्रभुनारायन जी हैं और जिसकी कल ही मीटिंग होने वाली है और वह आज कौंसिल से चले जायेंगे उस मीटिंग में भाग लेने के लिए, उसकी चर्चा कहीं नहीं है, उसका नाम नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी जाते हैं तो वह स्वतः कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताते हैं कि हम वहां चल रहे हैं और जो प्रास्पेक्टिव कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के वह वहां जाते हैं। यह बहुत ही दुःख और चिन्ता की बात है कि जो सरकार और राजनैतिक पार्टी का विभेद मिटाया जा रहा है। ऐसी तानाशाही अगर कायम होती है तो इस व्यवस्था को जनतांत्रिक व्यवस्था के रूप में वही लोग देख सकते हैं जो अपनी आंखों को बन्द करके देखते हैं, "मूंदहु आंख कतहुं कोउ नाहीं"। अगर शतुरमुर्ग की भांति बालू में गर्दन डालकर बैठना चाहते हैं तो ठीक है, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि राजनैतिक रंग-भेद न रखा जाय तो सरकार को कोई हक नहीं होना चाहिये कि वह ऐसी बीजें होने दे। वह जिले के अधिकारियों को आदेश दे कि जो राजनैतिक पार्टियां वहां काम कर रही हैं उनका सहयोग प्राप्त करें और उनके लोगों को भी साथ-साथ ले जायं और उनकी देख-रेख भी करायें और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की जनता को त्राण दिलाने के लिए सरकार की ओर से भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसा नहीं होता। इस समय जो सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है उसको मैं बिल्कुल अपर्याप्त और तुच्छ रूप में ही लेता हूं। अगर देखा जाय तो सरकार ने जो हिसाब-किताब हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक २० लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त है। २० लाख एकड़ जमीन की जो फसल नष्ट है उसका हिसाब लगाते हैं कि कुल दस करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इतनी नहीं बल्कि इससे दुगनी जमीन जिसमें खेती होती है वह नष्ट हुई है और सरकारी हिसाब देखा जाय तो एकड़ पर ५० रुपये का नुकसान लगता है। माननीय मालमंत्री जो हिसाब लगाने

में बहुत कुशल है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या एक एकड़ में ५० रुपये की ही फसल होगी। सरकार दस करोड़ के नुकसान का अन्दाजा करती है, यह अनुचित है। मैं कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्यों से मिला था, उन्होंने बतलाया था कि कम से कम ५ लाख एकड़ की खेती का नुकसान अकेले गोरखपुर में ही हुआ है। अगर २०० रुपये एकड़ के हिसाब से नुकसान का अन्दाजा लगाया जाय तो अकेले गोरखपुर में दस करोड़ रुपये का नुक्सान हो जाता है और १०० रुपये के हिसाब से लगाया जाय तो ५ करोड़ रुपये का नुकसान गोरखपुर में होता है। सरकारी हिसाब से भी देखा जाय तब भी एक एकड़ में दस बारह मन गल्ला तो पैदा होता ही है। अगर सरकारी हिसाब से भी देखा जाय तो २० करोड़ के गल्ले का नुकसान हो जाता है।

सरकार ने बतलाया कि ११,५०० गांव बाढ़ ग्रस्त हैं और ४० लाख आदमी बाढ़ग्रस्त हैं। सरकार के हिसाब लगाने की पद्धति गलत है। यदि ठीक से हिसाब लगाया जाय और एक गांव का अनुपात लगाया जाय तो १५०-२०० का परता पड़ेगा। यह जो आकड़े प्रस्तुत किये गये हैं धन की क्षति के, जन की क्षति के, मकानों की क्षति के और खेती की क्षति के तो यह सारे के सारे दोषपूर्ण हैं।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं एक बात दरियाफ्त कर सकता हूं। आपकी राय में जो खरीफ की फसल सूबे में होती है उसका वजन कितना होगा और कीमत कितनी होगी ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माल मंत्री जी ने खरीफ की फसल के बारे में बतलाया। हमने सब चीजों का ब्यौरा दे दिया है और सबका हिसाब लगा कर टोटल बता दिया है कि एक एकड़ में १०० रुपये का हिसाब लगाया है। इतना होते हुए मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष के लोग भी यदि ठीक तरह से देखेंगे तो इससे सहमत नहीं होंगे।

इसी प्रकार से, श्रीमन्, बतलाया जा रहा है कि दो लाख घर बर्बाद हुये और ढाई करोड़ रुपये की क्षति हुई। अब देखा जाय कि इतने मकान बर्बाद हुये और नुक्सान केवल ढाई करोड़ रुपये का है तो एक घर के पीछे १२ रुपये पड़ता है तो इतने रुपये में कौन सा घर बन जायगा। माल मंत्री जी बतायें कि क्या १२ रुपये में फूस की मड़ैया भी लग सकती है ?

श्री चरणसिंह—कहीं १२० रुपये तो नहीं पड़ रहे हैं ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, १५ मिनट का समय है वह इसी तरह से बर्बाद हो रहा है।

इसी तरह से कम्बलों का, ब्लाउजों का, चादरों का, मरदानी धोतियों और जनानी धोतियों का वितरण हुआ है, उसका हिसाब लगाया जाय तो यह चीजें जुड़कर केवल ४,८६० हुई यानी १०० आदमियों पर एक कम्बल, या एक चादर या एक मरदानी धोती या एक जनानी धोती पड़ती है। इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह सरकार किस तरह से बाढ़ पीड़ित जनता के उद्धार को कहती है और यह सहायता कितनी न्यून और अपर्याप्त है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कपड़े के बांटने की बात की गई है, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं चमोली का दौरा कर रहा था। सरकारी कर्मचारियों से पूछा गया। उन्होंने कहा नहीं बांटा जा रहा है। हां, एक प्राइवेट संस्था की ओर से बांटा जा रहा था। फिर भी मैंने सरकारी सहायता और आंकड़े की बात को थोड़े से में निवेदन कर दिया है।

[श्री राजनारायण]

अब सरकार की ओर से जो विकास की योजनायें चलती हैं और उसमें जिस तरह से नहरें बनी हैं, बांध बने हैं और बंधियां बनी हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील चन्दौली, जिला बनारस में जो बाढ़ से भयंकर क्षति हुई, मैं समझता हूं इसमें दो रायें नहीं होनी चाहिये कि जिस तरह से वहां पर नहर बनी, उसमें जिस तरह से पानी के निकास की व्यवस्था नहीं हुई, जिस तरह से नीची जमीन पर नहर बनायी गयी वह बड़ा भारी कारण हुआ है, जगदीश सराय और दूसरे गांवों को डुबाने के लिये। बलिया और बेरिया बांध के बारे में मैंने कल निवेदन किया था कि उसका टूटना आज इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जहां पहले कभी भी पानी नहीं गया था वहां भी अबकी पानी पहुंचा है।

इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो योजनायें चला रही है उनके लिये तमाम पार्टियों की देखरेख में एक जांच समिति बनायी जानी चाहिये और उसके सुझावों को लेते हुये ये योजनायें कार्यान्वित की जानी चाहिये।

जो गांव ऊंचे किये गये हैं वह व्यवस्था भी बहुत दोषपूर्ण है। क्या जो ऊंचे किये हुये गांव हैं उनमें मकान नहीं गिरे हैं? हमारे गोरखपुर के साथी यहां आये हैं। उन्होंने बताया कि वहां जो गांव ऊंचे किये जा रहे हैं, केवल उनको चारों ओर से घेर दिया जाता है—वहां भी गरीबों के तमाम घर नष्ट हो गये हैं।

इतना कहने के बाद मैं आपसे निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं। अभी हमारा समय काफी है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण—सरकार जब इस गति से चलती है उस समय विरोधी पार्टियों का कर्तव्य हो जाता है, जो पार्टियां जनतंत्र में विश्वास रखती हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे विरोध करें और नपुंसक न बनें और सरकार के गुनाहों का पर्दा खोलें, उसके घूंघट को खोल कर अपने कर्तव्य का पालन करें, न कि सरकार की चापलूसी करें।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज प्रदेश के ऊपर जो दो, तीन महीने से आपत्तियां आयी हैं, जो जन और धन की हानि हुई है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य और जो अंक हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं उससे हमें यह मालूम होता है कि हमारे प्रदेश के पूर्वी जिलों में और उससे पहिले पश्चिमी जिलों में भी कितनी ज्यादा हानि हुई है और उसके लिये सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किये गये हैं। आज नेचुरल कैलेमिटीज केवल हमारे देश में ही नहीं आयी हैं बल्कि दूसरे देशों में भी हम उनका विवरण पढ़ते हैं। चीन में जो येलो रीवर है, जिसको रीवर आफ सारो भी कहते हैं, उसने समय समय पर जितने धन और जन की हानि हुई है और उससे वहां की प्रगति को जो नुकसान पहुंचा है उसका भी विवरण हमारे बहुत से सदस्यों ने पढ़ा होगा। और अबकी अमरीका में भी बाढ़ से जो हानि हुई उसका भी विवरण कुछ पत्रों में प्रकाशित हुआ था। मैं यह मानता हूं कि इस तरह की जब राष्ट्र पर आपत्ति आये उस समय पार्टी का ख्याल न करके, सारी पार्टियों को मिल कर काम करना चाहिये। किसी भी दल की सरकार हो लेकिन तब भी किसी दल के लोगों को कोई गुरेज नहीं करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय राजनारायण जी ने इस संबंध में कुछ शिकायतें कीं कि इस कार्य में उनके दल से कोई सहयोग नहीं लिया गया। मैं तो आगरे के संबंध में कह सकता हूं। आगरे में जो अधिकारियों की तरफ से मीटिंगें हुई उनमें मुझे विदित है कि उन्होंने कम से कम वहां के अधिकारियों ने सभी दलों के लोगों को आमंत्रित किया है और उसमें इस बात के लिये आवाहन किया कि इस जनता के कष्ट में कोआर्डिनेशन के साथ काम करें और जो भी सेवा हो सके उसमें सब लोग अपनी पूरी शक्ति लगावें। मुझे खेद है कि इस देश के विरोधी दलों का काम सिर्फ एक ही रह गया है और वह केवल यह है कि जनता की जो योजनायें हों उनकी नुक्ताचीनी करें। कम से कम आगरे के संबंध में मैं कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है कि वहां पर विरोधी पार्टियों ने इसमें सहयोग नहीं दिया। दूसरे जिलों के लिये भी मैं माननीय राजनारायण जी और दूसरे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जनता के कष्टों को दूर करने में कितना काम किया। अगर यह भी मान लिया जाय कि वहां के अधिकारियों ने उनसे सहयोग प्राप्त करने की कोई चेष्टा नहीं की तब भी उनके दलों को यह सोचना चाहिये था कि जनता के ऊपर जब इतना कष्ट है तो वे किस तरह से अपना सहयोग दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ की समस्या हमारे प्रदेश के लिये एक हर वर्ष की समस्या हो गयी है। मैं समझता हूं कि उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। हमारी सरकार उसके लिये विचार कर रही है और धनराशि उनके लिये नियत की गई और योजनायें बनाई जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि उनका पूरी तरह से समन्वय करके अगर कार्य उन पर किया जाय तो यह जो हर वर्ष का दुख है वह दूर हो सकेगा।

पूर्वी जिलों की कहानी बड़ी दुखपूर्ण है; वे ऐसे जिले हैं जो हर वर्ष इस कष्ट से पीड़ित रहते हैं। वहां की जनता के दुखों पर जब हम विचार करते हैं कि किस तरह से हर साल उन पर विपत्ति आती रहती है तो हम समझते हैं कि सारा डेवलपमेंट का कार्य हमारा पिछड़ा रहेगा जब तक यह महान समस्या इन जिलों की हल नहीं की जायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बहुत सी बातें हैं किन्तु समय बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं कुछ के लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे दुख हुआ कि यह जो बाढ़ हुई फतेहपुर और आस-पास के इलाके में उसकी सूचना जिला अधिकारियों को समय से मिलनी चाहिये थी ताकि वह उसकी व्यवस्था करते। मुझे खेद है कि वहां के जो हमारे राजस्थान के अधिकारी थे उन्होंने कलेक्टर को नाव मंगाने की सूचना तो भेजी लेकिन कितना पानी आ रहा है, कब तक आयेगा, इस प्रकार की कोई इत्तला आगरा के जिला अधिकारियों को नहीं दी गई और इसका परिणाम यह हुआ कि जो सारे प्रयत्न किये जाने चाहिये थे वह नहीं हुये। तो मेरा ख्याल यह है कि जिला अधिकारियों को इस मामले में सतर्क होना चाहिये। इस के लिये हिदायतें जानी चाहिये कि वह दूसरे जिलों को भी समय समय से पूरी सूचना देते रहें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इस कैलेमिटी से, इस आपत्ति से भी हमें कुछ फायदा उठाना चाहिये। जितने गांवों में बाढ़ आती है, जिनके मकान गिरते हैं वहां उनका पुनर्निर्माण एक प्लान्ड तरीके से होना चाहिये और इसके लिये एक अलग विभाग बनना चाहिये जो उनकी प्रापर प्लानिंग करे। आज कितने ही ऐसे गांव हैं कि जिनका बाढ़ आने के कारण नामोनिशान मिट गया है। तो उनका एक योजनाबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण होना चाहिये। इसके लिये हमारी सरकार को सजग होना चाहिये और अपने अधिकारियों को उस रास्ते पर चलाना चाहिये ताकि हमारा काम पूरा हो।

*श्री देवनन्दन शुक्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, सूखा और अतिवृष्टि से जो स्थिति उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उत्पन्न हो गई है और जिस स्थिति में उस भूखंड की सारी फसल का संहार हो गया उससे जनता और सरकार के लिये एक बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। श्रीमन्, पूर्वी जिले लगातार ६,७ वर्षों से बाढ़ के शिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन शुक्ल]

होते चले आये हैं। इन पूर्वी जिलों में खेती के अलावा जीवन का कोई दूसरा साधन नहीं है उन जिलों के दुर्भाग्य से वहां की आबादी प्रति वर्ग मील ९ हजार व्यक्ति के ऊपर की है जब कि सारे हिन्दुस्तान की औसत आबादी प्रति वर्ग मील साढ़े तीन सौ व्यक्ति और सारे उत्तर प्रदेश की औसत आबादी प्रतिवर्ग मील साढ़े ६ सौ से लेकर साढ़े सात सौ व्यक्ति प्रति-वर्ग मील पड़ती है और देवरिया की आबादी साढ़े १० सौ प्राणी प्रति वर्ग मील पड़ती है। देवरिया की आबादी लगभग साढ़े २२ लाख है और वहां का रकबा करीब साढ़े १३ लाख एकड़ भूमि का है, जिसमें से लगभग साढ़े तीन लाख एकड़ भूमि जंगल, नदी इत्यादि की है और १० लाख एकड़ भूमि हल के नीचे है। श्रीमन्, साढ़े २२ लाख की आबादी और लगभग १० लाख एकड़ भूमि यानी एक एकड़ में लगभग सवा दो आदमी, साल भर में कैसे गुजर करें, यह बड़ी भारी समस्या है, और खेती को छोड़कर उनका और कोई दूसरा जीविका का साधन नहीं है। लगातार ६,७ वर्षों से अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण वहां की जनता की आर्थिक कमर टूट गयी है और लोग क्षुधा से पीड़ित हैं। पश्चिमी जिलों की जनता तथा पश्चिमी जिलों के विधायकगण पहले जब पूर्वी जिलों की बाढ़ की चर्चा होती थी तो उनको इत्मिनान नहीं होता था कि वाकई पूर्वी जिलों में इस प्रकार की जघन्य दरिद्रता और बाढ़ से इतनी तबाही और परेशानी पूर्वी जिलों की जनता को होती होगी। किन्तु इस वर्ष की बाढ़ ने उनको कुछ अनुभव कराया और बाढ़ क्या क्या है वह पैदा कर सकती है इसका कुछ कुछ अनुमान हमारे मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों की जनता और विधायकों को हुआ। इस वर्ष अनावृष्टि और अतिवृष्टि से जो संहार हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

अगस्त के महीने में, जुलाई के अंतिम उत्तरार्ध में और अगस्त में अनावृष्टि के कारण धान की फसल बिलकुल भस्म हो चुकी थी और फसल जो कुछ भी बची थी अगस्त के चतुर्थ सप्ताह में और सितम्बर के पहले सप्ताह में जो पानी गिरा उससे फसल की थोड़ी सी हालत सुधरी और उम्मीद हुई कि फसल कुछ हो जायगी किन्तु सितम्बर के पहले सप्ताह के अन्त तक सारी पृथ्वी वृष्टि से व्याप्त थी और सितम्बर के दूसरे सप्ताह में लगभग २४ इंच पानी गिरा और केवल देवरिया जिले में ही नहीं बल्कि सारे पूर्वी अंचल के जिलों में। परिणाम यह हुआ कि २४ इंच पानी गिरा और सितम्बर के चौथे सप्ताह में पानी जो गिरा तो तमाम जल की मिकदार मिलकर इस कदर वाटरलोगिंग हुआ ——नीची और ऊंची जमीन को लेते हुये कि जितनी फसल थी सब की सब नष्ट हो गयी। थोड़ी बहुत जो फसल बची थी या डंठल बचा था वह सब का सब जलमग्न हो गया और फसल बिलकुल नष्ट हो गयी।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों का और विशेषकर सरकार का ध्यान उस परिस्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस परिस्थिति को हमारे कुछ माननीय मंत्रियों ने जाकर देखा। माननीय कमलापति त्रिपाठी ने कुछ जगहों का अवलोकन करके देखा। माननीय चरणसिंह जी ने भी हवाई जहाज से उड़कर वहां का विहंगम अवलोकन करके देखा लेकिन परिस्थिति की सच्ची जानकारी नहीं हो पायी। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा टाइम मुझको और दिया जाय ताकि वहां का चित्र मैं सदन के सामने रख सकूं। मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने मकान देवरिया जिले में हैं उनमें से बाढ़ क्षेत्र में ८५ फीसदी मकान धराशायी हो गये। जो ऊंचे पर थे उनमें से भी कम से कम एक तिहाई मकान गिर गये हैं। मुझको मालूम नहीं है कि सरकार के आंकड़े घरों के गिरने के क्या हैं किन्तु हम कांग्रेस जनों को जिन्होंने १०, १५ दिन तक सारे जिले का भ्रमण करके देखा, अनुमान है कि २१ लाख घरों में से तखमीनन ५० हजार घर कम से कम गिर गये हैं। सरकारी आंकड़ों में ४०,००० घर हैं जिनकी कीमत सरकार ने ४० लाख आंकी है, यानी १०० रुपये की मकान। इस युग में १०० रुपये में मकान नहीं बन सकता है। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह तखमीना सही नहीं है। जान पड़ता है कि हिसाब में मिस्टेक रह गयी है। उसके नीचे आजमगढ़ में १६ हजार घरों का मूल्य ८० लाख रुपया आंका गया है, तो वह पहली गलती है।

प्रत्येक घर का दाम कम से कम चाहे वह खपरैल का ही हो, या कच्ची दीवाल का हो, १,००० रु० या ५०० रु० से कम नहीं आंकी जानी चाहिये। ढाई करोड़ रुपया ५० हजार मकानों का होता है। देवरिया जिले में १४ मिले हैं और एक मिल में लगभग कम से कम २० लाख मन गन्ना पेरा जाता है जबकि उसके बगल में सर सुन्दरसिंह मजीठिया की सरैया मिल ने गत वर्ष ८० लाख मन गन्ना कश किया था। इस तरह से औसत देवरिया जिले में कम से कम ८० हजार एकड़ गन्ना बोया हुआ है। उसमें से आज कम से कम ५० फीसदी नष्ट भ्रष्ट हो गया है, सूख गया है। रैडराट की बीमारी से खड़ी फसल सूखती हुई दिखाई देती है। इस तरह से कम से कम भी जोड़ें तो ४,४१/२ करोड़ रुपये का गन्ना, अगर हम ५० फीसदी हानि लेते हैं तो २ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान मक्के का हुआ है और ढाई करोड़ का नुकसान घरों का हुआ है। सरकार ने ३० लाख एकड़.....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि गतबार बाढ़ के सम्बन्ध में मैं उठता बैठता ही रह गया और मुझे समय नहीं मिला जिसके लिये मेरे जिले में कार्यकर्ताओं ने बड़ी निन्दा की मैं माल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देवरिया पर बड़ी कृपा की लेकिन बस्ती न वह गये, न फूड मिनिस्टर गये, न सिंचाई मंत्री गये और न मुख्य मंत्री जी गये।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—बस्ती में कोई बाढ़ भी इस बार आई?

श्री शिवनारायण—मैं बतला रहा हूं कि बाढ़ और सूखा दोनों से हम तबाह हैं। मैं चारों मंत्रियों से कहना चाहता हूं, केवल चार से, जिनकी बदौलत इस प्रान्त में खाना, कपड़ा और रहने का ठिकाना है। १० तारीख को ८ इंच पानी बस्ती में हुआ है और १५० मकान गिर गये हैं। हमारे विद्यार्थियों की बुरी अवस्था है। बस्ती, हरैया, डुमरियागंज और बांसी में मैं गया। एक पत्र हमारे विद्यार्थियों ने हमें दिया जिसके चन्द शब्द पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि रुधौली क्षेत्र का विद्यार्थी समुदाय का निवेदन है कि सूखा और बाढ़ से क्षेत्र की जनता अत्यधिक दुखी है। अनावृष्टि का संकट तो है ही। यह मैं ठाकुरों के गांवों की बातें बतला रहा हूं। उपाध्याय जी जरा सब से मेरी बात सुनने की कृपा करें। यह मेरी उनसे प्रार्थना है बड़े बड़े लोगों के गांव की बात यह है और हम इस कदर तबाह कर दिये गये हैं। डुमरियागंज में जड़हन के खेत बिलकुल साफ हो गये हैं। मैं गांवों में स्वयं जाकर जड़हन के खेतों में से गुजरा हूं। बारह सेर धान एक एक बीघे में हुआ है जो चार सेर तो बीज में ही चला जायगा। इर्रीगेशन मंत्री ने कहा कि बस्ती में तो बाढ़ नहीं आयी। वे आज भी वहां जाकर देख आयें वह इलाका सूखा और बाढ़ दोनों से तबाह है। सरकार के लिये पटवारी लोग सहरा बने हुए हैं जो वह लिख देते हैं सरकार उनके ऊपर विश्वास करती है। जैसे आपने देवरिया देखा वैसे ही आप बस्ती को भी देखें। वहां भुखमरी फैली हुई है, नंगे बदन हैं, जाड़े अब शुरू हो गये हैं, लोग थर थर कांप रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान चार पांच बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं।

बाढ़ रोकने की योजना के सिलसिले में पिछले वर्ष मैंने निवेदन किया था कि १६ जिलों में १०० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट को कड़े शब्दों में लिखा जाय कि घाघरा पर बांध बांधा जाय, उसकी वजह से तबाही हो रही है। नदियां ऊंची हो गयी हैं और बाढ़ आ जाने से करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है और जो रुपया खर्च होता है उसमें से ५० प्रतिशत लोगों की निजी जेबों में जाता है। नदियों को आपको गहरा करना चाहिये।

मैं राज नारायण जी से एक बात कहता हूं। लेकिन अफसोस है कि वे खिसक गये। सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट सभी लोग मेरे साथ नाव में बैठकर जाते हैं। कैसे भी सही लेकिन वहां की आवश्यकताओं के लिये हम सरकार से जरूर लड़ेंगे। वहां लोगों की मालगुजारी को माफ करना चाहिये। हम कोई सरकार से भीख नहीं मांगते हैं। लेकिन आपत्तिकाल परखिये वाली बात है। आपकी परीक्षा यहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना

[श्री शिवनारायण]

चाहता हूं कि मैं किसी जोश या खरोश में नहीं हूं। आप स्वयं जाकर बस्ती की हालत को देखें। हमें तो जनता के बीच में जाना पड़ता है। उससे ही हमारे बड़े बड़े काम पड़ते हैं। अधिकारी भी हमारे साथ हैं। लेकिन जो रिपोर्ट कलेक्टर ने दी है उस पर आप अमल करें। कम से कम तीन लाख तकावी के रूप में आप दीजिये। मध्यवर्ग के लोग जो कुछ काम नहीं कर सकते हैं उनके लिये भी कोई प्रबन्ध करना चाहिये। सब के लिये कोई तात्कालिक प्रबन्ध भी होना चाहिये। उनको कुछ पैसे दीजिये। मोटे अनाज का भी प्रबन्ध कीजिये। सरकार के पास अगर गेहूं और चावल ही है तो मोटे अनाज के भावों पर ही दीजिये। हम कलकत्ते वाली चीज इस देश में नहीं देखना चाहते हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि लोगों की वह जान बचाये। इसलिये सरकार लोगों के खाने पीने का जल्द प्रबन्ध करे।

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, यों तो इस बाढ़ के सिलसिले में तीन चार जिलों में मुझे घूमने का मौका मिला। मैं आजमगढ़ जिले के भी बहुत हिस्से में गया और वहां के बाढ़ प्रकोप को स्वयं अपनी आंखों से देखा लेकिन १० मिनट के समय में मैं दो तीन बातें आपके सम्मुख कहना चाहता हूं। बाढ़ से इस साल जितना नुकसान हुआ है उससे कम नुकसान बांगर क्षेत्र में अति वर्षा से नहीं हुआ है। साथ ही साथ एक क्षेत्र जो ताल के किनारे बसता है वह सर्वदा इस सदन में उपेक्षित रहा है। नदियों के किनारे जो नुकसान होता है उसे सभी जानते हैं और उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने बहुत बार कहा है और आज भी कहा है। लेकिन दो तीन तालों के किनारे की भयावह स्थिति मैंने देखी उसकी ओर आपका और इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारे घोसी तहसील में हरधोली ताल है जिसके किनारे के १० गांव इस साल बुरी तरह से पीड़ित हैं। उस ताल के पानी का निकास पक्की सड़क के तीन ताखों वाले पुल के जरिये होता है। यदि माननीय मंत्री ध्यान दें तो उन्होंने स्वयं देखा होगा, अन्यथा वे देखें कि तीन ताखों से बहने वाला पानी है वह एक पतली मोरी वाले बांध के जरिये बहता है जिससे वाटर लागिंग बुरी तरह से उस एरिया में हुई जिससे धान की बड़ी क्षति हो गई। अगर उस पुराने बांध के लिये ही और कुछ मोरियां खोल दी जातीं तो जो खतरा उत्पन्न हो गया और जितना नुकसान हो गया वह नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, पकड़ी ताल हमारे जिले में एक बहुत बड़ा ताल है। उस ताल के किनारे जब सरकार की तरफ से लगान में छूट मिलती है तो वह पकड़ी गांव को ही मिलती है क्योंकि वह ताल पकड़ी ताल के नाम से ही मशहूर है। उसके किनारे जो धरौली, पिड़उत, रामपुर सोहण, पिउवा, डारणी, चनरापार आदि जो गांव हैं उनको कोई छूट नहीं मिलती है। मैं समझता हूं कि यह विभेद गलत है जब कि इन गांवों का नुकसान कम नहीं होता है। उस ताल के आसपास के जो निवासी हैं उन्होंने भी कई बार माननीय सिंचाई मंत्री जी को प्रार्थना-पत्र दिया कि उस एरिया में पानी की निकासी के लिये एक नाला बनाया जाय लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई वाजिब कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके अलावा मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो नकटी नाला है उसके अतिरिक्त पानी का प्रवाह अगर टोंस नदी की तरफ नहीं किया गया तो हजारों क्या लाखों मन धान जो उस एरिया में होता है वह नहीं पैदा हो सकेगा। वहां के खेतिहरों ने अपनी आंखों में आंसू भर भर कर कहा कि जिस खेत में सौ सौ मन बीघे धान बोया है उसमें बिया तक नहीं हो पायेगा इस साल। उपाध्यक्ष महोदय, पूनापार जो छोटी सरयू के बायीं तरफ है और जिस छोटी सरयू का जिक्र इस बाढ़ रिपोर्ट में किया गया है। अगर उसकी बायीं तरफ बांध नहीं बनाया जायगा तो इस पूनापार गांव का बड़ा भारी नुकसान हो जायगा। अगर इसके लिये पीरा से सिकन्दरपुर तक बांध नहीं बंधवाया गया तो वह तमाम एरिया भी नुकसान के गिरफ्त में आ जायगा। वहां की जो भयावह स्थिति थी उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां के जो अच्छे अच्छे खेतिहर हैं जो कि पुराने जमींदार थे वे भी आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दाने दाने को रो रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज जो समस्या है वह केवल बाढ़क्षेत्र की ही नहीं है बल्कि बांगर क्षेत्र की भी है। शाहगंज से इन्दारा तक रेलवे लाइन की दाहिनी तरफ सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनका नाम निशान तक मिट गया है, उनके हजारों घर गिर गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लेना चाहिए। यदि ऊटपटांग तरीके से घर बनें फिर भी कच्चे बनें इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। हमारे विरोधी दल के नेता साहब ने कहा था कि सस्ते ईंटों की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिये कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पर सस्ते सीमेंट की व्यवस्था देहातों के लिये करे ताकि मकान जो बनें उनकी कुर्सी तक सीमेंट से बनायी जा सके जिससे मकान गिरने का खतरा न रहे और जो अन्न का नुकसान हुआ करता है वह तो प्रश्न है ही।

गांवों को ऊंचा करने के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि गांव ऊंचे किये गए हैं और यह कार्यक्रम काफी सफल रहा है लेकिन उनके ऊंचा करने में इतनी धांधली, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था हुई है उसकी मिसाल मैं दूंगा कि मऊ के पास जो घोसी तहसील का एक गांव है जयसिंहपुर है जिसे मंत्री जी ने भी देखा होगा वहां हर दो दो, तीन तीन घरों के बीच में नदी बह रही थी और पानी भरा था। इन गांवों को ऊंचा करने की अव्यवस्था से हुआ यह है कि सड़कों के किनारे के जो गांव थे वहां तो ठीक काम हुआ लेकिन जो गांव सड़कों से दूर थे और जहां अधिकारी नहीं पहुंच सकते थे वहां पर जो गांव ऊंचे किये गये हैं ऐसे बुरे तरीके से किये गये हैं कि जिससे गांव वालों के सामने एक नई समस्या पैदा हो गई है।

इस तरह से श्रीमन् कोपा ताल के किनारे नहरें, ट्यूबवेल, नालियां आदि बनीं और सड़कें, बांध भी बने लेकिन इन सब की असामंजस्य व्यवस्था से इस बार बाढ़ का प्रकोप और भी भीषण हो गया और ऐसा मालूम होता है कि इन विभागों में आपस में कोई सम्बन्ध ही नहीं है, नहर वाले नहरें बना रहे हैं, ट्यूववेल वाले कुएं बना रहे हैं, बांध वाले बांध बांध रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही हैं अपना अपना कार्य सब कर रहे हैं और एक दूसरे में सामंजस्य न रहने के कारण इतना भीषण वाटर लागिंग हुआ कि एक तरफ तो कोपाताल के रेलवे लाइन और दूसरी तरफ नहर और उन दोनों के बीच में ताल का पानी इकट्ठा हो गया और आबादी भी बीच में फंस गयी, ताल का पानी पूर्व को बह जाता लेकिन नहर की ऊंचाई से अब वह उधर जाने से रुक गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के वाटर लागिंग के प्रवाह को रोकने की अगर ठीक से व्यवस्था नहीं की गयी और पुलों को और नालियों को चौड़ा नहीं किया गया, नये पुल जहां जरूरी हैं नहीं बनाये गये और रेलवे लाइन, बांध और सड़क बनाते वक्त सारे पानी निकलने की समस्या पर गौर नहीं किया गया तो यह समस्या हर साल रहेगी और रुपया भी नष्ट होता रहेगा।

हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनका वही हाल है कि जिस तरह से देहात में कहावत है कि "लेखा जोखा काहे, लड़के बूढ़े काहे" जैसी मुन्शी जी के औसत निकालने पर बच्चे बूढ़े डूब गये इसी तरह से हमारे इंजीनियर्स औसत निकालते हैं इतनी चौड़ाई की या मोटाई की मोरी बनायी जाय तो पानी निकल जाय लेकिन अगर पानी अधिक बरस जाता है तो वह नहीं निकल पाता और तमाम घर और खेत बर्बाद कर देता है। अगर इसी तरह से विभाग अलग अलग कार्य करते रहे नहर, रेल और बांध आदि बनाने की तो यह समस्या ऐसे ही बनी रहेगी और रुपया नष्ट होता रहेगा। सरकार की ओर से जो सहायता भी दी जाती है उसको देने वाले भी कुछ गड़बड़ करते हैं, मुझे मालूम है कि पूनापार गांव में जहां बहुत बड़ी बस्ती है वहां ९ आदमियों के परिवार में १ सेर मटर दी जाती है, ९ आदमियों के परिवार में एक सेर मटर को ओढ़ा जाय या बिछाया जाय, गांव का भूखा परिवार यह भी नहीं कि शहर का कोई नाजुक परिवार हो वह इसमें क्या खायेगा। इसलिये सहायता इतनी कम है कि जो न मिलने के बराबर है और वह भी टाइम से नहीं दी गई और अधिकारियों ने इस तरह से उस सहायता को बांटा है कि वह भी न मिलने के बराबर है।

[श्री झारखंडे राय]

इंजीनियर्स के बारे में भी मैं कहूंगा, मैं उनके बारे में कोई उपेक्षा नहीं करता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इंजीनियर्स को हर मामले में वहां के गांव के स्थानीय बड़े बूढ़ों से राय अवश्य लेनी चाहिये, यह सोचना कि सारी अक्ल का ठेका उन्हीं को है या वही कोई खास डिगरी लेकर आये हैं– गलत है, अगर वे बड़े बूढ़ों से राय लेकर सड़कें, बांध, नाले आदि बनायेंगे तो उनको काफी सहायता मिलेगी और पानी की समस्या वाटरलागिंग की समस्या काफी हल हो सकेगी और अगर रेलवे, नहर, बांध और नालों आदि के बनाते वक्त अगर सब विभागों में सामंजस्य रहे तो काफी अच्छा कार्य हो सकता है वर्ना एक नहीं करोड़ों रुपया व्यय होने पर यह समस्या यों ही बनी रहेगी और हम उपाय करते ही रह जायेंगे। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समस्या का हल और समाधान कुछ हदतक हम कर सकते हैं।

*श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, देवरिया जिले और खास कर सलीमपुर तहसील के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है और वह यह कहना है कि इस बार जो बाढ़ आई, वह ऐसी आई जो आज तक कम से कम १०० वर्ष के अन्दर नहीं आई। छोटी गंडक ने, श्रीमन्, १२०० गांव में करीब ७०० गांव को बरबाद कर दिया। ७०० गांव में जो बरबाद हुये हैं कहीं किसी गांव में एक घर बचा है, किसी में दो घर बचे हैं और किसी में ३ घर बचे हैं। इस तरह से गांव के गांव छोटी गंडक की बाढ़ से बरबाद हुए हैं सिंचाई मंत्री जी गये थे और आस पास के दो चार गांवों को देखा था। माननीय माल मंत्री जी गये जहाज से जा कर सलीमपुर तहसील का दौरा किया और वहां उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग विपत्ति में हैं। और उस विपत्ति में क्या उनके पास सहारा है यह आप समझ सकते हैं।

सितम्बर के महीने में बाढ़ के दिनों में एक टीले पर एक नायब तहसीलदार के साथ मैं और कुछ दूसरे कांग्रेसी लोग गये। वहां ४२८ व्यक्ति घिरे हुये थे। छितौनी गांव का टीला है और उसमें ४२८ आदमियों को रक्खा गया। उनके पास कोई सामान नहीं था, एक भी वस्त्र नहीं था। जो पहने हुये थे वही उनके पास था। पूरा गांव बह गया था। उस समय बड़ी भयंकर स्थिति थी। ऊपर मूसलाधार पानी बरस रहा है और नीचे नदी खुली हुई है। एक नाव थी और ४२८ आदमियों को एक नाव से पार किया गया। इस तरह से बहुत करुण कथा उस गांव की है। समय नहीं है वर्ना एक एक जगह की स्थिति को देखने जाता। लेकिन आप समझिये जिनके पास मुट्ठी भर चना न हो, ऊपर से पानी बरस रहा हो, कोई छप्पर न हो और नीचे गीला हो और कांपते हुये कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार से जो सहायता दी गई है वह बहुत ही कम सहायता है। सिंचाई मंत्री जी जानते हैं कि खुद हमारे पड़ोसी बिहार के लोग हजारों मन गल्ला, भूसा और कंठल चार चार घंटे गाड़ियां लेट करके लाते हैं और बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता कर रहे हैं और सरकार की सहायता बहुत ही अपर्याप्त रहती है। इस वक्त जो लोग बाहर हैं, जिनके पास घर नहीं है, ऊपर से शीत गिरता है, दिन में धूप है इधर दो दिनों से बारिश हो रही है पता नहीं क्या भयानक स्थिति हुई होगी यह सोचने पर हृदय कांप जाता है और हर आदमी सोच सकता है कि कैसी भयंकर स्थिति है। एक तरफ खाना नहीं है, मवेशियों के लिये खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है और दूसरी तरफ ऊपर से धूप है, रात में शीत है ऐसी स्थिति में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं –एक दो नहीं हजारों की तादाद में लोग हैं। केवल देवरिया जिले में ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि पड़ोसी जिलों में भी ऐसी स्थिति होगी। गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ में भी ऐसा ही होगा लेकिन हमने और जगहों को देखा नहीं है, देवरिया को देखा है। देवरिया के सम्बन्ध में सादिकार कहना चाहता हूं कि बड़ी भयंकर स्थिति है। हम यह चाहेंगे कि केवल सरकार की मदद से हमारी मदद नहीं हो सकती। सरकारी तौर पर तो मदद हो, लेकिन देश के और भागों से जहां विपत्ति नहीं है वहां से भी सहायता मांगना उचित ही है, असामयिक बात नहीं है। एक जगह अगर आपत्ति आती है तो देश के

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

और कोनों से सहायता मांगी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वी जिलों की सहायता के लिये देश के जो धनी मानी लोग हैं और दूसरी सरकारें जो हैं या केन्द्रीय सरकार है वे राष्ट्रीय तौर पर आकर हमारी सहायता करें जिससे हमारी समस्या हल हो सके।

दवा के सम्बन्ध में यह कहना है कि मलेरिया फैल रहा है। मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और उससे बहुत लोग मर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो दवा दी जाय वह पर्याप्त रूप से दी जाय। दूसरी जगह से डाक्टर भेजे जायं और मलेरिया का प्रबन्ध किया जाय। मरने का जहां तक ताल्लुक है कई आदमी मर गये। सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं। ६० आदमी की रिपोर्ट सरकार के पास आई है। ये सब रिपोर्ट्स जो हैं वे अन्दाज के रूप में आई हैं। जब ये रिपोर्ट्स बनी होंगी उस वक्त और आज की रिपोर्ट में भिन्नता होगी। नावें भी बहुत कम थीं। सब का पता भी नहीं चल सकता था। सलीमपुर तहसील में ५९ नावें थीं। ६ लाख आदमी बसते हैं और करीब ७०० गांव बाढ़ से तबाह हुए। ५९ नावें कहां कहां पहुंच सकती हैं। और जो लोग अनपढ़ और गवांर हैं, वह लोग मर गये, उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं था। बाद में जो खबर आयी है वह सैकड़ों की तादाद में पहुंच जायगी। सौ से ऊपर ही मरने वालों की तादाद है। कम नहीं है। मेरा सुझाव केवल इतना ही है कि गंडक नदी को सीधा कर दिया जाय और शारदा नदी को ठोकर लगा कर गहरा किया जाय। बाढ़ आने का खास कारण यह है कि नदियों में बालू भर गयी है। नावों के जरिये पहले जो व्यापार होता था उसके बन्द हो जाने की वजह से नदियों में बालू भर गयी है। बालू के भर जाने से जब पानी आता है तो चारों तरफ भर जाता है। ऐसी बाढ़ें बराबर आती रहेंगी। करीब सात साल से बराबर बाढ़ आ रही है और बराबर बरबादी हो रही है। और आगे भी होने की संभावना है। इसलिये सरकार राष्ट्रीय दृष्टि से सोच कर बाढ़ की समस्या को पहले हल करे।

(इस समय ३ बजकर २२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठा सीन हुये। बाढ़ की समस्या बड़ी भयानक है।)

इस साल जो बर्बादी हुई है केवल देवरिया जिले में कई करोड़ की हानि हुई है। चालीस हजार मकान सरकार ने बताये हैं। चालीस हजार से अधिक मकान हैं—जो मकान फट गये हैं, जिसकी आंशिक क्षति हुई है उनका विवरण इन आंकड़ों में नहीं है। अगर रहता तो लाख तक तादाद पहुंच जाती। केवल सलेमपुर तहसील में तीस हजार मकान गिरे हैं। सात सौ गांवों में तीस हजार मकान केवल सलीमपुर तहसील में गिरे हैं। ऐसी ऐसी चार तहसीलें हैं। और चारों तरफ नदियों से घिरी हैं। दक्षिण में घाघरा, उत्तर और पूर्व में छोटी और बड़ी गंडक और पश्चिम में राप्ती। इस साल घाघरा में उतना पानी नहीं भरा। अगर भरा होता तो बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती। गंडक की बाढ़ दो साल से आती है। लोग बहुत घबरा गये हैं और लाखों आदमी बिना घरबार हो गये हैं। तराई में जो लोगों को जमीन दी जाती है उसमें देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि के जो बाढ़ क्षेत्र हैं उनको तराई में बसाया जाय। उनको जमीन दी जाय। घर बनाने के लिये बैल खरीदने के लिये सहायता दी जाय। तराई के अतिरिक्त बुन्देलखंड में भी बसाया जा सकता है और पश्चिमी जिलों में भी जहां भी जमीन उपलब्ध हो वहां भी बसाने की आप कृपा करें। चूंकि आबादी बड़ी घनी है और रोजगार न होने की वजह से लोग भूखों मर रहे हैं। मातृभूमि से बड़ा मोह होता है। मातृ भूमि जल्दी त्यागी नहीं जाती। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, केवल खेत पर काम करते हैं उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गयी है क्योंकि खेत में कोई काम ही नहीं रहा है। बड़ी विषम परिस्थिति हो गयी है।

ऐसी स्थिति में जहां से भी सहायता उपलब्ध हो, सरकार और माननीय सदस्यों को जिस तरह से भी हो बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिये। यही मुझे कहना है।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष पूर्वी जिलों में जो बाढ़ आयी हम लोग तो उसके लिये तैयार नहीं थे। बिल्कुल स्तब्ध हो गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामजी सहाय]

और ऐसा हो गया जैसे किसी घर का कमाने वाला यकबयक उठ जाय और फिर कोई बुद्धि काम न करे। गत वर्ष बाढ़ आयी इसके बाद बीच में रबी की फसल की बोआई ठीक से नहीं हुई। उसके बाद यह बाढ़ आ गयी। इस तरह से जो लोगों की क्रय शक्ति थी बिलकुल क्षीण हो गयी और ऐसी हालत में बाढ़ आयी जब बिलकुल फसल पक कर तैयार थी। वह कटने वाली ही थी कि उसी वक्त सारी की सारी फसल डूब गयी। अभी सरकारी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। उसमें चालीस हजार मकान और करीब तीन लाख आदमी बेघरबार हो गये। राप्ती और घाघरा नदियों का तो मालूम होता है कि इनकी बाढ़ अब भी रुकने वाली नहीं है। अब इस समय में केन्द्रीय सरकार का भी धर्म है कि वह जो योजनायें गंगा कमीशन के नाम से या दूसरी जो भी योजना बनावे उसके द्वारा जल्दी से जल्दी इसको वह हाथ में ले। अगर वह नहीं लेती है तो यह समस्या चलती जायगी और वहां की जनता आखीर रहेगी कहां।

आज तो हम सरकार के सामने कुछ रचनात्मक सुझाव ही देना चाहते हैं। बांधों का जिक्र किया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि बांधों के जरिये से गांवों के लोगों को सहायता दी जाय और इनर्साकिल किया जाय गांवों को तो उससे ज्यादा सहायता हो सकती है। इससे कुछ गांव जरूर बच जायंगे। बड़े बड़े बांधों से यह होता है कि कहीं एक जगह जब टूटता है तो सारे इलाके को पानी से भर देता है। तो इस तरह इनर्साकिल करने की योजना भी अच्छी है। इस तरह से नदी के पेटे में जो खेती होती है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए उससे जो कटाव होता रहता है, उसकी तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। मकानों की जो दुर्दशा है, उसके लिये क्या कहा जाय। यह तो प्रत्यक्ष है कि ईंटें और सीमेंट की बहुत अधिक मांग है और वह मिल नहीं रही है।

जानवरों की जो दुर्दशा है, मैं तो समझता हूं कि लोग उनको खिलायेंगे क्या, उनकी जो परिस्थिति है उसके लिये पिछले दफा भी सरकार से निवेदन किया था कि आप अगर गो-सदनों की व्यवस्था जल्दी नहीं करेंगे तो इनकी हालत बड़ी खराब हो जायगी ही तो बाढ़ तो अब ऐसा मालूम हो रहा है कि हर साल आयेगी ही तो उसके लिये तो अब क्या किया जाय। लेकिन जो ऐसी फसल है जो कि चैत और बैसाख के महीने में होती है उसके लिये इस समय वहां बड़ी अपार जलराशि है। तो उन फसलों को तैयार करने की योजना सरकार करे तो वह काम बड़े मजे से हो सकता है और एक अच्छी पैदावार हो सकती है।

सरकार की तरफ से नावों की व्यवस्था की गयी है। १७७ नावें देवरिया जिले के लिये गई हैं और १,७०० गांव हैं। जब इतनी भीषण हवा, अन्धड़ और पानी आया तो उसमें कितने गांव के गांव बरबाद हो गये। तो उस हालत में नावों के लिये यह योजना होनी चाहिये और सरकार ने किया भी है कि वहां सब्सिडी दे कर के उन्होंने गावों को स्वावलम्बी किया है नावों के मामले में। इस तरह से अगर हर गांव में योजना हो कि नावें दी जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने देखा कि एक एक फ्लड पाकेट में दस दस हजार रुपया से अधिक सरकार को देना पड़ा है। तो इस तरह से जो तीन चार साल में रुपया सरकार देगी उतने ही में नावों का सर्वदा के लिये प्रबन्ध हो सकता है। लोगों में एक परावलम्बन तो आ ही गया है। ग्रेच्यूट्स रिलीफ के बारे में मैंने बड़े बड़े आदमियों को देखा कि वह भी रिलीफ चाहते हैं क्योंकि सचमुच उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन यह जो मनोवृत्ति है, मैं नहीं जानता कि इस तरह से राज्य कितनी सहायता कर सकता है।

खादी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तो मदद कर रही है, उस कपड़े को खरीद कर वे जहां जहां उनके विभाग में कपड़े की आवश्यकता है, वह खादी खरीद रहे हैं। हमारी सरकार भी अपने विभागों में जहां आवश्यकता हो उसके लिये खादी खरीद कर के प्रोत्साहन दे सकती है। लेकिन रूई का हमारे पास बड़ा भारी प्राब्लम है। देव कपास या और कपास जो हैं उनकी

खेती को भी अगर हम प्रोत्साहन दें तो हमारी समस्या यह किसी हद तक हल हो सकती है। इस तरह से हम हाथ से काम करने वालों को कुछ सहायता पहुंचा पायेंगे।

टेस्ट वर्क हमारे यहां चल रहे हैं। कहीं कोई सड़क अगर बन रही है टेस्ट वर्क से, वह अगर बन कर तैयार हुई और पानी आ गया, उसमें सब मिट्टी बह गई, और उसके बाद वह सड़क टूट गई। इससे गवर्नमेंट का काफ़ी नुक्सान होता है। हमें एक जगह देख कर बड़ा खेद हुआ कि एक हमारे माननीय मंत्री जी वहां उपस्थित थे लेकिन वहां एक डिपार्टमेंट के हेड को आना चाहिये था, उस अवसर पर उनके आने की आवश्यकता थी, लेकिन वह नहीं आये, पी० डब्ल्यू डी० के थे। जो मतलब यह है कि स्थानीय जो बात होती है वहां समस्याओं का हल हो जाता है तो अच्छा होता है? इस तरह से अगर मिट्टी का कार्य हुआ और कंकड़ का कार्य नहीं हुआ तो वह बना बनाया कार्य खत्म हो जाता है। तो इस दृष्टि से बाढ़ लेविल पर अगर उसको हम नहीं लेंगे तो हर साल यह काम वैसे का वैसे ही होता रहेगा। हर साल यह बाढ़ आयेगी। मैं नहीं जानता कि अमेरिका या चाइना में उन्होंने किस तरह से उसका मुकाबिला किया।

हमने सुना था जलकुंडी की योजना है राप्ती में। पता नहीं वह कितनी सफल होगी। उसका प्रवाह बढ़ता ही जाता है और जनता बहुत परेशानी में है। हमारे भाइयों ने उसका यथार्थ वर्णन किया, कोई अयोक्ति नहीं की। मैं जानता हूं कि सरकार भी सहृदय है, जागरूक है। मैं तो उस वक्त की बात करता हूं जब हम गीता प्रेस से या मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी से काम करते थे तब से सरकार की सहायता काफी बढ़ी हुई है।

जहां तक बीज की समस्या है उसमें मेरा सुझाव यह है कि आप लोगों को गल्ला न दें। आप बड़ी बड़ी खत्तियों से देते हैं पता नहीं वह कितने सालों का होता है। उसमें कुछ निकलता ही नहीं। तो पैसे के रूप में अगर सहायता देंगे तो वह अच्छा गल्ला जहां उपलब्ध होगा उसे ले लेंगे और उन्हें सवाये पर जो सरकारी बीज गोदामों से गल्ला दिया जाता है जो कि खराब होता है उससे भी वह बच जायंगे। क्योंकि उससे अगली फसल नष्ट हो जाती है।

मैं साथ ही सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कई एक गांव में कटाव हो रहे हैं। वहां ठोकर या जो भी उसका नाम हो उसको बना कर या किसी भी तरह से उसको रोकने की आवश्यता है। बहुत से गांव, मैं एक गांव नगवा की मिसाल देता हूं जो देवरिया और गोरखपुर की सीमा पर है में, वहां कटाव से करोड़ों रुपये नष्ट हो जायंगे। इसलिए वहां ठोकर लगाकर या किसी तरह से तात्कालिक जो जरूरतें हैं उनपर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले साल भी स्थानीय अधिकारी ने आश्वासन दिया था लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हुई और कष्ट बढ़ता ही गया और जनता में असन्तोष और निराशा भी होने लगी। इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिया है ---आज हम तो सुझाव की ही स्थिति में हैं, सिर्फ सरकार को कोस कर के अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पायेंगे, कि जो आज एक नेशनल कैलेमिटी जिसको व्यापक हमारे मंत्री जी ने कहा कि यह तो बिहार के भू-डोल की व्यवस्था है, मुझे ख्याल है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २८ लाख रुपये सरकारी कोष से सहायता के लिये रखे और इसमें तो सरकार के करोड़ों रुपये व्यय हो रहे हैं। और बिहार का भूकम्प तो एक वर्ष के लिये था और यह बाढ़ प्रति वर्ष आती रहती है। इस बाढ़ से तो जनता त्रस्त थी ही अब लोग अगली बाढ़ के लिये सशंकित हैं। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसे रचनात्मक कार्य आरम्भ करे जिससे लोगों की विपत्तियां दूर हों और स्थानीय अधिकारी भी जगरूक हों यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि इस तरह से श्मशान में जा कर के तापना शुरू कर के अगर पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो तो सरकार की जो मान्यता है, जो इच्छा है वह परिपूर्ण नहीं होती है और सरकार की सद्भावनाओं का एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए मुझे अवसर दिया है। गाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां पर प्रतिवर्ष एक न एक दैवी आपत्ति आती ही रहती है। इस वर्ष जिले में १५ अगस्त को बाढ़ आई, उसके साथ ही साथ सूखा भी। गंगा की बाढ़ से सैदपुर का दक्षिणी छोर, गाजीपुर और मुहम्मदाबाद का दक्षिणी छोर और जमनिया का उत्तरी छोर पर पानी बढ़ा। ९ से १५ सितम्बर तक घनघोर वर्षा हुई है जिसके कारण १३ सितम्बर से लेकर २० सितम्बर तक हमारे जिले में छोटी नदियों में बाढ़ आ गई जिनसे बहुत से मकान और गांव बरबाद हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे यहां ६,००० मकान प्रभावित हैं और जो विवरण यहां बांटा गया है उसमें इन मकानों का मूल्य केवल ६० लाख रुपया लिखा हुआ है। जैसा कि माननीय शुक्ल जी ने कहा कि एक मकान कम से कम ५०० रुपये में बनेगा और ५०० रुपये उसकी कीमत आंकनी चाहिये। इस तरह से ६० हजार मकानों का मूल्य ३ करोड़ के होता है। हमारे जिले में २४८१ गांव क्षतिग्रस्त हुये हैं और ८.३ लाख व्यक्ति इससे हमारे जिले में प्रभावित हुये हैं। हमारे जिले की आबादी १२ लाख है जिसमें से दो तिहाई से ज्यादा आबादी प्रभावित हो चुकी है। इस समय बहुत से आदमियों को खुले आकाश में रहना पड़ रहा है और उनके रहने के लिये न छप्पर और न अन्य किसी चीज की व्यवस्था है।

जब बाढ़ आई तो हमारे यहां सूचना मंत्री जी पधारे और उन्होंने स्वयं बाढ़ का निरीक्षण किया और उन्होंने लोगों को जो आश्वासन दिया उससे लोगों को बड़ा ढाढ़स तथा सांत्वना मिली। २६ सितम्बर को श्री चतुर्भुज शर्मा ने सहसपुर में बेसो नदी में जो बाढ़ आई थी उसको देखा। उन्होंने बिजहरी, मजुई, नौपुरा मुताल्लिके खुटहीं आदि गांवों का निरीक्षण किया और ये गांव पूर्णतया ध्वस्त हो चुके हैं और वहां पर कई दिन तक लोग पेड़ पर रहे या रेलवे लाइन के किनारे आगये थे। इस बाढ़ का कारण यह है कि सड़कों के पुल बहुत संकरे हैं, उनको चौड़ा नहीं किया जाता है। रेलवे का पुल है वह इतना छोटा है कि पानी नहीं जा सकता है। रेलवे लाइन कट गई थी और करीब १२ दिन तक रेलवे तक का ट्रैफिक बंद रहा सैदपुर के उत्तरी क्षेत्र से कोई सड़क जिले को नहीं जाती है जिसके द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा सके इसलिये उस समय उपमंत्री जी से प्रार्थना की थी कि केन्द्रीय सरकार को लिखें कि यहां का रेलवे पुल चौड़ा किया जाय।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हिरावनपुर और मीनापार के पुलों को चौड़ा किया जाय। सैदपुर क्षेत्र चारों तरफ से जिले से कटा हुआ है और इसमें किसी तरह से आपत्ति के समय सहायता नहीं पहुंचाई जा सकती थी। इसमें कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार वगैरह किनारे के गांवों तक ही पहुंच सकते हैं। इस समय जो सरकारी अधिकारियों ने वहां पर मदद की है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। खासकर डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार साहब ने वहां पहुंचकर २० सितम्बर से २६ सितम्बर तक गल्ला बंटवाया।

एक चीज की अवश्य कमी रही कि इन गांवों में पहले से नाव नहीं थीं इससे अवश्य हानि हुई है। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे जिले को अकालग्रस्त जिला घोषित किया जाय और जो कार्य अकालग्रस्त क्षेत्रों में होते हैं वह किये जायं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो हरिजन बस्ती है, वह नीचे स्थान पर बसी थी, वह एक तरह से नष्ट हो चुकी है। उनकी दशा बड़ी दयनीय है और वे अपना मकान नहीं बनवा सकते हैं। ऐसी दशा में सरकार को उनको मुफ्त सहायता देनी चाहिये। मेरा अन्दाजा है कि एक साल में सब मकान नहीं बन सकते हैं। माननीय चरण सिंह जी ने ६ अक्तूबर की मीटिंग में कहा था कि २५ रुपये तक की मुफ्त सहायता दी जायगी। लेकिन बाद को सुनने में आया है कि वह २५ से बढ़कर ५० हो जायगी। लेकिन हमारे यहां किसी गरीब का भी मकान ५० रुपये में नहीं बना करता। वह पाटा नहीं जाता बल्कि उसमें टाइल्स जिसे कहते हैं वे लगाई जाती हैं। मैं समझता हूं कि एक

गरीब का भी मकान ५०० रुपये से कम की लागत में नहीं बनता है। हरिजन सहायक डिपार्टमेन्ट से जो बस्तियां बनायी जाती हैं उनमें भी प्रत्येक मकान को ढाई, तीन सौ रुपये दिये जात हैं, आधे बेसिस पर सरकार को चाहिये कि चार, पांच वर्षों की एक योजना बनाये, एक साल में न वह सब मकान बना सकती है और न उसके पास इतना फंड ही है, लेकिन कम से कम ढाई सौ रुपये प्रत्येक हरिजन को दिये जायं, चाहे कुछ ही बस्तियां बनायी जायं, जिससे वे अपना मकान बना सकें। इस वक्त तो आवश्यकता है कि टेम्पोरेरी शेड्स तैयार किये जायं जिससे धूप और वर्षा से वे अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन गांवों के सम्बन्ध में एक चीज कहना चाहता हूं कि वहां हरिजनों की बस्तियां निचाई में बनी हुई हैं। जमींदारों ने उनको वहां बसाया था। इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह जिलाधीशों का आदेश दें कि वे गांवों में कहीं भी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो ऊंची जमीन हो उसका एक्वायर करें और वहां हरिजनों को बसायें।

साथ ही जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है। सैदपुर में एक गांव तलीसा है, जो काफी ऊंचा किया गया था। वह टापू की तरह से खड़ा हुआ था। लोग सोचते थे कि वह बह गया होगा लेकिन नहीं, वहां के सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन दूसरे गांव जो थोड़े ऊंचे किये गये थे वे सब बह गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे कम ही गांव ऊंचे किये जायं लेकिन जो ऊंचे किये जायं वे काफी ऊंचे किये जायं। और यही नहीं बल्कि उनके चारों तरफ एक ईंट की दीवार बनायी जाय और पानी के निकास का भी प्रबंन्ध किया जाय।

इसी तरह से निर्धन छात्रों की फीस के सम्बन्ध में, जिनका विवरण पत्रिका में दिया हुआ है, लिखा है कि चार महीने की फीस उनकी माफ होगी। मेरा कहना है कि उनकी रबी की फसल फरवरी या मार्च में तैयार होगी, लेकिन इस बीच में वे निर्धन छात्र कहां से फीस देंगे। इसलिये सरकार को पूरे एकेडेमिक ईयर की फीस माफ कर देनी चाहिये क्योंकि वे इस स्थिति में नहीं हो पायेंगे कि फीस दे सकें। और यह फीस यूनिवर्सिटी स्टेज तक के विद्यार्थियों की माफ की जाय। मैं केवल उन निर्धन छात्रों की बात कहता हूं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हैं।

इसके अलावा बाढ़ग्रस्त गांवों को पक्की सड़कों से संबंधित कर दिया जाय। जैसा कि मैंने पहले कहा, सैदपुर के पश्चिमी छोर पर गाजीपुर से बहरियाबाद की सड़क पर काम शुरू किया जाय और इसके अलावा दूसरी सड़कों को पक्की किया जाय जिससे उन क्षेत्रों के लोगों को जिनकी हालत खराब है काम मिले और सरकार की दुकानों से सस्ता गल्ला खरीद कर के अपना जीवन कायम रख सकें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत और दलगत तूतू मैं मैं को अच्छा नहीं समझता। साथ ही आत्म प्रशंसा और पर निन्दा, दोनों को अवांछनीय समझता हूं। लेकिन आगरा की विरोधी पार्टियों की अनुपस्थिति में उनके कार्यकर्ताओं पर जो निराधार आरोप लगाया गया है उसका निराकरण करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मैं यह कह देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि प्रजा समाजवादी पार्टी के स्वामी विशेश्वरानन्द, सोशलिस्ट पार्टी के ठाकुर हुकुम सिंह, जनसंघ के श्री बालकृष्ण, कम्यूनिस्ट पार्टी के गुरदयाल सिंह और स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के शिवराम फौजदार और श्री शिवप्रसाद अग्रवाल ने सराहनीय कार्य बाढ़पीड़ितों के सम्बन्ध में किया है। ऐसी हालत में यह कहना कि उन्होंने कोई काम नहीं किया अनुचित है। बल्कि सही बात तो यह है कि इसी कारण वहां के अधिकारियों ने इन सब कार्यकर्ताओं को बाढ़ पीड़ित कमेटी का सदस्य बनाया है।

इसके बाद मैं यह भी उचित समझता हूं कि सरकार ने इस विवरणपत्र में अपनी जिन अल्पकालीन, दीर्घकालीन और आकस्मिक योजनाओं का विवरण दिया है उसके लिये मुझे खुशी है और मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सरकार को बधाई और धन्यवाद दूं। यह मानना

[श्री कृष्णदत्त पालीवाल]

हो चाहिये कि विरोधी होते हुये भी हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि सरकार के जितने अच्छे कार्य भी हों उनका भी विरोध ही करें। यह मानना ही चाहिये कि पहली सरकार के मुकाबिले में इस समय सरकार कम से कम बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये, बाढ़ के नियंत्रण के लिये अपने कर्त्तव्य का पालन कर रही है लेकिन इतना मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने आंकड़ों को ब्रह्मवाक्य न समझें। आज भी इस सदन के कई कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी सरकार के जो अब तक के आंकड़े हैं उनके बारे में यह कहा है कि वे सही नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं भी जानते ही होंगे और सरकार भी जानती है कि आंकड़ों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार में और प्रादेशिक सरकार में मतभेद उत्पन्न हुये। दोनों के आंकड़े एक दूसरे से भिन्न होते हैं और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में तो हम यह भी जानते हैं कि कई बार संसद में यह दृश्य देखने में आया है कि केन्द्रीय सरकार के एक मिनिस्टर अलग आंकड़े देते हैं और इसी सरकार के दूसरे मिनिस्टर उसी सदन में दूसरे आंकड़े देते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अपने सब आंकड़ों को ब्रह्म वाक्य न समझ लीजिये। मैं यह नहीं कहता कि जो आंकड़े सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय राजनारायण जी ने या विरोधी दल के नेता माननीय गेंदा सिंह जी ने दिये हैं वह सही है लेकिन साथ में यह भी मानना होगा कि सरकारी अधिकारियों के जो आंकड़े हैं वह भी ब्रह्म वाक्य नहीं हैं। उसमें भी गलती की काफी गुंजायश है बल्कि सही बात तो यह है कि सरकारी अधिकारियों का रवैया आमतौर पर यह होता था और अभी तक बिलकुल नहीं मिटा है कि हानि को कम बताया जाय और सहायता की मांग को कम किया जाय। इसलिये इस बात की सम्भावना काफी रहती है कि जो आंकड़े दिये जा रहे हैं कि वह सही नहीं हैं उनको कम माना जाय।

इसके साथ-साथ, दो बातें मैं सरकार से और कहना चाहता हूं। एक तो सहायता के सम्बन्ध में है। अल्पकालीन और आकस्मिक सहायता जो दी गई है उसके लिये बधाई मैं दे चुका हूं लेकिन इस बात को सरकार भी स्वीकार करेगी और सरकारी दल के वक्ताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आवश्यकता को देखते हुये जो सहायता दी गई है वह बहुत कम है, इनऐडीक्वेट और अपर्याप्त है और इसके साथ ही साथ यह भी सही है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों योजनाओं में जितना रुपया रखा जाता है वह रुपया उसका सोलहो आने जनता के लिये होता है लेकिन उनके पास नहीं पहुंच पाता। उसमें अव्यवस्था रहती है और और भी गड़बड़ियां होती हैं और उससे उतना लाभ नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिये था। जो हुआ वह ठीक है लेकिन मैं यह अवश्य कहता हूं कि स्वयं संतुष्टि से काम नहीं लेना चाहिये और यह देखना चाहिये कि वह जितनी सहायता दे रही है, जितना रुपया काम में लगा रही है उसमें सोलह आने में से बारह आने तो जिस उद्देश्य के लिये वह है उसी उद्देश्य में लगे। ऐसा न हो कि बारह आने के बजाय चार आने तो उस काम में लगे और बाकी बचे बारह आने में से आठ आने गबन में चले जायं, चार आने अव्यवस्था में चले जायं। सरकार का कर्त्तव्य होता है कि इस बात का ध्यान पूर्णरूप से रखे। सरकार ने अपने विवरण के दूसरे पृष्ठ पर जनता पर यह दोष लगाया है कि जो बाढ़ें आती हैं उनमें जनता का भी काफी दोष है। उसमें लिखा है कि 'इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कृषि करने की उचित रीति की नितान्त अवहेलना करने से ही बाढ़ों की उग्रता बढ़ती है"। यानी सारी बात उससे ही है। शब्द ही का प्रयोग उसमें किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित नहीं है। मैं इस प्रवृत्ति की, जो दोनों ओर है निन्दा करता हूं कि सरकार सारा दोष जनता पर मढ़े और जनता के प्रतिनिधि सारा दोष सरकार पर मढ़ें। यह अनुचित है और कम से कम सरकार को यह शोभा नहीं देता कि वह दोष जनता पर मढ़े, जनता के प्रतिनिधियों पर सारा दोष रख दे। यह मुझको उचित नहीं मालूम होता। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार इस बात का खयाल रखेगी। यह बात सही है कि सरकार और जनता दोनों का ही एक दूसरे पर असर पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन इसके साथ ही यथा प्रजा तथा राजा भी होता है। तो इसलिये

सरकार की ओर से जनता पर दोष लगाना अधिक उचित नहीं है। जनता को सरकार पर दोष लगाने का अधिकार है दो कारणों से। एक तो इसलिए कि सरकार के माने यह है कि उसको यह व्यवस्था का कार्य सौंपा गया है कि वह जनता की जो खराबियां हैं, जो उसकी कमियां हैं उनको दूर करे, वह जनता की नैतिक उन्नति करे, सांस्कृतिक उन्नति भी करे। लेकिन उसको करने के बजाय वह जनता को दोष दे और जिम्मेदारी जनता पर डाल दे, इसके माने यह हैं कि वह अपना दोष जनता पर मढ़ती है और अपने कर्त्तव्य का उतना ध्यान नहीं रखती जितना कि उसे करना चाहिये।

मुझे खुशी है कि पिछली मर्तबा जो मैंने कहा था कि पानी निकलने का इंतजाम होना चाहिये, वाटरलागिंग से भी हानि होती है तो उसका अल्पकालीन व्यवस्था में और दीर्घ-कालीन व्यवस्था में दोनों में, ध्यान रखा गया है।

पृष्ठ ८ में सहायता के लिये खाद्यान्न, चारे और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का जो विवरण है वह भी मैं समझता हूं कि जितने की आवश्यकता है सभी का सब, उससे बहुत कम है। जैसा कि उन जिलों के सरकारी दल के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि उनके यहां मोटे अनाज की दुकानें खुलने की आवश्यकता है और चारे वगैरह की सहायता की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रख कर के और सभी दलों के सदस्यों ने सर्व-सम्मत होकर जो मांग की है कि इस सहायता को बढ़ाया जाय, उसको बढ़ाने की कृपा करेगी।

इसी तरह से सरकारी मालगुजारी, नहर-कर और तकावी इत्यादि का स्थगित किया जाना और स्कूलों के शुल्क में रियायत और इमारती सामान के बारे में भी जैसा कि बराबर और खास तौर से हमारे हरिजन प्रतिनिधि जो हैं, उनकी तरफ से जो कहा गया है, मैं आशा करता हूं कि उसको भी ध्यान में रखा जायगा और इन सब सहायताओं को बढ़ाया जायगा।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले में अगर विरोधी दल की बात न भी माने तो अपने पक्ष के लोगों की बात को मानेगी और कम से कम उन सदस्यों की ओर से सहायता की अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में जो बातें कही गई हैं उनके अनुसार सहायता को बढ़ायेगी और अव्यवस्था को दूर करेगी।

श्री गणेशप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, यूं तो सरकार ने काफी सहायता पिछली सरकारों के बनिस्बत हमारे गोरखपुर जिले या पूरे सूबे भर में दी है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो सहायता दी गई है वह सहायता दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। १,५०० गांव हमारे गोरखपुर जिले में डूबे हैं, उनमें जो सहायता पहुंचाई गई है वह सहायता इसी रूप में है कि एक दिन मैजिस्ट्रेट साहब सहायता दलों को बना कर भेजें तो उनके साथ दो दो मन आटा,; १०, १० मन चना; १०, १० सेर दाल; और ३,३ मन नमक गांवों में बांटने को दिया और वे कुछ दियासलाई, नमक और गल्ला बांट कर लौट आये। लेकिन जहां कई हजार घर डूब गये हों और जहां पर हजारों लोग बिना खाने पीने के मर रहे हों वहां यह सहायता केवल नाममात्र की होती है। यह काफी सहायता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार देना भी चाहे और सारा खजाना भी खाली कर दे तो भी जो क्षति या जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करना असम्भव है। मैं अपने कुछ सुझाव सरकार की सेवा में देना चाहता हूं और इन सुझावों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिये।

सस्ते गल्ले की दूकानें हर जगह खोली जायं और वहां से सब लोगों को खरीदने का अधिकार हो। काफी गल्ला उन दुकानों पर रखा जाय।

उन गांवों के सारे लड़कों की फीस माफ कर दी जाय। केवल दिसम्बर तक ही नहीं बल्कि मार्च तक उनकी फीस माफ की जाय।

उन गांवों में जो टेस्टवर्क या और तरीके का काम है या बांध बंधाने का काम है वहां पर उसको जारी किया जाय।

[श्री गणेश प्रसाद पांडेय]

वहां पर अगले साल के लिये ५ नाव कम से कम १५ गांवों के लिये दी जायं जो समय समय पर उन लोगों को बचाने और बाजार आने-जाने और चीजें खरीदने में सहूलियत पहुंचा सकें।

टेस्ट वर्क में जो मजदूरी दी जाती है वह नाममात्र के लिये दी जाती है। ६ या ७ आना रोज उनको पड़ता है। एक परिवार में अगर एक आदमी मजदूरी करता है तो सब के खाने का एक दिन का काम कैसे चल सकता है। कम से कम उनका एक वक्त तो खाने का प्रबन्ध होना चाहिये। इस ६ आने से उनका खर्चा नहीं चल सकता है। इसलिये उनको पूरी मजदूरी दी जाय जिससे वह अपनी मजदूरी के अन्दर अपने परिवार के लिये अन्न खरीद कर खाने का प्रबंध कर सकें।

वहां पर कछार के हिस्से में मालगुजारी माफ की गयी है लेकिन इस साल बांगर के हिस्से में कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिये बांगर पर भी मालगुजारी माफ की जाय। अर्थात् दोनों जगह कछार और बांगर में मालगुजारी माफ होनी चाहिये इसी तरह से दुकानें सस्ते गल्ले की दोनों जगह खुलनी चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

मेरा एक और निवेदन है कि कछार और बांगर में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर तालाब और नदियों की बाढ़ से खेत डूब गये हैं। उनकी मालगुजारी भी माफ होनी चाहिये। कुछ ऐसे गांव हैं जो बाढ़पीड़ित गांव नहीं गिने जाते हैं लेकिन एक हजार बीघा खेत वहां पर डूब जाते हैं जिसमें किसी के पास अगर १० एकड़ है और वह सब डूब जाते हैं तो उनकी मालगुजारी माफ होनी चाहिये। वैसे नियमानुसार उनसे मालगुजारी ली जाती है लेकिन यह छूट की सहूलियत उनको भी देनी चाहिये और जितने बीघा खेत वहां पर डूबे हैं उतने ही बीघा की मालगुजारी अवश्य माफ की जाय। यह नई बात है, जो कानून के विरुद्ध पड़ती है, लेकिन इसमें संशोधन किया जाय। गतवर्ष जब माननीय मुख्य मंत्री गोरखपुर गये थे तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि इस तरह से किया जाय लेकिन उन्होंने बतलाया था कि इस प्रकार की कानूनी अड़चन है। मैं निवेदन करता हूं कि जब कानून इस हाउस के हाथ में है तो उसका सुधार क्यों न किया जाय? और इस कठिनाई को दूर किया जाय।

पशुओं के चारे के लिये वहां पर ज्यादा कमी है। भूसा मिलता नहीं है। पीपल के पत्ते तोड़ना हिन्दू धर्म में निषिद्ध समझा जाता है फिर भी चारे के अभाव में इसे भी खिलाया जा रहा है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि वहां पर चारे का प्रबंध सरकार करे।

चरखा गरीबों को मुफ्त दिया जाय। चरखे की बदौलत बहुत से परिवार अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में आज हजारों चरखे की रोजाना मांग आ रही है लेकिन चरखा नहीं मिलता है। इसलिये सरकार का ध्यान इधर मैं दिलाना चाहता हूं कि अधिक से अधिक चरखे मंगवाकर गरीबों को मुफ्त दिये जायं और कुछ सस्ते दामों पर भी दिये जायं।

करघे भी दिये जायं जिससे लोग गांवों में बुनाई करके जी सकें। अनेक जुलाहे करघे चला कर सूत खरीद कर अपना जीवन चला रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि करघे जुलाहों को दिये जायं और उनके सीखने का भी इंतजाम हो।

सूत की कीमत जो गांधी आश्रम से मिलती है, जितने का सूत होता है उसमें से आधा वह जमा कर लेते हैं, इससे बाढ़-पीड़ितों को भी वास्तविक सहायता नहीं पहुंच पाती है। मेरा सुझाव है कि रुपये में २ आना जमा कराया जाय और बाकी उन्हें दे दिया जाय ताकि वे अपने बच्चों का पेट भर सकें।

हमारे यहां आमी और कुआनों दो ऐसी नदियां हैं जिनकी हर आफिसर उपेक्षा करता है यद्यपि उनमें २ महीने तक बाढ़ रहती है। घाघरा और राप्ती भरी होती हैं तो उनमें इनका

पानी नहीं जा सकता है, जिससे सारी फसल बरबाद हो जाती है। न वहां कोई गांव अब तक ऊंचे किये गये हैं न कोई बांध बांधा गया है जिससे गांव के मजदूर बिलकुल निराहार रहते हैं। वहां भी गांव ऊंचे होने की व्यवस्था होनी चाहिये। कुआनो नदी के पास २ ऐसे गांव हैं, कुरहरी और मोरगंज जो कटने वाले हैं और सरकार ने कोई सहायता उन्हें ऊंचा करने के लिये या वहां के लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिये नहीं दी है।

मैं चाहता हूं कि बीज और बैल की तकावी भी दी जाय। बीज के लिये ५ रुपये के लिये बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। यह बहुत कम है और इसमें से भी तहसील पर लेने जाने में ८ आने खर्च में देने पड़ते हैं। हिसाब लगाकर अगर मनीआर्डर से भेज दें तो ज्यादा अच्छा है।

*श्री राजामोहनसिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीसरी बार है कि हम लोग इस सदन में बाढ़ की स्थिति पर विवाद कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे प्रान्त में इस बार की बाढ़ से एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है लेकिन मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि हम अपना समय आंकड़ों में बरबाद करें, हमें इस समस्या पर विचार करना है। जहां तक बाढ़ के कारणों का सम्बन्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि इस साल अत्यन्त वर्षा के कारण बाढ़ आई है। बाढ़ को रोकने के लिये सरकार की तरफ से बहुत प्रशंसनीय कार्य हुये हैं। बहुत लोगों ने यह राय जाहिर की है कि शायद बाढ़ रोकने के लिये जो बांध बनाये गये हैं उनके कारण भी स्थिति में बहुत से कम्पलीकेशंस पैदा हो गये हैं। मैं इस राय का नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जो योजनायें हमारी चल रही हैं वे बहुत ही सफल और लाभदायक सिद्ध हुई हैं। इन योजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना चाहिये।

आज जो सबसे बड़ी समस्या बाढ़ के सम्बन्ध में हमारे सामने है वह है कि बाढ़-पीड़ितों को किस प्रकार से रिलीफ दिया जाय। कैसे हम उनको बाढ़ से रक्षा कर सकते हैं, यह हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना है ताकि यह कष्ट जनता को बारबार न हो। जो सहायता हमें दी जाती है वह किस प्रकार की है और कितनी है? इसमें संदेह नहीं कि सरकार ने हर तरह से सहायता करने का प्रत्यन किया है। लेकिन फिर भी जितने बड़े पैमाने पर हमारी क्षति हुई है उसको देखते हुए, यह सहायता पर्याप्त नहीं कही जा सकती। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो देहात में काम करने वाले हैं, जिन्होंने बाढ़ के समय में काम किया है, उनको यह बात स्पष्ट हो गयी है कि जो सहायता देने का तरीका है, वह सही नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने गत ३० सालों से बाढ़ में काम किया है मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितना रुपया सरकार की ओर से खर्च किया जाता है उसमें बहुत ज्यादा काम हो सकता है। सन् ३४ में बहुत कम रुपये में काफी ज्यादा काम हुआ था। इसका एक कारण यह है कि जो सरकारी सहायता है वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी जाती है। उनके द्वारा गरीब जनता की झोपड़ियों तक वह नहीं पहुंच पाती है और उसमें दिक्कत होती है।

दूसरी बात यह है कि हम में जो मोरल करेज थी वह गिर गयी है। हमारी आपत्तियों के सामना करने की ताकत कम हो गयी है। बाढ़ के बारे में जैसे ही हमें अखबारों से मालूम हुआ कि सरकार की तरफ देखने लगे। जिस फ्लड कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है अगर हम उसे देखें तो उसमें यह भी दिया हुआ है कि हमको अपने लोगों में इस भावना को भी पैदा करना है कि किस प्रकार से ऐसी आपत्ति के समय मुकाबिला किया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

आज जो परिस्थिति पैदा हो गयी है वह बड़ी भयावह है। आज केवल बाढ़ ही नहीं बाढ़, अतिवर्षा और सूखा से जनता परेशान है। यदि हम देहातों में जायं तो जो वर्णन यहां किया गया है उससे कहीं अधिक भयानक स्थिति हमको वहां देखने को मिलेगी। आज हमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामानन्द सिंह]

इसमें अपना समय बरबाद नहीं करना चाहिये कि १ मरा या एक हजार मरे। यह सदन के सभी सदस्यों को स्पष्ट है कि आज जो क्षति हुई है वह बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। मैं उस अपील में अपने को शामिल करना चाहता हूं जिसके द्वारा यह कहा गया है कि आज जो परिस्थिति हमारे यहां पैदा हो गयी है उसमें केवल सरकार को ही सब कुछ नहीं करना चाहिये बल्कि जनता को भी उसमें सहयोग देना चाहिये और जो राष्ट्रीय फंड है उससे भी इसमें रुपया मिलना चाहिये।

मैंने देखा है कि पिछले वर्ष में जो रास्ता अपनाया गया है वह अच्छा है। जहां तक लोगों को मुफ्त में कपड़ा और अन्न देने का तरीका है वह सरकारी कर्मचारियों के बजाय अगर असरकारी तरीके से हो जाय तो अधिक अच्छा होगा और अधिक उपयोगी होगा। सबसे बड़ी दिक्कत मकानों और खाने की है। जो रसद के लिये जगह-जगह दूकानें खोली हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। कहीं-कहीं तो ऐसी हालत है कि जितनी दूकानें खुली हुई हैं उनसे ४-५ गुना अधिक दुकानों की आवश्यकता है, तभी लोगों को ठीक प्रकार से अन्न मिल सकता है।

लोगों की खरीफ की फसल तो बिलकुल मारी गयी है। जो कुछ हो भी पायी थी वह आखिरी बरसात ने चौपट कर दी है। अब अक्तूबर में जो वर्षा हो रही है उससे रबी की बुआई में भी देर हो रही है। इससे किसान आज बहुत त्रस्त है। वह भविष्य के बारे में यह सोचकर कि अगर रबी की फसल भी काफी नहीं हुई तो क्या होगा, बहुत ही त्रस्त है। इसलिये सरकार के सामने मैं यह रखना चाहता हूं कि यही नहीं कि केवल आज ही का प्रबंध करना है बल्कि आगे आने वाले ५,६ महीने का प्रबंध करना है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आज और तरह से न देखा जाय। इसके साथ ही साथ देहातों में देखने में आया है कि वहां के लोग बावल और गेहूं के अलावा जो बहुत से गरीब हैं वे मोटे अनाज ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिये उनके लिये दूकानों में अधिक तादाद में मोटे अनाज ही रखने पड़ेंगे और उनको वहां भेजना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारे कुछ मित्रों ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया है कि बाढ़ के बाद महामारी, मलेरिया आदि भी फैलने का बहुत डर रहता है और मैं समझता हूं कि वह शुरू भी हो गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अभी से इसकी तैयारी होनी चाहिये। क्योंकि अगर समय रहते काम नहीं हुआ तो बाद में बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक और बड़ी समस्या के सम्बध में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने अपने जिले में देखा है और दूसरे जिलों में भी यह समस्या होगी कि यदि मनुष्य के लिये खाद्य की समस्या है तो मवेशियों के लिये चारे के प्रबंध की भी बहुत कमी है। बहुत दिनों तक पानी बरसने के कारण और बाढ़ के कारण घास एकदम खतम हो चुकी है। बहुत गरीब लोग जिनके पास भूसा नहीं होता, जो खुद घास ला ला कर अपने मवेशियों को खिलाते हैं या चराई के जरिये अपना काम चलाते हैं, आज देहातों के अंदर देखा जाय तो चराई के लिये कोई घास ही नहीं कहीं बची है जहां कि वे अपने मवेशियों को चरा सकें। इसलिये यह मवेशियों के लिये चारे की बहुत बड़ी समस्या है। मैं अदब के साथ सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है और खासकर हमारे पूर्वी जिलों में जहां कुछ बचा ही नहीं है जिसको वे अपने मवेशियों को खिला सकें, केवल भूसे का प्रबंध करने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि पिछले समय में जब कि तराई से या जंगलों से घास मंगायी जाती थी उसी तरह से वहां से घास मंगायी जाय तो मैं समझता हूं कि काम चल सकता है। इसके सिवा बिहार और तराई से भी धान का पुआल वगैरह मंगाने का प्रबंध हो तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का बहुत कुछ हल हो सकता है।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और माननीय नेता विरोधी दल के सिवा हमारी पार्टी का भी कोई सदस्य नहीं बोला है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं की सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

एक सदस्य---मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जायगा ।

*श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों के जो समाचार इस प्रदेश की जनता ने बाढ़ के सम्बन्ध में पढ़ा है अथवा अति वृष्टि के सम्बन्ध में पढ़ा है, वह सचमुच बहुत ही रोमांचकारी है और श्रीमन्, कल कुछ लोगों ने जो दो माननीय मंत्री के वक्तव्य समाचार पत्रों में पढ़े उससे हमारे इस संदेह की और अधिक पुष्टि हुई कि सचमुच इस प्रदेश के कई भागों में विनाशकारी और प्रलयकारी स्थिति पैदा हो गयी है । आज जो कुछ ब्योरा हमें इस पुस्तिका में देखने को मिला है उनसे श्रीमन् और भी अधिक स्पष्ट इस प्रदेश की स्थिति हो गयी । श्रीमन्, यह दैवी प्रकोप है, भगवान् का प्रकोप है, इसे हम प्रकृति का प्रकोप कह सकते हैं । लेकिन विज्ञान के हाथ इतने लम्बे चौड़े हो गये हैं और विज्ञान की शक्ति इतनी अपरिमित हो गयी है कि उसने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही इस प्रदेश में विज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने साधनों के द्वारा और अपने परिश्रम के द्वारा हम इस प्रकृति के प्रकोप पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे ।

श्रीमन्, यह एक दिन का प्रश्न नहीं है, यह एक महीने और एक वर्ष का प्रश्न नहीं है । दूसरे देशों में भी जहां इस प्रकार के दैवी प्रकोप आये हैं, उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम के द्वारा और बहुत अधिक साधनों के द्वारा इस भगवान के प्रकोप पर भी विजय पायी । यदि चीन के इतिहास को देखा जाय, पिछले वर्ष मैंने पढ़ा है, कि चीन में भी बाढ़ की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है । वहां के वैज्ञानिक भी यह सोचेंगे और इस प्रकार के साधन निकालेंगे कि इस बाढ़ की समस्या का किस प्रकार हल किया जाय । मैं समझता हूं कि जब तक हम पूर्ण रूप से इस समस्या का समाधान नहीं करते उस समय तक निरंतर, हर वर्ष यह प्रकोप हमारे सामने आ सकता है और सरकार भी निरंतर साल ब साल, वर्ष और प्रति वर्ष इस बात की कोशिश करेगी जिस तरह से वह करती आ रही है कि शार्ट रेन्ज तरीके पर इस समस्या का हल हो ।

इन बाढ़ग्रस्त लोगों के प्रति जो आज विपत्ति में हैं हमारी हार्दिक सहानुभूति है लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कि जब पूर्व में बाढ़ आई है तो उससे पश्चिम भी अछूता नहीं रहा है । उस क्षेत्र में जहां से कि मैं आता हूं और जहां का मैं रहने वाला हूं वहां भी दैवी प्रकोप हुआ है, बुन्देलखंड का क्षेत्र जहां से आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जहां का मैं नागरिक हूं और बाशिन्दा हूं वहां पहले से ही बहुत से दैवी प्रकोप रहते हैं जैसे गरीबी का, अज्ञान का, अशिक्षा का, अभाव का । वहां ऐसा मालूम होता है कि यह बाढ़ भी छूत की बीमारी की तरह है जो वहां पहुंच गयी है । पिछले वर्षों में हमने बुन्देलखंड में इस बाढ़ को कभी देखा भी नहीं था लेकिन आज से २ वर्ष पूर्व बुन्देलखंड के कई हिस्सों में बाढ़ आई और झांसी के जिले में भी बाढ़ आई और इस साल हमीरपुर जिले में भयंकर बाढ़ आयी जिससे बहुत हानि हुई है । झांसी में इतनी अधिक वर्षा हुई कि झांसी सब डिवीजन में ९०-९५ प्रतिशत फसलें नष्ट हो गईं और मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां के जिलाधीश ने सिफारिश की है कि लगान में वहां छूट दी जाय और ८०-८५ फीसदी तक तकावी मिलना चाहिये और दूसरी सुविधाओं के लिये भी प्रान्तीय सरकार को लिखा है लेकिन जितनी भी सहायता और सुविधा अब तक प्राप्त हुई है वह अपर्याप्त है । अभी तक केवल हजार १२ सौ मन बीज वहां बांटा गया है जो बिलकुल नाकाफी है, जहां फसल बिलकुल बरबाद हो गई है, जहां पर खाने को नहीं है, बीज के लिये नहीं है वहां पर हजार बारह सौ मन में क्या होगा ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब फसल की बोवनी का समय आ गया है और अब दस बारह दिन के भीतर रबी बोई जायगी लेकिन हमारे यहां के केन्द्रीय भंडार तक में बीज नहीं है, वहां के जिलाधीश का कहना है कि वहां बीज नहीं है । यदि वहां दस बारह दिन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

बीज नहीं पहुंचा तो वहां एक भयंकर स्थिति पैदा हो जायगी, उसके माने यह होंगे कि वहां अगली फसल भी न बोई जा सकेगी और निर्धनता और गरीबी तो रहेगी ही और इसके अलावा वहां बहुत से समाजविरोधी तत्व जागृत हो जायंगे और समाजविरोधी कार्य प्रारम्भ हो जायंगे, इसलिये वहां बीज फौरन् भेजा जाय और एक दम भेजा जाय जिससे वहां फसल समय से बोई जा सके।

दूसरे मैं यह भी कहूंगा कि वहां जो बैलों के लिये तकावी दी गई है वह ५० रुपया दिया गया है। मैं समझता हूं कि बैलों के लिये इतनी तकावी देने से तो यह बेहतर है कि वह बिलकुल न दी जाय क्योंकि कोई भी बैल की जोड़ी ५० रुपये में नहीं आ सकती, वह तो २००, ३०० या ४०० रुपये में ही आ सकती है। यदि आप विश्वास करते हैं कि उसका सब कुछ बरबाद हो गया है और उस को धन और सहायता की आवश्यकता है और उसको बैलों के लिये सहायता मिलनी चाहिये तो किसी हिचक के साथ, भय के साथ या संशय के साथ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। वह यह ५० रुपया भी खा जायगा, कर्जदार बन जायगा और अगर सरकारी रुपया न अदा कर सका तो उसका घर भी नीलाम होगा और जमीन पहुंचेगा और वह सब कुछ होगा जो नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उसको बैलों के लिये अधिक तकावी दी जाय। इसी तरह से वहां काफी बरबादी हुई है और वहां पर बहुत से ऐसे घर हैं जो बरबाद हुये हैं।

श्री चरणसिंह---कितनी बरबादी हुई है आप के यहां ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---झांसी सब-डिवीजन में करीब १,००० के घर बरबाद हुये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक हजार रुपया तकावी गया। १ हजार रुपया तकावी नाकाफी है। यदि आप यह भी मान लें कि १०० घर को क्षति पहुंची है तो भी १० रुपया फी घर आप देंगे। इससे ज्यादा नहीं दे सकते और मकानों के लिए यदि १० रुपया फी घर देते हैं तो उससे क्षति की पूर्ति के लिये तकावी के रूप में मैं समझता हूं कि यह कोई गम्भीर प्रपोजल नहीं है। यह मजाक की चीज तो हो लेकिन गंभीर सुझाव नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप मकान के लिये भी देना चाहते हैं तो १ हजार रुपये से उसका कुछ बनेगा नहीं।

इसके बाद श्रीमन्, जो दूसरी बात है वह यह है कि वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें खुलनी चाहिये। मैंने वहां पर अधिकारियों से कहा और उन्होंने टाउन्स में दूकानें खोलीं--झांसी और ललितपुर में। जितने महत्वपूर्ण टाउन्स हैं वहां पर दूकानें खुलनी चाहिये जहां अतिवृष्टि हुई है। खास-खास गांवों में भी सस्ते गल्ले की दूकानें खुलना चाहिये। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने कई सप्ताह पूर्व इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है लेकिन मैं नहीं जानता कि कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से खास खास गांवों में जहां अतिवृष्टि हुई है वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें अब तक नहीं खुली हैं। मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से कि यथाशीघ्र वह सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की कृपा करें।

अन्तिम बात जो मैं राजस्व मंत्री जी की सेवा में कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं समझता हूं कि स्थिति ऐसी है कि उस क्षेत्र में टेस्ट वर्क हमको खोलना चाहिये। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि अधिकारियों ने टेस्ट वर्क्स के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय सरकार को लिखा है यदि आप भी यह महसूस करते हैं वह स्थिति आ गई है और मैं तो महसूस करता ही हूं तो कुछ एरियाज में निश्चित ही टेस्ट वर्क्स खोल दिये जाने चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष की बाढ़ ने मैं समझता हूं कि इतिहास कायम किया है इस प्रदेश का। इस प्रदेश में अब तक की यह सबसे बड़ी बाढ़ कही जा सकती है। हरसाल श्रीमन्, बाढ़ में फसल की बरबादी होती रहती है लेकिन

इस साल की बाढ़ ने बड़ी ही क्षति पहुंचाई है। सरकारी जो आंकड़ा है उसे तो मैं नहीं मान सकता। उस आंकड़े से कई गुना ऐसे घर हैं जहां पर कि २४ घंटे लोग आकाश के नीचे, पेड़ों के तेल अपना समय बिता रहे हैं और जो सरकारी आंकड़ा है, श्रीमन्, वह तो सन्देह से परे है।

श्रीमन्, दो जिलों की जानकारी मुझको है। उसके अनुसार मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में केवल दो मनुष्यों के मरने की बात इस रिपोर्ट में कही गयी है। लेकिन मुझे जानकारी है—मेरे पास गांव के नाम हैं कुठिया, कन्नौर, भेसई के पुल के पास, बरवहां, अठानारू और अजान शहीद— इनमें कुठिया गांव में एक लड़का मरा पाया गया, कन्नौर में एक आदमी मरा हुआ पाया गया, भेसई नदी के पुल के पास एक औरत अपने बच्चों को अपनी छाती पर रख कर एक हाथ में मुर्गी लेकर मरी हुई पाई गई और अजान शहीद और बरवहा गांव में एक आदमी पटुवा को पकड़ने गया वह मर गया।

बलिया जिले की बात इस तरह से मैं कहना चाहता हूं इस रिपोर्ट में केवल एक आदमी के मरने की ख़बर है जो बिलकुल गलत है। हमारे पास गांवों के नाम हैं। नगवा गांव में फिरंगीसिंह की माता मर गयीं। वृन्दावन गांव में एक मुसम्मात डरिहया, सिकरिया गांव में एक मर गया, ठइचा में महादेव, चिरकटहा में रामदेनी और रसूलपुर (इंटौरा) में एक मुसलमान मर गया। यह ६, ६ मृत्युएं हुई हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इन गांवों को नोट करे और नोट करके जानकारी हासिल करे कि गैरसरकारी रिपोर्ट सही है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सही है।

आजमगढ़ जिले के केवल छः पशुओं के मरने की बात इस रिपोर्ट में है। लेकिन एक ही गांव में जो पिपरीडीह के पास है, ३९ पशु मरे हैं। श्रीमन्, कल जो बजट पेश हुआ उसको देखने से मालूम होता है कि केवल सात करोड़ रुपये की फसल की बरबादी हुई है। और इस रिपोर्ट में दस करोड़ ४० लाख रुपये की बरबादी दिखायी गई है। किसको सही माना जा सकता है, श्रीमन्, इसको मैं आप के ऊपर छोड़ना चाहता हूं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में आजमगढ़ के सम्बन्ध में जो कहा गया है फसल की बरबादी केवल सवा करोड़ की हुई, तीस हजार एकड़ की बरबादी आजमगढ़ में हुई। वही देवरिया में हुई। वहां तीन करोड़ का नुकसान और आजमगढ़ में सवा करोड़ का नुकसान।

एक और निवेदन करना है। किन किन नदियों में बाढ़ आयी यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में। राप्ती और घाघरा नदियां देवरिया जिले को बरबाद करती हैं, गोरखपुर को बरबाद करती हैं, बहराइच और बलिया को बरबाद करती हैं। लेकिन आजमगढ़ को बरबाद नहीं करतीं। माननीय सिंचाई मंत्री और माल मंत्री की नजरों में देवरिया का पानी आजमगढ़ में आकाश से उड़ कर चला जाता है। यह रिपोर्ट क्या है? ऐसी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत नहीं होनी चाहिये जो कल्पना से बिलकुल परे हो। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम्बल, चादरें, मरदानी धोतियां, मारकीन बांटी गयी हैं। लेकिन उसमें आजमगढ़ का कोई नाम नहीं है। इस तरह से श्रीमन्, आप देखेंगे कि सही हालत क्या है। मैं माननीय माल मंत्री से निवेदन करूंगा कि लोगों की धूल में आंख नहीं झोंकनी चाहिये। पारसाल हमारे पास सबूत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की फीस माफ़ करने का ऐलान किया गया और जवाब दे दिया गया.....

श्री अध्यक्ष—आपने धूल में आंख डाल दिया। आंख में धूल डालनी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो श्रीमन्, मेरे पास यह रिपोर्ट है। फैजाबाद जिले में चार लाख की मांग हुई थी विद्यार्थियों की फ़ीस माफ़ी के लिए, केवल डिग्री कालेज के लिये, और दिया गया २ लाख ३० हजार रुपया। जौनपुर जिले में मांग हुई २ लाख ५० हजार रुपये की और दिया गया २ लाख ३० हजार। शेष के लिये लिख दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंतजाम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इंतजाम किया या नहीं किया मेरी जानकारी है कि

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

उन्होंने नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि स्कूलों के संचालकों को छः सौ, आठ सौ, एक हजार रुपये के अनुदान बांटे गये और स्कूलों को इतना नुकसान हुआ। यह फिर इस साल न होना चाहिये। जो तरीक़ा फ़ीस माफ़ी का पारसाल अख्तियार किया गया था वही तरीक़ा इस साल रहना चाहिए और वह पूरे सेशन का होना चाहिए।

श्रीमन्, एक और निवेदन है। माननीय उमाशंकर जी ने एक पुलिन्दा दिया है। सरकार एलान करती है मालगुज़ारी और तकावी बेघरवालों से नहीं वसूल की जा रही है। माननीय उमाशंकर जी ने इतनी बड़ी तादाद दी है, जहां तकावी माफ़ होनी चाहिए इसका एलान हुआ। इस लिस्ट में ऐसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का नाम है, जिनसे तकावी वसूल की गयी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि माननीय माल मंत्री जी ने जून में कहा था कि भूसे का इंतजाम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि भूसे का इंतजाम आजमगढ़ में क्या हुआ?

श्रीमन्, एक बात और निवेदन करूंगा कि तकावी जो बांटी जाती है वह लेखपालों की मर्जी के अनुसार बांटी जाती है, मुफ्त सहायता भी वैसे ही बंटती है और उसके देने में बड़ी धांधली भी होती है। श्रीमन्, एक नववरारचुर्क धारा गांव है। उस गांव में एक बलिहारी चमार हैं जो यहां नहीं रहते हैं। बम्बई में रहते हैं। उनके नाम पर रुपया लिया गया। उनको एक पैसा नहीं दिया गया। बलिहारी चमार को पता भी नहीं है। इसी प्रकार से श्रीमन्, एक हरिजन है जिनके नाम पर पन्द्रह रुपया लिया गया है और पांच रुपया उनको दिया गया है। दस रुपया दूसरे को दिया गया है। और यह सबूत है इसका। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जानकारी करायें। श्रीमन्, एक और निवेदन करूंगा कि बाढ़ के जमाने में जो सहायता हो रही है इस वक्त वह बहुत ही अपर्याप्त है। मैं माननीय रामजी सहाय का समर्थन करता हूं इस बात में कि घर बनाने के लिये या बीज के लिये जो भी सहायता दी जा रही है या दी जाने वाली है वह कुछ भी नहीं है। उससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। मैं इस वक्त उस समय के मुख्य मंत्री पं० गोविन्द बल्लभ पन्त के एक वाक्य की याद दिलाना चाहता हूं सदन को कि उन्होंने एक बार कहा था कि यू० पी० की सरकार का सारा खज़ाना चाहे खत्म हो जाय लेकिन हम किसी को भूखा मरने नहीं देंगे। हम बाढ़ से तबाह होने से उसे बचायेंगे और माननीय माल मंत्री जी ने भी शायद यही कहा है आजमगढ़ में या गाजीपुर में। यह जो रिपोर्ट है, देवरिया में श्रीमन्, एक गांव है अठनाऊ। उस गांव में एक आदमी भूखों मरा है। गाजीपुर में मरा है।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप टेस्ट वर्क खोलें। आजमगढ़ में श्रीमन्, पारसाल १ लाख ३० हजार रुपया दिया गया टेस्ट वर्क के लिये लेकिन कुल ४६ हजार रुपया खर्च हुआ और शेष नहीं खर्च हुआ। उसी प्रकार से इस वर्ष भी टेस्ट वर्क चालू किया गया है। लेकिन टेस्ट वर्क में जो मजदूरी दी जाती है सरकार की ओर से वह नहीं के बराबर है। पिछले साल तो मोटे गल्ले की दूकानें खोल दी थीं वहां पर टेस्ट वर्क करने वालों के लिए। इस साल दो मोटे गल्ले की दूकानें भी खुलने वाली नहीं हैं। सरकार के पास मोटा गल्ला है ही नहीं। तो इस हालत में टेस्ट वर्क की मजदूरी आठ आने, नौ आने मिलेगी इससे वहां वह अपना पेट किस तरह भर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इस पर भी माननीय माल मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। टेस्ट वर्क की मजदूरी बढ़ायी जानी चाहिये। दूसरे टेस्ट वर्क में पुलिया भी बनाई जानी चाहिये। और दूसरे कार्य भी किये जाने चाहिये। नाले बनते हैं, नहरें बनती हैं, सड़क बनाई जाती है, लेकिन पुलिया न बनने के कारण सारी बरबादी होती है। तो मैं यह चाहूंगा कि यह जो रुपया दिया जाता है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ खर्च करना चाहिये। इसके अलावा जो नहरें हैं या पक्की सड़कें हैं उन सड़कों के सम्बन्ध में भी पानी के निकास का विशेष इंतजाम होना चाहिए। जो बाढ़ पीड़ित एरिया है जहां पर नदी के किनारे गांव ऊंचे किये गये हैं वहां पर देखना चाहिए सरकार को कि उसके बाहर भी ऐसे ऐसे गांव हैं

जहां पर पानी भरा है। भिसहा गांव में हमने देखा कि चार पांच घर केवल बचे हैं, शेष सब घर गिर गये हैं। पिपरेडी से मऊ स्टेशन तक श्रीमन्, बड़ी करुण कथा है, पचासों गांव ऐसे हैं जिनका पता तक नहीं है। वहां के निवासी किस हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं यह भी सरकार को सोचना चाहिए। इस समय में दो बातों की तरफ सरकार ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। सस्ते गल्ले की दूकानें खोलनी चाहिए। टेस्ट वर्क में मजदूरी बढ़ाने की जरूरत है और टेस्ट वर्क इतनी ज्यादा तादाद में खोले जाने चाहिये कि जो भी काम करना चाहे उसे काम मिल सके।

श्री अध्यक्ष---अब मैं सात मिनट से अधिक नहीं दूंगा ताकि जो बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं, वह भी बोल सकें।

*श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ के कारण इतनी क्षति उठानी पड़ रही है और आज भी जब कि वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम मानों वर्षा ऋतु में हों।

श्रीमन्, यह बाढ़ पहले आम तौर पर यही सुना जाता था कि पूर्वी जिलों में आती है, वहीं के लोग इससे तबाह होते हैं। फिर पश्चिम के जिलों पर भी उसका प्रकोप हुआ और अब तो रेगुलर फीचर हो गया है पहाड़ों पर भी बाढ़ आनी शुरू हो गई है। ऐसी परिस्थिति में श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यह बाढ़ की समस्या किसी प्रदेश के खास हिस्से की नहीं है अपितु सारे प्रदेश की है और उसके नियंत्रण के लिये जो भी योजना हमारे सामने बने वह एक व्यापक योजना होनी चाहिये। इसके लिये मेरा अनुरोध यह है कि अगर बाढ़ को हमें हमेशा के लिये रोकना है तो इस बात की तरफ हमें ध्यान देना होगा कि ये नदियां जहां से उत्पन्न होती हैं वहां से लेकर जहां तक हमारे प्रदेश में जाती हैं वहां तक उनकी गति को रोक सकें और ऐसा प्रबन्ध कर सकें कि बाढ़ से हम अपने खेतों को बचा सकें।

श्रीमन्, पहाड़ और देश के मामलों में बाढ़ से जिस प्रकार की क्षति होती है उसमें एक महान् अन्तर होता है। पहाड़ के मामले में जब बाढ़ आती है तो जमीन बिलकुल तहस-नहस हो जाती है, जब कि मैदानी हिस्सों में खेती नष्ट हो जाती है, जमीन दब जाती है, सिल्ट जमा हो जाती है और इसका मतलब हो जाता है कि रबी की फसल तैयार हो सके। लेकिन पहाड़ी हिस्से में जो एक तलांव भूमि होती है, इरिगेटेड भूमि होती है, जिसको भूमि का कलेजा कहा जाता है उसके तहसनहस होने से अपार क्षति लोगों को होती है। चाहे आंकड़ों की दृष्टि से उसका रकबा कम हो, लेकिन वह इतनी बहुमूल्य यहां के लोगों के लिये होती है कि अगर अनइरिगेटेड भूमि का एक एकड़ देकर और तलाव भूमि का एक चौथाई या पांचवा हिस्सा एकड़ का कोई किसी से लेना चाहे तो वह उसको नहीं दे सकेगा। पहाड़ों में जो बाढ़ आती है उसका असर परमानेन्ट होता है, उससे कई आने वाली रबी और खरीफ की फसलें बरबाद हो जाती हैं और आदमी किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाता है।

श्रीमन्, अभी हाल में जो बाढ़ टेहरी जिले में आई उसमें माल मंत्री जी को भी लिखकर भेजा, पत्रों में भी प्रकाशन हुआ, उसके सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि बाढ़ आने का कारण आम तौर पर यह समझा जाता है कि वहां पर लोगों ने जंगल काट दिये हैं, पड़ती तोड़ने से लोग खेती ज्यादा करते हैं इसलिये बाढ़ आ गयी है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो बाढ़ आयी है उसका कारण भिन्न है। यह बाढ़ पहाड़ के दोनों तरफ आयी है जहां पर नदी है और वह पहाड़ ऐसे हैं जहां घने जंगल हैं। हुआ यह कि जंगल कट गये, कटे नहीं और पानी पहुंच गया। यह परिस्थिति दूसरी है। मेरी समझ में तो यह आता है कि वह समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यसिंह राणा]

आ गया है जब कि पहाड़ों को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये ? इसलिए कि बाढ़ का कारण डिफारेस्टेशन ही नहीं है, बल्कि और कोई कारण है जिसको एक्जामिन करना एक्सपर्ट्स का काम है और जितनी अच्छी तरह से किया जा सके उतना अच्छा है। कोई भू-गर्भ सम्बन्धी ऐसे चेंजेज हो रहे हैं, कोई ऐसा सिंकिंग प्रोसेस पहाड़ों पर हो रहा है जिससे आइंदा समय के लिये खतरा हो सकता है। मैं टेहरी गढ़वाल की बात नहीं कहता। बद्रीनाथ जाता हूं वहां पाताल गंगा एक जगह है उस पर सारा पहाड़ ढकता चला आ रहा है जब कि वहां जंगल विद्यमान है। कोसी नदी में बाढ़ आती है और उससे काफी क्षति होती चली आ रही है।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहाड़ों में डैमेजेज का जो अन्तर है वह मैदानों से बिलकुल भिन्न है और कारण भी भिन्न है जो मैदानों में है। मैदानों में तो सिल्ट के जमा होने से या रेत के आने से रेलवे के कारण वाटर-लागिंग होता है और उसका निरीक्षण करना सरकार का फर्ज है, लेकिन पहाड़ी हिस्से में जब तक एक सुनिश्चित योजना न बनायी जाय तब तक उसका हल नहीं हो सकता। पहाड़ों के लिये श्रीमन्, यह बहुत आवश्यक है कि जितने कैचमेन्ट एरिया हैं उनका अफारेस्टेशन कराया जाय और खाली एरिया का भी कराया जाय और सब से बड़ा प्राब्लम यह है कि आबादी जो वहां पर बढ़ रही है उससे डिफारेस्टेशन होगा और बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि जहां आबादी बढ़ती जाती है तो उसके लिये कोलोनाइजेशन स्कीम बनाकर उनको वहां कम से कम बसाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाय। और ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिससे नदियों को काबू में ला सकें और इस हिस्से को बाढ़ से बचाया जा सके।

*श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)---मान्यवर, हमारे सूबे में बाढ़ आई है वह कोई नई नहीं है। खासकर पूर्वी जिलों में तो हर साल बाढ़ आया करती है परन्तु इस वर्ष जो बाढ़ आई है वह ऐसी है जिसका वर्णन करना हमारे माननीय सदस्यों की सामर्थ के बाहर है। इस बाढ़ से जो क्षति हुई है वह ऐसी है कि सरकार की इस छोटी-मोटी सहायता से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इस क्षति की पूर्ति करने के लिये सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए जैसा कि हमारे देश में शरणार्थियों को बसाने के लिये किया गया था तभी देश की जनता का उद्धार हो सकता है।

हमारे जिले के भाइयों ने कहा कि नहरों से और बंधियों से बाढ़ आ गई है लेकिन मेरी समझ से उनका कहना ठीक नहीं है। मेरे जिले में जो बाढ़ आई है तो सब से पहले मेरे क्षेत्र में ही बाढ़ आयी है। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में नहर नहीं है और मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां पर हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ को रोकने के लिये बंधियां तथा अहरौरा बांध बनाया गया। मैं सोचता हूं कि अगर यह न होते तो जो हमारी तहसील नुक्सान हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुक्सान होता और मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। बात यह है कि सालभर में जितना पानी बरसता है उससे कई गुना ज्यादा पानी एक हफ्ते में बरसा। अहरौरा बांध के ५-६ फिट के ऊंचे से पानी गिरा। इसके बावजूद मिर्जापुर जिले से तमाम पानी आ गया। इसके बीच में कोई नहर नहीं है। बंधियां हैं, सरकार ने उनका पुनरोद्धार कर के मजबूत किया लेकिन बंधियों में पानी बहुत आ गया और वह टूट गईं। यह तो प्रकृति का प्रकोप है और लोगों का यह कहना कि नहरों के कारण बाढ़ आई ठीक नहीं है। प्रकृति पर कोई अधिकार नहीं कर सकता है।

अभी मैं आपको बतला दूं कि ६ अगस्त को सेशन चल रहा था तो सिंचाई मंत्री जी से हमने निवेदन किया था कि अहरौरा बांध के बना देने से हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप पानी दीजिये नहीं तो फसल बरबाद हो रही है। हम ८ तारीख को देखते हैं कि वर्षा मूसलाधार हो रही है और १२ तारीख को हमारे यहां आवागमन रुक जाता है और १३ तारीख को प्रलयकारी बाढ़ आ जाती है। चार दिन पहले सूखा पड़ा था, फसल बरबाद हो गई थी, किसान त्राहि त्राहि कर रहे थे और धान का बीज तक नहीं लगाया गया था। चार दिन में प्रकृति ने गजब ढा दिया और गांव के गांव बह गये, फसल का क्या वर्णन किया जाय।

जहां तक सरकारी सहायता का प्रश्न है हमारे यहां बाढ़ आई, १२ तारीख को हमने जिलाधीश से सहायता के लिये कहा और १३ तारीख को सुबह सहायता पहुंच गई। अगर्चे हम देखते हैं कि बरबादी को देखते हुये सहायता बहुत कम थी, लेकिन अगर सहायता मौके पर नहीं पहुंचती तो जितनी क्षति हुई है उससे न जाने कितनी ज्यादा क्षति होती। अगर वे नावें हमारे यहां न पहुंच गई होतीं तो चारों तरफ पानी से घिरे हुये आदमियों को निकाला गया उनको न निकाला जा सकता। हमारे भाई राजनारायण जी ने जगदीश सराय का नाम लिया। मैं उनकी शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन जब बाढ़ थी तब उनका कहीं हमारे जिले में पता नहीं था। उनका किस्सा वही है कि जब मरीज मर गया तो डाक्टर पहुंचा। वह सराय जगदीश की बात कहते हैं। वह तो सड़क पर है, लेकिन भीतर जा कर देखें कि कि वहां के और गांवों की क्या हालत है। सराय जगदीश में तो काफी सहायता पहुंच चुकी है। वहां टिन शेड्स बन गये हैं और बाढ़ के समय में भी गांव ऊंचे किये जा रहे हैं जिससे गांव में जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम भी मिल गया है। लेकिन भीतर की हालत ऐसी है कि वहां जो सरकारी सहायता मिल रही है वह बिलकुल नाकाफ़ी है। उससे उनकी मुश्किलें आसान नहीं हो रही हैं। उनकी तकलीफों को दूर करने के लिये सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो गया।

श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् ५६ की बाढ़ की स्थिति का जो विवरण हम लोगों के सामने सदन में प्रस्तुत किया गया है वह बहुत पूर्ण है और उसके लिये माननीय माल मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। बाढ़ की यह स्थिति सन् ५६ की ही नहीं, बल्कि अब हम यह समझते हैं, जैसा कि इसी में लिखा है कि यह तो हर साल का एक क्रम सा बन गया है। तो अब हमें यह देखना चाहिये कि यह जो संकट-ग्रस्त या अकाल की परिस्थिति पैदा हो गई है क्या उसमें कोई स्थायित्व आ गया है। अगर ऐसा है तो हमें यह देखना है कि हम अपने प्रदेश का निवारण कैसे करें और किस प्रकार उसके रीढ़ को इतनी मजबूत कर दें कि बाढ़ या सूखा, जो भी आये उसको हमारे किसान बर्दाश्त कर सकें। अगर हम इस दृष्टि से देखें तभी लाभ भी होगा। केवल इस दृष्टि से कि यह सन् ५६ की बाढ़ है देखने से कोई लाभ नहीं होगा। मिसाल के लिये एक आजमगढ़ जिला है। उसमें सन् ५२ में सूखा पड़ा, ५३ में बाड़ आयी और ऐसी भयंकर बाढ़ जैसे सन् ३८ में आयी थी, ५४ में फिर सूखा पड़ा और ओले गिरे, ५५ में वह बाढ़ आयी जो १८७१ में आयी थी और ५६ में भी ५५ के लगभग बराबर की बाढ़ आयी। यह एक जिले की हालत मैं बतला रहा हूं लेकिन यह स्थिति सब जिलों की है। गजेटियरों में लिखा हुआ है कि अगर यहां के किसान तीन साल में एक फ़सल पा जायं तब तो वे जिन्दा रह सकते हैं। और तीन साल में एक भी फसल खराब हुई तो भुखमरी आ सकती है। आजमगढ़ में पांच साल से लगातार सूखा और बाढ़ की स्थिति चल रही है। यानी गजेटियर में जो बात लिखी हुई है आज से पचास वर्ष पहले वह स्थिति आ गयी है। यह सोचना है कि अगर तीन साल की लगातार फसल नहीं मिली तो दशा क्या होगी। फसल के लिये लिखा है कि ३८ करोड़ का नुकसान हुआ है और मकानों का नुकसान २ करोड़ ५५ लाख का है लेकिन यह आंकड़े ५५-५६ के हैं। पांच ६ सालों में देखें तो अरबों का नुकसान हुआ। तो जब यह हानि हुई है तो यह देखना है कि पूर्वी जिलों में या अन्य जिलों की माली हालत अच्छी की जाय तो यह सब खराबी अपने आप दूर होती जायगी।

[श्री कालिकासिंह]

अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिये कहा जाता है कि उन इलाकों को जहां अकाल की स्थिति हो, अकालग्रस्त घोषित करने में एक पैनिक होता है। सरकार गल्ला पकड़ना चाहती है, बनिया उसे छिपाना चाहता है और मंहगाई आती है और कीमत ऐसी ऊंची उठती है कि गल्ला गायब हो जाता है। और जब गल्ला गायब हो जाता है तो जैसा कि बंगाल फेमिन के लिये फेमिन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि सन् १९४३ में बंगाल फेमिन में १५० करोड़ रुपये बनियों के पाकेट में पहुंचा और उन्होंने इतना लाभ उठाया कि गल्ला पर्याप्त रहा लेकिन वहां पर २० लाख आदमी मरे। यों तो लोग कहते हैं कि साठ सत्तर लाख आदमी मरे। यह सत्य है कि वहां अकाल की स्थिति आ गई थी और चार पांच साल तक लगातार होती चली गई। सरकार ने कोई चेतावनी नहीं दी और मृत्यु के समाचार आने लगे भुखमरी बढ़ती गई और बात में मालूम हुआ कि भयंकर स्थिति वहां आ गई है और एक बार जब अकाल आ जाता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। सरकार कुछ गल्ले को पकड़ना चाहता है, कोई छिपाना चाहता है, होर्डिंग करना चाहता है, प्रदेश से बाहर चला जाता है तो गल्ला रहते हुये मृत्यें हुईं २० लाख से ७० लाख तक मृत्यें हुई। हो सकता है कि हमारे प्रदेश में भी यह स्थिति हो। जो ऐसे डिप्रेस्ड और डिस्ट्रिक्ट एरियाज हों उनको सरकार देखे।

दूसरी चीज मालगुजारी की छूट के बारे में है हमारे माल मंत्री जी ने लिखा है कि अगर देखा जायगा कि संकट है तो मालगुजारी में छूट होगी अर्थात् यह विचाराधीन विषय है। उसके लिये हम कह सकते हैं कि सन् १९५२ से यह विपत्ति हमारे यहां चली आ रही है। सन् ५२ में ही मालगुजारी बढ़ी : पहले १९, २० लाख मालगुजारी हमारे जिले के किसान लोग देते थे लेकिन अब ६० लाख ८ हजार रुपये मालगुजारी आजमगढ़ के किसान को देना पड़ता है। यह ४० लाख रुपये ज्यादा मालगुजारी हमारे किसान दे रहे हैं।

श्री चरणसिंह---क्या मालगुजारी बढ़ गई? यह आप क्या कह रहे हैं?

श्री कालिकासिंह---मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले तो किसान १९, २० लाख मालगुजारी देता था लेकिन अब सारी मालगुजारी जो जमींदार के पास जाती थी वह भी अब सरकार के पास आती है। वह भार जो अतिरिक्त जमीन पर पड़ रहा है वह किसान के ऊपर ही है। किसान के ऊपर मुसीबत है। छूट के लिये चर्चा करते वक्त यह अवश्य देखा जाय कि अधिक मालगुजारी छूट में दे दी जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि यह अधिक मालगुजारी उसी के पास से आयी है। वह छूट नहीं है। इस पर विचार होना चाहिये।

अमेरिका में सन् १९३० में पब्लिक वर्क्स में डिप्रेशन हुआ था तो ९ अरब डालर या ३६ अरब रुपये खर्च हुआ पब्लिक वर्क्स के ऊपर, ऐसी स्थिति को सम्हालने के लिये। हमारा इर्रीगेशन विभाग है पब्लिक वर्क्स विभाग है, वे जितना खर्च करते हैं इन डिप्रेस्ड एरियाज में। जहां बाढ़ की स्थिति हो, सूखा की स्थिति हो और भयंकर स्थिति पैदा हो गई हो वहां सब कार्य को एक साथ शुरू कर दिये जायं। इसी तरह से हम इस स्थिति पर काबू पा सकेंगे।

श्री बलवीरसिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम इसके कि मैं बाढ़ के ऊपर कुछ कहूं मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का समय मिला क्योंकि मैं आज बोलने के लिये बाढ़पीड़ित की तरह से एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहा। उसका कारण यह था कि मेरठ जिले में जो बाढ़ आ रही है वैसी मेरी याद में पहले कभी इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आयी थी जितनी कि आजकल वहां आ रही है। मेरे साथियों को आश्चर्य हो रहा है कि मेरठ के अन्दर बाढ़ आई है। लेकिन उन्होंने अखबारों में देखा होगा और अगर अखबारों में न देखा हो तो मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि वहां पर ऐसी बाढ़ आयी है कि अगर मैं दोहराऊं उस बात को तो उसके लिये माफ किया जाऊं कि ऐसी बाढ़ मेरी उम्र के अन्दर नहीं आयी थी। वहां पर तमाम जिले के अन्दर जितनी फसलें हैं वह सब बरबाद हो रही हैं।

शहर के अन्दर तमाम नाले जमीन के बराबर पानी से भरे हुये हैं और सड़कें ऐसी हो रही हैं कि जिन पर नाव चल सकती हैं। चारों तरफ ट्रैफिक बन्द हो गया है। दिल्ली और मेरठ के दरम्यान जो रेल और बसें चलती थीं वह सब बन्द हो गई हैं। लोगों को बचने की कोई जगह नहीं है और मकान जितने कच्चे और पुराने थे वह सब गिर रहे हैं। आदमी मर रहे हैं और ऐसी हालत वहां पर हो रही है कि जो बयान के काबिल नहीं है। जो सब से विशेष बात वहां हो रही है वह यह है कि शुरू में खरीफ की फसल के लिए वहां बारिश नहीं हुई जिससे सूखा पड़ गया।

माननीय माल मंत्री जी से मैं निवदन करूंगा कि कम से कम वह अवश्य इस बात को ध्यान में रखें कि खरीफ की फसल वहां वर्षा न होने से खराब हो गई है और इस सब का नतीजा यह हुआ है कि वहां के लोगों को खाने को अन्न नहीं मिला मवेशियों के लिये चारा नहीं है और जिससे वह लोग कमाने से मजबूर हो गये हैं। अब रबी की फसल बोने से पहले नष्ट यूं हो गई है वहां पर इस समय में बारिश हुई है और इतना पानी पड़ा है कि जो खेतों में भर गया है और इस कारण से फसल समय से नहीं बोई जा सकी। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि अगर कोई फसल समय पर नहीं बोई जाती तो उसका पूरा फायदा किसान को नहीं पहुंच पाता। इस समय पानी इतना हो गया कि खेतों में जो पानी भरा है उसके निकलने पर ही किसान अपनी फसल बोयेगा, लेकिन उसके बाद भी वह किसी तरह पर कामयाब नहीं हो सकता और किसान की वही हालत रहेगी। तो मेरे निवेदन का आशय यही है की माल मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें कि मेरठ, बुलन्दशहर और पश्चिमी जिलों की हालत इस अतिवृष्टि से और बाढ़ से इतनी खराब हो गई है कि जब तक उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक जनता का दुख दूर नहीं हो सकता। इस लिये आप के द्वारा मेरा निवेदन है कि वहां पर जो पहला कदम उठाया जाय वह यह हो कि पूरा रेमिशन वहां होना चाहिये। लाल बत्ती हो गई है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन माल मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें कि अगर पूरा रेमिशन नहीं हुआ तो वहां की जनता दुखी हो जायगी। मैं केवल यही एक बात कहना चाहता हूं कि जितने कदम पूर्वी जिलों के लिये उठाये गये हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने के लिये, कम से कम उतने नहीं तो उसके आधे कदम भी अगर हमारी तरफ के लिये उठाये गये तो हमारे लिये कोई दुख की बात नहीं होगी, लेकिन अगर हमारा जिला नजरअंदाज हुआ तो हम को बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--मान्यवर, उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ों की तांत लगने पर भी सरकार के पास इस तूफान से बचने के लिये कोई समुचित उपाय नहीं हो सका। मान्यवर, मेरे जिले गाजीपुर में गंगा नदी बीचो बीच से चीरती हुई पश्चिम से पूर्व को बही है। इसके पहले गंगा नदी में जो बाढ़ आई थी, जिसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है, उससे गंगा नदी के किनारे के गांवों में खरीफ की फसल बिलकुल बरबाद हो गई थी। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर और उर्द वगैरह की फसल बिलकुल नहीं थी। उसके अलावा बांगर के हिस्से में जहां धान की फसल होती है वहां महीनों सूखा पड़ा हुआ था। महीनों के बाद पानी बरसा जिसके बाद रोपनी शुरू हुई। अभी तक बीया हरे भरे भी नहीं हुये थे कि यह ८ दिन की अखंड वर्षा शुरू हो गयी। इस अखंड वर्षा ने सारे जिले को उजाड़ बना दिया है। गंगा नदी के अलावा और छोटी-छोटी नदियों ने बहुत बरबादी की है। छोटी नदियों में टोंस, भैंसही गोधनी कथनी, मंगई, बेसो, कर्मनासा ने सैकड़ों गांवों को ध्वस्त कर दिया है और यहां तक कि उनकी मिट्टी का पता नहीं है। हमारे सिंचाई मंत्री गाजीपुर गये थे और उन्होंने बेसो, मंगही के किनारे बसे हुये गांवों को देखा था और कटैला मुकाम को अपनी आंखों से देखा था। दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री जी इसके आगे नहीं गये नहीं तो मंगही और दूसरी नदी ने कितने गांव मठिया, जगनापुर, मिट्ठापारा, महमूदपुर, नखतपुर आदि ग्राम तबाह किये हैं यह भी उनको मालूम हो जाता। गाजीपुर के नुकसान की तालिका जो अनुदान से आंकी गयी है, वह मेरे पास है, मैं उसको सदन में पढ़ देना चाहता हूं।

[श्री यमुनासिंह]

वहां पर गिरे हुये मकानों की संख्या ७० हजार है। फसल की बरबादी ३ लाख एकड़ में हुई है। सड़े हुये गल्ले की संख्या १ लाख मन है। बहे हुये या मरे हुये पशुओं की संख्या १ हजार से अधिक है। मरे हुये मनुष्यों की संख्या २५ है। गृह विहीन लोगों की संख्या ३ लाख के लगभग और वहां पर ४५० मकान बिलकुल ध्वस्त हो गये हैं। गाजीपुर जिले में बाढ़ की बरबादी से बहुत परेशानी है। मान्यवर, असाढ़ से आज तक किसान के घर में एक छटांक भी अन्न नहीं गया, खेतों के अन्दर उनकी कोई फसल नहीं रह गयी है। उनको खाने के लिये महान् कष्ट हो रहा है। पशुओं के चारे के लिये कोई प्रबंध नहीं है। वे लोग ईख काटकर खिला रहे हैं। वहां पर मकान गिर गये हैं वहां पर रहने के लिये केवल पेड़ ही रह गये हैं और लोग पेड़ों के नीचे ही रह रहे हैं। ऐसी अवस्था में सरकार को उचित है कि उनके रहने के लिये छप्पर के मकान बनाये जायं। माननीय मंत्री जी गाजीपुर गये थे। हमने उनसे कहा था कि लड़कों की फीस माफ करने की जरूरत है और दिसम्बर तक ही माफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिसम्बर तक क्या लोगों की हालत सुधर जायगी ? इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी के लड़कों तक की फीस जून तक माफ कर दी जाय। इसी प्रकार से मेरी प्रार्थना सरकार से यह भी है कि वहां पर लोगों को गल्ला मुफ्त दिया जाय। वहां पर राशन की दुकानें खुल चुकी हैं लेकिन उन पर केवल गेहूं ही दिया जाता है किन्तु वहां पर अगर मोटे अनाज का भी प्रबन्ध कर दिया जाय तो लोग वहां से जाकर खरीद सकते हैं।

मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर खरीफ की फसल १४ आने होती है। जब वहां की फसल कुछ सूखे से और कुछ बाढ़ से बिलकुल खत्म हो चुकी है तो अब साल भर तक नई फसल आने पर ही उसके घर में अनाज आयेगा। इसलिये माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वहां के लोगों का लगान माफ़ कर दिया जाय। वहां पर तकावी हर काश्तकार को दी जाय और उनके लिये बीज का प्रबन्ध किया जाय और जो लोग गरीब हैं उनके लिये बीज का प्रबन्ध मुफ्त किया जाय और जो लोग अमीर हैं और जिनके पास जोत है उनको बीज तकावी पर दिया जाय ताकि वह फिर उसको अदा कर सकें।

*श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष तो हमने यह समझा था कि पश्चिमी जिलों तक बाढ़ आ कर थोड़ी बहुत हमारे पूर्वी जिलों में जो बाढ़ आया करती है उससे छुट्टी मिल जायगी लेकिन इस वर्ष अकस्मात गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, आजमगढ़ और गोरखपुर में जिस प्रकार से यह भयंकर बाढ़ आयी है--- मुझको तो स्वयं देखने का अवसर नहीं मिला--- लेकिन समाचार पत्रों में माननीय मन्त्री जी और खास कर सिंचाई मन्त्री जी का बयान पढ़कर काफी चिन्ता और परेशानी हुई। सिंचाई मंत्री जी अपने जिले में, देवरिया, गोरखपुर और गाजीपुर में पहुंचे और वहां क बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों के लिये जो व्यवस्था की है हम उसके लिये उनकी सराहना करते हैं। जो उपाय उन्होंने उनके कल्याण के लिये ढूंढे हैं वे प्रशंसा योग्य हैं। यह पहला अवसर नहीं है दोहराने के लिये कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के निवासियों को बड़ी परेशानी होती है। जितना सम्भव होता रहा है सरकार वहां के लोगों के लिये करती रही है। लेकिन हमें विचार करना है कि केवल चना या गल्ला या कपड़ा देने से या लगान मुल्तवी करने से उनका कल्याण होनेवाला नहीं है। हमने सुना है कि काफ़ी जबरदस्त योजनायें बनायी जा रही हैं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों को राहत मिले। लेकिन उसकी क्या रूपरेखा है और वह कब कार्यरूप में परिणत होगी यह हमें नहीं मालूम है। जो सहायता हमें दी गई है उसके लिये हम सरकार के अनुग्रहीत हैं। पिछले वर्ष बस्ती में ३००-४०० गांव ऊंचे किये गये और बांध बांधे गये। लेकिन उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब समाचार पत्रों में और जिलों की बाढ़ का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाचार आया तो हमारे जिले का नहीं आया क्योंकि हमारे दुर्भाग्य से कुछ करस्पान्डेन्ट भी नहीं हैं। हमारे माल मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी को शायद यह खबर नहीं है कि वहां भी बाढ़ है। माना कि सूखा की खबर है। लगभग ११९९ गांव हमारी बांसी तहसील में हैं और वहां कम से कम ११०० गांवों में सूखा है। जब मंत्री जी गोरखपुर तक पहुंचे थे, जिसका हर तरह से संबंध बस्ती जिले से है और यदि १ क्षण के लिये वहां भी पहुंच जाते तो हम लोगों का भी ढाढस बंध जाता।

हम जानते हैं कि सरकार बाढ़ से हुये अरबों या करोड़ों रुपये की हानि पूरा नहीं कर सकती लेकिन धैर्य तो दे ही सकती है। मैं तो स्वयं ५ दिन तक बांसी और नौगढ़ तहसीलों में रहा और जो लोग खलीलाबाद और डुमरियागंज से आये हैं वह भी कहते हैं कि वहां भी बाढ़ है। ५-६ दिन जहां बाढ़ रही है वहां ५० लाख रुपये की हानि हुई है लेकिन बस्ती में ८३ लाख रुपये का नुकसान दिखाया गया है। मगर २४-८-५६ से लेकर २०-९-५६ तक जहां पानी बाढ़ का क़ायम रहा हो वहां के निवासियों की दशा का वही अनुभव कर सकते हैं जो वहां के निवासी हैं। वे रोजमर्रा की सामग्री बाजार से नहीं ले सकते हैं बाजार बहुत दूर हैं। वहां नाव से पहुंचना कठिन होगा। सरकारी अफ़सर अगर उनकी रोजमर्रा की सामग्री उपलब्ध कराने में सहायक भी बनें तो बड़ी कठिनाई की बात हो जाती है। जो कुछ सहायता हमें दी गई है वह पर्याप्त नहीं है यद्यपि हम इसके लिये सरकार के अनुग्रहीत हैं। हम माननीय सिंचाई मंत्री और माल मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि वे इस भ्रम में न रहें कि बस्ती जिले में बाढ़ नहीं आई है। इससे हम लोगों का काफ़ी नुकसान होगा और वहां के निवासियों के कल्याण की व्यवस्था नहीं होगी। ५० लाख की क्षति बनारस में हुई है और अगर आप पेज १२ के आंकड़ों को देखेंगे उसमें परिशिष्ट ३ में यह लिखा हुआ है कि ५० लाख की क्षति बनारस में हुई है लेकिन उसमें ही बस्ती की क्षति ८३ लाख की दिखायी गयी है। यह तो रही आंकड़ों की बात वह १ करोड़ भी हो सकती है। तो जैसे उस जिले को आप ने सहायता पहुंचाई है वैसेही मैं प्रार्थना करूंगा कि बस्ती जिले की भी आप को सुध लेना चाहिये, उसको उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये।

एक बात और है। वह यह कि वहां पर जानवरों की बीमारी बहुत फैली हुई है। इसके अतिरिक्त सिवाय माल विभाग के रक्षा के काम में और कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। दूसरे विभाग सौतेले भाई का सा व्यवहार करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये केवल माल विभाग ही पर्याप्त न होगा कि वह इतने बड़े भारी क्षेत्र की सहायता कर सके। उसके बारे में सारे विभागों को कोआर्डीनेशन से काम लेना चाहिये। मैं बस्ती जिले की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे विरोधी दल के नेता ने उसका नाम तक नहीं लिया और हमारे समाचारपत्रों ने, मैं समझता हूं शायद वह भूल गये, बस्ती जिले की तकलीफों और कठिनाइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कृपा कर के आप ऐसा न समझें कि बस्ती जिले में कोई बाढ़ ही नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह शिकायत की है कि हमारी तकलीफ की रिपोर्ट समाचार पत्रों में नहीं पहुंच पाती। एक मर्तबा मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय माल मंत्री जी ने बताया कि खलीलाबाद और डुमरियागंज में सूखा है और बाद को जब मैंने फिर पूछा तो कहा कि रिपोर्ट में नहीं है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वहां भी है। इसलिये वहां काफी मात्रा में मदद पहुंचानी चाहिये।

*श्री चरणसिंह---श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कुछ माननीय मित्रों ने कहा किसी न किसी प्रकार की दैवी विपत्ति हमारे प्रदेश के लिये एक सालाना की बात हो गई है। सन् ४८ से ले कर अब तक, सिवाय सन् ४९ के, हम इस मसले पर हर वर्ष तफसील के साथ विचार करते हैं। हर वर्ष गवर्नमेंट के सारे मेम्बरान और मैं परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

सितम्बर और अक्तूबर के महीने में इस विपत्ति से सूबे को बचाये और जनता तथा गवर्नमेंट को जो परेशानी और कष्ट है उससे मुक्ति मिले।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आइन्दा आपको जून से ही प्रार्थना करनी चाहिये।

श्री चरणसिंह—परन्तु कुछ परमात्मा और कुछ कुदरत को यह मंजूर है कि वह बर नहीं आती और हर वर्ष मायूसी का सामना करना पड़ता है। इस साल भी विपत्ति आयी और बहुत बड़ी विपत्ति आयी। जब यह स्टेटमेंट तैयार किया गया था तब मैं यह ख्याल करता था कि यह उतनी ऐक्स्टेंसिव नहीं है जितनी पिछले वर्ष की विपत्ति थी लेकिन अब जो दो दिन से खबरें मिल रही हैं उनसे यह मालूम पड़ता है कि पिछले वर्ष की विपत्ति से क्षेत्रफल में यह शायद कम न रहेगी। अब की बार जो पानी से नुकसान हुआ है उसकी विशेषता यह है कि वह इंटेंसिव बहुत हुआ है। जिस एरिया में भी मसलन आजमगढ़ या वाराणसी या गाजीपुर या देवरिया इन चार जिलों में सब से ज्यादा नुकसान हुआ है। जिस वक्त मैं यह कहता हूं कि इन चार जिलों में सब से ज्यादा नुकसान हुआ है तो हमारे और मित्र जो दूसरे जिलों से आते हैं जैसे रामकुमार जी शास्त्री हैं या गोरखपुर के दोस्त हैं वे यह न समझें कि मैं इस बात को मानता हूं कि और जगह नुकसान हुआ ही नहीं है। दूसरी जगह भी नुकसान हुआ है लेकिन यहां सारा सवाल है निस्बत का, अपेक्षा का कि दूसरे जिलों की अपेक्षा इन चार जिलों में अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है वह ऐसा नुकसान है जिसकी वर्षों तक पूर्ति नहीं हो सकेगी। यह नहीं कि एक फसल के बाद, दो फसल के बाद या तीन फसल के बाद जहां पानी भरा हुआ है। और हमको आशंका यह थी कि रबी की फसल बहुत से इलाके में बिलकुल नहीं बोयी जा सकती, अगर १६, १७ सितम्बर के बाद भी वर्षा नहीं होती लेकिन उसके बाद भी वर्षा हुई, ५, ६ और ७ को भी कुछ वर्षा हुई और कुछ जिलों से खबर आयी है कि ८ और १० को भी हुई। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े इलाके में रबी नहीं बोयी जा सकेगी।

इसके अलावा जिस नुकसान को मैं सब से बड़ा मानता हूं और बराबर उसको अपने श्रोतागण के जेहन्नशीन करने की कोशिश करता हूं कि टाप लेयर, यानी जमीन की ६ इंच मोटी सतह जो भुरभुरी होती है और जिसमें खाद और फर्टीलाइजर की शक्ति होती है वह धुल जाती है और अगर वहां पानी जमा भी रहता है तब भी वहां साल्ट हो जायगा और जमीन की ताकत बहुत कम हो जायगी जिसमें किसानों ने नस्ल लगायी है जमीन को जरखेज बनाने में। यह जो हानि हुई है वह सब से बड़ी हानि है। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जो बाढ़ का है वह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। हर देश और प्रदेश के सामने ऐसी कुछ समस्या होती है और होनी चाहिये जिस पर मतभेद नहीं हो सकता। तो इस पर कोई मतभेद की बात नहीं है। जिस प्रकार से माननीय गेंदा सिंह जी को, श्री राजनारायण जी को या श्री पालीवाल जी को दर्द होता है, जिस प्रकार से उनको कांटा चुभता है, जिस प्रकार से उनके पहलू में टीस होती है उसी प्रकार से जितने इस गवर्नमेंट के नेता हैं और उसके सदस्य हैं उनको भी होती है। इसमें कोई इस पक्ष में बैठने वाले या उस पक्ष में बैठने वालों की बात नहीं है जिससे कोई इस प्रकार की भावना अपने मन में लावे। जैसा कि मेरे एक मित्र मसलन श्री राजनारायण जी ने कहा कि केवल कांग्रेस वालों से इमदाद लेने को राजकर्मचारी तैयार होते हैं, दूसरों की इमदाद नहीं लेते। उसी वक्त आगरा के एक सज्जन ने बतलाया कि नहीं, सबको इनवाइट किया गया था और सभी उसमें शरीक भी हुए। तो इसमें राजनैतिक दल का कोई प्रश्न नहीं है — जिस वक्त राजकर्मचारी अपने लोगों पर मुसीबत देखता है या एम० एल० ए० मुसीबत देखता है तो उसकी यह कोशिश होती है कि वह हर तिनके का सहारा ले। उसके मन में यह प्रश्न उठने का अवसर ही कैसे मिल सकता है कि वह इस पर विचार करे

कि यह कांग्रेसी है या गैर कांग्रेसी है। अगर कहीं ऐसा हुआ है कि इमदाद करने वालों की तादाद केवल कांग्रेस वालों की ही किसी क्षेत्र में रही तो उसकी वजह यह है कि राजकर्मचारियों को गैर कांग्रेस वालों की इमदाद नहीं मिली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय राजनारायण जी यहां नहीं, बाहरजा कर ठंडे दिल से विचार करें गे तो देखेंगे कि उसका कारण यह है कि बहुत सी पार्टीज जिनके प्रतिनिधि यहां दिखलायी देते हैं वे मैदान में एकदम से गायब हैं। जिले के जिले साफ हैं। मैं अर्ज करता हूं कि मसलन मेरठ जिले में या बस्ती जिले में या और जिलों में सफेद रंग की टोपी पहनने वालों के अलावा दूसरा दिखलायी नहीं देता। तो अब क्या करे राज कर्मचारी? ऐसी कहीं शक्ल हो गई हो तो दूसरी बात है। वर्ना हमारे राज्य कर्मचारियों को कोई ऐसी हिदायत नहीं है, हम तो इसको नेशनल या देश का सवाल मानते हैं। सरकार के या मंत्रीगण की तरफ से कोई ऐसा इशारा या संकेत हर्गिज नहीं है और अगर ऐसा कहीं हुआ भी है तो मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये और जान बूझ कर नहीं होना चाहिये, मेरे ख्याल से ऐसा कहीं हुआ भी नहीं होगा। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, तकरीरें जो ज्यादातर हुईं वह यह हुई कि हमारे यहां यह मुसीबत आई हुई है। ठीक है, उससे मेरे और मेरे साथियों के ज्ञान में इजाफा हुआ लेकिन केवल मुसीबत के बयान करने से ही तो मदद नहीं हो जाती। मैं यह उम्मीद करता था कि कुछ नये सुझाव आयेंगे, कोई ऐसे रचनात्मक सुझाव आयेंगे जो अब तक इस सरकार के मेम्बरों के दिमाग में नहीं आये हैं और जिन पर अमल किया जा सकता है, लेकिन अफसोस है कि वह नहीं आये और केवल इसी पर सदस्यों ने केन्द्रित रखा कि हमको आम तौर पर यह तकलीफ है और वह तकलीफ है। माना कि है, लेकिन इससे क्या होता है? साढ़े ६ हजार के बजाय ८ हजार गांवों को नुकसान हुआ हो या ज्यादा रकबे में नुकसान हुआ हो। माना कि दस की जगह १५ करोड़ का नुकसान हुआ हो पर इससे क्या अन्तर पड़ता है, केवल यह कहने से ही कोई लाभ नहीं है। देखना यह है कि हम क्या कर सकते हैं बाढ़ को रोकने में, दुनियां में क्या-क्या मुमकिन उपाय हैं और हम अपने रिसोर्सेज के अन्दर क्या कर सकते हैं। कहावत है अंग्रेजी में कि—"इफ विशेज वुड हैव बीन हार्सेज एवरी बडी कुड हैव रिडेन" यानी अगर इच्छा घोड़े का काम दे सकती हो तो हर आदमी सवार हो सकता है। कहना आसान है कि यह कर दिया जाय, वह कर दिया जाय और हमारे सभी मित्रों ने बहुत सी बातें दोहराईं। मैं सबको लिख लूं और फिर आप भी बैठकर उसमें और दस बारह बात जोड़ सकते हैं कि यह भी हों। लेकिन सवाल केवल यह है कि उनमें से इस परिस्थिति में हमारे लिये करना कहां तक सम्भव है। दो बातों में हमें अन्तर करना है, एक तो यह कि क्या इस सरकार की नियत में कोई खराबी है तब तो पहले उसे दूर करना चाहिये, अगर उसके इरादे में कमी हो तो बतलाना चाहिये। खास सवाल यह है कि सरकार के लिये मुमकिन है या नहीं, मुमकिन होते हुये सरकार करती है या नहीं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस सरकार का इरादा इतना ही नेक है, उसकी नियत उतनी ही पवित्र है जितनी किसी और की हो सकती है, जितनी किसी इस प्रदेश के किसी निवासी की होनी चाहिये। आखिर वह क्यों हो? अगर हम ही अपने लोगों के कष्ट नहीं मिटायेंगे तो और कौन मिटायेगा? हम लोग और वह लोग कोई दो नहीं हैं, हममें और उनमें कोई गरियत है? यह सरकार भी उन्हीं लोगों की पैदा की हुई है, यह केवल एक संगठन मात्र है, जो हमारे आर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज हैं उन्हीं का नाम गवर्नमेंट है, अगर हम यहां प्रतिनिधित्व करते हैं तो किस का? हम उन्हीं का प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से करते है।

जो एतराज किये गये उनके जवाब तो मुझे देने ही हैं। जो नोट मैंने माननीय मित्रों की मेजों पर सुबह रखाया हैं मैं समझता हूं क्योंकि वह २१ बजे के करीब माननीय

[श्री चरणसिंह]

सदस्यों को मिला इसलिये शायद पढ़ने का समय लोगों को नहीं मिला, मुमकिन है कुछ लोगों ने पढ़ लिया हो। मैं उसकी कुछ मुख्तसर न मोटी-मोटी बातें बता दूंगा। इसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं कि कहां-कहां कितनी ग्रेटुटस रिलीफ तकावी, छूट, बांध, पुल, आनाज आदि का प्रबन्ध हुआ है वह सब इस में दिया गया है। सन् ४८ में एक फ्लड कमेटी इस गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी। इस गवर्नमेंट ने तीन सब कमेटीज—रिलीफ सब कमेटी, सर्वे सब कमेटी और टेक्निकल सब कमेटी मुकर्रर कीं और टेक्निकल सब कमेटी की रिपोर्ट सन् ५३ में आई और उसकी प्रति सब मेम्बरान को दे दी गई। उस टेक्निकल सब कमेटी ने जितनी सिफारिशें की थीं उन सब सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। मसलन एक यह सिफारिश थी जैसे कि सर्वे होना चाहिये वह सर्वे हो रहा है। दूसरी बात यह कि खेती के करने में जहां किसान गलती करता है उसको सिखाया जाय वह गलती न करे, अमल में वह बात आ रही है। तीसरी बात एफोरेस्टेशन किया जाय और बांध और पेड़ लगाये जायं। चौथे यह कि बांध जहां बने हुए हैं उनमें रेगुलेटर्स हों। पांचवे ड्रेनेज सिस्टम जो है पानी के निकास का उसमें सुधार किया जाय। छठे जहां जरूरी हो सड़कों, रेल और नहर के ऊपर जो पुल हैं उनको चौड़ा किया जाय।

रिलीफ सब कमेटी की सिफारिश थी कि पहले डिस्ट्रिक्ट्स में एक कमेटी बनाई जाय, वह प्रोग्राम बनाये। फ्लड कोष हों और हर जिले में पहले से कुछ रुपया दिया जाय। ये उनकी सिफारिशें थीं। स्टेट गवर्नमेंट ने सन् ५४ में एक फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना दिया, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे माननीय मुख्य मंत्री उसके प्रधान, मैं और माननीय वित्त मंत्री उसके दो सदस्य मंत्रियों में हैं। बहुधा उसकी मीटिंग्स होती हैं। सब कमेटी पहले विचार करती है हमारे विशेषज्ञों की। फिर वह हमारे सामने आती है। जैसा कि अखबारों में यदाकदा पढ़ते रहे होंगे बहुत तफसील से उन पर विचार होता है और स्कीमें मंजूर होती हैं।

इसके बाद इसी सिलसिले में एक सर्वे और ड्रेनेज डिवीजन सन् ५४ में बस्ती में बना दिया गया और गोरखपुर और फजाबाद में दो फ्लड सर्किल्स कायम किये गये। मुजफ्फरनगर और मेरठ में, पश्चिमी जिलों में बाढ़ आने से मुजफ्फरनगर में एक फ्लड डिवीजन कायम किया जाय, लेकिन थोड़े दिनों में उस पर अमल शुरू हो जायगा।

फिर जहां तक पुलों को चौड़ा करने का ताल्लुक है उसके सिलसिले में दो कमेटीज रेलवे ब्रिज कमेटी और रोड ब्रिजेज कमेटी मुकर्रर हुईं और इन कमेटियों ने काम शुरू कर दिया और २० लाख रुपया पी० डब्ल्यू० डी० रोड्स कलवर्ट्स हैं उनको चौड़ा करने के लिये रखा गया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पुल को चौड़ा किया जाय, यह एक दम फैसला कर देना कि इसको चौड़ा कर दिया जाय यह आसान काम नहीं है। मैं श्री झारखंडे राय जी से सहमत हूं कि पुल के तंग होने के कारण पानी रुकता है। विशेषज्ञों ने यही कहा, टेक्निकल सब कमेटी ने यही बात कही लेकिन पुल जो बनाये जाते हैं वे नार्मल रन आफ की दृष्टि से बनाये जाते हैं। ५ इंच पानी आम तौर पर पड़ता है किसी जगह उसके लिये पुल बनाया गया लेकिन ५ इंच के बजाय ३० इंच एक रोज में पड़ जाय तब क्या किया जा सकता है? १०० वर्ष या ५० वर्ष पहले पुल बना था तो ५ इंच को दृष्टि में रख कर बनाया गया था अगर ३० इंच बरस जाय तो यह सब नार्मल सिचुएशन हो जाती है। ठीक है सर्वे में गलतियां हुई हैं, लेकिन यह बात कहना कि पुल अगर चौड़े होते तो वाटर लागिंग बिल्कुल नहीं होती यह गलत है। कितना ही चौड़ा पुल हो अगर एक रोज पानी ३५ इंच सालगंज में बरस जाय जब कि पूरे आजमगढ़ का औसत २२ इंच है तो कितना ही चौड़ा पुल बना दिया जाय पानी रुकेगा ही। नुकसान जो हुआ है मैं उस बात को मान रहा हूं लेकिन यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह खयाल ही कि पुल चौड़ा होता तो सारा पानी एक दम निकल जाता और नुक्सान न होता वह खयाल जरा गलत है।

इसी सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि नुकसान जो हुआ है अधिकतर पिछले वर्ष और इस वर्ष बाढ़ से नहीं हुआ है। वाटर लागिंग का लफ्ज भी मिसलीडिंग है। टेक्निकल मानी तो उसके दूसरे हैं। पानी रुका इससे नुकसान हुआ लेकिन इससे ज्यादा नुकसान हुआ लोकल रेन्स से। जितने मकान गिरे हैं क्या पानी नीचे से आया, या पानी रुक गया और इस वजह से मकान गिर गये? यह नहीं। जब कच्चे मकान ह और ९५ प्रतिशत, गांवों में कच्चे मकान हैं। तीन दिन तक पानी बरसता रहता है और एक गज पानी भर जाता है तो मकान गिरें, पर गिरें, पर गिरें। कोई इलाज नहीं। अध्यक्ष महोदय, कंट्री बोट्स काफी जिलों में दे दी जायं। तो इसमें एक नक्शा भी रखा गया है। सात जाली मोटर बोटस और तीन इंस्पेक्शन लांचेज इस साल दस यह और दे दीं, पिछले साल से कोशिश हो रही थी। परदेश से आती हैं। बड़ी मुश्किल से दस दे पाये हैं। माननीय गणेशप्रसाद जी पांडय शायद कह रहे थे कि पांच सौ गांव गोरखपुर में बाढ़-ग्रस्त हुए हैं लिहाजा पांच सौ नावें दे दी जायं। और पिछले साल पंद्रह सौ स ज्यादा गांव प्रभावित हुए थे। तो इस खयाल से कि अब की से छः हजार गांव प्रभावित हुए हैं और पिछले साल बीस हजार प्रभावित हुए थे और एक बोट एक गांव में क्या काम देगी, लिहाजा पचास हजार या तीस हजार या दस हजार नावें रख दी जाय, इस बेसिस पर रख दी जायं कि हमेशा इन गांवों में बाढ़ आयेगी ही। मैं इतना डार्क व्यू अपने सूबे का नहीं देखता कि बाढ़ आयेगी ही लिहाजा मुस्तकिल इंतजाम हो जाय, असम्भव है, हो नहीं सकता। एक तो यह अक्लमंदी का काम नहीं होगा और रिर्सोसेज की दृष्टि से हो नहीं सकता। अगर दो साल भी बाढ़ नहीं आयी तो सब गल जायंगी और हुक्के की चिलमों में नावें गायब हो जायंगी। सब जला लेंगे लोग बाग। (एक आवाज) नावों के लिए जब जरूरत होती है, राजनारायण सिंह जी, तब हमारे कलेक्टर पहले से इंतजाम रखते हैं। और बोटमेन से बात कर लेते हैं। नावों की कमी की वजह से कोई आदमी नहीं डूबा। जब किसी चीज का मिसयूज होता है तो हर तरह से वह बेकार हो जाती है। नावों की कमी की वजह से डूबते हों ऐसा नहीं है।

माननोय पालीवाल जी ने कहा कि बड़ा लांछन लगा दिया किसानों पर कि किसानों की वजह से भी बाढ़ में इजाफा होता है। किसान कोई छुई मुई हैं? उनकी गलतियां हम नहीं बतायेंगे तो कौन बतायेगा? इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारी कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज गलत हैं मसलन बहाव के समानान्तर हल का जोतना। बहुत से किसानों को हमने जोतते देखा है। अगर किसान उसके वर्टिकल जोते तो पानी धीमे बहेगा जमीन नहीं कटेगी। लिहाजा पानी भूमि के अन्दर समायेगा। इसके अलावा जहां पानी नदी का बहता है वहां जोते हुए हैं। मैं बहुत जल्दी-जल्दी कह रहा हूं। इसके अतिरिक्त मानसून के जमाने में हमारे खेत खाली रहते हैं। अगर उन खेतों में फसल हो, अगर उन खेतों में कवर क्राप्स हों, उनका नाम ही कवर क्राप्स दे दिया गया है तो पानी अन्दर समायेगा, जमीन कटेगी नहीं। स्वायल कंजरवेशन और फ्लड कंट्रोल यह दोनों इंटरलिंक्ड हैं। जो चीज जमीन की रक्षा करती है वह फ्लड को भी कंट्रोल करती है। इसी तरह से मेंड़ ऊंची रखने का रिवाज पश्चिमी और पूर्वी जिलों में भी पहले था। अगर आज से पचास वर्ष पहले का कोई किसान मिल जाय तो उससे पूछिये। एक-एक हाथ मेंड़ ऊंची होती थी। लेकिन आज दो इंच पानी बरसा और एक दम बाहर हो गया। इस तरह से अनेक बातें हैं। हमने स्वायल कंजरवेशन ऐक्ट इसी लिए पास किया जिसमें दसियों चीजें गिनायी जा चुकी हैं और उनमें से हर एक काम फ्लड कंट्रोल में सहायक होगा। उस सिलसिले में बहुत सा काम हो भी रहा है। लेकिन ज्यादा जरूरत है ऐसे मल्टीपरपज वर्कर्स की जो अफारेस्टेशन भी जानते हों, इंजीनियरिंग भी जानते हों और एग्रीकलचर भी जानते हों। तीनों विज्ञानों को सिखाने के लिये ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं। इस वर्ष १५ अक्तूबर से काम शुरू होने वाला है। २१ लाख १० हजार ९ सौ रुपया इसके लिए इयरमार्क कर दिया गया है और पांच, छः जिलों में शुरू होने वाला है काम। डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजरवेशन कमेटी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को लिख दिया गया है। वह कमेटियां बन रही ह।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, यह अफोरस्टेशन का काम भी चल रहा है और यह राप्ती के कैचमेंट एरिया में और गोमती के कैचमेंट एरिया में एफोरस्टेशन का काम शुरू कर दिया गया है। सन् ५४ में ५ लाख रुपया रखा गया था। अगले साल भी वह रिपीट हुआ और गाजिनबन इस साल भी। वन महोत्सव एक बड़ी भारी चीज है। मामूली चीज नहीं है। वन महोत्सव का काम जो हमारे यहां होता रहा है, अब भी होता है उसके मुताल्लिक मैं आपकी इजाजत से बाअदब यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मामूली चीज नहीं है। उसको मूवमेंट की तरह से हमको आगे चलाना चाहिये। उसकी महिमा अपरम्पार है अगर मैं सीधे सादे लफ्जों में कहूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और साइकोलाजिकल अपील है हमारे मासेज की उसके लिये। अगर अपनी खाली जमीन में अपने घरों के पास, अपने रास्तों के दोनों तरफ हम पेड़ लगाते चले जायं, और इस वन महोत्सव को बढ़ाते चले जायं तो बहुत काफी पानी जमीन के अन्दर सोख जायगा। फ्लड कंट्रोल टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि जितना पानी पड़ता है वह कितनी देर में, उसका कितना परसेंटेज नदी में जाता है और कितना बीच में वेजीटेशन, झाड़ी झंखाड़, बाग बगीचों और हमारी क्राप्स जो होती हैं, आखीर झाड़ी झंखाड़ सब जगह तो हो नहीं सकता। तो जो हमारा एग्रीकल्चरल लैन्ड है, उसमें जो क्राप्स होती हैं, इन सबकी वजह से कितना पानी जमीन में सोख जाता है। उसका फारमूला दिया हुआ है उसमें। मुझे ठीक याद नहीं है। शायद १/५ या १/३ पानी ही केवल नदी में जाता है और ४/५ या २/३ पानी जमीन के अन्दर चला जाता है। फ्लड कंट्रोल के सिलसिले में माननीय त्रिपाठी जी को ज्यादा मालूम होगा, शायद ही किसी और प्रदेश में इस तेजी से और इस एफिश्यैंसी के साथ फ्लड कंट्रोल का काम हुआ हो। फ्लड कंट्रोल में तो एफारेस्टेशन वगैरह सभी आता है लेकिन जो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के जिम्मे काम है वह जैसा कि हमारे प्रदेश में हुआ वह शायद ही किसी और प्रदेश में हुआ हो। २० लाख १० हजार एकड़ जमीन ऐसी है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहां बाढ़ आने की संभावना रहती है। इन साठ सालों के अन्दर उसमें से ९ लाख एकड़ जमीन की हिफाजत करने के लिये ३०० मील बांध बांधने हैं। २६३ मीटर की स्कीम है जिसमें से कोई २०३ मील की लम्बाई तक बांध पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा फ्लड लाइन में जो गांव पड़ते हैं उनमें से २,२०९ गांवों में उनको सतह ऊंची की जा चुकी है और ९६७ गांवों में काम चल रहा है।

इसके अलावा कई शहर हैं जिनको खतरा है मसलन वाराणसी। वाराणसी का बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। ५५ लाख रुपये से वहां के जो घाट वगैरह हैं उनकी दुरुस्ती शुरू हो गयी है। कई घाटों पर काम हो रहा है। दीर्घकालिक योजना में फ्लड डिटेंशन रिजर्वायर की स्कीम है। यह कहा गया कि रिजर्वायर बिजली का भी काम देंगे। उनसे बिजली भी पैदा होगी और इर्रीगेशन भी हो सकेगा। लेकिन इस तरह के रिजर्वायर मैदान में नहीं बनाये जा सकते। बिजली तो तब पैदा होगी जब कि पानी ऊपर से नीचे गिरेगा। इसलिये यह मैदानों में नहीं हो सकती। राप्ती परफ्लड डिटेंशन रिजर्वायर की स्कीम जो है मैं पूरी बनाकर प्रोजेक्ट एस्टीमेट और १३ फ्लड डिटेन्शन रिजर्वायर के संबंध में ४,६०,२९,००० रुपये की लागत की स्कीम सेंट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन को भेज चुका हूं।

बरेली जिले में बहगुल नदी पर फ्लड डिटेंशन रिजर्वायर बनवाने के लिये ४३ लाख रुपये की स्कीम भी सेंट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन के पास भेजी जा चुकी है। इसके अलावा जलबुन्डी में राप्ती नदी पर १४ करोड़ रुपये की लागत का एक बांध बांधने की योजना भी सेंटर को भेजी जा चुकी है।

राजापुर, अनूपशहर, बटेश्वर और मथापुर शहरों की हिफाजत के लिये ५७ लाख रुपये की स्कीम मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा यह कि उसके अन्दर सवा गुना रखा है। गो वक्त की कमी के कारण ज्यादा नहीं कहता लेकिन अब तक कुल २,७४ लाख खर्चा हो चुका

हैं और ३,२० लाख रुपया इस साल इस तरह के कामों पर खर्च करने के लिये मौजूद है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय एक शंका का जिक्र किया था एक सज्जन ने कि जहां सब लोग जाकर रहें तो १७,३५,००० रुपया इसके लिये मंजूर हुआ है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड से और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी रुपया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को दे दिया गया और काम जारी है। जैसा मैंने आप से कहा कि जो फ्लड रिलीफ सब-कमेटी थी उसकी सब सिफारिशों पर अमल होगा और सन् ४८, ४९ और ५१ में जिलाधीशों को यह अधिकार दे दिया गया कि रिलीजस प्लेसेज को छोड़ कर मकान, लकड़ी, जमीन अगर जरूरत हो तो सब रिक्वीजीशन कर ली जाय, बल्कि एक्वायर कर ली जाय इस तरह का लेजिस्लेशन बना दिया गया है और मई में १०,००० रुपया हर जिले को दे दिया गया और उसके सारे जी० ओ० जितने इस सिलसिले में जारी हुये वह भी माननीय मित्रों को सप्लाई कर दिये गये। और यह भी कह दिया गया कि रुपये की कमी की वजह से किसी की जान न चली जाय और कष्ट मिटाने में कोई कमी न रखी जाय। जुलाई में जितने फ्लड एफेक्टेड एरियाज होते हैं वहां के फारेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान को लिख दिया कि घास वगैरह दो और जिस वक्त कलेक्टर कहे जंगलों को फौरन खोल देना। बांदा के डी० एफ० ओ० से कहा गया कि घास वहां से एकदम सप्लाई की जायगी। भूसे के लिये हमने एक कंट्रेक्ट कर लिया और कलेक्टर को लिख दिया और रेलवे को लिख दिया कि सीधे बात करें गवर्नमेंट से बीच में कहने की जरूरत नहीं है और जहां से भी मांगा जाता है और मांगा गया उस जगह पर सप्लाई कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसान के लिये जानवर उतना ही प्यारा है जितनी उसकी खेती या जमीन। उसके बिना वह चल नहीं सकता है। तो किसान को जान भी उतनी ही प्यारी है। मवेशी के लिये चारे का जितना भी मतालबा किया गया वह हक बजानिब है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चारे को मुहइया करना कोई आसान काम नहीं है। मुजफ्फरनगर में ख्याल यह है कि शायद चारा होता होगा। अब की सेकेंड जुलाई को जो ३० इंच वर्षा मुजफ्फरनगर में हुई वह ४३–४४ गांवों में हुई। वह इंटेंसिव थी, एक्सटेंसिव नहीं थी। तो यह तय हुआ कि वहां से चारा मंगाया जाय, लेकिन कंट्रैक्टर ने कहा कि वहां से नहीं मिल सकता मध्यभारत से मंगायेंगे। तो वहां से मंगाते-मंगाते देर हो गयी और जब आया तो उसको लिया ही नहीं। फिर सुना कि सहारनपुर वाले मांगते हैं तो ठा० फूलसिंह जी को दे दिया, उसके बाद मुझे नहीं मालूम है कि उसका क्या हुआ। तो चारा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, मध्य भारत से और बाहर से मंगाना पड़ रहा है। मान लो तराई में कहीं चारा मिल जाय, कुछ थोड़े से फार्म हैं बड़े-बड़े, लेकिन वह कितना सा होगा? फिर ट्रांस्पोर्ट की कैपेसिटी नहीं है। हमारी तरफ से यह है कि जितना चारा दिया जाय ट्रांस्पोर्ट फी गांव तक पहुंचा दिया जायेगा, लेकिन मेरा तजुरबा है ४–५ साल की बाढ़ का कई जिलों का जब तक चारा किसान के पास पहुंचता है तो देर लगती है। उसके गोदाम हर जिले के अन्दर बनाये जायं यह बहुत मुश्किल बात है। उसकी जिस वक्त जरूरत पड़ती है, हम मंगाने की कोशिश करते हैं। जब तक चारा पहुंचता है तब तक वहां घास पैदा हो जाती है और किसान लेता नहीं। एक दफा तो ऐसा हुआ कि जब लिया नहीं तो मैंने कहा कि एक रुपये मन की माफी। फिर भी कम डिमांड रही तो दो रुपये की माफी कर दी। तब भी नहीं लिया तो फिफटी परसेंट की माफी। आखिर यह हुआ कि मुफ्त देना पड़ा। यह मैं आजमगढ़ की बात कहता हूं। तो चारे की बेशक जरूरत है, लेकिन फ्लड ५–७ दिन में उतरता है तो जो थोड़ा बहुत चारा होता है उससे लोग दिन काटते रहते हैं, उसके बाद फौरन घास पैदा हो जाती है। तो जब चारा पहुंचता है तो न तो किसान लेते हैं और न हम इतना पहुंचा ही सकते हैं। सूखी घास है, उसको भेजते हैं। बहुत सी जगह पर जानवर उसको खाते नहीं हैं क्योंकि उसमें से एक प्रकार की स्मेल आती है और खाते भी हैं तो बड़ी मजबूरी से खाते हैं तो वह हमने भेज दी है। चारे का मसला बहुत ही कठिन है और माननीय मित्र यदि कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशन देंगे तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, हमने चारे का इंतजाम कर दिया जितना हो सकता था। इस समय तो सवाल शेल्टर का है। लाखों घर गिरे गये, पौने दो लाख के करीब गिर गये और सर्दी आ रही है, सर्दी में बच्चे हैं, औरतें हैं बड़ी मुश्किल होगी और किसी गांव में पचास घर गिर गये तब तो यह है कि वह वहां जाकर सहारा ले लेंगे। लेकिन जिस गांव में पूरे घर गिर गये हैं वहां बड़ी दिक्कत होगी। गाजीपुर में २२१ हैं जो बिल्कुल साफ हैं, वह लोग कहां जायं। क्या करें ? फिर ऊपर से पानी और ठंड का जमाना होता जा रहा है। परसों माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने सहयोगियों के साथ इस पर विचार किया तो जो चीज हम जहां तक कर सकते थे वह की है और करने की कोशिश कर रहे हैं।

थैचिंग के बारे में मैंने गवर्नमेंट आर्डर मेज पर रख दिया है, जो हमने जुलाई में भेज दिया था और कहां-कहां से मिल सकेगा, इसके लिये मैं आपकी इजाजत से जो रिपोर्ट है उसको बताना चाहता हूं। थैचिंग के कोई बड़े मचेंट्स तो होते नहीं हैं। इसको लोग बैशाख और जेठ में ही लाते हैं। सब जगह की रिपोर्ट है कि पहली नवम्बर को सप्लाई कर सकेंगे। एक सजेशन था कि कच्ची घास ले ली जाय। लेकिन हमारे जो सेक्रेटरी जहूरुल हसन साहब हैं उन्होंने कहा कि कच्ची घास तो सड़ जायगी। यह मोटी बात हम समझे नहीं थे। इस लिये जहां तक हम कर सकते थे, हमने किया उसका नतीजा यह है कि बहुत थोड़ा है।

देवरिया से कहा है कि उन्होंने खीरी से रिपोर्ट मांगी है। वह ४५ हजार रुपये का बिल्डिंग मैटीरियल दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आफिसर गोंडा से १,५०० कोरोस, ४,००० देशी पोल्स और ३०० छोटी बल्लियों के लिये कह दिया है। बलिया ने कहा है कि रिक्वायरमेंट बिना रेट्स के नहीं भेजे जा सकते और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट आफिसर (फारेस्ट) को कांटेक्ट किया है। मिर्जापुर की फारेस्ट अथारिटीज लकड़ी, बैम्बूज वगैरह देने के लिये तैयार हैं। तहसीलदार मिर्जापुर, चुनार से आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है। गोंडा वालों ने कहा है कि पहली नवम्बर के बाद दे सकते हैं। बस्ती वालों के लिये उन्होंने लिखा है कि २७,००० बैम्बूज, ६,००० बल्लियां और ९,००० मूंज की गांठें, यह हमने डिस्ट्रिक्ट आफिसर, गोंडा से मांगी हैं। गोरखपुर में डी० ओ० को कांटेक्ट किया है और एस्टीमेट तैयार हो रहे हैं। नैनीताल के लिये कहा है कि :—

"Poola grass can be made available from Kitcha Tehsil on availability of wagons at Kitcha and Lal Kna. Rate Rs. 5—. per md."

रेलवे वालों के लिये आर्डर्स हैं फौरन कहेंगे कि भेज दो। इसी तरह से बदायूं के लिये कहा है कि पूलाज १४ रुपये सैकड़े के हिसाब से अवेलेबिल हैं। लेकिन हमारे अधिकारियों ने इसको बहुत ज्यादा बतलाया है। खीरी ने आफर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी और देवरिया को पहली नवम्बर के बाद थैचिंग ग्रास की सप्लाई करने के लिये। यह पोजिशन है। लोगों ने टीन डालने के लिये भी कहा है। इसके संबंध में माननीय रसद मंत्री जी ने कहा है लोहा, टीन और सीमेंट यह विषय सेंट्रल गवर्नमेंट का है और यह बहुत कम मिल पाते हैं जिससे प्रांत की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री जी से बात की थी तो उन्होंने कुछ देने का वादा किया है। हमने उनको लिखा है कि वे जल्दी से करूगेटेड आयरन शीट्स दें ताकि शेड्स बन जायं और वे हम स्कूल बनाने वालों को देंगे। वे सस्ते भी बन जायेंगे और ११ महीने इन स्कूल वालों के काम आयेंगे। इसके अलावा जो वर्षा हुई है उसके आंकड़े इसमें दे दिये गये हैं। जितना एरिया एफेक्टेड हुआ है और जितना नुकसान आदमियों का, जायदाद का और मकानों का हुआ है यह सब दिया गया है और चार, पांच साल का कम्पेरिजन कर दिया है।

इसके बाद कितना-कितना रुपया हर एक को दिया वह भी दे दिया है। माननीय रामकुमार शास्त्री ने कहा कि बस्ती को न भूल जायंगे। भूल कैसे सकते हैं? इसमें हमने ९ जिलों को गिना रखा है और इन ९ जिलों को ६१ लाख रुपया दिया है। उसमें से बस्ती को ५ लाख ६५ हजार रुपये दिये हैं। अगर बराबर-बराबर तकसीम करते तो ६ लाख ७७ हजार आता। लिहाजा अगर १ लाख ११ हजार की कमी है तो इसको भूलना नहीं कह सकते। (एक सदस्य---नुकसान कितना हुआ है?) नुकसान तो बहुत हुआ है क्योंकि कम कहूंगा तो अभी झगड़ा हो जायगा। फिर और रुपया दिया जायगा। यह बस थोड़े ही हैं और जिलों के मुकाबले में नुकसान कम हुआ है।

यह बात ठीक है कि मोटे गल्ले की बहुत मांग है। वह हमारे पास बहुत कम है। गेहूं दिया जा रहा है और गेहूं जिस भाव से दिया जा रहा है उससे जो मार्केट है वह स्टेडी हो गया है। फ्री मार्केट ने गेहूं के दाम बढ़ा दिये थे। मुझको देवरिया के कलेक्टर ने बतलाया कि जिस भाव से हम गेहूं दे रहे हैं वही भाव प्राइवेट ट्रेडर का हो गया है।

श्री राजनारायण---क्या भाव दे रहे हैं?

श्री चरणसिंह---२ सेर १० छटांक दे रहे हैं। इसमें भी २ रुपये २ आने का नुकसान हो रहा है फिर भी और सस्ता करने का विचार है। तीन सेर देने का विचार है। गल्ले के बाबत जो यह बात कही गयी है कि जो आये सब को मिलना चाहिये, यह नहीं हो सकता। उसमें तो फिर बिजनेसमैन भी खरीदेगा और हर आदमी रोज खरीदेगा और फिर बिजनेसमैन को देगा। लिहाजा उस पर किसी प्रकार का कंट्रोल तो जिलाधीश को रखना होगा और वे रख रहे हैं अपनी बुद्धि से। मसलन् आजमगढ़ में वे टिकट देते हैं। जितने रुपये कि ग्रेटुइशस रेलीफ़ देते हैं उतने रुपये के टिकट दे देते हैं। उससे वह उतने रुपये का गल्ला ले सकता है और सस्ते भाव से जो बाजार में नहीं मिल सकता।

माननीय राधामोहन सिंह ने कहा कि बीमारियां हो जाती हैं। किसको नहीं मालूम कि बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन क्या उनको फैलने दिया गया है? आखिर काम तो हो रहा है। नम्बर आफ़ पेशेन्ट्स ट्रीटेड ६१,२८९। वेल्स डिसइन्फेक्टेड ४७,८९९। एंटी-कालरा इनआकुलेशन १,७७,२६८। लाखों जानवरों के टीके लगाये गये होंगे। वर्षा से बीमारी उतनी नहीं फैलती जितनी पानी रुक जाने से फैलती है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से निहायत एफ्शेन्सी के साथ काम हो रहा है।

कपड़े की बाबत कुछ तो गिनाया गया है। इसके अलावा मिलिटरी डिस्पोजल्स से १९,९९३ शर्ट्स; १,२६८ जैकेट्स और ४ हजार बर्मीज लुंगी। शायद कुछ और कपड़ा है। इसके लिये हमने कलेक्टर्स से कह दिया है कि वे सीधे उनको आर्डर्स प्लेस कर दें और मिलिटरी वालों से कह दिया है कि जो जो आपको आर्डर्स प्लेस करता जाय आप देते जाइये।

अध्यक्ष महोदय, दस मिनट का टाइम मुझे ६ बजे के बाद और दे दीजिये। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

श्री राजनारायण---१५ मिनट का समय आपको दे दिया जाय लेकिन जो प्रश्न पूछे जायं उनका भी उत्तर देते जाइये।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, तो जब तक आप बोलते रहें तब तक सदन बैठा रहेगा।

श्री चरणसिंह---तो गवर्नमेंट के जो ड्यूज थे उनकी वसूलयाबी रोक दी गई, हर तरह की वसूलयाबी रोक दी गई। कितनी-कितनी, किस-किस जिले में बाकी थी उसका हमने स्टेटमेंट में विवरण दे दिया है। रेड्क्रास की तरफ से, नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल की तरफ से, आर्मी अथारिटीज की तरफ से भी इमदाद हुई है।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, यह नोट परसों तैयार हुआ। उसी रोज शाम को हमारे पास न्यूज धीरे-धीरे आने लगी पश्चिम के जिलों से। अभी तक हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं बहुत थोड़ी सी रिपोर्ट है, गालिबन आज भी बारिश कुछ जिलों में हो रही है। जो आयी हैं वह मैं आपकी इजाजत से सुना देना चाहता हूं।

बुलन्दशहर की रिपोर्ट यह है कि काली नदी शहर के अन्दर घुस गई है। बांध वहां का टूट गया है और वहां से खदर आई है कि पानी ही पानी है। हमने ५० हजार रुपया वहां दे दिया है। इसके अलावा जो गंगा की नहर है बुलन्दशहर के पास उसका बांध टूट गया है। उससे बहुत से गांवों में नुकसान हुआ होगा। कितना हुआ है यह नहीं मालूम। गंगा की नहर बहुत पुरानी नहर है। मुमकिन है कि एकाध दफा पहले टूटा हो लेकिन उसका टूटना यह जाहिर करता है कि पानी उसमें बहुत आया और इतने बड़े-बड़े बैंक्स भी उसको विदस्टैंड न कर सके।

मेरठ की खबर यह है कि हस्तिनापुर खादर के कुछ गांव वहां हटा लिये गये हैं। पहले तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वे नहीं तैयार हैं लेकिन हरिद्वार से यह खबर आयी है कि ११ तारीख की सुबह बहुत जबर्दस्त फ्लड आया है। हमने कलेक्टर से कहा कि उनको निकालने की कोशिश करो, उन्होंने बताया कि सड़कें कटी हुई हैं, रास्ते कटे हुये हैं, मवाना से गढ़मुक्तेश्वर जाने वाली सड़क कटी हुई है। एड़की से मोटर बोट मंगाने का विचार किया गया तो मुजफ्फरनगर से आने वाली सड़क कटी हुई है। गाजियाबाद तहसील में जहां पिछले साल भी बाढ़ आयी थी और काश्त में भी नुकसान हुआ था अब वहां मोदीनगर के आसपास कई गांव जो बिलकुल मेरून्ड हैं उनका पता नहीं है। मोदीनगर की जो ६, ७ फैक्टरीज हैं उनका काम बन्द है। चारचार फीट पानी उन सब फैक्टरियों में घुसा हुआ है। वह रास्ता बन्द है। हेलीकाप्टर से कुछ पता चल सकता है कि गांवों की क्या हालत है, कितने मैरून्ड हैं ? जो डेलही की अथारिटीज हैं हमने उनसे कहा है कि वह हमारे लिये हेलिकाप्टर्स अवेलेबुल कर दें ताकि वहां के कलेक्टर और दीगर आफिसरान इसका सर्वे कर सकें। वह मिला या नहीं मिला इसकी हमें इत्तिला नहीं है क्योंकि आज ही सुबह हमने दिल्ली वालों से बातचीत की है। शहर में भी, बलवीर सिंह जी ने भी मुझसे कहा और कलेक्टर ने भी बताया कि शहर के अन्दर जो नाले हैं उनसे तीन-तीन, चार-चार फुट जिन मुकामों पर पानी की गुंजायश नहीं थी वहां भी मेरठ शहर के अन्दर पानी है।

खीरी से खबर आयी है कि ९ अक्तूबर को वहां साढ़े ६ इंच पानी बरसा। गोरखपुर में ८ इंच पानी कल की खबर है कि ३६ घंटों में बरसा। मैंने कहा था कि फिर दोबारा पूर्वी जिलों में वर्षा हुई। रामपुर की एक तहसील है मिलक वहां ९ अक्तूबर की खबर है कि १३ इंच पानी दो तीन दिनों में बरसा। रिवर्स कोसी ऐंड रामगंगा आर इन हाई फ्लड्स। मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में बहुत ज्यादा पानी आया है। गंगा तो हेवी फ्लड्स में हैं ही, जमुना में भी बाढ़ आयी है। मेरठ में जमुना भी बढ़ी है। ४० स्क्वायर मील की एरिया में बहुत से विलेजेज कम्प्लीटली मैरून्ड हैं। जानसठ की तहसील की बिल्डिंग के अन्दर पानी घुस गया और वहां का रेकर्ड और डबल लाक वगैरह सब कुछ एफेक्टेड हुआ। खैर वहां रेकर्ड वगैरह निकाले जा रहे हैं। इस के अलावा जो और वर्षा की रिपोर्ट्स हैं वह बस्ती की हैं। बस्ती में ८ इंच कल पानी पड़ा। टेहरी गढ़वाल में ६.८ इंच परसों पड़ा खानोलोटी में। बरेली में ६.३३ इंच पानी पड़ा फरीदपुर की तहसील में। बदायूं में साढ़े सात इंच पानी पड़ा है दाता गंज में आठ तारीख को। इसके अलावा जो और रिपोर्टें आई हैं उसमें है मथुरा जहां दो दिन में साढ़े आठ इंच पानी पड़ा। शाहजहांपुर में ६ इंच से ज्यादा पानी पड़ा दो दिन में। बांदा में सात इंच से ज्यादा पानी हुआ दो दिन में और नैनीताल में १६ इंच पानी हुआ दो दिन में। सुल्तानपुर में खैर थोड़ा पानी हुआ लेकिन

प्रतापगढ़ में ढाई इंच पानी बरसा। इसके अलावा सहारनपुर म सवा सात इंच, देहरादून में पौने सात इंच, गढ़वाल में सवा चौबीस इंच दो दिन में, टेहरी गढ़वाल में १२ इंच, मुरादाबाद में पौने पांच इंच और झांसी में सात इंच से कुछ ज्यादा पानी गिरा। यह वर्षा की रिपोर्ट वहां से आई है। तो नुकसान हुआ होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब जो बातें कही गई हैं नुक्ताचीनी और आलोचना के रूप में, आप की इजाजत से मैं उनका जवाब मुख्तसर में देना चाहता हूं। कहा यह गया कि साहब क्यों मुसीबत है। बदकिस्मती हमारी है और हमारे यहां लोगों की कमर टूट गई है विशेषकर पूर्व के जिलों में। जिसको स्टेइंग पावर कहते हैं, दैट हैज गान दैट हैज डिस्एपियर्ड आलटुगेदर। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे गलत नतीजा निकालना मुनासिब नहीं है। उससे फायदा क्या? मसलन माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि क्योंकि यह सूरत हो गई है इसलिए क्राइम बढ़ गया है और सब से ज्यादा क्राइम ईस्टर्न डिसिट्रक्ट्स में होता है। मैंने होम सेक्रेटरी से कहा कि भाई, जरा आंकड़े दे दो। आंकड़े यह हैं, सन् ५५ के लेटेस्ट जो आंकड़े हैं क्राइम के वह हैं १०·४ प्रति १० हजार की पापुलेशन पर। यह स्थिति है सारी। लीस्ट, गोरखपुर डिवीजन के हैं ७.२। यह लीस्ट है और दो, तीन डिवीजन के आंकड़े भी मेरे पास हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी हैं लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं उन्हें छोड़ दे रहा हूं।

श्री राजनारायण---देवरिया के कितने हैं?

श्री चरणसिंह---देवरिया के पता नहीं कि बनारस के कौन हिस्से के साथ कैसे कंपेयर होंगे। मेरे पास ज्यादा जानकारी है नहीं और इसलिये मैं बता नहीं रहा हूं। इसी तरह से डकैती, राबरी, मर्डर वगैरह के जो क्राइम हैं वह वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा होते हैं बनिस्बत ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के। क्राइम चाहे भी जितना हो और चाहे रामपुर में हो, गोरखपुर में हो, वाराणसी में हो या देवरिया में हो, वह सब अनडिजायरेबिल है। मैं केवल यह इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मुसीबत से उसका कोई वास्ता नहीं और आगे को माननीय गेंदा सिंह जी शायद इस गलत दलील को कहीं नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष---मुझे भी सतर्क कर रहे थे। वह सो रहे थे। लेकिन उन्होंने बात नहीं कही। उन्होंने कहा था कि इस पर भी क्राइम नहीं होता।

श्री गेंदासिंह---बिलकुल यही कहा था।

श्री चरणसिंह---मैं माफी चाहता हूं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, उस समय राजस्व मंत्री सो रहे थे।

श्री चरणसिंह---अब मैं कल रिपोर्ट को देखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह जो ड्रेनेज को अंडर एस्टीमेट करने की गवर्नमेंट की पालिसी है वह क्यों? कोई वजह है? क्या हम इंस्टीगेट करते हैं अफसरों को कि वह ऐसी रिपोर्ट देते हैं? वह किस के फायदे की चीज है कि अगर किसी को कष्ट है तो वह लोगों से छिपाया जाय। क्या वह हमारे लिये फायदे की होगी? क्या अफसरों के लिये फायदे की चीज होगी? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं। किसी के लिये भी वह फायदे की चीज नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात जानकर खुशी हुई कि यहां पर अफसरों की आम तौर पर कोई शिकायत नहीं की गई। यह नहीं कहा गया कि उन्होंने अपने काम में कोताही की है, बल्कि कुछ तारीफ ही की गई है कि उन्होंने बड़ी तंदेही से, बड़ी लगन से काम किया है। जिन्होंने इस लगन से काम किया हो वह अंडर एस्टीमेट क्यों करेंगे। आदमी का कैरेक्टर तो एक होता है। जो ईमानदारी से काम करता है वह ईमानदारी से रिपोर्ट भी देगा।

[श्री चरणसिंह]

कहा गया कि पडरौना में ३२ आदमी मर गये और २५ लिखे हुए हैं। २५ लिखे हैं देवरिया में और पडरौना में लिखे है १०। कलेक्टर जानता है कि यहां पर गेंदा सिंह जी जरूर मिलेंगे, पूछताछ करेंगे। उसने सब चीजें अलग-अलग दे दीं। खैर, मेरे पास है यह रिपोर्ट। पडरौना में १० या ११ की मृत्यु हुई है, लेकिन आप कहते हैं कि ३२ मर गये। ३२ से ज्यादा है, मेरे खयाल में जितना आपने बतलाया है उससे ज्यादा है। ५ १/२ लाख देवरिया की आबादी है। वहां पर एक हजार में २७ आदमी मरते हैं हर साल और ४० आदमी पैदा होते हैं। तो इस हिसाब से १४,८५० पूरे जिले में हर साल मरते हैं और एक तहसील में १,२३७ १/२ आदमी मरने चाहियें और एक महीने में इस बाढ़ के अलावा और आदमी मरने चाहियें लेकिन आपने उस हिसाब को नहीं लगाया। इस वजह से मेरा कहना यह है कि आप अन्डर एस्टीमेट न किया करें। मेरा खयाल यह है कि जितने आदमी वहां पर मरे हैं हर एक की डिटेल यहां पर दी हुई है कि कौन आदमी कैसे मरा है। ३२ की डिटेल नहीं दी हुई है। मुझे तो गेंदा सिंह जी से शिकायत है और वह यह है कि मैं उनसे यह उम्मीद करता था कि स्टार्वेशन डेथ बतलायेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे पास २, ३ फाइल हैं। जैसुखिया की और लुहारी की पहले खबर दी थी। और सम्पूर्णानन्द नगर के बारे में तो आप हर साल खबर दिया करते हैं। वहां के लिये भी कहा था कि स्टार्वेशन से डेथ हुई है अमुवाखास में, लेकिन वह गलत साबित हुई है। जनवरी में गलत साबित हुई है और मार्च में भी गलत साबित हुई है जिसके मुताल्लिक आपने खबर दी। आपने तार भेजा था कि वहां पर भगवानदास कोई मर गया। मैंने सेक्रेटरी से कहा कि अमुवाखास में कोई स्टार्वेशन की डेथ हुई है क्या, इसकी कलेक्टर से इन्क्वायरी कीजिये और इसकी उनसे रिपोर्ट मंगा लें। वह बात बिल्कुल गलत निकली। गंडक ने जिन लोगों की जमीन काट दी है उनको जमीन की जरूरत है। २१ आमदियों ने दरख्वास्त दी है उनको खीरी में बसाने का प्रयत्न किया जायगा। यह इत्तिला हमने वहां और लोगों को भी दी है कि जो जाना चाहे उनको हम जमीन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पर कोई स्टार्वेशन डेथ नहीं हुई।

दूसरी बात यह कही गयी कि २१ हजार आदमी एफेक्टेड हुये। यदि आप ४२ हजार भी कहते तो आपकी राय को कौन बदल सकता था। आखिर हमारे पास तो हर एक गांव की रिपोर्ट आती है। फिर यह कहा जाता है कि एक करोड़ टन अनाज बरबाद हो गया। मेरे पास यह मन्थली बुलेटिन है जो स्टेटिस्टक्स का होता है। हमारे यहां जो फसल पैदा होती है खरीफ की वह २.८ करोड़ टन पैदा होती है सारे सूबे में जिसका मतलब यह हुआ कि ८० करोड़ मन पैदा होती है। तो उसमें से एक करोड़ टन बरबाद हो गया तो फिर क्या होगा। मैं समझता हूं भगवान् करे गेंदासिंह जी का यह कहना सही साबित न हो वरना कहत रखा हुआ है और हम सब मर जायेंगे, ऐसी बात नहीं है। इससे साफ साबित होता है कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने दिमाग में कितनी गलत तस्वीर छिपाये फिरते हैं। इससे प्रदेश का नुकसान होता है और उनके विचार सही नहीं रहते हैं। अब इसी पैमाने पर जो गेंदा सिंह जी ने और बातें कहीं है उनका भी अन्दाज किया जाय तो मालूम होगा कि वे भी कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं।

इसके अलावा यह कहा गया कि लेखपाल पर रिलायन्स न किया जाय तो फिर माननीय गेंदा सिंह जी या जगन्नाथमल्ल जी या झारखंडे राय जी पर रिलायन्स रखा जाय। किसी सज्जन ने कहा कि रिलायन्स किस पर की जाय। हमने पिछले साल यह ऐस्टीमेट किया था कि सवा या डेढ़ करोड़ रुपये के अन्दर हमें मालगुजारी माफ करनी होगी। ४० लाख रुपये की माफी की सिफारिश खरीफ के लिये १३६३ फसली में लेखपालों के जरिये

आई थी। बस्ती में १२ लाख रुपये की माफी थी। यदि २५ लाख रुपया तो एक फसल में वसूल हो और १२ लाख रुपया माफ हो जाय तो इससे साबित होता है कि कितना काम किया जाता है। राजनारायण जी मालूम नहीं कहां से फीगर्स ले आये। ३ अरब ४६ करोड़ रुपये की कुल खरीफ की फसल होती है। यह जरूर है कि फीगर्स को रट लेना आसान है लेकिन भूलना कठिन है। इसमें टोटल डैसट्रक्शन नहीं लिखा है, डैमेज लिखा है। उन्होंने १६ आने का पड़ता फैला दिया। मकानों में मालूम नहीं कैसे ग़लती कर गये। २ लाख बतला गये हैं बजाय १ लाख ७४ हजार के। नुकसान बताया २ करोड़ ४५ लाख का, एक डिजिट ही गायब, जब कि नुकसान पड़ता है १ करोड़ ४५ लाख का।

हम चाहते हैं कि रबी की फ़सल को एनकरेज दिया जाय। मैं गेंदा सिंह जी से सहमत हूं कि हम बड़ी खिदमत अपने लोगों की करेंगे कि जहां पैडी ज्यादा होती है वहां अगर रबी की फ़सल को बढ़ाया जाय और मसलन् धान और मक्का दोनों के लिये एक दफा कोशिश की गई थी। ज्यादा बारिश हो गई तो मक्का मर जायगी और कम हुई तो धान मर जायगा। रिजरवायर, ड्रेनेज सिस्टम का सर्वे हो रहा है। कहा गया कि विलेज लेविल का काम पंचायतों को दे दिया जाय और न करें तो पंचायतें मंसूख कर दी जावें। बात तो अच्छी मालूम होती है। लेकिन यह सम्भव नहीं है क्योंकि पंचायतें अपना टैक्स ही वसूल नहीं कर पाती हैं और यह उनके ऊपर और बोझ हो जायगा।

कहा गया कि टैस्ट वर्क्स लार्ज स्केल पर खोले जावें। हमने तो देवरिया में १२-१२ महीने चलाये हैं और वहां १३ लाख खर्च हो गया है। लेकिन आज के दिन तो टेस्ट वर्क्स नहीं हो सकते हैं। कलेक्टर कहता है कि जमीन कच्ची है, गारा है, जैसे ही मिट्टी सूख जायगी टैस्ट वर्क्स शुरू कर दिये जावेंगे। इसलिये उसके लिये सरकार को कोक्स करने की जरूरत नहीं है। उससे काम सुधर नहीं सकता है। सरकार जब समय आवेगा और टेस्ट वर्क्स चलाना सम्भव होगा तुरन्त टेस्ट वर्क्स चलावेगी। कहा गया कि १०, १५ या २५ रुपये की जगह कम से कम १०० रुपया मकान के लिये देना चाहिये। लेकिन हमने तो २५० रुपया की इजाजत दे रखी है। कहीं काठ आधा बच गया है, तो मकान फिर हो सकता है, वे बना सकते हैं। कच्ची दीवारें तो अपने हाथ से खड़ी कर सकते हैं। २५ रुपया उनको ग्रेचुटस रिलीफ दिया जा रहा है और लोन २५० रु० तक मिल सकता है। वेल्स रिपेयर कराये जायं इस पर विचार किया जायगा। एक बात यह कही गयी कि मार्च तक स्कूल और कालेजों की फीस माफ की जाय। हमने चार महीने की अक्तूबर से जनवरी तक कि की है अगर रिसोर्सेज और हुए तो आगे भी देखा जा सकता है। इसके अलावा उस समय अगर आवश्यकता होगी तो गवर्नमेंट उस पर भी विचार करेगी और हमदर्दी के साथ विचार करेगी। जहां तक हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट की फीस की बात है और यूनिवर्सिटी की फीस की बात है, इस स्टेटमेंट के आखिर में एक स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि माननीय मुख्य मंत्री के कोष से कुछ रुपया लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस यूनिवर्सिटीज को भेजा गया है। उनको १५ हजार रुपया दिया गया है। आगरा की बात बाद को आयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां के वाइस चांसलर को लिख दिया है कि उस एरिया के लड़के जो वहां कालेजों में पढ़ते हों उनके लिये रिकमंडेशन करें तो उन पर विचार किया जायगा। मेडिकल कालेज लखनऊ और कानपुर के लिये कुछ रुपया रख दिया गया है।

शुगर फैक्टरी के चलाने की जल्दी कोशिश की जाय। इसके बारे में विचार किया जायगा। कहा गया कि रबी सीड प्रोवाइड किया जाय लेकिन वह नहीं किया जा सकता। सीड स्टोर्स से इम्प्रूव्ड सीड दिया जाता है जो सवाया वापिस लिया जाता है, जिससे उसकी मिकदार बढ़ सके। अगर उसको बांटा जाय तो स्टेट के दसवें

[श्री चरण सिंह]

या पांचवें हिस्से को भी हम नहीं दे पायेंगे। इसलिये वह इस तरह की विपत्तियों में नहीं दिया जा सकता । उसके लिये तकावी दी जाती है वह फ्री मार्केट से उसको खरीदें और कोई इलाज नहीं है। अब सीड के लिये यह भी हो सकता है वह जरमीनेट ही न हो। अगर ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आयेगी।

जब और कोई बात नहीं सूझी तो कहा गया कि कमीशन मुकर्रर कर दिया जाय। जब फ्लड कंट्रोल बोर्ड मौजूद है तो उसकी क्या आवश्यकता है? माननीय राजनारायण जी ने कहा कि मकान बना दिये जायं गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छा, क्या यह मुमकिन है? अब दो लाख मकान बनाये जायं। जरा उसको ५०० से जरब तो कर लीजिये।

एक बात माननीय देवनन्दन शुक्ल जी ने कही। उन्होंने यह कहा कि अब तक बाढ़ पूर्व ही पूर्व में आया करती थी अब पश्चिम में भी आयी है। पश्चिम के विधायकों को अब इस बात का एहसास हो जाना चाहिये कि पूर्व में बाढ़ आने से कितना कष्ट होता है। उन्होंने एक लेटर भी लिखा है और उसकी कटिंग भी मैंने अपने पास रख ली है, उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बात लिखी है। उससे यह जाहिर होता है कि पश्चिमी इलाके के विधायक जब दूसरे इलाकों में मुसीबत आती है तो उसके लिये जो इम्दाद दी जाती है उसमें अड़चन पैदा करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि उस कष्ट को दूर न किया जाय। इससे गलतफहमी हो सकती है। मैं समझता हूं ऐसी तो किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती कि जब ऐसी मुसीबत में इम्दाद गवर्नमेंट देती है तो एक विशेष क्षेत्र के लोग उसमें हायल होते हैं कि वह इम्दाद न दी जाय। इसलिये गलतफहमी हो सकती है। कुछ और मतलब हो और संकेत ही संकेत हो और साफ तौर से नहीं कह सकते हों तो मुझसे अलहदगी में कह दीजियेगा, मैं उस शिकायत को छोड़ूंगा नहीं। अगर आपकी ऐसी राय और लोगों की भी हुई तो मैं उसे अवश्य दूर करूंगा। इससे मुझे तकलीफ हुई।

श्री झारखंडेराय जी ने वाटर लागिंग की बात कही थी उसका मैं जवाब दे चुका। श्री बद्रीनारायण जी मिश्र ने कहा कि नुक्सान बहुत ज्यादा हुआ। फर्ज कर लें कि हुआ फिर नेक्स्ट? एक साहब ने कहा कि गंडक का ड्रेंगिंग करा दिया जाय। कुछ नदियों में रेत वगैरह भर जाती है तो वह हो जाय तो ठीक है लेकिन यह कोई नयी बात नहीं है जो इंजीनियर्स के सामने न हो। माननीय त्रिपाठी जी को ज्यादा मालूम होगा लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इस प्रस्ताव पर इंजिनियर्स विचार कर रहे हैं, लेकिन वह बड़ा ही कान्टली है। कुछ नदी नाले ऐसे हैं जो बरसात के दिनों में बहुत भर जाते हैं। जैसे आजमगढ़ से ६ निकलते हैं जिन्होंने गाजीपुर के जिले में मुसीबत बरपा कर दिया। इस तरह के नालों की ड्रेंगिंग हो सकती है लेकिन बड़ी-बड़ी नदियों के लिये करोड़ों और अरबों रुपये चाहियें; अध्यक्ष महोदय श्री बद्रीनारायण जी मिश्र ने एक बात यह कही कि पूरब के लोगों को मेरठ, बुलन्दशहर, या तराई के एरिया में ले जा कर बसा दिया जाय। लेकिन यह कैसे हो सकता है? वहां तो ६ एकड़ के करीब जमीन है और वहां साढ़े तीन ही एकड़ है। फिर वहां बसाने से काम नहीं चलेगा। कुछ नान एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट के निकालने होंगे, कुछ इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज निकालने होंगे, उसी के साथ ही पापुलेशन के कंट्रोल की बात भी सोची जाय तो इस काम में बड़ी मदद मिल सकती है। अगर ओपेनली पब्लिकली कंट्रोल आफ पापुलेशन का प्रचार किया जाय तो उससे बड़ा भारी फायदा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत की गयी कि मालगुजारी गलत तरीके से कैलकुलेट की जाती है। सारे गांव की बेसिस पर वह हर किसान पर फैलाया जाता है। श्री गणेशप्रसाद जी की इस राय को मानता हूं कि यह सही है। मैं समझता हूं कि सारे गांव की बेसिस पर नहीं बल्कि जितना नुकसान हुआ है उसका हर किसान के ऊपर परसेंटेज के हिसाबसे फैलाना चाहिये। इस पर भी विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा जी

ने कहा कि झांसी में भी बाढ़ आयी थी। मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि झांसी में कब बाढ़ आ गयी। मैंने अपने रेवेन्यू से केटरी के जरिये इसका इन्क्वारमेशन किया तो मालूम हुआ कि वहां कोई बाढ़ नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय-आपको भी यह मालूम नहीं होगा कि वहां कोई बाढ़ आयी। हां, यह बात दूसरी है कि वहां इधर बारिश ज्यादा हो गयी। एक बात श्री रामसेवक सिंह या और किसी ने कही कि रिलीफ के डिस्ट्रिब्यूशन के काम में नान-आफिशियल्स लोगों को इमदाद लेनी चाहिये। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? आजकल जैसी हालत है उस सूरत में हम इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ देंगे तो और भी शिकायतें बढ़ जायेंगी। हां, जहां तक झांसी की बात है वहां जो बारिश हुई उसके बाद २८ हजार रुपये की इमदाद दे दी गयी है। श्री कृष्ण चन्द्र जी चूंकि जर्नलिस्ट हैं इसलिये उन्होंने ऐसी बात यहां कह दी लेकिन अगर ऐसी बात होती तो बाढ़ की खबर अखबारों में भी जरूर निकलती।

जहां तक स्टारवेशन डेथ की बात है उस संबंध में और किसी ने तो नहीं शिकायत की लेकिन श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने एक स्टारवेशन डेथ की बात कही, लेकिन अगर कहीं स्टारवेशन डेथ हुई रहती तो उसकी सूचना अखबारों में जरूर निकलती। मैंने उसकी तहकीकात करायी तो मालूम हुआ कि कोई स्टारवेशन डेथ वगैरह नहीं हुई है। मैंने बहुत से माननीय मित्रों का लिया अब मैं केवल एक ही बात और कहूंगा। मुसीबत है, मुसीबत प्रकृति की तरफ से है, इसी को नैचुरल कैलेमिटी कहते हैं। एक बात और है जिसका लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन हाई पर्सपीटेशन होगा अगर बारिश थोड़े वक्त में थोड़ी देर में किसी खास एरिया में एक दम से हो जायगी, उसी से वाटर लागिंग होगा, बाढ़ आयेगी और उसको आज तक न चीन रोक सकता है, न अमेरीका रोक सकता है। रेनफाल का रेगुलेशन मनुष्य की शक्ति के बाहर है और अगर यह शक्ति आ जायेगी तब ही रेगुलेशन संभव हो सकता है। लेकिन जब तक शक्ति नहीं आती तब तक हमारे लिये क्या संभव है हमें इसी बेसिस से काम करना है। उस शक्ति को हासिल करने में अभी बड़ा समय लगेगा, इसलिये हमें बाढ़ से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिये, विपत्ति भी इंसानों पर ही आती है और इंसान ही उसका मुकाबला करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रदेश की जनता और हम सब उसका बहादुरी के साथ मुकाबला करेंगे और कर रहे हैं और अगर हम इसी तरह से मुकाबला करते रहे तो कभी न कभी हमें जरूर कामयाबी हासिल होगी।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, जहां तक "टन" की बात माननीय मंत्री जी ने कही उसको वह "टन" न समझें "मन" ही समझें। दूसरी बात यह है कि स्टारवेशन डेथ के बारे में जिस स्पिरिट से वह बात करते हैं उस संबंध में मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह इस स्टारवेशन डेथ के मामले में ऐसे न लेटरा करें क्योंकि उसकी एक सेन्सटिविटी है, जब तक ऐसी घटना न घटे मैं मुंह से नहीं निकाल सकता हूं लेकिन फिर भी अगर माननीय सम्पूर्णानन्द जी ऐसी कोई कमेटी बिठा दें तो मैं उसको सिद्ध करने को तैयार हूं।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, यह भगवान प्रसाद, सम्पूर्णानन्द नगर ग्राम के पास आया है, मैंने उसको रोक दिया था, यह इसके की रिपोर्ट है। डेथ स्टारवेशन से हुई है यह कहना इतना ही गलत है जितना कि कोई यह कहे कि चरण सिंह यहां इस वक्त यह नहीं कह रहा है।

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं और शुक्रवार, १९ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बज कर २८ मिनट पर शुक्रवार, १९ अक्तूबर, १९५६ के दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
११ अक्तूबर, १९५६।

मिट्ठनलाल
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४–१५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर)

जनवरी सन् १९५६ से जुलाई, १९५६ तक बहराइच जिले में हुई डकैती और हत्या के मामलों में जान से मारे गये व्यक्तियों का विवरण—

डकैती

मृतक का नाम		मृत्यु का कारण
१—श्री जगन्नाथ अहीर	..	.. डकैती
२—श्री माता प्रसाद	..	.. डकैती
योग २		

हत्या

मृतक का नाम		हत्या का कारण
१—श्रीमती गया देई	..	.. अज्ञात
२—सन्यासी बाबा भगपुरी	..	.. दुश्मनी
३—श्री महादेव राढ़	..	.. अनुचित प्रेम
४—श्रीमती मलिका	..	.. दुश्चरित्रता
५—श्री प्यारे ..	..	.. जमीन का झगड़ा
६—श्री झींगुर ..	..	.. " "
७—श्री रत्ती अहीर	..	.. दुश्मनी
८—श्री महाबीर चमार	..	.. साधारण झगड़ा
९—श्री चाके गुडिया	..	.. स्त्री का अपहरण
१०—श्री शंभूदत्त ब्राह्मण	..	.. अर्थलोभ
११—श्री पन्नालाल	..	.. स्त्री का अपहरण
१२—श्री मथुरासिंह	..	.. जमीन का झगड़ा
१३—श्री चन्द्रिका ब्राह्मण	..	.. " "
१४—श्री अयोध्या कांदु	..	.. " "
१५—श्री जनार्दन १६—श्री लाड़ला प्रसाद १७—श्री रामसागर	..	.. आकस्मिक झगड़ा
१८—श्री पाटनदीन	..	.. दुश्मनी
१९—श्री जगन्नाथ लोध	..	.. " "
२०—श्री बेदराज ब्राह्मण	..	.. " "
२१—श्री मती मंगली	..	.. गृहकलह
योग—२१		

कुल योग—२३

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

टेलीफोन नं० १३७५

मेम्बर्स
दी आगरा मरचेंट चैम्बर लि०,
दी आगरा बुलियन ऐक्सचेंज लि०,

दिनांक २४ मई, १९५६

रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल,
ब्रोकर्स एन्ड कमीशन ऐजन्ट्स,
पाटिया, किनारी बाजार, आगरा।

मान्यवर,

हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में हो रही खुली लूट व जालसाजी की तरफ दिलाना चाहते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई उजले डकैत मनमानी तरह भोली जनता को ठग रहे हैं।

१—जो शहर इस डकैती से पीड़ित हैं हम उनमें से जहां तक हमारी जानकारी में है कुछ शहरों के नाम देते है:—दिल्ली, आगरा, फिरोजाबाद, टूंडला, शिकोहाबाद, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, सिकन्दराबाद, मगुरा, गोवरधान, भरतपुर, व्याना, हिन्डोन, गाजियाबाद, मेरट, देहरादून, रुड़की, मुजफ्फरनगर, ऐतमादपुर, सिरसागंज, ग्वालियर, कासगंज, फर्रुखाबाद आदि अनेक शहरों में यह कार्य बड़ी तत्परता से होता है। इसका हेड आफिस हाल, फिलहाल में दिल्ली में है और जब कभी दिल्ली वालों को कोई परेशानी होती है तब आगरा या हाथरस अपना हेड आफिस चेन्ज कर लेते हैं।

२—यह लोग बल्लभगढ़ के नाम से एक दड़ा कह कर लगाने वाले को बहका कर १ रु० ४ आ० में १०० रु० देने का वायदा करके १ नम्बर से १०० नम्बर तक की संख्या में दड़े खाते हैं और जनता से कहते हैं कि अगर तुम्हारा लगाया हुआ नम्बर आ जावेगा तब सवा रुपया के १०० रु० के हिसाब से देंगे।

३—वास्तव में ऐसा नहीं होता है; होता क्या है:

ये लोग हफ्ते में तीन रोज काम करते हैं—मंगलवार, शुक्रवार और इतवार, हर शहर में ५० से १०० तक दूकाने हैं। आगरा में तो इस बाबत करीब २०० दूकानें हैं, यह सारे लोग सट्टा खा कर अपने शहर के बड़े-बड़े काम करने वालों को सौंप देते हैं। हर शहरों के बड़े-बड़े व्यापारी दिल्ली के जहां कि हेड आफिस है ट्रंक काल द्वारा सारे का सारा भरा हुआ बड़ा बोल देते हैं, हैड आफिस वालों का हर एक शहर के एक-एक, दो-दो आदमियों से सांठ गांठ है जो सौदा दिल्ली हैड आफिस जाता है और जिन-जिन नम्बरों पर दड़े ज्यादा होते हैं उन नम्बरों को न खोल कर दिल्ली वाले ऐसे नम्बरों को खोलते हैं जिन पर या तो कम रुपये देने पड़ें या कुछ नहीं देना पड़े और जितने रुपये दड़े की खाई में आते हैं वह रुपये दस हजार से ज्यादा एक-एक शहर में होते हैं। ये सारी कमाई दिल्ली के हैड आफिस तथा जिन-जिन शहरों से दड़ा खाकर बोलने वाली ब्रांचों में आपस में तकसीम हो जाता है।

४—ये सारी कार्यवाही लोकल पुलिस की देख-रेख में होती है। एक-एक ब्रांच का मालिक १,०००, १,००० रु० तक पुलिस पर खर्च करता है।

५—अगर कोई पब्लिक वाला इस लूट की शिकायत करता है तो उसको पुलिस से रंजिश मोल लेनी पड़ती है और कामयाबी नहीं होती। अगर बड़े अफसर लोकल थानेदार वगैरह से कहते हैं कि इस कार्यवाही पर नजर रखो तब लोकल पुलिस जिन लोगों से रिश्वत लेती है उन लोगों को और आगाह करके उन्हें दिखा लाने तथा कागजी कार्यवाही करवाने को लूट या डाकेजनी करने वालों से मिल कर उनका नौकर या कोई गैर आदमी उनके अड्डे से पकड़ लेती है और बड़े अफसरों को लोकल पुलिस यह दिखलाती है कि हमने फलाने का सट्टा पकड़ लिया है, हुजूर ऐसा करना लोकल पुलिस डाकेजनी करने वालों को सहयोग देकर आफीसरों की नजरों में धूल झोंकना है।

६—ये सारी कार्यवाही करीब दो साल से बराबर चालू है। १३ मार्च सन् १९५५ को आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के तीसरे पृष्ठ पर एक लेख लूट व ठगी की कार्यवाही का छपा था उसको पढ़ कर मैंने दिल्ली के चीफ कमीश्नर ए० डी० पंडित से सम्बन्ध स्थापित किया था और चीफ कमिश्नर के निमंत्रण पर मैं और मेरा साथी दीनानाथ अरोड़ा ने दिल्ली जाकर बड़े बाजों के हैड आफिस पर पुलिस द्वारा छापा मारा था और वहां के सट्टे के संचालकों को टेलीफून पर ही पुलिस ने ८ अप्रैल सन् १९५५ को राजेन्द्रनगर दिल्ली में भय कारोबार के गिरफ्तार किया था और दिल्ली की पुलिस ने यू० पी० के जिन-जिन शहरों से टेलीफून आये हुये थे उनको भी इसी केस में रखा है और यह केस दिल्ली में बराबर चालू है।

७—यह सारी कार्यवाही होते हुये भी आज भी बड़े जोर-शोर से लूट व डाकेजनी का व्यापार पुलिस की हिफाजत में चालू है, हमारे यहां की भोली-भाली जनता बराबर पिस रही है और भारी परेशानी व गरीबों में अपना निर्वाह कर रही है, क्या ये लोग डाकू मानसिंह से कम खतरनाक हैं?

८—जो लोग इस पेशे को करते हैं वह बहुत खतरनाक और गिरोहबन्द हैं। ये लोग अपने पास भले आदमियों को परेशान करने के लिये बदमाश भी रखते हैं और इनका कोई कारोबार भी नहीं है। यह लोग कहीं-कहीं जुए के अड्डे तथा औरतों के चकले लगा रक्खे हैं जिससे इनका गिरोह बढ़ जाता है, इन लोगों के गिरोह में हिस्ट्री-शीटर, नामी चोर, नामी जुआरी, शराबी ज्यादातर होते हैं।

९—हम इस सारे मामले में जो भी समझते हैं गुप्तरूप में बतलाने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि हमारी हिफाजत सरकार करे।

१०—क्या हम अपनी सरकार से उम्मीद करें कि लाखों रुपयों की जो जालसाजी हो रही है उसे पूरी तरह बन्द कराने में सफल होगी?

११—ये सारी जांच आप किसी गुप्त तथा विश्वसनीय अफसर से करावें।

१२—जो कार्यवाही का सारांश होवे आप हमें बताने का कष्ट करें। इसके लिये आपको धन्यवाद देते हैं।

प्रार्थी,

ह० रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

पुलिस स्टेशन नबाबाद, झांसी में हुये अपराधों का विवरण

अपराध	संख्या	स्थान	नाम जिसके यहां कत्ल या डकैती हुई
		१९५४	
कत्ल	१	मुहल्ला सिंगलपुरा, सीपरी बाजार	श्रीमती विमला देवी के यहां उनका ही कत्ल हुआ।
डकैती ..	..	.. ..	..
चोरी ..	४९	.. ..	..
		१९५५	
कत्ल ..	..	.. ..	..
डकैती ..	..	.. ..	..
चोरी ..	६६	.. ..	..
		१९५६	
कत्ल ..	..	.. ..	..
डकैती ..	३	१—प्रेमगंज, सीपरी बाजार २—सीपरी बाजार ३—नैनागढ़	श्रीमती देवी, पत्नी श्री डब्लू हलबे। श्री जैकाल श्री आर० मैसी
चोरी ..	२६	.. ..	..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(BUILDINGS AND ROADS BRANCH)

29th April, 1937

No. 114-(2)EL /34-EL--1936—IN exercise of the powers conferred by section 4, sub-section 3(*a*) of the Indian Electricity Act, 1910 (IX of 1910), the Governor is pleased to revoke with effect from the 1st April, 1936, the Saharanpur, Muzaffarnagar and Meerut District Electric Licence, 1929, in respect of that part of the area of supply, described in the first annexure to the said licence, which relates to the rural area.

For the purpose of this notification "the rural area" means the area of supply excluding—

(i) all towns which had a population of not less than 5,000 at the census of 1921, and

(ii) any town or towns the population of which has since reached or may hereafter reach a total of 5,000.

By order,
A. A. WAUGH,
Secretary.

[*RE-PRINT*]

GOVERNMENT, UNITED PROVINCES

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(BUILDINGS AND ROADS BRANCH)

No. 757-EL/C-50—1928

Dated Naini Tal, June 28, 1929

IN exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of the Indian Electricity Act, 1910 (IX of 1910), the Governor-in-Council is pleased to grant the following licence under the aforesaid Act to Messrs. Martin and Company, 6 and 7 Clive Street, Calcutta, for the supply of electrical energy within the districts of Saharanpur, Muzaffarnagar, and Meerut :

THE SAHARANPUR, MUZAFFARNAGAR AND MEERUT DISTRICTS ELECTRIC LICENCE, 1929

Short title

1. This licence may be cited as "The Saharanpur, Muzaffarnagar and Meerut Districts Electric Licence, 1929."

Interpretations

2. The several words, terms, and expressions to which by the Indian Electricity Act, 1910, or by the rules thereunder meanings are assigned shall have in this licence the same respective meanings proivded that in this licence—

(1) the "Act" shall mean the Indian Electricity Act, 1910, as amended by Act I of 1922;

(2) the expression "the licensees" shall mean and include the said Messrs. Martin and Company, of 6 and 7 Clive Street, Calcutta and Wingfield Park, Lucknow, and their permitted assigns;

(3) the expressions "first annexure", "second annexure", "third annexure" and "fourth annexure" shall mean the first, second, third and fourth annexures to this licence, respectively;

(4) the expression "deposited map" shall mean the plan of the area of supply hereinafter specified which has been deposited with the Government of the United Provinces in pursuance of the rules under the Act which plan is signed for the purpose of identification by the Secretary to the Government of the United Provinces in the Public Works Department and by the applicants under the name and style of Martin and Company.

Security

3. The period within which under clause 1(*b*) of the Schedule to the Act the licensees shall deposit or secure such sum as therein mentioned and the sum so to be deposited or secured shall, unless otherwise ordered by the Government under that clause, be three months and rupees seventy-five thousand, respectively.

Area of Supply

4. The area above referred to within which the supply of energy is authorized by this licence (the area of supply under the Act) is the whole of the area described in the first annexure the boundaries whereof are delineated in the deposited map by a thick black continuous line.

Limits within which the supply of energy is to be compulsory

5. (1) The works to be executed to the satisfaction of the Government under Clause IV of the Schedule to the Act are as stated in the second annexure.

(2) If the licensees fail to comply with the provisions of sub-clause (1) the licence may be revoked.

Bulk Supply

6. (*a*) The supply of electrical energy shall be obtained in bulk from the Public Works Department (Irrigation Branch), United Provinces, and the licensees shall distribute electrical energy in the various municipal areas described in the second annexure and in such other areas within the area of supply described in the first annexure as shall later be agreed to.

(*b*) The responsibility of the maintenance of the supply of electrical energy up to but excluding the licensees plant in each such municipal or other area, shall be borne entirely by the Public Works Department (Irrigation Branch), United Provinces.

(*c*) Nothing contained in this licence will prevent any State railway from generating its own power or from purchasing power from other Government concerns and supplying energy for its own industrial, domestic and other uses, or from supplying energy to any or all its own buildings whether these be situated within the licensees' area of supply or not.

Breaking up of streets, pathways, railways and crossings of railways, canals and waterways

7. (*a*) (1) The licensees are hereby authorized within the area of supply to open and break up the soil and pavement of any street, municipal or otherwise, and of the railways respectively mentioned in the third annexure, or parts of such railways respectively, at such points and places and to

such extent only as shall have been previously approved in writing by the Government of the United Provinces after the licensees have given such special notice or notices as the Government of the United Provinces may direct, and within such period as the United Provinces Government may fix in this behalf, to the persons who are entitled to work the said railways and after all representations or objections received in accordance with any such notices have been considered by the Government of the United Provinces.

(2) The names of the persons who are entitled to work the said railways, respectively are the Agents of the East Indian Railway, North-Western Railway and the Shahdara (Delhi) Saharanpur Light Railway.

(5) The length of the trenches to be opened on any street at any one time and the period for which they may remain open, shall subject to the provisions of the Electricity Act and the rules framed thereunder be determined from time to time by the Government of the United Provinces or the local authorities by which such street is repairable; when any street is crossed not more than half of the width of such street shall, without the specific authority in writing of Government or the local authority as aforesaid, be closed for traffic.

(6) The licensees are also authorized—

(i) to lay down and place electric supply lines and other work;
(ii) to repair, alter or remove the same; and
(iii) to do all acts necessary for the due supply of energy.

System of supply

8. The energy shall be distributed at alternating three-phase, fifty-cycles, 400 bolts between phases and 230 volts between phase and neutral or with the previous approval of the local Government at 3,000/3,300 volts between phases.

Limits of prices to be charged in respect of the supply of energy

9. The prices to be charged by the licensees for energy supplied by them shall not exceed those stated in that behalf in the fourth annexure. The licensees shall, however, be entitled to charge special rates for energy required for a temporary period or for a special occasion, such as a public or private festival, such rates to be decided by agreement in writing before supply is given.

Purchase of Undertaking

10. The option of purchase given by section 7, sub-section (1) of the Act shall first be exercisable on the expiration of thirty-five years computed from the date of notification of the licence and on the expiration of every subsequent period of twenty years. The value for purchase shall be the fair market-value at the time of purchase of lands, buildings, works, materials, substations, plant and the receiving and distributing systems of the undertaking. The percentage of the value to be determined in accordance with and for the purpose of section 7(1) of the Act of the lands, buildings, works, materials and plant of the licensees therein mentioned to be added under the second proviso of the sub-section to such value on account of compulsory purchase shall be per centum twenty.

Assignment of Licence

11. At any time after the commencement of this licence the licensee may, with the previous consent in writing of the Government of the United Provinces, assign this licence or transfer the whole of their undertaking in respect of which this licence is granted (including all lands, buildings, works,

materials and plant of the licensees) to any person or to a company formed or to be formed under the Indian Companies Act having authority to take over the licence, and the said undertaking, as the case may be, and to exercise the powers and perform the obligations given to or imposed upon the licensees under this licence and the Act and rules under the Act, and on such assignments or transfer the rights, powers, authorities, obligations and liabilities of the licensees shall be assigned and transferred to and shall be exercised by and shall attach to such person or company formed or to be formed as aforesaid.

Exceptions from the Schedule to the Act

12. In pursuance of clause (*f*) of sub-section (*2*) of section 3 of the Act, it is hereby expressly declared that Clause IX of the Schedule to the Act shall be exempted from incorporation in this licence.

Telephones

13. The licensees shall have powers, with the previous sanction of the Government of India, to erect telephones between parts of the system for the use of the employees and officers of the undertaking provided such telephone lines when overhead are carried on the licensees' poles and when underground along side the licensees' cables.

FIRST ANNEXURE

The whole of the area for the time being comprised within the limits of the Saharanpur, Muzaffarnagar and Meerut Districts of the Meerut Division of the United Provinces of Agra and Oudh as included within the thick black boundary line indicated on the deposited map with the exception of—

(1) the Cantonment area of Roorkee;

(2) the portion of the Cantonments of Meerut, north of Barrack Street as defined and delineated by the continuous red line on the map deposited with the Government on 3rd December, 1934;

(3) the areas of supply covered by the electric licences granted to the Municipalities of Hardwar, Roorkee, Muzaffarnagar and Meerut; and

(4) the area of supply covered by the Saharanpur Electric Licence, 1922.

The boundaries are:

North—The southern boundary of the Dehra Dun District.

West—The left bank of the Jumna river and the eastern boundary of the Delhi Province.

South—The northern boundary of the Bulandshahr District.

East—The right bank of the Ganges river.

2. The amendment made in paragraph 1 above is subject to the condition that Messrs. The Upper Jumna Valley Electricity Supply Company, Limited, (1) enter into an independent agreement with the Irrigation Branch of the Public Works Department, United Provinces, in respect of the supply of electric energy in bulk for distribution in the Meerut Cantonment Area and (2) endorse the existing bulk supply agreement entered into between them and the Irrigation Branch of the Public Works Department, United Provinces, so as to exclude the Meerut Cantonment Area.

SECOND ANNEXURE

Areas of compulsory supply

The licensees shall lay down distribution lines in such towns and places with a population of 5,000 or more within the area of supply as defined in the first annexure, where a supply of electrical energy is afforded to the licensees by the Public Works Department (Irrigation Branch) of the United Provinces.

For the purposes of this annexure the length of the compulsory distribution lines in each such town or place supplied shall be on the basis of one mile per 5,000 inhabitants.

THIRD ANNEXURE

Roads, pathways, railways, tramways, soils and pavements which may be opened and broken up

A—Roads and pavements

All roads and pavements within the area.

B—Railway

The East Indian Railway.
The North-Western Railway.
The Shahdara (Delhi) Saharanpur Light Railway.

FOURTH ANNEXURE

Maxima Charges

Clause 1

The term "unit" as used in this annexure shall be deemed to mean the British Board of Trade Unit of Electrical Energy.

Clause 2

The licensees shall charge any consumer by the actual quantity of energy supplied to him at the following maximum rates :

(*a*) For lighting, fan, and heating purposes—at the rate of annas six per Board of Trade Unit with a discount of six pies per unit for cash payment within twnety-one days of the first day of the month following that for which payments are due in addition to meter rent of annas eight per month per meter. Every consumer's installation while connected to the licensee's mains may be charged a sum not exceeding the sum given below, exclusive, of meter rent whether energy to this value is consumed or not:

	Per month
	Rs.
(i) Installations of 0·5 kilowatt or less ..	2 ,,
(ii) Installations of over 0·5 kilowatt and not more than 1 kilowatt ..	3 ,,
(iii) Installations of over 1 kilowatt ..	5 ,,

(*b*) For industrial purpose other than those specified in 2 (*a*) at the rate of anna one and pies nine per unit subject to a discount of pies three per unit for cash payment within twenty-one days from the date of issue of the bill during the hours between 11 p.m. and one hour before sunset exclusive of meter rent at the rate of rupee one per month per meter.

For power used during the hours between one hour before sunset and 11 p.m. the rate will be annas four per unit net *less* 12½ per cent discount for cash payment within twenty-one days from the date of issue of the bill in addition to meter rent of rupee one per month per meter.

(*c*) For irrigation pumping and sugarcane-crushing mills and other agricultural purposes at the maximum rate of one anna and three pies per unit subject to a discount of three pies per unit for cash payment within twenty-one days from the date of issue of the bill during the hours between 11 p. m. and one hour before sunset in addition to meter rent of rupee one per month per meter.

For power used for the above purposes during the hours between one hour before sunset and 11 p.m. the rate will be annas four per unit net *less* 12½ per cent discount per unit for cash payment within twenty-one days from the date of issue of the bill in addition to meter rent of rupee one per month per meter.

(*d*) The rates and conditions prescribed in sub-paragraphs (*b*) and (*c*) above will apply, provided that the consumer guarantees to use or pay for a minimum of 600 units per horse power installed per year.

(*e*) The rate in sub-clause (*a*) shall be liable to reduction to such an extent as will keep the divident of the company at 15 per cent after all allowances have been made for managing agents' charges and commission, and depreciation at the rate of 2½ per cent per annum on the total capital and reserve at 2½ per cent.

(*f*) The maximum rates for street lighting based on 2,000 hours burning shall be—

	Rs. *Per annum*
25 c.p. lamps	25 ,,
50 ,, ,, ...	35 ,,
100 ,, ,, ...	45 ,,

By order,

T. SLOAN,

Secretary to Government, United Provinces.

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७९ पर)

उत्तर प्रदेश के राज्य में सितम्बर, १९५६ में बाढ़ की स्थिति

- प्रथम भाग

इस राज्य की बाढ़ की स्थिति के विषय में २२ अगस्त, १९५६ को विधान सभा में पूरी तरह से बहस हुयी थी। उस समय यह आशा की गई थी कि इस वर्ष की सब से खराब स्थिति निकल गई है और बाकी साल में यह राज्य ऐसी विपत्ति से बचा रहेगा किन्तु निसर्ग को यह मंजूर नहीं था और सितम्बर के महीने में राज्य के बहुत से पूर्वीय जिलों में फिर से बाढ़ें आईं। ऐसा मालूम होता है कि अब इस राज्य में हर साल बाढ़ें आने का क्रम बन गया है।

२---सरकार ने न सिर्फ साल व साल बाढ़ की स्थिति को काबू में लाने के लिये बल्कि बाढ़ सहायक परिस्थितियों को नियंत्रित और कम करने के निमित्त अपनी वित्तीय सीमाओं के भीतर सभी सम्भव उपायों और साधनों की व्यवस्था करने के लिये भी कोई बात उठा नहीं रखी है। १९४८ ई० में ही एक बाढ़ समिति बना ली गई थी जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्य रखे गये थे। उसकी तीनों उप-समितियों ने अर्थात् सहायता उप-समिति (रिलीफ सब कमेटी), निरीक्षण उप-समिति (सर्वे सब-कमेटी) और वैशेषिक उप-समिति (टेक्निकल सब-कमेटी) ने, इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अपनी-अपनी रिपोर्टें ---पहली ने जून, १९४९ में, दूसरी ने अप्रैल, १९५० में तथा तीसरी ने १९५३ के अन्त में---प्रस्तुत की थीं। सरकार द्वारा इन उप-समितियों की सिफारिशों पर सावधानी से विचार किया गया है और उनकी बहुत-सी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में, पहले ही, बहुत ज्यादा कार्रवाई की जा चुकी है। वैशेषिक या टेक्निकल उप-समिति की महत्व पूर्ण सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है---

(१) प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के पास के गावों की सभी भूमि पर आने वाली बाढ़ों के उच्चतल का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

(२) सम्पूर्ण राज्य में खेती की उपयुक्त रीतियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, क्योंकि उनसे बाढ़ों की उग्रता और भूमि के कटाव की रोकथाम में बहुत सहायता मिलती है।

(३) सभी नदियों और चश्मों के वाह क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और ऐसे क्षेत्रों में बन लगाने के लिये उपयुक्त योजनायें बनाई और क्रियान्वित की जानी चाहिये।

(४) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये बड़ी सावधानी से काम करना चाहिये कि नये बनाये जाने वाले बांधों और मौजूदा बांधों में नियामक (रेगुलेटर) लगा दिये जायं।

(५) पानी के निकास की वर्तमान प्रणाली का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और उसको उन्नत करने के लिये उपाय निकाले जाने चाहिये।

(६) जहां जरूरत हो वहां पर सड़कों की पुलियों और पुलों को तथा अन्य पुलों को चौड़ा कर देना चाहिये जिससे कि चश्मों और नालों इत्यादि का पानी स्वाभाविक रूप से और स्वच्छन्दता से बह कर निकल जाय । सहायता उप-समिति की मुख्य सिफारिशें यह थीं कि--

१--सभी जिलाधीशों से आदर्श बाढ़ योजना के अनुरूप बाढ़ योजना तैयार करने को कहा जाना चाहिये ;

२--जिलाधीशों को तुरन्त ही नावों की गणना करानी चाहिये और आवश्यकता होने पर लोगों को बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकालने और उनकी सहायता करने के प्रयोजन से उनके लिये देशी नावों और मोटर नावों की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये ।

३--जिलाधीशों को बाढ़ सहायता क्रियाओं के सम्बन्ध में ऐसे अधिकार दिये जाने चाहिए कि वे आवश्यकता पड़ने पर नावों को अधिगृहीत कर सकें ;

४--जिलाधीशों के अधिकार में आवश्यक धनराशि रखी जानी चाहिये जिससे कि वे पहले ही से आवश्यक व्यवस्था कर सकें;

५--जिला तथा तहसील बाढ़ समितियां बनाई जानी चाहियें और ।

६--प्रत्येक जिले में प्राकृतिक आपदा सहायता कोष स्थापित किया जाना चाहिए ।

३--राज्य सरकार ने, बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी सभी कार्यों को समन्वित करने के लिये १९५४ ही में एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित कर दिया था ।

४--ऊपर की गई सिफारिशों में से बहुत सी सिफारिशों को सरकार पहले ही क्रियान्वित कर चुकी है । १९५४ में ही सर्वे एण्ड ड्रेनेज डिवीजन बनाया गया था जिसका सदर मुकाम बस्ती में था । उसके बाद से गोरखपुर और फैजाबाद में दो बाढ़ सर्किलें, जिनके अधीन नौ सब डिवीजनें हैं, बनाई गई हैं और पश्चिमीय जिलों के लिए मुजफ्फरनगर में एक जल निकास डिवीजन (ड्रेनेज डिवीजन) खोलने की अनुमति बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल में ही दी गई है ।

५--सार्वजनिक-निर्माण विभाग की सड़कों की जल-प्रणालियों पर बनी पुलियों के विस्तार के लिए लगभग २० लाख रु० की लागत की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है और विभिन्न जिलों में तत्सम्बन्धी निर्माण-कार्य चल रहा है । दो समितियां रेलवे पुल-समिति तथा सड़क पुल-समिति बनाई गई हैं, जो स्थिति के सर्वेक्षण और जांच के कार्य कर रही हैं । उनकी सिफारिशों पर विचार हो जाने और उनके मान लिये जाने पर तत्परता से कार्य आरम्भ कर दिया जायगा । सहायता और रक्षा कार्य के निमित्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधीशों के अधिकार में काफी देशी नावें रख दी गई हैं । नीचे दिये हुए विवरण में उन नावों और मोटर नावों की संख्या दी गई है जिनकी व्यवस्था जिलों के लिये सार्वजनिक कोष से या उक्त कोष से राज सहायता दे कर की गई है ।

विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों में जिलाधीशों के अधिकार में दी गई नावों की ३१ अगस्त, १९५६ तक की स्थिति का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	मोटर नावें		देशी नावें			
		३१-३-५५ तक जिलाधीश के पास	३१ मार्च, १९५५ के पश्चात् दी गई	१९५३-५४ जिलाधीश के पास	१९५४-५५ में गांव सभाओं को राज सहायता के आधार पर दी गई	१९५५-५६ में गांव सभाओं को राज सहायता के आधार पर दी गई	नावों की संख्या जिनके लिए १९५३-५७ में धनराशि स्वीकृत की गई है
१	२	३	४	५	६	७	८
१	मुरादाबाद	..	..	..	..	..	४
२	फर्रुखाबाद	..	१ जौली मोटर नाव	..	२	६	४
३	कानपुर	१	..	५	..	..	..
४	इलाहाबाद	१	१ जौली मोटर नाव	१८	..	..	५
५	वाराणसी	१	तदैव	१	..	..	१०
६	जौनपुर	..	..	..	..	४	१२
७	गाजीपुर	..	१ जौली मोटर नाव	..	१	४	१०
८	बलिया	१	..	..	२४	..	१२
९	गोरखपुर	२	..	१९	३	..	१२
१०	बस्ती	..	१ जौली मोटर नाव	१०	..	..	२५
११	आजमगढ़	..	तदैव	५	१४	३२	१४
१२	देवरिया	..	१ इंस्पेक्शन लांच	२५	३३	१२	३०
१३	लखनऊ	..	..	६	..	..	..
१४	उन्नाव	..	..	१२	..	..	८
१५	सीतापुर	..	..	२५	२२	३	५
१६	खीरी	..	..	..	..	२२	..
१७	फैजाबाद	१	१ इंस्पेक्शन लांच	८	..	..	१३
१८	गोंडा	..	१ इंस्पेक्शन लांच	६३	२	..	१०
१९	बहराइच	..	१ जौली मोटर नाव	२९	..	३५	१०
२०	सुल्तानपुर	..	..	..	..	..	८
२१	बाराबंकी	..	..	..	..	..	८
	योग	..	७ ७ जौली मोटर नाव ३ इंस्पेक्शन लांच	२२६	१०१	११८	२००

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने २०० और नावों के बनवाने के लिये स्वीकृत दी हैं जिनमें से अधिकांश नावें पहले ही बन कर तैयार हो गई हैं और सम्बद्ध जिलाधीशों को दे दी गई हैं। ये नावें उपर्युक्त विवरण में सम्मिलित नहीं हैं।

७—इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि करने की उचित रीति की नितान्त अवहेलना करने से ही बाढ़ों की उग्रता बढ़ती है। यदि उचित कृषि कर्म का अनुसरण किया जाय तो उससे बहुत बड़ी हद तक बाढ़ों की उग्रता कम की जा सकती है, पूर्वीय जिलों में खास तौर से मेड़ों, दौलों और बंधियों के निर्माण की तरफ अनेक दशकों से ध्यान नहीं दिया गया है। भूमि के उतार-चढ़ाव के अनुसार या लहरिये बना कर खेती करने की पद्धति की वहां पर कभी किसी को जानकारी ही नहीं हुई। वर्षा ऋतु में बड़े क्षेत्रों को बिना खेती के पड़ा रहने दिया जाता है। इन क्षेत्रों में जल्द पकने वाली कलीदार फसलें और अन्य पास-पास उगने वाली फसलें पैदा की जा सकती हैं जिनसे एक ओर तो किसान के साधनों की वृद्धि हो सकती है और दूसरी तरफ पानी का तीव्र बहाव रोका जा सकता है। चराई का नियंत्रण लोगों को सदैव बहुत कष्टदायक रहा है और इसका परिणाम यह होता है कि वर्षा ऋतु आरम्भ होने के समय चरागाहों में कुछ भी वनस्पति लगी नहीं रह जाती है। पेड़ों और झाड़ियों इत्यादि के लगाने में लोगों ने बहुत कम अभिरुचि दिखाई है। इनसे पानी का बहाव रोकने और वायु की शक्ति तोड़ने में बड़ी सहायता मिल सकती थी। मौजूदा पेड़ों को बुरी तरह से काट छांट डाला गया है। भूमि पर जन-संख्या के दबाव या आधिक्य के कारण ऐसी भूमि पर भी खेती की जाने लगी है जिसका अधिकांश नदियों और नालों के तट के समीप स्थित है। ऐसी स्थिति में वर्षा ऋतु के आरम्भ होने पर जल-प्रणाली में तेजी से पानी भर जाने की रोकथाम करने के लिए कोई भी उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं है।

८—भूमि संरक्षण का कार्य भी आरम्भ हो गया है और तत्सम्बन्धी अधिनियम पहले ही स्वीकृत हो चुका है। भूमि-संरक्षण अधिनियम, हाल ही में, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। भूमि-संरक्षण की आवश्यकता पर बल देना अनावश्यक है वह तो खेती के कामों में अभिन्न रूप से सम्मिलित है और उससे खेती का अटूट सम्बन्ध है। इस राज्य की पांच एकड़ भूमि में से लगभग एक एकड़ भूमि क्षारयुक्त मिट्टी, मिट्टी के कटाव, खालों के बनने और जल निकास की व्यवस्था के कारण खेती करने के योग्य नहीं है।

९—भूमि संरक्षण कार्यों का उद्देश्य वर्तमान अच्छी भूमि का और अधिक युक्ति-संगत उपयोग करने के लिये पथ-प्रदर्शन करना है जिससे कि भूमि की उत्पादकता सुरक्षित बनी रहे और उसमें वृद्धि की जा सके और जो भूमि खेती के योग्य नहीं रही है उसका लाभप्रद उपयोग किया जा सके। १९४९ में ही कृषि संचालक के कार्यालय के अन्तर्गत एक भूमि-संरक्षण उप-विभाग स्थापित किया गया था। आजकल सरकार के वन विभाग, सिंचाई विभाग, नियोजन तथा कृषि विभाग भूमि संरक्षण और भूमि उद्धार संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुये हैं। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और इटावा के जिलों में यमुना और चम्बल नदियों के खालों में तथा उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा पर और नदियों के वाह क्षेत्रों में बन लगाने का कार्य वन विभाग की देख-रेख में किया जा रहा है। बाढ़ निवारक कार्य और उन क्षेत्रों में जल निकास की व्यवस्था जहां पानी जमा हो जाता है, सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये कार्य भी भूमि-संरक्षण सम्बन्धी कार्य हैं। नियोजन विभाग की अध्यक्षता में चुने हुए केंद्रों में स्वावलम्बन के आधार पर भूमि संरक्षण कार्य हो रहा है। कृषि विभाग रहमान खेड़ा के भूमि संरक्षण फार्म और धकौनी, रहीमाबाद और कटियार के ऊसर उद्धार फार्मों (ऊसर रिक्लेमेशन फार्म) की देखभाल कर रहा है।

१०—१९५६-५७ के बजट में ६ भूमि-संरक्षण एवं उद्धार योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है और उनके निमित्त २१,१०,९०० रु० की धनराशि नियत की गई है। एक राजकीय भूमि संरक्षण समिति संगठित की गई है जिसके सदस्यों में सरकारी अधिकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति सम्मिलित हैं। जिला नियोजन समिति की उप-समितियों के रूप में जिला-भूमि-संरक्षण समितियों के संगठन के विषय में भी विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव है कि रहमान खेड़ा

और सहारनपुर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। रहमान खेड़ा केन्द्र में गजटेड अधिकारियों के लिये तीन महीने की ट्रेनिंग और उनसे भिन्न व्यक्तियों के लिये ६ महीने की ट्रेनिंग देने की योजना है। उक्त ट्रेनिंग १५ अक्तूबर, १९५६ से आरम्भ होने वाली है।

११—पेड़ लगाने और वन-रोपण के कार्य भी आरम्भ हो गये हैं। १९४८ में ही सरकार ने बंजर भूमि में वन लगा कर इस राज्य की क्षीण वन सम्पत्ति की कमी को पूरा करने के लिये वृक्षारोपण की तहरीक चलाई थी। १९५० ई० से प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें सार्वजनिक कृत्य के रूप में पेड़ लगाये जाते हैं। इस राज्य में १९५२ में विभिन्न जातियों के १,२६,१२,०७० पेड़ लगाये गये थे जिनमें से १,००,५२,१०१ पेड़ पनप सके। १९५३ और १९५४ में क्रमशः १,२८,२०,९११ और १,९२,७६,९१५ वृक्ष लगाये गये थे। इनमें से ८० प्रतिशत पेड़ जम सके। १९५५ के वृक्षारोपण के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं किन्तु विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इस वर्ष में भी एक करोड़ से अधिक पेड़ लगाये गये थे। वन विभाग ने १९५१ से लेकर आज तक ६८,००५ एकड़ भूमि में वन लगाया है।

१२—गोमती और राप्ती नदियों और उनकी प्रमुख सहायक नदियों के वाह क्षेत्रों में वन लगाने का कार्य आरम्भ हो गया है बहराइच और बस्ती के जिलों में राप्ती नदी के वाह क्षेत्र में १९५४ से अब तक कुल १,४६४ एकड़ क्षेत्र में वन लगाया गया है और सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़ और हरदोई के जिलों में गोमती नदी के वाह क्षेत्र में ५,३७८ एकड़ अन्य क्षेत्र में भी पेड़ लगाये गये हैं। इस प्रकार से राप्ती और गोमती नदियों के वाह क्षेत्रों में कुल ६,८४२ एकड़ भूमि में वन लगाया जा चुका है।

१३—प्रस्तावित बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है अर्थात् (१) आकस्मिक संकट और अल्पकालिक कार्य; तथा (२) दीर्घ-कालिक कार्य। आकस्मिक संकट और अल्प-कालिक कार्यों में स्थानीय जल निकास व्यवस्था और उन क्षेत्रों का जहां पानी जमा हो जाता है, सुधार, नदियों के किनारे-किनारे ऐसे स्थानों पर जहां अत्यधिक क्षति पहुंचने की आशंका थी तटवर्तीय बांधों का निर्माण और पानी से घिरे हुये गांवों की रक्षा के कार्य सम्मिलित हैं और इन कार्यों को तुरन्त ही आरम्भ कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा, अभी तक स्वीकृत की गई तटवर्तीय बांधों की योजनाओं से निम्नलिखित जिलों को सहायता मिलेगी—

जिले का नाम	बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र (एकड़ों में)	रक्षित क्षेत्र (एकड़ों में)	व्यय की धनराशि
१	२	३	४
			रु०
आजमगढ़ ..	.. १,८६,५५१	१,१०,५६४	३५,१५,०००
बलिया ..	.. ३,३०,०००	१,७५,४००	५४,१२,०००
गाजीपुर ..	.. ४६,२१९	१६,४५१	६,८७,०००
गोरखपुर ..	.. २,७७,८७६	४,४४०	५,५०,०००
देवरिया ..	.. २,५४,१२८	१,२९,६००	५४,३०,०००
बस्ती ..	.. २,५२,७४५	४४,२५५	४०,५१,०००
गोंडा ..	.. २,६२,८९९	५१,०००	२७,००,०००
बहराइच ..	.. ४,००,१३८	३,६०,०००	३९,६२,०००
योग ..	२०,१०,५६६	८,९१,७१०	२,६३,०७,०००

१४—उपर्युक्त विवरण से यह व्यक्त होता है कि अब तक २६३ लाख रुपये के कार्य सम्पन्न किये गये हैं जिनसे इन जिलों के ४५ प्रतिशत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को सहायता मिलेगी। सितम्बर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि तक बांधों की ३०० मील की लम्बाई में से २०३ मील की लम्बाई तक बांध पूरे हो चुके हैं जिनमें ३८,००, लाख घन फुट मिट्टी काम में लाई गई और चार लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र की रक्षा की गई। इस राज्य के उपर्युक्त जिलों में और कुछ अन्य जिलों में भी तटवर्तीय बांधों के निर्माण और उन क्षेत्रों में जहां पर पानी जमा हो जाता है पानी के निकास के लिये नालियों के निर्माण से ५ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को सहायता देने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३०० लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

पानी से घिरे हुये गांवों की रक्षा

१५—बाढ़ से बचाव के लिये एक प्रभावकारी रक्षात्मक कार्य पानी से घिर जाने वाले गांवों के स्तर को ऊंचा कर देना है। लोग इसे बहुत पसन्द करते हैं क्योंकि इससे उनके रहने की जगह सुरक्षित हो जाती है। राजकीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के राज्य में ४ करोड़ रुपये की लागत से ३,५०० गांवों के स्तर को ऊंचा करने के लिये स्वीकृति दी है। इस समय तक २,२०९ गांवों में यह कार्य पूरा हो चुका है और ९६७ अन्य गांवों में यह कार्य चल रहा है। इस विषय में जिलेवार ब्योरे नीचे दिये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्वीय जिलों में बाढ़ से घिर जाने वाले गांवों के स्तर को ऊंचा करने के कार्य की प्रगति की सितम्बर, १९५६ के अन्त तक की रिपोर्ट—

क्रम-संख्या	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जिनका स्तर अभी तक ऊंचा किया जा चुका है	उन गांवों की संख्या जिनमें अभी कार्य हो रहा है
१	२	३	४
१	फैजाबाद ..	१०३	१२९
२	सुल्तानपुर ..	७१	..
३	प्रतापगढ़ ..	७७	१३
४	जौनपुर ..	१९०	३
५	गाजीपुर ..	१८५	१००
६	गोंडा ..	५०	..
७	गोरखपुर ..	२५३	५९
८	देवरिया ..	३३७	८१
९	इलाहाबाद ..	१६	७
१०	बस्ती ..	६१४	२२५
११	वाराणसी ..	४	४
१२	बहराइच ..	८८	२६
१३	सीतापुर ..	८	२४
१४	लखीमपुर ..	..	३
१५	बाराबंकी ..	१६	१०
१६	रायबरेली ..	..	६
१७	बलिया ..	१९७	२८०
१८	आजमगढ़		
	योग ..	२,२०९	९६७

गंगा नदी द्वारा भूमि के कटाव से वाराणसी शहर को बचाने को ५५.१५ लाख रु० की अनुमानित लागत का कार्य भी चल रहा है। दो घाटों पर अब तक कार्य पूरा हो चुका है।

दीर्घकालीन योजनाएं

१६—बाढ़ निरोधक जलाशयों तथा ऐसे निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में जिनसे स्थायी रूप से बाढ़ों से छुटकारा मिल सके और बचाव हो सके सर्वेक्षण और खोज के कार्य किये जा रहे हैं।

राप्ती नदी पर बाढ़ निरोधक जलाशयों के निर्माण के प्रस्तावों की सविस्तार जांच की गई और ४१०.२९ लाख रु० की अनुमानित लागत पर तेरह बाढ़ निरोधक जलाशयों को बनाने की प्रस्तावित योजना एक परिपूर्ण टिप्पणी सहित केन्द्रीय जल तथा विद्युत् कमीशन (सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन) को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। बरेली जिले में बहगुल नदी पर बाढ़ निरोधक जलाशय बनवाने के लिये ४३ लाख रु० की लागत की एक योजना तैयार की गई जिनकी परीक्षा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् कमीशन (सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन) द्वारा की जा रही है।

नैपाल राज्य क्षेत्र में राप्ती नदी पर जलकुण्डी में १४ करोड़ रु० की लागत पर एक बहु-प्रयोजन बांध बनाने के लिये भी योजना तैयार की गई है और सेंट्रल वाटर ऐण्ड पावर कमीशन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की गई है। दीर्घकालीन योजनाओं में उत्तर प्रदेश में मुख्य-मुख्य शहरों को, जिनकी भूमि का कटाव नदियों द्वारा हो रहा है, बचाना भी सम्मिलित है। राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने अभी तक ५७.६ लाख रु० की लागत की राजापुर अनूपशहर, कटेश्वर और मायापुर शहरों के बचाव के लिये योजनायें स्वीकृत की हैं।

१७—राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियोजित और स्वीकृत बाढ़-रक्षा निर्माण-कार्यों की कुल लागत नीचे दी जाती है —

(क)	१० लाख रुपये से कम लागत की प्रत्येक योजना के हिसाब से योजनायें जो राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गईं	२.५७ करोड़
(ख)	१० लाख रु० से अधिक लागत की प्रत्येक योजना के हिसाब से योजनायें जो नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गईं	६.३५ करोड़
(ग)	१० लाख रुपये से अधिक लागत की प्रत्येक योजना के हिसाब से योजनायें जो राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गईं, किन्तु जो केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं, क्योंकि उनके सम्बन्ध में अभी तक सेंट्रल वाटर ऐण्ड पावर कमीशन द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है	६.४ करोड़
	योग ..	१५.३२ करोड़

१८—मार्च, १९५६ तक बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर २७४ लाख रुपया व्यय किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के भीतर ३२० लाख रु० का व्यय करने का प्रस्ताव है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १४ लाख एकड़ क्षेत्र का बचाव किया जायगा और ४,००० गांवों से अधिक की आबादियों की स्थलों का स्तर ऊंचा किया जायगा। बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों की, जो कार्यान्वित किये जा रहे हैं, आज तक की प्रगति का विवरण परिशिष्ट (१) के रूप में संलग्न किया गया है।

१९—इन कार्यों के अतिरिक्त सरकार प्रायः बाढ़-ग्रस्त हो जाने वाले जिलों में सामुदायिक ओसारे या छप्पर (कम्यूनिटी शेड्स) और बाढ़ सुरक्षा-स्थल बनवाने के लिये भी कार्रवाई कर रही है और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधिकार में रखी गई निधि में से इस प्रयोजन के लिये १७,३५,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है। ३९ बहुप्रयोजन बाढ़ सुरक्षा स्थल को बनवाने के लिये मुख्य मंत्री के संकट सहायता कोष से २,५६,००० रु० की और धनराशि विभिन्न जिलाधीशों के अधिकार में दी गई थी। २२ अगस्त, १९५६ को विधान सभा में मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा था कि इस विषय में वास्तविक प्रगति हो चुकी है और यह निर्माण कार्य बरसात के पश्चात् जारी रखा जायगा तथा यह आशा की जाती है कि सभी सामुदायिक घर (कम्यूनिटी शेड्स) तथा बहुप्रयोजन बाढ़ सुरक्षा स्थल आगामी बरसात के आने के पूर्व ही तैयार हो जायेंगे।

२०—सरकार ने पहले ही बाढ़ समिति की सिफारिश पर विभिन्न जिलों में जिला बाढ़ समितियां बना दी हैं। इनमें विधान मंडल के ऐसे सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र किसी विशेष जिले में पड़ते हों और सामान्यतः बाढ़ ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के प्रभावशाली गैरसरकारी व्यक्ति तथा साथ ही बाढ़ सहायता तथा नियंत्रण कार्य से संबंधित विभागों के अधिकारी होते हैं। बरसात के शुरू होने के पूर्व वे अपनी बैठकें करते हैं और जिले की बाढ़ सम्बन्धी योजना, बाढ़ चौकियों के स्थल, नावों की व्यवस्था और जिले में बाढ़ों के आने के समय जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक अन्य सभी चीजों के विषय में विचार करते हैं।

२१—प्रत्येक जिले में जिलाधीशों के अधिकार में प्राकृतिक आपदा सहायता कोष रखा गया है जिसमें गैरसरकारी व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं द्वारा अपनी इच्छा से चन्दे दिये जाते हैं। परिशिष्ट (२) में १-४-५६ को विभिन्न जिलों में इस कोष की शेष धनराशि दिखाई गई है। इस प्रकार जिलाधीशों के पास हर समय एक निश्चित धनराशि रहती है जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं के आने पर शीघ्र ही अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रतीक्षा किये बिना ही, तात्कालिक सहायता की व्यवस्था करते हैं। एक छोटी स्थायी समिति भी, जिसमें स्थानीय वि० स० सदस्य, वि० प० सदस्य और स्वयंसेवक संघटनों के प्रतिनिधि तथा अन्य स्थानीय कार्यकर्त्ता होते हैं, जिलाधीशों को जिला आपदा कोष में से व्यय करने में सलाह देने के लिये होती है।

२२—मई, १९५६ के शुरू में ही सरकार ने ५,००० रु० का अनुदान अहेतुक सहायता के लिये और इतनी ही धनराशि बाढ़ सम्बन्धी क्रियाओं के लिये सामान्यतः बाढ़-ग्रस्त होने वाले प्रत्येक जिले के अधिकार में दे दी थी। उनको इस बात का भी आदेश दिया गया था कि १,००० मन भूसा अल्प सूचना पर इस्तेमाल के लिये सुरक्षित रखें। सूखी घास की व्यवस्था भी पहले ही कर दी गई थी। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों को रियायती दरों पर चारा पहुंचाने के लिये चारे के एक ठेकेदार से इकरारनामा किया था और सरकार द्वारा किसी जिले को अभाव का जिला घोषित करने पर प्राथमिकता के आधार पर वैगनों के दिये जाने के लिये भी रेलवे से प्रबन्ध कर लिया गया था। बाढ़ों से टूटे हुये घरों को बनवाने के लिये इमारती लकड़ी तथा छप्पर छाने की सामग्री देने के लिये भी जुलाई, १९५६ में अनुदेश जारी किये गये थे और जिलाधीशों से यह कहा गया था कि वे अपनी आवश्यकता की सूचना वनसंरक्षक (कन्जर्वेटर आफ़ फारेस्ट) तथा डिवीजन के वन अधिकारियों को दें जिन्हें इन चीजों की तुरन्त ही व्यवस्था करनी थी। जिलाधीशों को यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि धन की कमी के कारण बाढ़ संबंधी सहायता कार्यों में कोई कमी न होने पाये। जिलाधीशों को बाढ़-पीड़ित लोगों के लिये अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में धार्मिक इमारतों को छोड़ कर अन्य भू-गृहादि पर क़ब्ज़ा करने के सम्बन्ध में आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं और उनको इमारतों के स्थलों के लिये भूमि पर कब्ज़ा करने तथा उसको प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी अधिकार पहले दे दिये गये हैं। इस विषय पर दो अधिनियम उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्यधिक अधिकारों का अधि नियम, १९५१ ई० और १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) ऐक्ट है। जिलाधीशों को लोगों को ख़तरे के स्थान से बाहर निकालने और बाढ़ों के सम्बन्ध में अन्य

आयोजनों के लिये देशी नावों तथा यंत्र-चालित नावों (मोटर बोट्स) पर कब्जा करने के सम्बन्ध में भी अधिकार हैं। इस प्रकार जहां तक कानून का सम्बन्ध है, जरूरतमन्द लोगों को शीघ्र सहायता देने के लिये आवश्यक व्यवस्था या निर्देश पहले से ही वर्तमान हैं।

२३—उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जायगा कि बाढ़ों के आने से उत्पन्न हुई या होने वाली स्थिति को संभालने के लिये सरकार सभी संभव कार्य करती रही है और यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि यदि बाढ़-नियंत्रण की ऐसी सभी योजनायें जो कार्यान्वित की गई हैं या कार्यान्वित की जा रही हैं बनायी न जातीं और बाढ़-जनित स्थिति पर काबू पाने के लिये पहले से ही व्यवस्था न की जाती और सहायता के लिये धन प्रदिष्ट न किया जाता और नावों जैसी आवश्यक चीजों की व्यवस्था न की गई होती, तो सम्पत्ति की क्षति तथा लोगों की कठिनाइयां कहीं अधिक होतीं।

द्वितीय भाग

२४—सितम्बर, १९५६ के दूसरे सप्ताह में राज्य के कई पूर्वीय जिलों में मुख्यतः भारी, लगातार बिना रुके और घनी वर्षा होने के कारण बाढ़ें आईं। इस लगातार वर्षा के कारण बहुत अधिक पानी जमा हो गया और सभी नदियों में बाढ़ें आ गईं, विशेषतः स्थानीय नदियों और छोटी-छोटी नदियों में, जिसकी वजह से गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और बलिया के जिलों में अत्यधिक हानि हुई। निम्नलिखित विवरण-पत्र में इन ८ जिलों में सितम्बर, १९५६ के दूसरे सप्ताह में हुई वर्षा के और इन जिलों में सितम्बर के पूरे महीने के सामान्य वर्षा के आंकड़े दिये गये हैं—

	जिले का नाम	सितम्बर, १९५६ के दूसरे सप्ताह की वर्षा (इंचों में)	सितम्बर महीने के लिये सामान्य वर्षा (इंचों में)
१	बलिया	८.१५	७.५७
२	गोरखपुर	११.०८	८.५३
३	बस्ती	६.३०	८.७०
४	आजमगढ़	२२.९३	७.३७
५	देवरिया	१३.५०	८.१६
६	वाराणसी	१२.३०	७.२७
७	मिर्जापुर	१५.८३	७.३६
८	गाजीपुर	१९.२१	७.३६

२५—इन आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। बस्ती को छोड़ कर इन जिलों में इस महीने के दूसरे सप्ताह की वर्षा पूरे महीने के सामान्य वर्षा के योग से अधिक हुई। वस्तुतः आजमगढ़ और गाजीपुर में वर्षा विशेष रूप से बहुत तीव्र और विस्तृत हुई और सितम्बर के महीने की पूरी सामान्य वर्षा की अपेक्षा आजमगढ़ में तिगुनी से अधिक और गाजीपुर में लगभग तिगुनी वर्षा हुई।

२६—देहातों में और खासतौर से उन क्षेत्रों में, जिनमें बाढ़ों के आने की आशंका रहती है, रहने के घर प्रायः कच्चे बने होते हैं और इस प्रकार की सघन वर्षा के कारण इन घरों तथा इनकी दीवारों का गिर जाना स्वाभाविक है और ठीक यही दशा हुई भी। इन सभी जिलों में बहुत बड़ी संख्या में जो कई हजार होगी, या तो मकान गिर गये हैं या उन्हें नुकसान हुआ है। घरों तथा अन्य सम्पत्ति और साथ ही फसलों को भी बहुत भारी क्षति पहुंची है। पानी के जमा हो जाने और बाढ़ों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है और यह अनुमान लगाया गया है कि इन जिलों में कई करोड़ रुपयों की क़ीमत की फसल को नुक्सान पहुंचा है।

२७—इन बाढ़ों से मुख्यतः प्रभावित होने वाली नदियां राप्ती, छोटी गण्डक, घाघरा, क्वानों, गंगा, बेलन, भाकला, बड़ी गण्डक, टोंस, कर्मनासा, बिसो और गरई थीं। ये कुछ आशाजनक लक्षण थे कि यद्यपि गंगा और घाघरा में बाढ़ें आयीं किन्तु बहुत असाधारण बाढ़ें नहीं थीं। पानी के बढ़ जाने से जो बर्बादी हुई है वह छोटी नदियों में जिनकी धारायें अपने किनारों को पार कर के बाहर बहने लगीं, बाढ़ों के आने के कारण हुई है। साधारणतया देहातों की चौरस या सपाट भूमि के कारण स्थिति और भी अधिक खराब हो गई, क्योंकि पानी का निकास और बाहर की तरफ बहाव धीमा रहा। इससे बहुत पानी जमा हो गया और गम्भीर बाढ़ आ गयी।

२८—बहराइच जिले में भी सदर तहसील में सितम्बर ६ से सितम्बर १० तक बाढ़ें आयीं किन्तु ये बाढ़ें अपेक्षाकृत मामूली थीं और अन्य जिलों की तुलना में हानि भी कम हुई।

२९—निम्नलिखित तालिका से यह ज्ञात हो जायेगा कि इन जिलों में सितम्बर के महीने में बाढ़ों से कितनी क्षति हुई। जिले के अनुसार ब्यौरे परिशिष्ट ३ में दिये गये हैं—

प्रभावित गांवों की संख्या	११.५	हजार
प्रभावित क्षेत्र	१,९९८	हजार एकड़
बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	४,३६०	हजार
क्षतिग्रस्त या नष्ट हुये घरों की संख्या ..	१७५	हजार
फसलों की क्षति	१,०४,०००	हजार
घरों की हुई क्षति का मूल्य	२५,५१७	हजार
मनुष्यों की संख्या जिनकी मृत्यु हुई ..	६३	
मवेशियों की संख्या जो मर गये	५८३	

३०—ये केवल मोटे तखमीने हैं। बाढ़ों की अवधि में या इतने शीघ्र ही उसके पश्चात् सम्पत्ति की क्षति का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इस वर्ष बाढ़ों से तथा पानी के जमा हो जाने से अब तक इतने विस्तृत क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंची है जितनी कि गत वर्ष हुई थी, परन्तु इनकी उग्रता उन सभी बाढ़ों से अधिक थी जो गत कुछ वर्षों में घटित हुई। नीचे दिये गये विवरण-पत्र में इस वर्ष जुलाई से सितम्बर तक की बाढ़ों से हुई कुल क्षति दी गई है और हाल के कुछ वर्षों के भीतर बाढ़ों से हुई क्षति भी दी गई है।

	१९५०	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६
प्रभावित गांवों की संख्या ..	७,०००	१४,०००	८,०००	३३,८६३	१६,९७
कुल प्रभावित क्षेत्र (एकड़ों में)	२५.६ लाख	२२.४ लाख	३२ लाख	१.०१ करोड़	३८.६५ लाख
पीड़ित जनसंख्या ..	२० लाख	३० लाख	३४ लाख	१.४० करोड़	५५.८६ लाख
घरों की संख्या जो गिर गये या जिनकी क्षति हुई ..	२५,०००	८०,०००	१९,०००	७.७० लाख	२.०१ लाख
मनुष्यों की संख्या जिनकी मृत्यु हुई ..	१२८	२३	२७	२३१	८४
मवेशियों की संख्या जो मर गये	२,२०९	३४१	१,५५३	५,६९४	६९८
फसल की क्षति (करोड़ों में)	..	..	..	२६.४०	१२.१९

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस वर्ष की क्षति के लगभग आंकड़े दिये गये हैं जो कि इस अवस्था पर यथा सम्भव प्राप्त किये जा सके हैं। फिर भी विस्तृत जांच के परिणाम स्वरूप इन आंकड़ों में कुछ प्रतिशत कमी या बेशी हो सकती है।

३१—इन क्षतियों के सम्बन्ध में यह कहना असंगत न होगा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यतः क्षति नदियों की बाढ़ों से न होकर अत्यधिक वर्षा के कारण हुई । फसलों को भी क्षति मुख्यतः पानी के जमा हो जाने से हुई । सम्भवतः किसी भी संख्या में बाढ़ नियंत्रण के उपायों से भारी और लगातार वर्षा का होना नहीं रोका जा सकता और जब ऐसी वर्षा होगी ही तो उससे क्षति का होना भी अवश्यम्भावी है चाहे कोई तत्सम्बन्धी रोक-थाम के लिये कितनी ही तैयारी क्यों न कर लें ।

३२—पानी के जमा होने अथवा भूमि की ऊपरी सतह के बह जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति की जो क्षति होती है उसका रुपयों में मूल्यांकन सम्भव नहीं है । ऐसी क्षति प्रायः स्थायी होती है ।

३३—निम्नलिखित विवरण-पत्र में सितम्बर, १९५६ में विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों को सरकार द्वारा दी गई सहायता की मात्रा दिखाई गई है :—

जिलों के नाम	बाढ़		योग	ऋण जो इस समय तक काश्तकारों से भिन्न लोगों को दिया गया
	अहेतुक सहायता और अन्य बाढ़ क्रियाओं के लिये सितम्बर में दी गई धनराशि	सितम्बर में दी गई मकान बनाने के लिये राज्य सहायता	अधिनियम १२ के अधीन तकावी (जो इस समय तक दी गई)	
१	२	३	४	५	६
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
वाराणसी ..	१,१५,०००	१,३५,०००	२,५०,०००	८,५२,०००	१,०५,०००
मिर्जापुर ..	२०,०००	१०,०००	३०,०००	२,०७,०००	७,५००
गाजीपुर ..	१,५०,०००	१,००,०००	२,५०,०००	८,१०,०००	४०,०००
बलिया ..	२५,०००	५०,०००	७५,०००	४,५२,५००	१०,०००
गोरखपुर ..	१,१५,०००	३०,०००	१,४५,०००	५,७०,०००	२५,०००
बस्ती ..	४५,०००	२५,०००	७०,०००	४,२५,०००	कुछ नहीं
आजमगढ़ ..	१,३०,०००	४५,०००	१,७५,०००	५,५०,०००	कुछ नहीं
देवरिया ..	१,०५,०००	८०,०००	१,८५,०००	६,१५,०००	कुछ नहीं
बहराइच ..	५,०००	कुछ नहीं	५,०००	२,४८,०००	कुछ नहीं
योग ..	७,१०,०००	४,७५,०००	११,८५,०००	४७,२९,५००	१,८७,५००

३४—निम्नलिखित तालिका प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता का जिसमें अधिकतर १९५०, १९५३, १९५४, १९५५ और १९५६ के वर्षों में बाढ़ों पर किया हुआ व्यय ही सम्मिलित है, तुलनात्मक अध्ययन है:—

	अहेतुक सहायता जिसमें मकान बनाने के लिये राज्य सहायता तथा अन्य क्रियाओं के लिये अनुदान भी सम्मिलित है ।	जांच के कार्यों के निमित्त धनराशि
	रु०	रु०
१९५०-५१	२,१२,७४३	१५,१४०
१९५३-५४	८,४१,६९७	७,२८,८१६
१९५४-५५	११,१४,२१०	२०,०८,५५६
१९५५-५६	५७,६८,२६४	†७,६०,९२२
१९५६-५७	*२२,०९,४५०	४,११,७००

*१९५४–५५ की संख्याओं की तुलना में पिछले वर्ष की जांच कार्यों के लिये दिये गये अनुदानों की संख्याएं अपेक्षाकृत कम धनराशि की प्रतीत होती हैं। किन्तु इसका कारण यह था कि लोगों को बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट्स में कार्य दिया गया था जिसके लिए धन की पृथक् रूप से व्यवस्था की गई थी।

इस धनराशि में वह व्यय सम्मिलित नहीं है जो चार महीने के लिये शिक्षा–शुल्क की माफी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुछ वस्तुओं के परिवहन तथा गेहूं की बिक्री में दिये जाने वाले प्रस्तावित राज–सहायता पर होगा।

३५––यह आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि राज्य सरकार ने इस विषय में अपने दायित्व का निर्वाह यथासम्भव सर्वोत्कृष्ट रीति से किया है और यह कि इस वर्ष भी बाढ़ प्रभावित जिलों के पीड़ित व्यक्तियों के सहायय के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। उपकारार्थ सहायता, अन्य बाढ़ क्रियाओं के लिए अनुदान, चारे के लिये राज्य सहायता, गरीबों को मकानों के निर्माण के हेतु सहायता, जांच कार्यों और तकावी के लिए, बीजों और बैलों के लिए, मकानों के निर्माण के लिये, अकृषकों को ऋण आदि देने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कोष की स्वीकृति दी गई है और विभिन्न जिलों की आवश्यकताओं और मांगों के अनुसार और भी ऐसी धनराशि की व्यवस्था की जायगी जो इस राज्य के लिये वित्तीय साधनों के अन्तर्गत हो।

३६––उपर्युक्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अन्य विभिन्न रीतियों से भी बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाई है।

खाद्यान्न––सभी बाढ़–ग्रस्त जिलों में उचित मूल्य पर बिक्री की कई दूकानें खोली गई हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में बिक्री के लिये गेहूं प्राप्य है। कई हजार मन चावल (१३,३१४ मन) भी बाढ़–ग्रस्त पूर्वी जिलों की मांगों को पूरा करने के लिए भेजा रहा है। मोटे अनाजों की कुल प्राप्य राशि या मात्रा (४,९३३ मन चना और ६,९३९ मन जौ) जो कि खाद्य तथा पूर्ति विभाग के पास थी जिला अधिकारियों को आवश्यकता और अपने विवेक के अनुसार स्थिति, उचित मूल्य पर बिक्री की दुकानों के द्वारा बिक्री के लिए और अहेतुक सहायता के रूप में देने के लिये दे दी गई। राज्य सरकार के सामने यह भी प्रस्ताव है कि बाढ़–ग्रस्त क्षेत्र में गेहूं की बिक्री ३ सेर प्रति रुपया की दर पर सुनिश्चित कर दी जाय, जिसका मतलब होगा कि बिक्री पर २ रु० मन से थोड़ी अधिक राज सहायता देनी पड़ेगी। भारत सरकार ने बाढ़ ग्रस्त जिलों में मुफ्त बांटने के लिए ७० टन चावल और प्रदिष्ट किया है।

३७––चारा––जिला अधिकारियों ने पहले ही अपने–अपने जिलों में चारे का प्रबंध कर लिया है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चिन्तित और प्रयत्नशील है कि बाढ़–ग्रस्त क्षेत्रों में उचित मूल्य पर चारा प्राप्त हो सके और उसने तदनुसार यह निश्चय किया है कि यह चारा उसी मूल्य पर बेचा जाय जिस पर वह विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्राप्त होता है और बाढ़–ग्रस्त क्षेत्रों में बिक्री के लिए भूसे के परिवहन का व्यय सरकार द्वारा दिया जाय। सरकारी वनों को भी जहां–कहीं वे स्थित है, बाढ़–ग्रस्त क्षेत्रों के मवेशियों की चराई के लिए खोल दिया गया है। बांदा वन डिवीजन ने उक्त जिलों को बहुत बड़े परिमाणों में सूखी घास मुफ्त प्रदान की है।

चिकित्सा सम्बन्धी सहायता––

३८––जिलों के चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों को पहले से ही हर प्रकार की औषधियां, टीके की दवायें (वैक्सीन) विसंक्रामक औषधियां (डिस-इन्फेक्टैंट्स), कृमिनाशक औषधियां (इन्सेक्टीसाइड्स) इत्यादि दे दी गई थीं। अभी तक किसी भी जिले से किसी प्रकार की महामारी की जैसे हैजा या मलेरिया ज्वर जो बाढ़ के कारण हुई हों, कोई सूचना नहीं मिली है। इनकी रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हैं और अब भी उनके प्रारम्भ को रोकने के लिये उत्साहपूर्वक उपाय किये जा रहे हैं। सभी जिलों में

अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और बाढ़ से उत्पन्न किसी भी स्थिति का मुकाबिला करने के लिए अग्रिम रूप से धन की व्यवस्था कर दी गई थी। अभी तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बाढ़-ग्रस्त जिलों में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किया जा चुका है :—

रोगियों की संख्या जिनकी चिकित्सा की गई	६१,२८९
लाल दवा से विसंक्रमित किये गये कुओं की संख्या	४७,८९९
हैजे के टीकों की संख्या	१,७७,२६८

उत्तर प्रदेश की रेडक्रास सोसाइटी की शाखा की ओर से बाढ़-ग्रस्त जिलों में कपड़े, बिछौने, पौष्टिक पदार्थ (जैसे मल्टी विटामिन टिकियां आदि) और दूध भी दिया गया जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट (४) में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त डाइरेक्टर, आफ डिस्पोजल्स, भारत सरकार, ने सूचित किया है कि १६,९९३ कमीजें, १० आने प्रति कमीज की दर से, १२,०६७ नीली जैकेट, ८ आने प्रति जैकेट की दर से तथा ४,००० बर्मी लुंगी (४०" × ७ १/४ गज) १ रु० ९ आना प्रति लुंगी की दर से बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये उपलब्ध की जा सकती है। यह सूचना बाढ़-ग्रस्त जिलों के जिलाधीशों को दे दी गई है कि यदि उन्हें इन कपड़ों को बाढ़-क्षेत्र में बांटने के लिये आवश्यकता हो तो अपने इन्डेन्ट डाइरेक्टर आफ डिस्पोजल्स के पास भेज दें।

सरकारी मतालबों का स्थगन—

३९—बलिया, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी के जिलों में मालगुजारी, नहर-कर और तकावी के देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। अब ये मतालबे उन दशाओं में जब अन्ततः किसी छूट की व्यवस्था न की जाय आगामी खरीफ की वसूलियों के साथ वसूल किये जायेंगे, और अन्य दशाओं में आगामी रबी की वसूलियों के साथ। तकावी की दशा में मतालबों की वसूली, किस्तों के साथ जब वह देय हो, की जायगी।

स्कूल के शुल्क में रियायत—

४०—सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और जिला बोर्डों के माध्यमिक (सेकेंडरी) स्कूलों में १९५६ की चार महीनों के लिए निर्धन छात्रों की पढ़ाई—शुल्क से मुक्त करने की आज्ञायें पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

इमारती सामान—

४१—मकानों के बनाने के लिये इमारती सामान ; जैसे बांस, बल्लियां और छप्पर छाने की घास आदि के प्रदाय के लिये भी प्रबंध कर दिया गया है। नलीदार लोहे की चादरों के प्रदाय के भी लिए प्रबन्ध किया गया है और जहां आवश्यकता हो वहां पर सीमेंट, ईंटें देने की भी व्यवस्था की जा रही है।

४२—मुख्य मंत्री के विपत्ति सहायता कोष से दी गई सहायता।

परिशिष्ट (६) में इस कोष से १ अप्रैल, १९५६ के बाद दी गई सहायता का ब्यौरा दिखा दिया गया है।

४३—इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संस्थायें भी बाढ़-पीड़ितों को मूल्यवान सहायता देती रही हैं। नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल नई देहली ने ९,००० बोरी (प्रत्येक में १०० पौंड) गेहूं बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त बांटने के लिये दान स्वरूप दिया। यह गेहूं अधिकांश जिलों में पहुंच गया है और उस खाद्यान्न को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये परिवहन में जो व्यय होगा, उसे सरकार ने उठाना मंजूर कर लिया है। दूध स्प्रे की ३०० पेटियां (प्रत्येक पेटी तौल में २७ पौंड हैं जिनमें ४ १/२ पौंड के ६ डिब्बे हैं) और २,००० पेटियां घी की (प्रत्येक पेटी

तौल में ३३ पौंड है जिनमें ५ १/२ पौंड के ६ डिब्बे हैं) अमरीका से कौंसिल आफ़ बालयंटरी एजेन्सीज द्वारा बाढ़-पीड़ितों को उपहार-स्वरूप बांटने के लिये प्राप्त हुई हैं। इनमें से घी के ५०० डिब्बे रेडक्रास संस्था के प्रयोजन के लिये रोक लिए गये हैं और शेष सामग्री बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में बांटने के लिये दे दी गई हैं। अन्य बहुत-सी गैरसरकारी संस्थायें और दल सम्बद्ध जिलों में अनेक प्रकार से सहायता देती रही हैं। ऐसी संस्थाओं या साधनों से प्राप्त सहायता का विवरण परिशिष्ट (५) में दिया गया है। इस प्रकार दी हुई सहायता के लिए सरकार इन संस्थाओं और दलों की कृतज्ञ है।

४४—जब कभी फौजी अधिकारियों से सहायता मांगी गई है वे बराबर सहायता देते रहे हैं। आजमगढ़ में बाढ़ के दौरान में काम में लाने के लिये एक मोटर बोट और गतिशील तार के बेतार का यन्त्र मांगने पर दे दिया था। सरकार इस प्रकार की सहायता के लिये भी आभारी है।

४५—सभी श्रेणी के जन-सेवकों नें—सरकारी हों या गैरसरकारी—सहायता के कार्य में न केवल निष्ठापूर्वक योग दिया प्रत्युत कुछ अवसरों पर तो अपने जीवन को भी बड़े खतरे में डाल दिया। सरकार के धन्यवाद के वे वास्तविक अधिकारी हैं।

४६—विपत्ति से अभी हम मुक्त नहीं हुये हैं। आकाश मेघाच्छन्न है और वैसे ही जनता का हृदय भी। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में रबी की फसल भी बोई न जा सकेगी।

परिशिष्ट १

सितम्बर, १९५६ के अन्त तक बाढ़ सम्बन्धी निर्माण कार्यों के रूप में तटवर्ती बांधों के निर्माण की प्रगति

क्रम-सं०	योजना का नाम	आधुनिकतम प्रगति: अनुमानित लागत (लाख रु० में)	अनुमानित बांध की लंबाई मी० फ०	मिट्टी डालने का अनुमानित परिमाण (लाख घ० फु० में)	मिट्टी डालने का परिमाण (लाख घ० फु० में) जो अब तक डाली गई	पूरे किये हुये बांध की लम्बाई (मीलों में)	कुल प्रगति का प्रतिशत स्तम्भ ५ स्तम्भ ६
१	२	३	४	५	६	७	८
							प्रतिशत
१	हाहानाला बांध	८.०३	११–२	१८३	१८१	१०–५	९९
२	श्रीनगर तुर्तीपार बांध	३०.५०	५१–०	९४४	५७५	२०–०	६०
३	महोला गरवाल बांध	३०.००	३५–०	७१०	३९०	१०–०	५५
४	बकुलहा संसारटोला बांध ..	४.०७	५–५	९२	९	..	१०
५	बलिया बेरिया बांध	१४.८०	२५–०	४५२	३८०	१०–०	८४
६	मुस्तफाबाद खूंटी पृथ्वीपुर बांध ..	३.१७	७–३	८९	८९	७–३	१००
७	गोशालपुर बांध	२.७४	८–४	१२१	१२१	८–३	१००
८	असावर बांध	२.६१	६–३	८८	७२	६–२ १/२	८२
९	गोविन्दपुर बांध	२.३२	४–४	७७	७७	४–३ १/२	१००
१०	छितौनी बांध का निर्माण ..	१९.२	५–१/२	१०८	१०८	५–१/२	१००
११	छितौनी बांध का उत्तर की ओर विस्तार	४.४०	७–१	१८५	१५०	५–६	८१
१२	छितौनी बांध का दक्षिण की ओर विस्तार	३.९	४–०	१२८	१०३	४–०	१००
१३	गोरखपुर जिले में पानी के निकास की ४ नालियां और नियंत्रकों (रेगूलेटरों) का निर्माण	०.१५८	१–५	४.३	४.२	१–४	९७.७

१४	माधोपुर बांध का निर्माण	..	१.०६	१–५	५०.७२	४८.९२	१–५	९६
१५	मझोलिया बांध का निर्माण और विस्तार	.. ..	१.०८	२–५	६८.०	६३.३	२–५	९२
१६	मलाओं बांध का निर्माण	..	२.१६८	४–०	९५.५	९६.०	४–०	१०१.३
१७	घेबरा से धौका रेग सहित बनकट तक कुआनो नदी पर बांध	..	२.३२६	४–०	१०३.८७	९९.९३	३–८	९३.८
१८	मुखलिशपुर से बलहेरा तक बांध का निर्माण	.. ..	४.५८	९–०	१४५.०	१५८.०	९–५	१०९
१९	सोहिया भारकलां से छितई तक बांध का निर्माण	.. ..	४.८५	१०–०	१८७.०	..	१० १/२	१००
२०	कुनरा घोंगी बांध का निर्माण	..	७.६२	२७–०	३००.०	८.०	१–५	३
२१	पारसपुर धरौरा बांध	..	२३.२६	३४–०	९००.०	१२२.०	२०–०	१३
२२	बेलहा बेहरा बांध का निर्माण	..	५.८	८–६	२३५.०	१९६.०	८–६	८०
२३	बेहरा बोंडी बांध का निर्माण	..	१६.६	२७–०	५५९.०	४२२.०	२५–३	७८
२४	बोंडी बहरौली बांध का निर्माण	..	१६.५	२२–०	४५०.०	३५०.०	२२–६	८०
	योग	.. ..		३२२–३ १/२	६२७५.३९	३८५८.६५	२०३–५	..

परिशिष्ट २

जिला अधिकारियों के पास १ अप्रैल, १९५६ में जिला प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की अवशिष्ट धनराशि का विवरण–पत्र

क्रम-सं०	जिले का नाम	अवशिष्ट धनराशि		
		रु०	आ०	पा०
१	देहरादून	१,०१४	०	०
२	सहारनपुर	९,४२३	८	३
३	मुजफ्फरनगर	५,४२१	२	०
४	मेरठ	६,३५७	१२	०
५	अलीगढ़	१,३१६	०	०
६	मथुरा	१,४६१	५	०
७	आगरा	४,१४०	४	९
८	मैनपुरी	१,५८०	१०	०
९	बरेली	४७३	१२	०
१०	बिजनौर	३,६६५	६	६
११	बदायूं	३,५०८	०	०
१२	मुरादाबाद	७,७७७	१	६
१३	पीलीभीत	१,३७८	११	०
१४	रामपुर	१,२६८	४	३
१५	कानपुर	४,७९४	३	३
१६	फतेहपुर	६९६	१३	३
१७	इलाहाबाद	९,४२७	२	७
१८	बांदा	७२७	६	०
१९	हमीरपुर	१,०८८	३	९
२०	झांसी	८,७२३	११	३
२१	जालौन	४,९३६	१३	९
२२	वाराणसी	१३,११५	१४	६
२३	मिर्जापुर	२,०८२	५	११
२४	जौनपुर	२३,३७३	११	९
२५	गाजीपुर	५,५०१	८	३
२६	बलिया	४,३६७	१३	०
२७	गोरखपुर	३०,५२३	३	७
२८	बस्ती	७,४१०	५	१
२९	देवरिया	९,७७२	२	०
३०	आजमगढ़	३९,३४०	१३	५
३१	नैनीताल	७६७	१०	६
३२	गढ़वाल	७,८७१	१५	९
३३	टेहरी-गढ़वाल	३७९	९	०
३४	लखनऊ	६,०११	६	०
३५	उन्नाव	१,६२७	१	०
३६	रायबरेली	३,१२७	१४	०
३७	सीतापुर	३,२०१	११	९

क्रम-सं०	जिले का नाम	अवशिष्ट धनराशि		
		रु०	आ०	पा०
३८	हरदोई	५५७	११	४
३९	खीरी	७५१	१४	३
४०	फैजाबाद	२४,७६२	७	०
४१	गोंडा	४,९६२	८	६
४२	सुल्तानपुर	८,४७५	१४	६
४३	प्रतापगढ़	१,०७२	८	३
४४	बाराबंकी	३७०	४	३

टिप्पणी—बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद, अल्मोड़ा और बहराइच जिलों के सम्बन्ध में इस कोष की अवशिष्ट धनराशि की सूचना प्राप्त नहीं है। एटा, शाहजहांपुर और इटावा के जिलों में इस कोष में कोई अवशिष्ट धनराशि नहीं है।

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट ३

राज्य में सितम्बर, १९५६ में बाढ़ों से हुई क्षति का विवरण-पत्र

क्रम-संख्या	जिले का नाम	नदियां जिनमें बाढ़ आई	बाढ़ों के आने के दिनांक और उनकी अवधि	क्षतिग्रस्त क्षेत्र (एकड़ों में)	क्षतिग्रस्त गांवों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या जिनको क्षति पहुंची	क्षतिग्रस्त अथवा विनष्ट घर		व्यक्ति, मवेशी जो मर गये		नष्ट हुई फसलों का मूल्य (रुपयों में)
							क सं०	ख मूल्य	क	ख	
१	२	३	४	५	६	७	८		९		१०
१	वाराणसी	वरुणा, गरई, चन्द्रप्रभा, कर्मनासा मोरुआ झोरुवा	१३-९-५६से १८-९-५६ तक	२,२४,०००	१,२४५	३,६०,०००	४८,४५०	६४.०५ लाख	९	३२२	५० लाख
२	बस्ती	राप्ती, घाघरा, बूढ़ी राप्ती, बान गंगा, घोंघी, आमिन, कुआनों, कलकलिया ..	२४-८-५६से २०-९-५६ तक	२,५१,६९६	१,४९१	३,१२,५००	१,२०१	८३,५००	..	..	८३ लाख
३	बेवरिया	छोटी गंडक, राप्ती, घाघरा, बड़ी गंडक	१०-९-५६से १९-९-५६ तक	३,००,०००	१,७००	९,००,०००	४०,०००	४० लाख	२५	७	३ करोड़
४	गोरखपुर	आमिन, रोहिन, कुआनों पैस, छोटी गंडक, बड़ी गंडक, घाघरा ..	२७-८-५६से २३-९-५६ तक	२,७८,४७६	१,२९४	५,००,०००	४,३५०	४ लाख लगभग	६	२०	१.२५ करोड़

५ आजमगढ़	टोन्स, मन्नुई, कुंवर, सिलनी पिक्किया, छोटी सरजू, कयार, सुकसिन, लोनी, भैंसिन, नोगई, बेसो, उदन्ति, गंगी ..	३-९-५६ से १२-९-५६ तक	३,००,०००	१,८००	९,००,०००	१६,०००	८० लाख	२	६	१.४ करोड़		
६ गाजीपुर	कर्मनासा, टोंस, मगई, गंगी, बेसो भैंसई, गोधन गंगा	१३-९-५६से २०-९-५६तक	३,३७,०००	२,४८१	८.३ लाख	६०,०००	६० लाख	२०	२२१	३ करोड़		
७ बलिया	घाघरा, गंगा, टोंस	११-९-५६से१८-९-५६ तक	१,६०,१९३	१,११९	४,२०,५०६	३,५७७	४,८५,१५२	१	१	१९,०६,२००		
८ मिर्जापुर	गरई, जारगो, कलकलिया बेलन, सोन ..	१०-९-५६ से१६-९-५६ तक	१६,८५४	१५९	३८,९०५	७००	१,४०,०००	कुछ नहीं	६	१२ लाख		
९ बहराइच	राप्ती, भाकला	९-९-५६ से१०-९-५६ तक	१,२९,८८०	२१३	९८,२८५	८९	३,०००	..	..	११,२४,०००		
	योग ..	..	१९,९८,०९९	११,५०२	४३,६०,१९६	१,७४,३६७	२,५५,१६,६५२	६३	५८३	१०,४०,३०,२००		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट—४

निम्नलिखित बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में १८-९-५६ तक बाढ़ सहायता हेतु दी गई वस्तुओं की सूची

जिला	कम्बल	चादरें	लड़कियों के ब्लाउज के लिये कपड़े	मर्दानी धोतियां	जनानी धोतियां	२ औंस के चाय के पैकेट	दिया-सलाई	मारकीन (गजों में)	मर्दानी कमीजें	प्राथमिक चिकित्सा के बक्से	दूध (पौंड में)	ब्लाउज के कपड़े	मर्दाने पैजामें या नेकर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१—इलाहाबाद ..	१००	१००	५०	५०	५०	१२०	१२०	२००	१००	१	१,३५०	..	५०
२—वाराणसी ..	१००	१००	५०	५०	५०	१२०	१२०	२००	१००	१	१,३५०	..	५०
३—बलिया ..	१२०	१२०	६०	६०	६०	१४४	१४४	२४०	१२०	१	१,३५०	..	६०
४—बांदा ..	८०	८०	४०	४०	४०	९६	९६	१६०	८०	४	१,३५०	..	४०
५—गाजीपुर ..	१६०	१६०	८०	८०	८०	१९२	१९२	३२०	१६०	४	१,३५०	..	८०
६—हमीरपुर ..	१२०	१२०	६०	६०	६०	१४४	१४४	२४०	१२०	४	१,३५०	..	६०
७—फतेहपुर ..	८०	८०	४०	४०	४०	९६	९६	१६०	८०	१	१,३५०	..	४०
८—बाराबंकी ..	८०	८०	४०	४०	४०	९६	९६	१६०	८०	१	१,३५०	..	४०
९—मुजफ्फरनगर	६०	३०	४५	३०	३०	७२	७२	१२०	६०	३	१,२७०	१५०	३०
१०—आगरा (फीरोजाबाद)	८०	८०	४०	४०	४०	९६	९६	१६०	८०	१	१,३५०	..	४०
११—मिर्जापुर ..	८०	८०	४०	४०	४०	९६	९६	१६०	८०	२	१,७००	..	४०
१२—गोरखपुर	८०	८०	४०	४०	४०	..	९६	१६०	८०	१	१,३५०	..	४०
१३—देवरिया ..	८०	८०	४०	४०	४०	..	९६	१६०	८०	१	१,३५०	..	४०
१४—फर्रुखाबाद	८०	८०	४०	४०	४०	..	९६	१६०	८०	१	१,३५०	..	४०
१५—टेहरी-गढ़वाल	१६०	१६०	८०	८०	४०	..	१९२	३२०	१६०	१	१,३५०	..	८०
१६—कानपुर ..	४०	४०	२०	२०	२०	..	४८	८०	४०	१	१,३५०	..	४०
१७—मुरादाबाद	४०	४०	२०	२०	२०	..	४८	८०	४०	१	१,३५०	..	२०
१८—गोंडा ..	८०	८०	४०	४०	४०	..	९६	१६०	८०	१	१,३५०	..	८०
बड़ा योग ..	१,६२०	१,६२०	८२५	८१०	८१०	१,२७२	१,८४४	३,२४०	१,६२०	३०	२३,५७०	१५०	८७०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट ५

सितम्बर, १९५६ के महीने में बाढ़-ग्रस्त जिलों में आदमियों और मवेशियों के मरने की संख्या तथा किये गये सहायता कार्यों का विवरण—पत्र

क्रम-संख्या	जिले का नाम	आदमियों की मृत्यु के सम्बन्ध में ब्यौरे	मवेशियों के मरने के सम्बन्ध में ब्यौरे	स्तम्भ ३ और ४ के बाढ़-पीड़ितों को दी गई सहायता	काम में लाई गई नावों की संख्या और उनकी प्राप्ति का साधन	बाढ़ सहायता केन्द्रों की संख्या	चारा, सूखी घास, वस्त्रों को देने के	कार्यालय और आवश्यक लिये की गई व्यवस्था	गैर-सरकारी संस्थाओं आदि द्वारा की गई सहायता के ब्यौरे	सहायता देने के लिये अनुसरण की जाने वाली योजना तथा नियोजन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
१	बलिया	बैजरा गांव, तहसील रसरा में एक व्यक्ति डूब गया दूसरे गांव को जाने के लिए नाला पार करते हुये इस व्यक्ति को नाले की तीव्र धारा बहा ले गई।	झिनवां गांव, तहसील रसरा में एक बैल की हानि हुई, उक्त बैल का स्वामी अपने दोनों बैलों सहित नदी पार कर रहा था जबकि उनमें से एक बैल धारा में बह गया।	उनको अहेतुक सहायता दी गई और उनको संकट तकावी भी दी जायगी।	जिले में २२८ देशी नावें काम में लाई गईं जिनमें से ३६ सरकार के महीने में बाढ़ों के दौरान में बाराणसी में रेलवेबाड़ों द्वारा लाई गई थीं और १० दिन के पश्चात् वापस कर दी गई थीं। बाकी नावों की व्यवस्था स्थानीय रूप से की गई थी। सरकार द्वारा जिले को आउट बोर्ड सहित मोटर वाली स्टील की तीन नावें और एक मोटर नाव दी गई और बाढ़ डिवीजन बलिया को आउट बोर्ड मोटर सहित वाली स्टील की एक नाव भी काम में लाई गई।	३३	आर० एफ० सी० सो... गेहूं प्राप्त किया गया ... सरकार द्वारा भेजे ... जाकर आ रहा है ... को भूसा संगाने ... गया है।	...पुर से ओ, चना और ...ा। आर० एफ० सी० ...ा गया कुछ मात्रा में ...सरकारी ठेकेदार ... लिये आदेश दे दिया	जिले की गैर-सरकारी संस्थाओं ने रक्षा तथा सहायता सम्बन्धी क्रियाओं में सहायता दी। रेडक्रास सोसाइटी ने कुछ कम्बल और अन्य पहिरने के कपड़े प्राप्त हुए। बलिया के व्यापारियों ने कुछ मोटा अनाज, नमक इत्यादि बांटा।	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनाये गये २० केन्द्रों से सरकारी और खाद्यान्न प्राप्त कर सकने की व्यवस्था की गई है।
	बाराणसी	घरों के गिरने से कुल ६ मनुष्यों की मृत्यु हुई, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :— बाराणसी शहर में ... ४ गांव धरमा, तहसील चन्दौली में ... १ गांव डी, तहसील भदोही में बडारचपुर तहसील ... २ भदोही में ... १ केरागंज, तहसील चकिया में ... १ ——— ९० ———	बाराणसी तहसील में २७ मवेशियों की और चकिया तहसील के ३६ गांवों में १७६ मवेशियों की, और चकिया वन-क्षेत्र में १२५ मवेशियों की हानि हुई :—		एक मोटर नाव, ४७ देशी नावें।	११			१—जैपुरिया सेवा संघ, कानपुर तहसील चन्दौली के प्रभावित गांवों में अनाज, कपड़ा, नमक, दियासलाइयां इत्यादि बांट रहा है। २—खादी व्यापार संघ, बाराणसी में प्रभावित गांवों में १३० मन अनाज, एक बोरा नमक और मिट्टी के तेल का १ टिन बांटा। ३—अगस्त, १९५६ की बाढ़ों के दौरान में रेडक्रास सोसाइटी द्वारा दी गई चाय, दूध का चूरा, कपड़े, कम्बल, दियासलाइयां और दवाइयां वितरित की गयीं। ४—स्थानीय खाद्य व्यापार संघ, सैदराजा ने भी चन्दौली तहसील के प्रभावित गांवों में कुछ अनाज बांटा। ५—१८ सितम्बर, १९५६ को एक मारवाड़ी सज्जन ने, जो जी० टी० रोड से गुजर रहे थे चन्दौली और सैदराजा के बीच ६५० रु० बांटे। ६—चकिया बाढ़ सहायक समिति ने चकिया तहसील के प्रभावित गांवों में चना और नमक बांटा। ७—कन्ता गांव के रघुनाथ सिंह और गुरुद्वारा सिक्ख संघ में से प्रत्येक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिये ५१ रु० का दान दिया।	
		गांव धरमा, तहसील चन्दौली में ... १ गांव डी, तहसील भदोही में बडारचपुर तहसील ... २ भदोही में ... १ केरागंज, तहसील चकिया में ... १ ——— ९० ———	बैल ... १४१ बकरे-बकरियां ... १४ गायें ... ३ भेड़ ... ३५ सोड़ ... १० गधे ... १० सुअर ... ३२ बछड़े ... ३ भैंसे ... ३ ऊंट ... २ ——— ३२२ ———	बर्षा के दौरान में आश्रय न मिल सकने के कारण ३२१ और कुसम्हिया गांव के बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण १।					
१	आजमगढ़	दो आदमी मरे ... १ मवेशी तहसील में ... १ मुहम्मदाबाद तहसील में ...	२ मवेशियों को आग से चोटें आईं ... १ मवेशी तहसील में ... १ मुहम्मदाबाद तहसील में ...	चोटों को दवाइयां, कपड़े इत्यादि के अतिरिक्त कुल ४० रु० और ३५ रु० तक की सहायता दी गई।	गांव सभाओं द्वारा राज्य सहायता के आधार पर खरीदी गई ८९ देशी नावों के अतिरिक्त दुर्घटनायात्र में ८ सैनिक फोल्डिंग नावें और जिले की एक अपनी नाव और प्राप्त की गई। कुल मिलाकर १६० नावें सहायता कार्य करने के लिये काम में लाई गईं।	३४ अभी और भी खोले जा रहे हैं।	मार्च में सरकारी १,४०० मन भूसा दिया गया है।	भूसे के ठेकेदार को दाम के लिये सहायता	जिले की स्थानीय जनता से सहायता के लिये दान के रूप में १,००० रु० की धनराशि प्राप्त हुई।	

उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण विभाग

प्रत्येक अवसर पर जिलों की ४० दुकानें पहले से ही खोल दी गई थीं और इस प्रकार की अन्य दुकानों को खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जांच के निर्माण कार्यों को खोलने के लिये प्रस्ताव अन्तिम रूप से तैयार हो गये हैं और बहुत जल्दी ही उन पर कार्यवाही की जायगी। समस्त बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में चौकियों की नकदी में ... जिला-परिषद सहायता दी जा रही ... कार्यों में लगाई जा रही है। ... स्तर को ऊंचा करने ... कार्य चल रहा है।

... की समिति सम्बन्धी सलाहों को शीघ्र ... की व्यवस्था की है। राज्य सहायता ... आधार पर गत कानपुर के कार्य के ... लिये अन्तिम रूप से तैयार हो गये

क्रम संख्या	जिले का नाम	बाढ़ोंमें की मृत्यु के सम्बन्ध में ब्योरे	मवेशियों के मरने के सम्बन्ध में ब्योरे	स्तम्भ ३ और ४ के बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता	काम में लाई गई नावों की संख्या और उनके प्राप्ति का साधन	बाढ़ सहायता केन्द्रों की संख्या	चारा, सूखी घास, खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं को देने के लिये की गई व्यवस्था	गैर-सरकारी संस्थाओं आदि द्वारा दी गई सहायता के ब्योरे	सहायता देने के लिये अनुसरण की जाने वाली योजना तथा नियोजन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६	गाजीपुर	बाढ़ोंमें की मृत्यु हुई जिनमें से ११ व्यक्ति डूबने के कारण मरे और शेष अन्य प्रकारों से जिनके कारण मरे। उन बाढ़ोंमें से एक पशुओं का और उनके मरने का कारण मालूम नहीं है।	कुल मवेशियों के मरने की संख्या ८८१ थी। ३ मवेशी गिर जाने के कारण मरे और एक डूबने के कारण मरा। ८१७ मवेशियों के मरने के ब्योरे प्राप्त नहीं हुए हैं। शेष ६० मवेशी कमेसारनाथ और तमाखरी में हुए थे।	पीड़ितों को धनराशि सहायता दी गई और जहां आवश्यकता थी वहां पर ७४५ व्यक्तियों के लिए दान सहायता और तकावी की व्यवस्था की जा रही है।	सहायता कार्य में लगी नावों में एक मोटर नाव और १६८ देशी नावें काम में लाई गईं। तहसीलवार ब्योरे निम्नलिखित हैं—गाजीपुर तहसील में २८ जिनमें से १२ नावें किराये पर ली गई थीं और निवासियों द्वारा २० नावों की स्थानीय रूप से व्यवस्था की गई। ५६ देशी नावें और १ मोटर-नाव मऊनाथभंजन तहसील में काम में लाई गईं। मोटर नाव सरकार की थी। ८ देशी नावें गाजीपुर से मंगाई गईं और ६ बलिया से प्राप्त की गईं। बाकी नावें स्थानीय थीं। आजमगढ़ के जिलाधीश से भी, अनाज के सहित १० नावें भेजी। १२० नावों की निजी तौरों से व्यवस्था की गई जो कि जमनिया तहसील में बाढ़ वालों और नाव वालों की थीं और किराये पर ले ली गई थीं। ये सभी स्थानीय नावें थीं। तहसील सदर में १३ देशी नावें काम में लाई गईं।	११ स्थानों—	भूसा ठेकेदारों द्वारा बाहर से मंगाया गया और दिया जा रहा है। सभी न्यायालय बन्द कर दिये गये थे और सभी विभागों के अधिकारी सहायता कार्य में लगे थे। उन्होंने स्थानीय रूप से ही बाढ़ केन्द्रों पर अनाज और अन्य जीवन-निर्वाह की आवश्यक चीजें खरीदीं। खाद्यान्न बीज गोदामों से खरीदे गये। आजमगढ़ के जिलाधीश से भी लोगों से प्राप्त करके कुछ अनाज भिजवाया क्योंकि जिले के उस भाग के यातायात के साधन बंद हो गये थे। सड़कें कई जगहों पर टूट भी गई थीं। स्वास्थ्य विभाग तथा माल के कर्मचारियों द्वारा दवाइयां और चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधायें दी गईं।	*कृपया विशेष विवरण देखिये।	अहैतुक सहायता के अतिरिक्त मकानों के लिये राज्य सहायता, संकट तकावी और ऋण दिये जा रहे हैं। कई स्थानों पर उचित मूल्य पर चीजों की दुकानें खोली गई। मवेशियों के लिये भूसे का प्रबन्ध किया गया। बिना भूमि वाले मजदूरों को काम दिलाने के लिये अतिरिक्त सड़कों, पुलियों, बांधों के निर्माण-कार्यों को मरम्मत के कार्य प्रारम्भ किये जावेंगे। गांव की सतह को भी ऊंचा उठाया जायगा, अस्थाई रूप से रहने की जगह के लिये नालीदार लोहे की चादरों की व्यवस्था की जा रही है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय किये जा रहे हैं। रबी की फसलों के लिये बीजों की व्यवस्था की जा रही है।

*विशेष विवरण—गाजीपुर तहसील में कुछ परोपकारी व्यक्तियों ने अकस्मात्ग्रस्त व्यक्तियों को "रम बांटा" और कुछ अनाज बांटा।
महम्मदाबाद तहसील के एक किसान नेता, श्री सरयू पांडेय ने ढोल क्षेत्र में दोरा बांटे। सैदपुर तहसील में भुरकुरा के महन्त राम बरन दास ने लगभग ३ दिन तक ३०० व्यक्तियों को खाना खिलाया और बच्चों को दूध दिया। धामोपुर गांव के श्री अवध किशन ने लगभग ५ मन अनाज दिया। अलनिया के मुनई यादव ने ५ मन गुड़ दान में दिया। जलगांव के श्री मोख लाल ने लगभग ५ मन गुड़ और ३ मन अनाज बांटा। कई व्यक्तियों ने बाढ़-पीड़ितों के लिये यथाशक्ति सहायता प्रदान की।

५	बलिया	अभी तक किसी मनुष्य के मरने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ।	अभी तक मवेशियों को कुछ हानि की कोई खबर नहीं मिली।	सहायता व रक्षा के कार्य के लिये एक सरकारी मोटर नाव और १२६ देशी नावें जिनमें ५० सरकारी नावें और २५ राज्य सहायता के आधार पर खरीदी गयीं गांव सभा की नावें और ५१ निजी नावें भी काम में लाई गईं।	३०	५०० मन भूसा सरकारी ठेकेदार से प्राप्त हुआ। बांदा के जिला वन अधिकारी (D. F. O.) से भी पांच बैगन जंगली सूखी घास प्राप्त हुई। चार बैगन सूखी घास और मिलेगी। आर० एफ० सी०, गोरखपुर से ३०० मन चना और ३०० मन जौ प्राप्त हुआ। खाद्यान्न, नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई इत्यादि की स्थानीय रूप से व्यवस्था की गई और उनको सहायता के रूप में बांटी गई। प्रत्येक मुख्य बाढ़ चौकी को २२ दुकानें खोली गई। ९ सदर में और एक-एक प्रत्येक तहसील में सरकारी खोली गई।	नेशनल फिजियन कौंसिल नई दिल्ली द्वारा दिये गये ८०० गेहूं के बोरे में से ५३५ बोरे अभी तक प्राप्त हुये हैं। किसी अन्य गैर-सरकारी संस्था से कोई और सहायता प्राप्त नहीं हुई।	
६	बहराइच	जिसी बाढ़ों में मरने की सूचना अभी तक नहीं मिली है।	किसी भी मवेशी के मरने की सूचना अभी तक नहीं मिली है।	दो मोटर नाव और ९३ देशी नावें जनता के दोरान सेवा में लाई गईं। ८६३८ रु. सरकार द्वारा एक मोटर बोट दी गई थी जिसे एक दिवसीय दर। ४३० देशी नावों में से ७६ सरकार की हैं, ४ गांव समाज की हैं, और शेष ५६ नावों की निजी नावें हैं, जिनमें वे मांग ली गई हैं।	३०	चारे की कोई कमी पहले से महसूस नहीं की गई थी। इस कारण उसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था। बांदा के जिला वन अधिकारी से निःशुल्क चराई के लिये वनों को खोल देने के लिये प्रार्थना की गई। बाढ़ की चौकियों पर पहले से ही, जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं का अंस चना, नमक, मिट्टी का तेल आदि का भलीभांति प्रबन्ध कर लिया गया था।	सरकारी सहायता अथवा किसी अन्य साधन से कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई।	बाढ़ समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई एक आदर्श बाढ़ योजना के अनुसार सहायता पहुंचाने का कार्य किया

क्रम- संख्या	जिले का नाम	आदमियों की मृत्यु के संबंध में ब्यौरे	मवेशियों के मरने के संबंध में ब्यौरे	खंड ३ और ४ के अंतर्गत पीड़ितों को दी गई सहायता	काम में लाई गई नावों की संख्या और उनकी प्राप्ति का साधन	बाढ़ सहायता केन्द्रों की संख्या	चारा, सूखी खाद्य, खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं को देने के लिये की गई व्यवस्था	गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता के ब्यौरे	सहायता धन के लिये अनुरोध की जाने वाली योजना तथा नियोजन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७	देवरिया	१४ आदमी, ७ औरतें और ४ बच्चे इस वर्ष की बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण मरे। इनमें से १३ मकानों के गिरने के कारण मरे और १२ डूब जाने की वजह से। अधिकतर जानें १५ सितम्बर की रात को अत्यधिक वर्षा और संघड़ के कारण विस्तृत क्षेत्र में मकानों के सहसा गिर जाने से गईं।	७ मवेशियों की जानें गईं, जिनमें से ४ मकान गिरने के कारण मरे और ३ डूबकर।	सहायता पाने के योग्य परिवारों को अहेतुक सहायता दी गई है।	एक इंस्पेक्शन खंड सरकार द्वारा दी गई और सहायता तथा रक्षा क्रियाओं के लिये १७७ देशी नावों का प्रयोग किया गया। १७७ देशी नावों में से, ७५ नावें ऐसी थीं जो राज्य सहायता के आधार पर स्थानीय रूप से बनाई गई थीं और किराये पर नहीं ली गई थीं।	३६	अहेतुक सहायता और तकावी बांटी जा रही है, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विपत्ति सहायता कोष से ८०,००० रु० दिया गया। इंडियन रेड क्रास सोसाइटी से ८० कंबल, ८० चादरें, ४० ब्लाउज के टुकड़े, ४० मर्दानी धोतियां, ३६ दियासलाई के डिब्बे, १६० गज मारकीन, ८० मर्दानी कमीजें, ४० लैंकर और ५० दूध की पेटियां प्राप्त हुईं। सलेमपुर के श्री रत्नाशंकर तिवारी से ४७ ओवर कोट मिले। डिफियन कौंसिल, नई दिल्ली से गेहूं के ३४० बोरे प्राप्त हुए। सलेमपुर तहसील की इकौना की गांव सभा से ६० बोरियां खाद्यान्न की प्राप्त हुईं। बिहार प्रदेश के जिला भैरवा के व्यापारियों ने अहेतुक सहायता के रूप में खाद्यान्न बंटवा कर मूल्यवान सहायता की। रेलवे अधिकारियों ने लोगों को आश्रय देने के निमित्त जिला अधिकारी के अधिकार में ३८ वैगनें देकर सहायता की। तीन बाढ़ चौकियां बनाई गईं। माल विभाग के सभी अधिकारी, पंचायत राज विभाग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहायता और रक्षा कार्य में लगे रहे। परगना अधिकारी और तहसीलदार ने लोक सभा के सदस्यों तथा स्थानीय समाज सेवकों के साथ बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। मोटा अनाज, मिट्टी का तेल, नमक आदि अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया। पीड़ितों को नकद रुपया भी दिया गया। जिले के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अधिकारी (D.M.O.H.) ने महामारियों के फैलने को रोकने के लिये प्रभावकारी कार्यवाहियां कीं।	..	आंख के कार्य बहुत शीघ्र ही आरम्भ किये जायेंगे।
८	मिर्जापुर	कुछ नहीं	६ मवेशियों की जानें मकान गिरने के कारण गईं।	कुछ नहीं	एक मोटर बोट और २०० देशी नावें काम में लाई गईं। मोटर बोट सरकार की थी जिसे सितंबर १९४६ में दिया था। २०० देशी नावों में से ३० नावें बाढ़ सहायता समिति की थीं जो निजामाबाद के अधिकार में थीं। ५५ देशी नावें एकत्रीकृषि इंजीनियर से ली गई थीं। ९ सार्वजनिक निर्माण विभाग से, ३१ विभिन्न गांव सभाओं की थीं जो राज्य सहायता के आधार पर बनी थीं और शेष १०५ किराये की थीं।	७० सहायता केन्द्र खोले गये	सरकारी स्टोर के ठेकेदार को २,००० मन भूसा के लिये आदेश दिया गया, जिसमें से १,००० मन भूसा मिल चुका है और १,००० मन शीघ्र ही पहुंचने वाला है। जिला वन अधिकारी, बांदा से १० लाख सूखी घास भी ली गई। गोरखपुर के जिला वन अधिकारी ने मुफ्त चराई के लिये १३ हजार ढोर दिये।	विधान सभा, विधान परिषद् तथा लोक सभा के सदस्यों ने और जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों तथा कुछ कांग्रेस समिति के सदस्यों और कुछ परोपकारी संस्थाओं ने सहायता पहुंचाने में भाग लिया। यूनिवर्सिटी केम्प के ८०० शरणार्थियों को गीता प्रेस ने मुफ्त अनाज बांटा। १०,००० रुपये के कम्बल बांटने का भी उन्होंने वायदा किया है।	अभी तक ८०,००० रु० की अहेतुक सहायता दी जा चुकी है। बड़े पैमाने पर मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की सहायता दी जा रही है। चिकित्सा केन्द्र पर्ण रूप से आवश्यकों मात्रा डिसमिन की गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर और दूध के पाउडर उपलब्ध में परिवर्तन हो। सार्वजनिक निर्माण विभाग को श्रमिकों १० मजदूरों का काम दिलाने के लिये विभिन्न कार्य को प्रारम्भ करने के लिये कहा गया है। बाढ़ नियंत्रण के नियंत्रक ने तो पहले ही ८० रु० सी० सी० आई० चहारे क्षेत्र में है।
९	गोरखपुर	६ व्यक्तियों को जाने गईं—४ की डूबने से और २ की मकानों के गिरने से।	२० मवेशियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है।	कुछ नहीं					

टिप्पणी—चुनार तहसील में मकान गिरने के कारण २ व्यक्तियों की जानें गईं—१ जनूहार में और दूसरा डोरवा गांव में जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के बाहर है, मरा।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट ६

१९५६–५७ में मुख्य मंत्री [redacted] पत्ति सहोयता कोष से बाढ़ों की स्थिति को सम्हालने तथा सहायता कार्य संगठित करने के लिये दी गई धनराशियों का विवरण–पत्र

१––बाढ़ चौकियों के निर्माण के लिये दी गई धनराशियां––

	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१––जिलाधीश, हमीरपुर	५,०००	०	०			
२––जिलाधीश, उन्नाव	५,०००	०	०			
३––जिलाधीश, सीतापुर	११,३५०	०	०			
४––जिलाधीश, फैजाबाद	५,०००	०	०			
५––जिलाधीश, बाराबंकी	३,०००	०	०			
६––जिलाधीश, बदायूं	५,०००	०	०			
७––जिलाधीश, बहराइच	३,३३३	०	०			
८––जिलाधीश, हरदोई	२,५००	०	०			
९––जिलाधीश, इलाहाबाद	५,५००	०	०			
१०––जिलाधीश, बलिया	७,०००	०	०			
११––जिलाधीश, आजमगढ़	३,०००	०	०			
१२––जिलाधीश, वाराणसी	५,०००	०	०			
योग ..	६०,६८३	०	०	६०,६८३	०	०

२––सहायता कार्यों को संगठित करने के लिये दी गई धनराशियां––

१––जिलाधीश, फर्रुखाबाद	३,०००	०	०
२––जिलाधीश, बहराइच	५,०००	०	०
३––जिलाधीश, देवरिया	२०,०००	०	०
४––जिलाधीश, बलिया	९,५००	०	०
५––जिलाधीश, आजमगढ़	१५,०००	०	०
६––जिलाधीश, मिर्जापुर	९,५००	०	०

		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
७—जिलाधीश, गाजीपुर	.. .. ..	१६,०००	०	०			
८—जिलाधीश, गोरखपुर	.. .. ..	१५,०००	०	०			
९—जिलाधीश, वाराणसी	.. .. ..	१०,०००	०	०			
१०—जिलाधीश, टिहरी-गढ़वाल	.. .. ..	६,०००	०	०			
योग	..	१,०९,०००	०	०	१,०९,०००	०	०
३—बाढ़ क्षेत्र के विद्यार्थियों को सहायता देने के लिये शिक्षा संस्थाओं को दी गई धनराशियां—							
१—उपकुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	.. ..	५,०००	०	०			
२—उपकुलपति, वाराणसी विश्वविद्यालय	.. ..	५,०००	०	०			
३—उपकुललपति, लखनऊ विश्वविद्यालय	.. ..	५,०००	०	०			
४—मेडिकल कालेज, लखनऊ	.. .. ..	३,०००	०	०			
५—मेडिकल कालेज, कानपुर	.. .. ..	२,५००	०	०			
योग	..	२०,५००	०	०	२०,५००	०	०
४—गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता कार्य संगठित करने के लिये दी गई धनराशियां	.. .. ..	२२,१००	०	०	२२,१००	०	०
५—गतवर्ष सेना के तरिक्त कपड़ों को खरीदने के लिये किये गये वादे को पूरा करने के लिये स्वीकृत धनराशियां—							
१—जिलाधीश, आगरा	.. .. ..	१,०००	०	०			
२—जिलाधीश, गोंडा	.. .. ..	१,८०८	०	९			
योग	..	२,८०८	०	९	२,८०८	०	९
कुल योग	..				२,१५,०९१	०	९

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२३१ एल० ए० —१९५६—७९६।